ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

वर्ष 2016 - 17 के दौरान प्रबंधन

कार्यकारी निदेशकगण :

श्री राजीव रंजन मिश्र
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार) (23.11.2016 से)

श्री चन्दन कुमार दे
अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार) (22.11.2016 तक)

श्री के.एस. पात्र
निदेशक (कार्मिक) एवं निदेशक (तकनीकी)
(अतिरिक्त प्रभार) (16.08.2016 तक)

श्री ए. एम. मराठे
निदेशक (वित्त) तथा निदेशक (तकनीकी)
अतिरिक्त प्रभार (16.08.2016 तक)

श्री बी. एन. शुक्ला
निदेशक (तकनीकी) (संचालन) (15.09.2016 से)

श्री ए. के. सिंह
निदेशक (तकनीकी) योजना तथा परियोजना
(15.09.2016 से)

अंशकालीन आधिकारिक निदेशकगण :

श्री वी. पेद्न्ना
संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय (28.02.2017 तक)
श्री चन्दन कुमार दे
निदेशक (वित्त), कोल इंडिया लिमिटेड

अंशकालीन गैर–आधिकारिक निदेशकगण :

प्रो (डॉ) इन्दिरा चक्रवर्ती

कंपनी सचिव :

श्री वी.आर. रेड्डी

26 जुलाई 2017 को प्रबंधन

कार्यकारी निदेशकगण :

श्री सुब्रत चक्रवर्ती
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

श्री के.एस. पात्र
निदेशक (कार्मिक)

श्री ए. एम. मराठे
निदेशक (वित्त)

श्री बी. एन. शुक्ला
निदेशक (तकनीकी) संचालन

श्री ए. के. सिंह
निदेशक (तकनीकी) योजना तथा परियोजना

अंशकालीन आधिकारिक निदेशकगण :

श्री सी.के. दे
निदेशक (वित्त),कोल इंडिया लिमिटेड
श्री विवेक भारद्वाज
संयुक्त सचिव कोयला मंत्रालय

अंशकालीन गैर–आधिकारिक निदेशकगण :

प्रो (डॉ) इन्दिरा चक्रवर्ती

कंपनी सचिव :

श्री वी.आर. रेड्डी

वर्ष 2016-17 के दौरान बैंकर्स

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	एक्सिस बैंक	ओरियंटल बैंक ऑफ कमार्स
इलाहाबाद बैंक	बैंक आफ बड़ौदा	पंजाब नेशनल बैंक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ इंडिया	कॉर्पोरेशन बैंक	आईसीआईसीआई बैंक
केनरा बैंक	सिंडिकेट बैंक		

वर्ष 2016-17 के दौरान संवैधानिक लेखा परीक्षक

1. मेसर्स एम चौधरी एंड कंपनी, 162, जोधपुर पार्क, कोलकाता– 700068

शाखा लेखा परीक्षकगण

2. मेसर्स यू एस साहा एंड कंपनी, 228 कमलालय सेंटर, द्वितीय तल, 156 ए लेनिन सरणी, कोलकाता – 700013
3. मेसर्स डी झा एण्ड एदोसिएट्स, एस मधुबनी, पूर्व पल्ली,सैनिक भवन के पीछे,बड़ोनीलपुर रोड, पो:श्रीपल्ली, पूर्वी वर्द्धवान–713103
4. मेसर्स एन. सरकार एण्ड कंपनी, 21, प्रफुल्ल सरकार स्ट्रीट, कोलकाता – 700072
5. मेसर्स वीरेंद्र सुराना एंड कंपनी, विवेकानंद कॉलेज के पास, श्रीपल्ली, बर्दवान, 713103
6. मेसर्स सराफ एण्ड चन्द्रा, 501, अशोक हाउस, 3A, हेयर स्टीट, पाँचवा तल, कोलकाता–700001

2016-17 के दौरान लागत लेखा परीक्षक

1. मेसर्स मौ बनर्जी एण्ड कम्पनी, वैकुण्ठ अपार्टमेंट, सतह तल, गोपालपुर, जी. टी, रोड (पश्चिम), आसनसोल – 713304, पश्चिम बंगाल।
2. मेसर्स के के दास एण्ड एसोसिएट्स, मेह– 17, कनिष्क रोड, दुर्गापुर– 713204, पश्चिम बंगाल।
3. मेसर्स बीसीडी एण्ड एसोसिएट्स, फ्लैट नं. 4ए, 382, जोधपुर पार्क, कोलकाता – 700068, पश्चिम बंगाल।
4. मेसर्स बी राय एण्ड एसोसिएट्स, 27 गोपाल जिउ मंदिर रोड, विराटी, कोलकाता – 700051, पश्चिम बंगाल।
5. मेसर्स सुभद्रा दत्ता एण्ड एसोसिएटस्, पुष्पक अपार्टमेंट, 5 पर्णश्री पल्ली, बनमाली नस्कर रोड, कोलकाता–700060, पश्चिम बंगाल।
6. मेसर्स आशुतोष एण्ड एसोसिएटस्, प्लाट नं. एन4/232 अ, आई आर सी ग्राम, नयापल्ली, भुवनेश्वर – 751015, ओड़िसा।

2016-17 के सचिवालयीन लेखा परीक्षक

1. मेसर्स अग्रवाला दिनेश एन्ड कम्पनी, 16/1ए अब्दुल हमीद स्ट्रीट, चौथा तल, कमरा नं. 4बी, कोलकाता – 700001

2016-17 के दौरान आंतरिक लेखा परीक्षक

1. मेसर्स अभिजीत दत्ता एंड एसोसिएट्स, 8/2 किरण शंकर रॉय रोड, कमरा–2 एवं 3, द्वितीय तल, कोलकाता–700001
2. मेसर्स डी एन दोकानिया एंड एसोसिएट्स, 103 ए, शांति भवन, बैंक मोड़, धनबाद– 823001
3. मेसर्स एस के मल्लिक एंड कंपनी, बीकानेर बिल्डिंग, 8–बी, लालबाजार स्ट्रीट, प्रथम तल, कमरा–02, कोलकाता–700001
4. मेसर्स मित्रा घोष एंड रॉय, कमरा–5, लेक एवेन्यू, कोलकाता – 700026
5. मेसर्स के एल बनर्जी एंड कंपनी, हेस्टिंग्स चेम्बर्स, 7सी, किरण शंकर रॉय रोड, कोलकाता – 70001
6. मेसर्स एस. के. भट्टाचार्य एंड कंपनी, 4, किरण शंकर रॉय रोड, राजा चेम्बर्स, कोलकाता–70001

7. मेसर्स अमित राय एंड कंपनी, 5–बी, सरदार पटेल मार्ग, इलाहाबाद –211001.
8. मेसर्स ए.जे.एस. एंड एसोसिएट्स, 55–बी, एस पी मुखर्जी रोड, प्रथम तल, निकट हाजरा क्रॉसिंग, कोलकाता– 110002.
9. मेसर्स एन.सी. मित्तल एंड कंपनी, बेह्ल हाउस, 13, दरियागंज, नई दिल्ली – 110002.
10. मेसर्स एच.पी. झुनझुनवाला एंड कंपनी, 907, मार्शल हाउस, 33/1 एन एस रोड, कोलकाता– 700001.
11. मेसर्स पी.डी. रुंगटा एंड कंपनी, 21, हेमंत बासु सरणी, तृतीय तल, कमरा न. 317, कोलकाता – 700001.
12. मेसर्स एसबीए एसोसिएट्स, 27, मिर्जा गालिब स्ट्रीट, पंचम तल, कोलकाता – 700016.
13. मेसर्स के.एन. जैन एंड कंपनी, 2, लाल बाजार स्ट्रीट, द्वितीय तल, कमरा न.204, 205, कोलकाता – 700001.
14. मेसर्स जी जी एम एंड कंपनी, 503, पर्णश्री, आरआईसी मोड़, कोलकाता – 700060.
15. मेसर्स ए. आर. माइती एंड कंपनी, सेंटर पॉइंट, कमरा 442, 21 ओल्ड कोर्ट हाउस स्ट्रीट, कोलकाता – 700001.

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक का कार्यालय, सांकतोड़िया, पोस्ट–डिसेरगढ़, जिला– बर्द्धमान, पिन–713333

मिशन कथन

खान सुरक्षा, संरक्षण एवं गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए कुशलता एवं मितव्ययिता पूर्वक योजनाबद्ध परिमाण में कोयले का उत्पादन करना।

दूरदर्शी कथन

पर्यावरण एवं सामाजिक संपोषण का सम्मान करते हुए खदान से बाजार तक सर्वश्रेष्ठ पद्धति अपनाते हुए ऊर्जा क्षेत्र में घरेलू नेतृत्व से वैश्विक खिलाड़ी प्रमुख के रूप में स्थापित करना।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक का कार्यालय
सांकतोड़िया, पत्रालय- डिसेरगढ़, जिला- बर्द्धमान, पश्चिम बंगाल-713333
कंपनी सचिवालय
सीआईएन यू10101डबल्यूबी1975जीओ1030295
वेबसाइट : www.easterncoal.gov.in

पत्रांक - ईसीएल/सीएस/15(2016)/4482 दिनांक- 27.07.2017

सूचना

यह सूचित किया जाता है कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के शेयरधारकों की 42वीं बैठक आगामी 26 जुलाई, 2017(बुधवार) को इसके पंजीकृत कार्यालय - सांकतोड़िया, पोस्ट- डिसेरगढ़, जिला- बर्द्धमान (पश्चिम बंगाल)-713333 में सुबह 11.00 बजे निम्नलिखित कारोबार के लिए होगी :

सामान्य कारोबार:

1. 31 मार्च, 2017 को लेखा परीक्षित तुलन-पत्र तथा 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं निदेशकों के प्रतिवेदन से प्राप्त, विचार एवं स्वीकार करना।
2. निदेशक के. एस. पात्र (डीआईएन - 07318418) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) के अंतर्गत सेवानिवृत्त होने वाले हैं तथा जो पुनर्नियुक्ति के योग्य है।

विशेष कारोबार :

3. विचार करना एवं यदि विचार सही लगे तो निम्नलिखित संकल्पों को संशोधन के साथ अथवा बिना किसी संशोधन के सामान्य संकल्प के रूप में जारी करना ।
4. वित्त वर्ष 2016-17 के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की अभिपुष्टि करना तथा निम्नलिखित संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में विचार करना, यदि उचित लगे तो बिना संशोधन या संशोधन सहित पारित करना :

संकल्प लिया गया कि कंपनी की लागत लेखापरीक्षा के लिए निदेशक मंडली द्वारा नियुक्त किये गये लागत लेखापरीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (3) के अनुसार 2015-16 की लेखापरीक्षा हेतु निम्नलिखित पारिश्रमिक दिया जाएगा : -

क्रम सं	लागत लेखापरीक्षक का नाम	वर्ष 2016-17 की लागत लेखापरीक्षा के लिए पारिश्रमिक (₹ में)
1	मेसर्स मउ बनर्जी एन्ड कम्पनी	217547/-
2	मेसर्स के. के. दास एन्ड एसोसिएटस	124414/-
3	मेसर्स बीसीडी एन्ड एसोसिएटस	110907/-
4	मेसर्स बी राय एन्ड एसोसिएटस	88867/-
5	मेसर्स सुभद्रा दत्ता एन्ड एसोसिएटस	82469/-
6	मेसर्स आशुतोष एन्ड एसोसिएट्स	66828/-
	कुल	691032/-

उपरोक्त फर्मो की ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति वित्त वर्ष 2016-17 के लिए अभिरूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) में उल्लिखित नियम तथा शर्तों के अनुरूप मार्गदर्शित है।

4. विचार करना एवं यदि विचार सही लगे तो निम्नलिखित संकल्पों को संशोधन के साथ अथवा बिना किसी संशोधन के विशेष संकल्प के रूप में जारी करना ।

संकल्प लिया गया कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के एसोसिएशन के अनुच्छेद 32 (क) में प्रस्तावित सुधारों को एततद्वारा स्वीकृत किया जाता है :

उपरोक्त प्रावधान की सामान्यता का अतिक्रमण किए बिना निम्नलिखित से संबंधित किसी भी मामले से जुड़े अध्यक्ष/कोल इंडिया लिमिटेड के निर्णय को रिज़र्व रखेगी :

क) समय–समय पर जारी सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करती हुई सीमाओं का अतिक्रमण करती हुई किसी राशि हेतु पूँजीगत व्यय का कोई कार्यक्रम।

आगे संकल्प लिया गया कि उपरोक्त संकल्पों के प्रभाव में लाने एवं इससे संबंधित सभी क्रियाकलापों के लिए एततद्वारा कंपनी सचिव को प्राधिकृत किया जाता है।

बोर्ड के आदेशानुसार

दिनांक– 24 जुलाई, 2017

(वी.आर. रेड्डी)
महाप्रबंधक (वित्त) / कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
सांकतोड़िया, पोस्ट– डिसेरगढ़,
जिला–बर्द्धमान, (पश्चिम बंगाल), पिन– 713333

टिप्पणियाँ

(क) कोई सदस्य जो सम्मेलन में भाग लेने एवं मत देने के हकदार हैं वे अपने स्थान पर मत देने के लिए प्रतिनिधि की नियुक्ति कर सकते हैं एवं प्रतिनिधि के लिए सदस्य होना जरूरी नहीं है। वार्षिक आम बैठक के 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में विधिवत भरा हुआ प्रॉक्सि जमा हो जाना चाहिए ताकि वह प्रोक्सी प्रभावी हो सके।

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुभाग 139 (5) के अनुसार एक सरकारी कंपनी के महालेखापरीक्षक की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा होती है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुभाग 142(1) के अनुसार उनका पारिश्रमिक कंपनी के द्वारा वार्षिक आम बैठक में तय की जाती है अथवा आम बैठक में कंपनी जिस प्रकार निर्धारित करे। कंपनी की 30 जुलाई, 2001 को सम्पन्न आठवीं असाधारण आम बैठक में आपकी कंपनी के सदस्यों ने कंपनी के निदेशक मण्डल को वैधानिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने को प्राधिकृत किया।

प्रतिलिपि :

क) मेसर्स एम चौधरी एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंट्स, वैधानिक लेखापरीक्षक
162, जोधपुर पार्क, कोलकाता – 700068.

ख) मेसर्स अग्रवाल दिनेश एन्ड कंपनी, कम्पनी सेक्रेटरी 16/1 ए अब्दुल हमीद स्ट्रीट, चतुर्थ तल, कमरा नं. 4 बी, कोलकाता –69

ग) मेसर्स मउ बनर्जी एन्ड कम्पनी, वैकुण्ठ अपार्टमेंट, सतह तल, गोपालपुर, जी. टी. रोड (पश्चिम), आसनसोल – 713304, पश्चिम बंगाल।

घ) समस्त निदेशकगण, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का कार्यालय
सांकतोड़िया, पत्रालय - डिसेरगढ़,
जिला - बर्द्धमान, पश्चिम बंगाल -713333
कंपनी सचिवालय
सी.आइ.एन.-U10101WB1975GOI030295
वेबसाइट - www.easterncoal.gov.in

Eastern Coalfields Limited
Office of the Chairman-cum-Managing Director
Sanctoria, P.O. Disergarh- 713333,
Distt. Burdwan (W.B.)
Company Secretariat
CIN: U10101WB1975GOI030295
Website : www.easterncoal.gov.in

Telefax : 0341-2520546
E-mail: eclcos17a@gmail.com

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101 (i) के कथनानुसार विशेष कारोबार

मद संख्या - 03

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) तथा कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 14 (क) (ii) के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति द्वारा संस्तुत तथा निदेशक मंडली द्वारा स्वीकृत लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक की पुष्टि आगे चलकर शेयरधारकों द्वारा की जानी है।

वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी की लागत लेखापरीक्षा की समीक्षा के लिए निम्नलिखित लागत लेखा संस्थाओं को निम्नलिखित पारिश्रमिक के साथ लागत लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु 31 अगस्त, 2016 को आयोजित 77वीं बैठक में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की लेखापरीक्षा समिति ने संस्तुत किया तथा निदेशक मंडली ने 31 अगस्त, 2016 को आयोजित अपनी 292वीं बैठक में स्वीकृत किया।

क्रम सं	लागत लेखापरीक्षक का नाम	वर्ष 2016-17 की लागत लेखापरीक्षा के लिए पारिश्रमिक (₹ में)
1	मेसर्स मउ बनर्जी एन्ड कम्पनी	217547/-
2	मेसर्स के. के. दास एन्ड एसोसिएटस	124414/-
3	मेसर्स बीसीडी एन्ड एसोसिएटस	110907/-
4	मेसर्स बी राय एन्ड एसोसिएटस	88867/-
5	मेसर्स सुभद्रा दत्ता एन्ड एसोसिएटस	82469/-
6	मेसर्स आशुतोष एन्ड एसोसिएट्स	66828/-
	कुल	691032/-

उपरोक्त के अतिरिक्त, यात्रा एवं अन्य खर्चों को भी पारिश्रमिक के 50% तक सीमित कर दिया जाएगा; वह भी आवश्यक कागजात प्रस्तुत करने पर। साथ ही, समुचित प्राधिकारी के माध्यम से पंजीकरण संख्या के प्रस्तुतीकरण के पश्चात ही सेवा कर आदि, यदि प्रयोज्य हो, का भुगतान किया जाएगा।

हालांकि, 2016-17 400000000 ० ृहेतु लागत लेखापरीक्षकों के उक्त पारिश्रमिक की पुष्टि का भी प्रस्ताव रखा गया।

इस संकल्प में किसी भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक अथवा उनके किसी भी रिश्तेदार की कोई रुचि अथवा संबंध नहीं है। सदस्यों की स्वीकृति हेतु बोर्ड ने उक्त संकल्प को मद संख्या 03 में संस्तुत किया।

अध्यक्ष का कथन

मित्रों,

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की 42वां वार्षिक सामान्य बैठक में आपका स्वागत करते हुए मुझे अपार खुशी है। निदेशकों का प्रतिवेदन, वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए परीक्षित लेखा के साथ–साथ वैधानिक लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन एवं भारत के महालेखापरीक्षक की समीक्षा एवं रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत है।

किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए उर्जा बड़े निर्विष्टों में से एक है तथा भारत में कोयला उर्जा कारकों में प्रबल है, जिसका कुल बुनियादी ऊर्जा उत्पादन में 52% योगदान है। वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था को ऊर्जा की सख्त आवश्यकता है। हमारी कंपनी गैर कोकिंग कोयले के उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले कोयले का उत्पादन करने वाली कंपनी है. जो विभिन्न विद्युत संयंत्रों, इस्पात संयंत्रों, सीमेंट कारखानों इत्यादि की जरूरतों को पूरा करता है।

हमारी कंपनी की रणनीतिक दृष्टि यह है कि पर्यावरण एवं सामाजिक दायित्व का ख्याल रखते हुए उत्पादन में बढ़ोत्तरी, प्रतियोगितात्मक एवं लाभदायकता के साथ खुद को त्वरित विकास के पथ पर स्थापित करने के साथ–साथ स्वयं को प्राथमिक ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान दिलाएँ एवं देश की ऊर्जागत आवश्यकताओं की पूर्ति करें।

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान ईसीएल ने कोयला उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 0.77% की वृद्धि के साथ 40.517 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया। कंपनी ने 124.637 मिलियन घन मीटर अधिभार विस्थापित किया जो तक अब तक का सर्वोच्च है जिससे पिछले वर्ष की तुलना में 4.54% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गयी। भूमिगत उत्पादन में भी पिछले वर्ष की तुलना में 10.89% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गयी। झांझरा एवं अन्य खदानों में कंटीन्यूअस माइनर, पीएसएलडबल्यू जैसे मास प्रोदाक्षन तकनीक के स्थापन से भूमिगत उत्पादन में आने वाले वर्षों में सुधार आएगा।

वर्ष 2016-17 के दौरान, ईसीएल द्वारा पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 11.42% की सकारात्मक वृद्धि के साथ 43.019 मिलियन टन कोयले का प्रेषण किया गया जो अब तक का सर्वाधिक है।

वर्ष 2016-17 के दौरान, 04 (चार) परियोजनाओं नामतः हुरा सी ओसी, झांझरा कम्बाइन्ड पीआर, तिलाबोनी भूमिगत खदान, मोहनपुर एक्सपेनशन ओसी (फेज) तथा नकराकोंडा–कुमारडीह बी ओसीपी को बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई।

श्रीपुर एवं निमचा परियोजनाओं में हाईवाल खनन तकनीक लागू करने का प्रस्ताव है। भूमिगत खदानों से कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। 31.03.2017 को ईसीएल के विभिन्न भूमिगत खदानों में 274 एसडीएल तथा 30 एलएचडी कार्य कर रहे हैं।

कोयला उत्खनन के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का हमारी कंपनी द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है तथा वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण, भूमि क्षय, जंगल कटाव इत्यादि पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त निवारक कदम उठाए जा रहे हैं। ये निवारक कदम नियमित रूप से सभी मानकों, अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों के मुताबिक उठाए जा रहे हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान हमने पौधारोपण किया जिससे 63 हैक्टेयर भूमि आच्छादित हुई। 100 हेक्टेयर में से 31 हेक्टेयर भूमि का पौधारोपण अधिभार पर ही किया गया।

पेय जलापूर्ति, शैक्षणिक सुविधाओं एवं स्वास्थ्य देखभाल में सुधार द्वारा ईसीएल कमान क्षेत्र के आस-पास के गाँवों में सतत विकास एवं सीएसआर गतिविधियों के लिए हम सदा प्रतिबद्ध हैं। आलोच्य अवधि के दौरान, सतत विकास, कल्याणकारी एवं सीएसआर गतिविधियों पर हमारी कंपनी ने लगभग ₹ 21.62 करोड़ रूपये व्यय किये।

हमने खान सुरक्षा को हमेशा उच्च प्राथमिकता दी है, जो ईसीएल में कोर उत्पादन पद्धति के एक भाग के रूप में जाना जाता है। खान सुरक्षा मानकों में सुधार लाने के लिए ईसीएल ने वर्ष के दौरान कई उपायों पर कठोरता से कदम उठाया है।

हमारी कंपनी ने भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी केन्द्रीय लोक उद्यम (सीपीएसई) के लिए कंपनी अभिशासन पर दिशा-निर्देश की शर्तों का पालन किया है। जैसा कि उपरोक्त दिशा-निर्देश के तहत आवश्यक है, निदेशकों के प्रतिवेदन में कंपनी अभिशासन पर एक अलग खंड शामिल किया गया है तथा वैधानिक लेखा परीक्षकों से एक अनुपालन प्रमाण पत्र लिया गया है।

हम वर्ष 2017-18 के दौरान, 47 मिलियन टन से अधिक कोयला उत्पादन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं तथा हमें विश्वास है कि आने वाले समय में ईसीएल आगे बढ़ती रहेगी।

मैं कोल इंडिया लिमिटेड, कोयला मंत्रालय, अन्य केन्द्रीय मंत्रालय एवं विभागों, राज्य सरकारों, सभी कर्मियों, मजदूर संगठनों, उपभोक्तओं एवं आपूर्तिकर्ताओं को उनके द्वारा दिए गए पूर्ण समर्थन एवं सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ।

स्थान – सांकतोड़िया
दिनांक – 26 जुलाई, 2017

निदेशकों का प्रतिवेदन

सेवा में
अंशधारकगण,
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

सज्जनों,
में निदेशक मंडल की ओर से, अत्यन्त प्रसन्नता के साथ कम्पनी की कार्य पद्धति पर 42 वां वार्षिक प्रतिवेदन 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष का लेखा परीक्षित लेखा पर वैधानिक लेख परीक्षा को की टिप्पणियाँ तथा प्रबन्धन के जवाब के साथ भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ प्रस्तुत करता हूँ।

विशेष उपलब्धियाँ :

क) राजमहल क्षेत्र की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के वावजूद ईसीएल के कोयला उत्पादन, अधिभार विस्थापन एवं आफटेक जैसे तमाम प्रमुख उत्पादन मानकों में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।

ख) कोयला उत्पादन में कमी तथा उच्च स्तरीय रानीगंज कोयला को ग्राहकों द्वारा स्वीकार करने की अनिच्छा के बावजूद, प्रभावशाली विपणन पद्धति के कारण ईसीएल ने कोयला प्रेषण में गत वर्ष की तुलना में 14.6% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।

ग) ईसीएल कोल इंडिया की एकमात्र ऐसी कम्पनी है जो भूमिगत कोयला उत्पादन में पिछले पाँच वर्ष से लगातार सकारात्मक वृद्धि हासिल कर रही है तथा वर्ष 2016-17 में भूमिगत उत्पादन में 11% कर उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है।

घ) झांझरा परियोजना के एक कन्टीन्यूअस माइनर ने 31.03.2017 को 5050 टन उत्पादन किया जो देश में किसी एक दिन में कन्टीन्युअस माइनर द्वारा सर्वोच्च उत्पादन है।

ङ) झांझरा परियोजना ने पावर्ड सपोर्ट लांगवाल फेस संस्थापित किया है जिसने अक्टूवर, 2016 से पूरीतरह उत्पादन, आरम्भ कर दिया है। इस लांगवाल फेज से 20 दिसम्बर, 2016 को 8500 टन उत्पादन किया गया तथा इस परियोजना ने 14000 टन उत्पादन स्पर्श किया जो परियोजना का सर्वाधिक उत्पादन है। झांझरा परियोजना देश का सर्वाधिक उत्पादन वाला आदर्श भूमिगत खान है, जिसमें देश मे पहलीबार भूमिगत खानों में कर्मचारियों के आवागमन के लिए फ्री स्टीयर्ड वाहन सहित आधुनिक तकनीक का प्रयोग हुआ है। झांझरा परियोजना को 3.5 मिलियन प्रति वर्ष के अधिकतम उत्पादन के लिए विस्तृत किया जा रहा है।

च) निमचा (सतग्राम क्षेत्र) तथा तालतोड़ (श्रीपुर क्षेत्र) में हाईवाल माइनिंग लागू करने के लिए प्रस्ताव अंतिम चरण में है।

छ) बिल की स्थिति जानने, स्वच्छ विद्यालय तथा शिकायत निवारण (निदान) के लिए ईसीएल के तीन मोबाइल एपलिकेशन विकसित किया है।

ज) मेसर्स रेलटेल के माध्यम से सभी क्षेत्रों, कोलकाता विक्रय कार्यालय, मुख्यालय सहित सभी क्षेत्रों, क्षेत्रीय भंडारों तथा सभी वजन घरों के बीच उच्च गति की इंटरनेट कनेक्टिविटी से साथ स्थापित कर लिया गया है।

झ) कम्पनी के सभी अधिकारियों के लिए ऑनलाइन अवकाश प्रबन्धन प्रणाली को विस्तारित किया जा चुका है।

ञ) सभी निविदा दाताकों के लिए स्वत: ईएमडी वापसी लागू कर दी गई है।

ट) एक करोड़ से अधिक अनुमानित लागत वाले ठेकेदारों के लिए रिवर्स आक्सन लागू किया गया।

ठ) तारापीठ कालीघाट देवघर तथा दक्षिणेश्वर के मंदिरो में फूल पत्तियाँ के अवशिष्ट को खाद में परिवर्तित करने के लिए।

ड) गुंजन इकोलजिकल पार्क की तरह झांझरा सालानपुर तथा मुगमा में कई इकोलाजिकल फार्म बनाने की योजना है।

ढ) कोल इंडिया इंटर कम्पनी सांस्कृतिक समारोह 2016-17 में ईसीएल टीम चैंपियन बनी। कोल इंडिया इन्टरकम्पनी एथलेटिक समारोह में भी ईसीएल टीम ने चैम्पियनशिप का खिताब जीता तथा कोल इंडिया अन्तरकंपनी ब्रिज टूर्नामेंट में विजय हासिल की।

ण) ईसीएल ने आस पास के कोयला क्षेत्रों से युवा प्रतिभा को प्रत्साह देने के लिए फुटबॉल अकादमी की स्थापना की है जिसका शुभारम्भ 04.12.2016 को किया गया।

त) ईसीएल की विप्स शाखा को लगातर चौथी बार संस्था की महिलाओं के विकास में दिए गए सराहनीय कार्य की पहचान के रूप में मिनी रत्न / अन्य श्रेणी में स्कोप द्वारा नागपुर में आयोजित कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ इंटरप्राइज पुरस्कार के प्रथम स्थान से नवाजा गया।

1.0 उत्पादन :

1.1 विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान लक्ष्य की तुलना में कंपनी का उत्पादन निष्पादन निम्नलिखित है :

विवरण	इकाई	2016-17			2015-16	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि	
		लक्ष्य	वास्तविक	प्राप्ति (%)	वास्तविक	निरपेक्ष	%
1. उत्पादन :							
i) कच्चा कोयला–भूमिगत	मिलियन टन	8.646	8.127	93.99	7.329	0.798	10.89
खुली खदान		38.294	32.391	84.58	32.880	–0.489	–1.49
कुल		**46.940**	**40.517**	**86.32**	**40.209**	**0.308**	**0.77**
ii) कोकिंग कोयला							
- मिश्रित		0.00	0.000	–	0.00	0.00	–
- अन्य		0.00	0.031	100.00	0.012	0.019	158.33
iii) गैर–कोकिंग कोयला		46.940	40.486	86.25	40.197	0.289	0.72
2. उपरी संस्तर निष्कासन	मि.घ.मी.	141.00	124.637	88.39	119.22	5.417	4.54
3. उत्पादनकता (ओएमएस)	टन						
- भूमिगत		0.664	0.642	96.69	0.56	0.282	14.64
- खुली खदान		14.940	12.905	86.38	12.42	0.529	3.90
- समय		3.010	2.672	88.77	2.56	0.114	4.38

1.2 कोयला उत्पादन में आयी बाधाएँ :

क्रं. सं.	उत्पादन में कमी का कारण	परिमाण (मिलियन टन)
1	भूगर्भीय अनुविधायें	0.143
2	मशीनों का ब्रेकडाउन	0.009
3	वर्षा के कारण जल जमाव	0.685
4	औद्योगिक संबंध की समस्या	0.320
5	भूमि अधिग्रहण	0.595
6	अन्य (29.12.2016 को राजमहल परियोजना में दुर्घटना। बाद में डीजीएमएस द्वारा रोक तथा अन्य परियोजनाओं के प्रेषण की बाधाए पुनर्वास के मामले ईसी, एफसी इत्यादि)	5.445
	कुल	**7.197**

1.3 पद्धति-क्षमता की उपयोगिता : **(प्रतिशत में)**

विवरण	2016-17			2015-16
	लक्ष्य	वास्तविक	प्राप्ति (%)	वास्तविक
a) भूमिगत	85.64	80.50	94.00	77.64
b) खुली खदान (विभागीय) उत्खनन	93.52	68.05	72.77	92.59
c) खुली खदान (भाड़े का) उत्खनन	100.90	93.75	92.91	133.67
d) खुली खदान (विभागीय+भाड़े का) उत्खनन	98.97	87.02	87.93	117.95
e) कुल भूमिगत + खुली खदान (विभागीय)	92.48	69.64	75.30	88.90
f) समग्र (भूमिगत+खुली खदान) (भाड़े+ विभागीय)	98.47	86.78	88.13	116.04

2.0 वित्तीय परिणाम:

2.1 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए सकल विक्रय टर्न ओवर गत वर्ष के ₹ 13514.18 करोड़ की तुलना में ₹.14717.53 करोड़ था, फलस्वरूप गत वर्ष के आधार पर 0.09% की वृद्धि हुई। आलोच्य अवधि वर्ष के दौरान कंपनी ने पिछले वर्ष कर-पूर्व ₹ 51.90 करोड़ एवं कर-पश्चात ₹ 20.77 करोड़ की तुलना में कर-पूर्व ₹ 1222.69 करोड़ तथा कर-पश्चात ₹ 790.67 करोड़ का लाभ दर्ज़ किया। विवरण निम्नलिखित है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2015-16
पीआरपी/अधिकारी अधिवर्षिता लाभ ब्याज, मूल्यह्रास, हानि, ओबीआर, पूर्वावधि समायोजन से पूर्व सभी व्यय चार्ज करने के पश्चात लाभ(+)/हानि(-)	614.18	1693.04
न्यून : पीआरपी/अधिकारी अधिवर्षिता लाभ का प्रभाव	48.19	62.63
न्यून : बीमांकिक प्रावधान	239.57	101.28
न्यून : ब्याज	–	–
न्यून : मूल्यह्रास/हानि/खदान बंदी प्रावधान	323.89	318.15
यून : उपरि संस्तर निष्कासन समायोजन	(49.37)	(11.71)
ब्याज, मूल्यह्रास, हानि तथा उपरी संस्तर निष्कासन समायोजन के पश्चात वर्ष हेतु लाभ(+)/हानि(-)	51.90	1780.23
नकदी लाभ	996.08	1585.27
कर के पश्चात लाभ	20.77	790.67

2.2 पूँजीगत व्यय :

आलोच्य वर्ष के दौरान कुल पूँजीगत व्यय (विनिमय उतार चढ़ाव झोड़कर) गत वर्ष 2015-16 के ₹ 755.26 करोड़ की तुलना में ₹ 827.80 करोड़ रहा।

2.3 पूँजीगत संरचना : (₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2015-16
क. शयेर पूंजी		
i) प्राधिकृत शेयर पूँजी (प्रत्येक ₹ 1000 के 2,50,00,000 इक्विटी शेयर एवं प्रत्येक ₹ 1000 के 2,10,00,000 6% गैर-परिवर्तनशील, संचयी, प्रतिदेय वरीयता शेयर)	4600.00	4600.00
ii) प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी (प्रत्येक ₹ 1000 के 2,21,84,500 शेयर)	2218.45	2218.45
iii) 6% तक गैर-परिवर्तनशील, संचयी,प्रतिदेय वरीयता शेयरों का भुगतान, पूर्ण भुगतान (प्रत्येक ₹ 1000 के 20509700 शेयर)	855.61	855.61
ख. ऋण निधियाँ :		
i) एक्सपोर्ट डेवलपमेंटकॉर्पोरेशन, कनाडा	167.20	174.14
ii) कम्पाउन्ड पाइनेंशियल इस्ट्रूमेंट उत्तरदायित्व (प्रीफरेन्स शेयर 6%)	1423.30	1317.87

2.4 विदेशी ऋणों का पुनः भुगतान : (₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2015-16
i) कोल इंडिया के माध्यम से विदेशी ऋण का पुनःभुगतान	6.39	6.21

2.5 वर्ष के दौरान रायल्टी, सेस, नौभरण उत्पाद शुल्क एवं विक्रय कर का भुगतान/समायोजन :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17				2015-16			
	पश्चिम बंगाल	झारखण्ड	केन्द्र	कुल	पश्चिम बंगाल	झारखण्ड	केन्द्र	कुल
i) कोयले पर रॉयल्टी	22.39	701.12	0.00	723.51	12.72	319.14	0.00	331.86
ii) आरई एवं पीई कर	1637.14	0.00	0.00	1637.14	1540.66	0.00	0.00	1540.66
iii) एएमबीएच कर	2.04	0.00	0.00	2.04	1.78	0.00	0.00	1.78
iv) पीडबल्यू एवं सड़क कर	1.97	0.00	0.00	1.97	1.87	0.00	0.00	1.87
v) विक्रय कर (वैट/सीएसटी)	232.39	8.94	189.87	431.20	327.20	68.10	0.00	395.30
vi) नौभरण उत्पाद शुल्क	0.00	0.00	43.05	43.05	0.00	0.00	38.68	38.68
vii) स्वच्छ ऊर्जा कर	0.00	0.00	1681.83	1681.83	0.00	0.00	720.91	720.91
viii) कोयले पर उत्पाद शुल्क	0.00	0.00	332.64	332.64	0.00	0.00	436.70	436.70
ix) प्रवेश शुल्क	2.42	0.00	0.00	2.42	–	–	–	–
कुल	**1898.35**	**710.06**	**2247.39**	**4855.80**	**1884.23**	**387.24**	**1196.29**	**3467.76**

2.4 निदेशकगण के दायित्व का विवरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उपधारा (5) के तहत कंपनी के निदेशक मंडल यह कहते एवं सुनिश्चित करते हैं कि :–

क. 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा को तैयार करने में सामग्री प्रेषण से संबंधित लेखा मानकों का पालन उचित व्याख्या के साथ किया गया है।

ख. निदेशकों ने लेखांकन नीति को ऐसे चुना एवं उन्हें सुसंगत तरीके से लागू किया और न्याय तथा आंकलन किया साथ ही मूल्यपरक एवं बुद्धिमतापूर्वक प्रयोग किया कि वे एक सत्य स्पष्ट कार्यकलाप को कंपनी के वित्तीय वर्ष के अन्त में उस काल के लाभ के साथ पेश करे।

ग. कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निदेशकों ने यथेष्ट लेखांकन प्रतिवेदन को सही एवं पर्याप्त सावधानी से लागू किया है जिससे कंपनी के परिसंपत्ति की रक्षा हो सके तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं से बचाव हो सके।

घ. निदेशकों ने वार्षिक लेखा की तैयारी लाभकारी कारोबार वाली संस्थान के रूप में किया है।

ङ. निदेशकों ने कंपनी द्वारा अनुपालित किये जाने वाले उन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का उल्लेख किया जो कि समुचित एवं प्रभावी रूप से क्रियान्वित हों।

च. सभी प्रयोज्य नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निदेशकों ने उचित पद्धति की योजना बनायी है एवं इस प्रकार की पद्धति समुचित थी तथा प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है।

3.0 योजना :

3.1 परिचालन का अधिकार क्षेत्र :

ईसीएल में कुल 14 आपूर्ति क्षेत्रों में 87 कार्यरत खदाने है जिसमें 60 भूमिगत खदानें, 19 खुली खदानें तथा 8 मिश्रित खदानें हैं।

3.2 वर्ष 2016-17 का लक्ष्य एवं वास्तविक तथा वर्ष 2017-18 के लिए लक्ष्य :

क्र. सं.	विवरण	2016-17		2015-16	2017-18
		संशोधित लक्ष्य(बीई)	वास्तविक	वास्तविक	नियोजित
1	उत्पादन (मि.टन)	46.94	40.517	40.209	51.70
2	समग्र उत्पादकता	3.01	2.672	2.56	3.41
3	योजना व्यय (₹ करोड़ में)	1150.00	827.80	755.26	1050.00

3.3 अनुसंधान एवं विकास :

3.3.1 कोल इंडिया अनुसंधान एवं विकास परियोजना:

सीआईएल मंडल के अनुसंधान एवं विकास अनुदान के अंतर्गत चालू अनुसंधान एवं विकास परियोजना के कार्यान्वयन का विस्तृत विवरण **अनुलग्नक - I** में संलग्न किया गया है।

3.3.2 एस एण्ड टी परियोजनाएँ :

कोयला मंत्रालय के एस एण्ड टी अनुदान के अंतर्गत चालू एस एण्ड टी अनुसंधान परियोजनाओं का विस्तृत विवरण **अनुलग्नक - II** में संलग्न किया गया है।

3.4 कोयला उद्योग का आधुनिकीकरण:

भूमिगत खदानों में आधुनिकीकरण तथा यांत्रिकीकरण के स्तर को ऊपर उठाने के क्रम में, 2016-17 तक ईसीएल के 62 खदानों में एलएचडी/एसडीएल के साथ मध्यवर्ती तकनीक के नियोजन का कार्य किया गया। 31.03.2017 को ईसीएल के विभिन्न भूमिगत खदानों में 274 एसडीएल एवं 30 एलएचडी कार्य कर रहे थे। 2016-17 के दौरान, 274 एसडीएल से 4.44 मिलियन टन, 30 एलएचडी से 0.88 मिलियन टन तथा 01 डोसको से 0.10 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया गया।

तात्कालिक प्रौद्योगिकी के अलावा झांझरा एवं सार्पी परियोजना में शटल कार के साथ संयुक्त सतत खदान के परिनियोजन द्वारा मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी स्थापित किया जा चुका है।

झांझरा लॉन्गवाल पैनल के अगस्त, 2016 में स्थापित हो चुका है।

उपरोक्त के अलावा कोयला उधोग के आधुनिकीकरण के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं :

क) कोलबेड मिथेन (सीबीएम) : ईसीएल खनन लीज़होल्ड क्षेत्रों में सीबीएम के अन्वेषण एवं उसके दोहनहेतु पीआर की तैयारी चल रही है।

ख) उत्खनन : एर्गोनोमिक्स के माध्यम से संचालन दक्षता में वृद्धि के लिए समस्त एचईएमएम में संचालक के लिए वातानुकूलित कक्ष होना अनिवार्य किया गया। साथ ही, रोप शोवेल को हायड्रोलिक शोवेल से हस्तानान्तरित किये जाने की प्रक्रिया भी चल रही है।

एचईएमएम में सुरक्षा मानकों में वृद्धि के लिए अद्यतन तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। तकनीकी रूप से समय खुली खदानों में सर्फेस माइनर भी स्थापित किया जा रहा है।

ग) हाईवाल माइनिंग : निमचा एवं श्रीपुर कोलियरी में हाईवाल माइनिंग तकनीक स्थापित की जा रही है।

घ) परासिया एवं झांझरा कोलियारियों में क्रमश: मैन राइडिंग सिस्टम तथा फ्री स्टीयर्ड व्हेकिल जैसी तकनीक उपयोग में हैं।

3.5 भूमिगत उत्पादन में सुधार हेतु उठाए गए कदम :

विभिन्न संचालन बाधाओं, अपर सीम के तरलीकरण, केवींग के लिए भूमि की उपलब्धता में देरी इत्यादि पर विचार करते हुए हटाए गए मैनुअल ऑपरेशन में एसडीएल/एलएचडी जैसे तत्काल तकनीक को स्थापित कर अतिरिक्त बेरहवीं योजना में अधिक संख्या में भूमिगत खदानों जैसे झांझरा लो हाईट सीएम, कुमारडीही बी,खोट्टाडीह, तीलाबनी, शंकरपुर, सिदुली के लिए शटल कार के साथ कंटीन्यूअस माइनर स्थापित कर मुख्यतः मास प्रोडक्शन तकनीक द्वारा भूमिगत उत्पादन में सुधार लाने के लिए कर्रवाई की गई। ड्रीलिंग कर्मियों की सेवानिवृत्ति के कारण उनकी कमी एवं फेस तथा सपोर्टिंग में अधिक कोयले की उपलब्धता के द्व्य उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अधिक यूडीएम की स्थापना के लिए भी कार्रवाई की गई।

3.6 **वर्ष के दौरान परियोजना निरूपण का विवरण:**

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मि. टन प्रति वर्ष)	अनुमानित पूँजी निवेश (छ करोड़ में)
1	नकराकोंडा–कुमारडीह–बी ओसी	3.00	418.46
2	मोहनपुर विस्तार ओसीपी फेज–II	2.50	389.19
3	खोट्टाडीह विस्तार ओसीपी	1.60	140.25
4	नार्थ सियारसोल ओसीपी	2.00	348.89
5	सिदुली खुली खान + भूमिगत	ओसी:1.20, यूजी:1.55	507.72
6	नबकाजोड़ा–माधवपुर ओसी/भूमिगत खदान फेज	ओसी:1.25, यूजी:1.44	564.98*
7	सरपी विस्तार भूमिगत	1.41	196.45*
8	तिलावनी भूमिगत	1.86	762.98*
9	नारायण कुड़ी खुली खदान	2.50	922.42*

* प्ररियोजना प्रतिवेदन संशोधन के अधीन है।

3.7 वर्ष के दौरान ईसीएल के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण:

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मि. टन प्रति वर्ष)	अनुमोदित पूँजी निवेश (₹ करोड़ में)	अनुमोदन की तारीख
1	नकराकोंडा कुमारडीं बी खचली खदान	3.00	418.46	30.11.2016
2	मोहनपुर विस्तार ओसी (फेज–II)	2.50	389.19	30.11.2016
3	खोट्टाडीह विस्तार ओसीपी	1.60	140.25	01.02.2017
4	नार्थ सियारसोल ओसीपी	2.00	348.89	01.02.2017

3.8 वर्ष 2016-17 में कोल इंडिया लिमिटेड बोर्ड की स्वीकृति के लिए कोलइंडिया की ईएससी की संस्तुति तथा स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजनाओं का विवरण :

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मि. टन प्रति वर्ष)	अनुमोदित पूँजी निवेश (₹ करोड़ में)	अनुमोदन की तारीख
1	खोट्टाडीह विस्तार ओसीपी	1.60	140.25	31.03.2017

3.9 वर्ष के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण:

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मि. टन प्रति वर्ष)	अनुमोदित पूँजी निवेश (₹ करोड़ में)	अनुमोदन की तारीख
1	झांझरा संयुक्त परियोजना प्रतिवेदन	3.50	602.86	03.05.2016
2	खोट्टाडीह ओसीपी का आरसीई	1.50	60.10	03.05.2016
3	हुरा सी खुली खदान	3.00	359.69	20.07.2016

3.10 पूँजीगत परियोजनाएँ / योजनाएँ :

i) नवीन परियोजनाओं की संख्या : 01 (हुरा–सी खुली खदान).

ii) परियोजनाओं का विस्तार/संशोधन/प्रतिबंध : 02 (झांझरा संयुक्त पीआर, खोट्टाडीह खुली खदान का आरईसी)

iii) अन्य 14

iii) कुल – 17

3.11. नयी पहल एवं भविष्य के कार्यक्रम :

भूमिगत एवं खुली खदानों से कोयला उत्पादन में वृद्धि के लिए 2016-17 में निम्नलिखित कदम उठाए गये :

क) हाई–वाल माइनिंग की प्रस्तुति :ईसीएल में हाईवाल माइनिंग तकनीक की स्थापना के लिए निम्नलिखित पैचों/साइटों को चिहनित किया गया है :

क्रम सं.	ब्लॉक/सीम का नाम	अधिकतम ड्रीवेजलंबाई के लिए निकाला जाने वाला अनुमानित रिज़र्व (मि टन)		आवश्यक भूमि (हेक्टर)
		300 मीटर	200 मीटर	
1	श्रीपुर/तालतोड़ (आर–I)	0.86	0.81	81.61
2	निमचा/(आर–IXए)	1.84	1.66	120.90

ख) वर्तमान की भूमिगत खदानें जिनकी तकनीकी उन्नयन तथा आधुनिकीकरण के लिए पहचान की गई है उनमें बजना, श्यामपुर बी, सिदुली, घुसिक, तथा निमचा प्रमुख है। सिदुली तथा घुसिक के लिए परियोजना प्रतिवेदन तथा ड्राफ्ट प्रोजेक्ट प्रतिवेदन क्रमश: तैयार पर दिया गया है। अन्य के लिए परियोजना प्रतिवेदन सीएमपीडीआईएल, आरआई –I के पास निर्माणाधीन है, हालाकि उत्पादन बढ़ाने के लिए 23 भूमिगत खानों में मेसर्स आईएसएम कंसोर्टियस द्वारा अध्ययन किया गया है यह कार्य कोयला मंत्रालय / कोल इंडिया लि० के निदेश के अनुसार है। जनवरी 2017 के अंतरिम रिपोर्ट जनवरी 2017 में जमा कर दिया गया है जो जाँच के अधीन है।

ग) **मास उत्पादन तकनीक की प्रस्तुति कंटीन्यूअस माइनर (सीएम):** कंटीन्यूअस माइनर की स्थापना हेतु निम्नलिखित खदानों को चिहनित किया गया है :

क्रम सं	खदान/परियोजना का नाम	क्षमता (मि. टन प्रति वर्ष)	अनुमानित पूँजीगत व्यय (₹ करोड़ में)
1	खोट्टाडीह सीएम	0.60	127.17
2	कुमारडीही-बी सीएम	1.02	117.90
3	झांझरा एल एइच सी एम	0.72	
4	तिलाबोनी भूमिगत खदान	1.86	762.98
5	सारपी विस्तार भूमिगत 2 नं एलएइचसीएम	1.41	196.45
6	सिदुली भूमिगत खदान	खुली खदान: 1.20 भूमिगत : 1.55	507.72
7	नबकाजोड़ा-माधवपुर भूमिगत खदान	खुली खदान: 1.25 भूमिगत : 1.44	564.98
8	परासीया-बेलबाद भूमिगत खदान	1.83	1064.85

घ) **विदेशीसहयोग / प्रौद्योगिकीअवशोषण-अनुकूलन और नवाचार :** भाड़ा आधार पर 2 एलएचसीएम की आपूर्ति के लिए एलओए 29.08.2016 को किया गया। दिसम्बर 2017 के इनकी संस्थापन पूरी होने की उम्मीद है। झांझरा आर-IV सीम में आपूर्ति तथा संचालन के लिए 8 जनवरी 2013 को हस्तान्तरित हुआ था। अगस्त 2016 में स्थापित किया गया तथा उत्पादन 18.08.16 से आरम्भ हो गया।

3.13 वर्ष 2016-17 के अंतर्गत प्रमुख गतिविधियों का विवरण

Sl. No.	Name of OC Patches	Capacity (MTY)	Coal (MT)	OBR (Mcum)	Status
1	गौरांगडी बेगुनिया ओसी पैच (फेज-1), सालानपुर क्षेत्र	0.189	0.189	0.69	Approved on 07.09.2016
2	माधवपुरओसीपी (फेज-1) का आरसी पैच,काजोरा क्षेत्र	0.5	1.6	7.78	Approved on 01.02.2017
3	एगरा ओसी पैच, केन्दा क्षेत्र	0.2	0.388	0.974	Approved on 18.03.2017
4	गौरांडी बेगुनिया ओसी पैच, सालानपुर क्षेत्र	1.5	14.00	46.16	Approved on 18.03.2017

3.12 एमओयू गतिविधियाँ :

क्रम सं.	परियोजना का नाम	माईलस्टोन	वर्ष के लिए लक्ष्य	उपलब्धियाँ
1.	राजमहल विस्तार ओसीपी	पी ए एफ की सिप्टिंग	150 नं.	159 पीएएफ शिफ्ट किए गए।
2.	सोनपुर विस्तार ओसीपी	पी ए एफ (फेज-II) की सिफ्टिंग की पूर्णता	380 नं.	वर्ष 2016-17 के दौरान 195 पीएएफ सहित फेज-II में 402 पीएएफ सिफ्ट किए गए।
3.	झांझरा संयुक्त भूमिगत	भाड़ा आधार पर आपूर्ति पैकेज के लिए ग्लोबल टेंडर का निर्धारण।	मार्च-2017	भाड़ा आश्रार पर 29.08.2016 को एलएचसीएम की आपूर्ति के लिए एलओए जारी।
4.	झांझरा संयुक्त भूमिगत	पीएसएलडब्लू की स्थापना	अपैल-2016	स्थापित एवं उत्पादन।

क्रम सं.	परियोजना का नाम	माईलस्टोन	वर्ष के लिए लक्ष्य	उपलब्धियाँ
5.	झांझरा संयुक्त भूमिगत	800 टन के बेकर की स्थापना	दिस.-2016	दिसम्बर 2016. में स्थापित।
6.	कुमारडीह बी सीएम भूमिगत	पी ए एफ (फेज–II) की सिफ्टिंग की पूर्णता	दिस.-2016	इन्क्लाईन ड्राइवेज के लिए 11.11.2016 को कार्य आरम्भ।

3.14 परियोजना निगरानी एवं कार्यान्वयन की स्थिति:

अनुलग्नक – III में विवरण दिया गया है। (अलग से)

4.0 प्रबंधन की चर्चा एवं विश्लेषण प्रतिवेदन:

प्रबंधन की चर्चा एवं विश्लेषण प्रतिवेदन वार्षिक प्रतिवेदन के अलग खंड में प्रस्तुत किया गया है। **(अनुलग्नक–IV)**

5.0 कोयले का विपणन:

5.1 माँग तथा निकासी :

वर्ष 2016-17 में 46.940 मिलियन टन कोयले के बदले वास्तविक निकासी 43.013 मिलियन टन थी। इस प्रकार मांग संतोष 93% रहा। वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्ष 2016-17 में सेक्टर क्रम से मांग तथा ऑफटेक का विवरण निम्नलिखित है।

(आँकड़े मि. टन में)

सेक्टर	ऑफ–टेक 2016-17			ऑफ–टेक 2015-16		
	माँग	वास्तविक	% संतुष्टि	माँग	वास्तविक	% संतुष्टि
विद्युत	40.556	40.121	99	37.750	35.775	96
सीमेंट	0.106	0.050	47	0.089	0.090	101
सीपीपी(ओआरएस)	0.221	0.056	25	0.153	0.080	52
सीपीपी(इस्पात)	0.505	0.144	29	0.303	0.204	67
इस्पात(ब्लेंड)	–	0.003	–	–	0.000	–
स्पांज आयरन	0.154	0.048	31	0.230	0.063	27
निर्यात	–	–	–	–	0.115	–
लोको	–	–	–	–	0.002	–
रक्षा (डिफेंस)	–	0.002	–	–	0.002	–
कोलियरी खपत	0.250	0.211	84	0.270	0.228	84
अन्य	5.148	2.384	55	3.335	2.051	61
कुल	**46.940**	**43.019**	**93**	**42.130**	**38.607**	**92**

5.2 वैगनों की औसत लोडिंग (प्रतिदिन):

गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2016-17 के लिए वैगनों की क्षेत्रवार औसत लोडिंग निम्नलिखित है :

(आँकड़े बॉक्स/प्रतिदिन)

कार्य–क्षेत्र	वैगनों की लोडिंग			
	2016-17		2015-16	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
रानीगंज	895	855	808	758
मुगमा/सलानपुर	224	179	184	188
आद्रा	14	17	14	17
पिरपैंती	101	50	97	32
राजमहल(वार्फ वाल)	138	181	121	128
कुल	**1372**	**1282**	**1224**	**1123**

5.3 विधिवार प्रेषण:

विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2016-17 में विधिवार प्रेषण निम्नवत है :

(आँकड़े मि.टन में)

प्रेषण की विधि / पद्धति	2016-17	2015-16
रेल	29.115	26.445
रोड	1.464	1.679
हिंडोला (एमजीआर)	12.188	10.255
कुल	**42.807**	**38.379**

5.4 31 मार्च,2017 को बिकाऊ कोयले का भंडार निम्नवत है :

(आँकड़े लाख टन में)

कार्य–क्षेत्र	31.3.2017 को
रानीगंज	12.528
मुगमा/सलानपुर	6.455
एस.पी. माइन्स	2.192
राजमहल	4.374
कुल	**25.549**

5.5 हाजिर ई–नीलामीअग्रसारण ई–नीलामी :

विधि	2016-17			2015-16		
	प्रेषित परिमाण (लाख टन में)	अधिसूचित मूल्य पर प्राप्ति (₹ करोड़ में)	प्राप्ति प्रतिशत(%)	प्रेषित परिमाण (लाख टन में)	अधिसूचित मूल्य पर प्राप्ति (₹ करोड़ में)	प्राप्ति प्रतिशत (%)
हाजिर ई नीलामी						
रेल	8.875	40.45	14.26	3.819	24.65	18.91
रोड	12.996	138.25	32.87	14.151	129.85	26.57
कुल	**21.871**	**178.70**	**25.37**	**17.970**	**154.50**	**24.95**
अग्रसारण ई–नीलामं						
रोड	0.028	0.043	4.34	0.299	0.15	1.36
योग	**0.028**	**0.043**	**4.34**	**0.299**	**0.15**	**1.36**
सकल योग	**21.90**	**178.74**	**25.24**	**18.269**	**154.65**	**24.54**

5.6 विक्रय प्राप्ति: (₹ करोड़ में)

विवरण	**2016-17**	**2015-16**
विक्रय प्राप्ति	15558.95	12823.82

6.0 उपकरणों की संख्या (एचईएमएम):

6.1 31 मार्च, 2016 की तुलना में 31 मार्च, 2017 को उपकरणों की संख्या का ब्योरा निम्नलिखित है:

उपकरण	**उपकरणों की संख्या**	
	31.03.2017	**31.03.2016**
ड्रेगलाइन	1	1
डम्पर	254	253
डोजर	86	83
शॉवेल	48	55
ड्रिल	49	55

6.2 विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान सीएमपीडीआईएल मानकों के तहत प्रत्येक प्रकार के उपकरणों की उपयोगिता एवं प्रतिशत उपलब्धता निम्नलिखित है :

उपकरण	उपलब्धता				उपयोगिता			
	सीएमपीडी आईएल मानक	2016-17	2015-16	विगत वर्ष की तुलना में परिवर्तन	सीएमपीडी आईएल मानक	2016-17	2015-16	विगत वर्ष की तुलना में परिवर्तन
ड्रैगलाइन	85	39.83	91.44	–51.61	73	38.05	85.34	–47.29
डम्पर	67	80.02	78.66	1.36	50	36.69	37.68	–0.99
डोजर	70	73.25	71.44	1.81	45	24.09	28.05	–3.96
शॉवेल	80	80.68	80.41	0.27	58	48.86	49.86	–2.00
ड्रिल	78	84.74	82.25	2.49	40	19.08	25.52	–6.44

क) डम्पर डोजर शावेल तथा ड्रिल की प्रतिशत उपलब्धता सीएमपीडीआईएल के मानक से अधिक है। ड्रैग लाईन की प्रतिगत उपलब्धता सीएएपीडीआईएल के मानक से कम है। जिसका कारण जून 2016 से कैंफ साफ्ट प्रोपेल का काम न करना है।

ख) उपकरणों की उपयोगिता जमीन अधिग्रहण की समस्या भींगे कार्यस्थल, दलदली शतह, उपकरणों की भीड़ तथा अन्य भूखनन से काफी प्रभावित हुई।

6.3 वर्ष 2016-17 में खुली खदान परियोजनाओं को उपलब्ध कराये गए नए/ प्रतिस्थापित उपकरण निम्नवत है :

उपकरण	संख्या	परियोजना
डंपर	6	चित्रा -5, बरामुरी - 2, डाबर – 2, गोपीनाथपुर – 1 राजमहल – 4, माहनपुर – 3, खोट्टडीह – 1 एवं बनजेमारी – 2
डोजर	5	बरामुरी - 2, शंकरपुर – 1, महाबीर - 1, डाबर - 1, राजपुरा - 1 एवं राजमहल – 1.
शॉवेल	3	सोनपुर बाजारी - 2 अवं जामबाद -1
ड्रिल	11	खोट्टाडीह-1, बारमुरी -1, एवं जामबाद - 1

7.0 ऊर्जा संरक्षण:

7.1.1 विद्युत एवं इंधन की खपत :

क्रम	विवरण	इकाई	2016-17	2015-16
I	**बिजली खरीद**			
क.	खरीदी गई यूनिट	M.KWH	871.81	871.17
ख.	आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की गई कुल राशि (लगभग)	₹-करोड़ में	630.63	630.47
ग.	दर/ यूनिट (औसत)	₹/KWH	7.26	7.24
घ.	बिजली की विशेष खपत (लगभग)	KWH/Cum	5.74	5.96
II	**स्व–उत्पादन (डीजी सेट द्वारा)**			
क.	उत्पादित यूनिट	लाख KWH	6.60	6.41
ख.	उत्पादित यूनिट प्रति लीटर डीजल तेल	KWH/Ltr.	6.69	6.22
ग.	उत्पादन की लागत	₹/KWH	9.15	8.12
III	**विद्युत की उपलब्धता**			
क.	विद्युत की औसत उपलब्धता	MVA	185.27	181.57
ख.	विद्युत की माँग	MVA	191.23	182.64
ग.	%उपलब्धता	%	96.88	99.41

7.1.2 चिनाकुड़ी विद्युत संयंत्र से विद्युत उत्पादन की प्रगति :

चिनाकुड़ी विद्युत संयंत्र की लीज 31.03.2012 को समाप्त हो गई। आगामी 20 वर्ष के लिए इस संयंत्र के संचालन अनुकरण तथा मरम्मत के बाद पुन: उपलब्धि के लिए निविदा प्रगति पर है।

7.2 ऊर्जा संरक्षण एवं लेखा परीक्षण:

निंघा (श्रीपुर क्षेत्र) तथा शंकरपुर (बंकोला क्षेत्र) के उर्जा लेखा परीक्षा के बाहरी एजेन्सी की पुनर्निविदा को स्वीकृत किया गया तथा यह आदेश जारी करने के अंतिम चरण में है। वर्ष 2015-16 के प्रति टन कोयला पर लागत रु. 156.75 की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान रू. 21.67 किलोवाट आवर प्रति टन की तुलना में 2016-17 में वास्तविक उर्जा खपत रू. 21.51 किलो वाट आवर प्रति टन रही।

7.3 भूमिगत मशीनरी का कार्य निष्पादन:

उत्पादकता के साथ भूमिगत मशीनरी का विवरण निम्नलिखित है

उपकरण	2016-17		2015-16	टिप्पणी
	पंजी पर	उत्पादकता (टन प्रति दिन)	उत्पादकता (टन प्रति दिन)	
एसडीएल	274	60	62	यद्यपि कि एसडीएल वर्ष की तुलना में कमी आई है पर 1% की मार्जिनल वृद्धि हुई है जिदका कारण नई एसडीएल मशीनों का शामिल करना है।
एलएचडी	30	98	105	सतग्राम बंकोला तथा पांडवेश्वर मे कोयला फेस की अनुपलब्धि के कारण एलएचडी से उत्पादन में कमी आई है।
रोड हेडर	1	284	128	गत वित्तीय वर्ष की तुलना में उत्पादकता में 121.87% की वृद्धि हुई है।
पावर्ड पोर्ट लाँगवाल	1	5839	0	झांझरा परियोजना में 18.08.2016 को पावर्ड सपोर्ट लांगवाल (पीएसएलडब्लू) स्थापित किया गया।

7.4 सीएचपी का कार्य–निष्पादन:

31 मार्च, 2017 को मेजर सीएचपी ने 12.47 मिलियन टन कोयला हैंडल किया जबकि मिनी सीएचपी ने 0.105 मिलियन टन कोयला हैंडल किया।

7.5 2016-17 के दौरान प्रमुख उपलब्धियाँ :

क) बिजली की बेहतर उपलब्धि के लिए ईसीएल धीरे–धीरे अपने 123 आपूर्ति बिन्दुओं को मेसर्स आईपीसीएल से मेसर्स डबल्यूबीएसईडीसीएल में बदल रही है। मेसर्स डबल्यूबीएसईडीसीएल इस क्षेत्र में 11 केवी आपूर्ति बिन्दुओं के लिए प्रतस्पर्धी दरें मुहैया करवा रही है, साथ ही 75 विन्दुओं के लिए प्रतिस्पर्धी दर से वचत दे रही है। आज की तारीख में प्रतिस्पर्धी दर से कुल बचत लगभग रू. 41.08 करोड़ है।

ख) कंपनी के विभिन्न क्षेत्रों / इकाइयों में कैपेसिटर बैंक की स्थापना से पावर फैक्टर में काफी सुधार आया है तथा 2016-17 में छूट के कारण पावर फैक्टर के रूप में कंपनी का रू. 9.78 करोड़ का लाभ हुआ है। जबकि 2015-16 में रू. 6.37 करोड़ का लाभ हुआ था जो कि लगभग 53.53% वृद्धि है।

ग) मेसर्स आईपीसीएल से लम्बी कानूनी लड़ाई के बाद ईसीएल अपने पत्र में ट्रिब्यूनल का आदेश पाने में सफल रही तथा चिनाकुड़ी थर्मल पावर प्लांट का अधिग्रहण सफल हुआ जो कि लगभग रू. 56.00 करोड़ की सम्पत्ति है।

घ) ईसीएल में मैन राइडिंग प्रणाली लागू होने से ईसीएल की झांझरा परियोजना में तीन फ्री स्टीयर्ड वेहिकल (मैन राइडिंग सिस्टम) कार्यरत है। इसके अतिरिक्त परासिया कोलियरी, कुनुस्तोड़िया क्षेत्र तथा चिनाकुड़ी माइन–III, सोदपुर क्षेत्र में मैन राइडिंग सिस्टम सामील है।

ङ) सोलर पावर प्लांट की स्थापना : क्षेत्र तथा इकाइयाँ कार्यक्रम में (मुख्यत: पंखा, बिजली तथा कम्प्यूटर के लिए) बिजली की आवश्वकता को कम करने के लिए तथा कुछ जगह पर सड़क को प्रकाशित करने के लिए सोलर पावर सिस्टम की स्थापना कर रही है। सोदपुर तथा बंकोला क्षेत्र ने कार्यान्वयन क्रमश: अलग से 5 केडब्लूपी तथा 30 केडब्लूपी सोलर पीवी प्रणाली की स्थापना की । ईसीएल ने 50 सोलर पीसी पैनल की स्थापना केन्द्रीय चिकित्सालय, काल्ला बराचक हाउस, ईसीएल मुख्यालय, सीतलपुर गेस्ट हाउस तथा साँकतोड़िया चिकित्सालय में लैंप सेट सहित स्ट्रीट लाइटिंग के लिए रु. 5 लाख की लागत की है।

8.0 कल्याणगत सुख–सुविधाएँ:

क्रम	मद	31.3.2016 को संचयी स्थिति	2016-17 के दौरान उपलब्धि	31.03.2017 को संचयी स्थिति
1	**सहकारी समिति**			
	(क) सहकारी ऋण समिति	74	0	74
	(ख) प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार	30	0	30
	(ग) केन्द्रीय सहकारी	4	0	4
	(घ) सहकारी समिति को ऋण एवं निवेश (₹ लाख में)	63.80	0	63.80
2	**बैंकिग सुविधा :** कार्यरत शाखाओं की संख्या	27	0	27
3	कैंटीन	82	0	82
4	**शैक्षणिक सुविधाएँ**			
	(क) डीएवी स्कूल	6	0	6
	ख.i) आवर्ती अनुदान प्राप्त विद्यालय की संख्या	162	0	162
	ख.ii) आवर्ती अनुदान की राशि (₹ लाख में)	4901.07	374.00	5275.07
	ग. i) अनावर्ती अनुदान प्राप्त विद्यालय की संख्या	387	0	387
	ग.ii) अनावर्ती अनुदान की राशि (₹ लाख में)	305.43	1.61	307.04
	घ.i) तदर्थ अनुदान स्वीकृत विद्यालय की संख्या	79	0	79
	घ.ii) तदर्थ अनुदान स्वीकृति की राशि (₹ लाख में)	69.60	0	69.60
	(ङ) विद्यालय में लगे हुए बसों की संख्या	156	0	156
5	खेलकूद पर खर्च की गई राशि	421.39	47.85	469.24
6	सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर खर्च की गई राशि(₹ लाख में)	75.78	4.70	80.48
7	कोल इंडिया लि. छात्रवृत्ति			
	(क) प्रदान की गई छात्रवृत्ति की संख्या	16490	909	17399
	(ख) स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	215.09	19.27	234.36
8	वेजबोर्ड कर्मचारियों के बच्चे जो चुने गए इंजीनियरिंग एवं सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, उनके लिए वित्तीय सहयोग हेतु कोल इंडिया लि. योजना –			
	क) स्वीकृत वेजबोर्ड कर्मियों के बच्चों की परवरिश की संख्या	418	89	507
	ख) स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	88.03	22.97	111.00

9.1 चिकित्सीय सुविधाएँ:

2 केंद्रीय अस्पताल, 7 क्षेत्रीय अस्पताल एवं जिनकी कुल क्षमता 822 बिस्तर है तथा 114 डिस्पेसरीयों ने कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सेवा उपलब्ध करायी। इन अस्पताल में कुल एम्बुलेंस 115 कार्यरत थे।

9.2 कर्मियों की संख्या जिन्हें चिकित्सा हेतु बाहर भेजा गया एवं उनके चिकित्सा में हुआ व्यय तथा स्वचालित डिसपेंशरी द्वारा तय इलाज किए गये ग्रामीणों की संख्या :

विवरण	2016-17	2015-16
बाहर भेजे गए मरीजों की संख्या :	2024	2095
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम :		
- शिविरों की संख्या	211	76
- लाभुकों की संख्या	18118	5192
मोबाइल डिसपेंसरी द्वारा तय किए गए गाँव :		
- शिविरों की संख्या	435	1704
- लाभुकों की संख्या	17776	76096

कोल इंडिया लिमिटेड की सीपीआरएमएसई योजना के तहत सेवानिवृत्त अधिकारियों पर कंपनी ने ₹ 3.57 करोड़ तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर ₹ 1.20 करोड़ का चिकित्सा व्यय किया।

9.3 2016-17 के दौरान विशेष उपलब्धियाँ :

क) सांकतोड़िया चिकित्सालय के पैथोलाजी सेक्सन, आईसीसीयू तथा न्यु कम्प्लेक्स में पुननिर्माण कार्य किया गया। यूएसजी मशीन, एन्डोविजन स्क्रीन, डेन्टल चेयर, सेल काउन्टर, इलेक्ट्रोलाइट एनलाइजी, कोएगुलोमीटर तथा एबीजी मशीन संकतोड़िया अस्पताल के लिए मँगाया गया।

ख) इस वर्ष काल्ला अस्तताल में केजुअल्टी ब्लाक तथा अस्पताल कर्मियों एवं रोगियों के लिए कैन्टिन का पुननिर्माण आरम्भ किया गया। वर्ष के दौरान कल्ला अस्पताल में नर्सिंग स्कूल चलाने की अनुमति का नवीनीकरण प्राप्त किवा गया। केन्द्रीय चिकित्सालय में टाटा मेडिकल सेन्टर की एक टीम ने सेंटेलाइट कैन्सर केयर सेन्टर स्थापित करने के लिए संतोष जनक रिपोर्ट दी है।

ग) सतग्राम क्षेत्र की निमचा कोलियरी में शराब तथा ड्रग से मुक्ति कार्यक्रम चलाया गया। सतग्राम क्षेत्रीय अस्पताल तथा नगर डिस्पेन्सरी सुपर स्पेशिलटी अस्पताल, बी पी पोद्दार तथा विवेकानन्द अस्पताल) के चिकित्सकों द्वारा कार्डियक तथा रस्पिरेटरी हेल्थ चेकअप किया गया।

घ) पाडवेश्वर क्षेत्र की डिस्पेंसरियों के लिए विभिन्न प्रकार मेडिकल उपकरण जैसे स्पाइरोमीटर कार्डियोमीटर तथा एम्बुलेंस में लगाने के लिए आक्सीजन सिलिडंर खरीदे गए। पांडवेश्वर क्षेत्र में पैरामेडिकल कर्मियो को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया।

ङ) बांसरा चिकित्सालय को अपग्रेड करने का काम प्रगति पर है।

10.0 निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) :

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुभाग 135(2) के अनुसार निगमित सामाजिक दायित्व पर प्रतिवेदन निदेशकीय प्रतिवेदन के अंग के रूप में अलग अनुभाग में प्रस्तुत किया गया **(अनुलग्नक – V)**

10.1 सामाजिक सुविधाएँ :

स्थापना के बाद से, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने अपने कर्मियों के कल्याण के साथ–साथ खदानों के आस–पास के क्षेत्रों में रह रहे लोगों/समुदायों के विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों को अंजाम दिया है। इसके अतिरिक्त, बुनियादी सुविधाएँ, औद्योगिक संरचना, रोड एवं रेलवे साइडिंग, जलापूर्ति तथा अन्य कल्याणकारी गतिविधियों इत्यादि के विकास के लिए बहुत से कदम उठाये गये हैं। संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

10.1.1 आवासीय भवन :

वर्ष 2016-17 में 04 सी–टाइप, 12 बी–टाइप तथा 8 एनएचएस क्वाटरों का निर्माण एस पी माईन्स में पूरा किया गया। वर्ष 2016-17 में झांझरा क्षेत्र में 80 कमरों के होस्टेल का निर्माण पूरा किया गया। इस होस्टेल का निर्माण समझोता के अनुसार झांझरा क्षेत्र में लांगवाल माईनिंग के लिए आउट सोर्सिंग एजेन्सी को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान ईसीएल मुख्यालय में 24 सी–टाइप क्वार्टर तथा सोनपुर बजारी में 20 बी–टाइप क्वार्टर का निर्माण के लिए कार्य आदेश दिया गया।

10.1.2 कल्याण भवन :

कर्मियों के कल्याण के लिए, राष्ट्रीयकरण के बाद से परिसंपत्तियों में जबरदस्त सुधार हुआ है, विवरण निम्नलिखित है –

a) अस्पताल - 13
b) डिसपेंशरी - 115
c) कैंटीन - 82
d) आरामगृह - 137
e) बहु–उद्देशीय संस्थान – 12
f) वयस्क शिक्षा केंद्र - 03
g) सामुदायिक केंद्र – 54

10.1.3 कंपनी के क्वार्टरों की मरम्मत

वर्ष 2016-17 में कम्पनी के 19542 क्वार्टरों की मरम्मत तथा उन्नयन के लक्ष्य की तुलना में केवल 7056 क्वार्टर पूरे किए गए तथा शेष में कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2017-18 में, कार्य में प्रगति के अतिरिक्त 21444 क्वार्टरों को भी मरम्मत तथा उन्नयन के लिए सामिल किया जाएगा।

10.1.4 जलापूर्ति :

ईसीएल ने अपने आवासीय घरों में रहने वालों के साथ साथ आसपास के निवासियों के लिए पीने का पानी की आपूर्ति में सुधार के लिए विशेष ध्यान दिया है। वर्ष 2016-17 के दौरान 30000 गैलन प्रति घंटा की क्षमता वाले कुल 5 सेट प्रेसर फिल्टर तथा इलेक्ट्रो क्लोरिनेटर ईसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किए गए।

11.0 अवसंरचना विकास :

कोयले का प्रेषण ईसीएल की एक महत्वपूर्ण गतिविधियाँ हैं तथा इसे प्रभावी एवं कुशलतापूर्वक किया जाता है। मुख्यतः सड़क एवं रेलवे द्वारा कोयले का प्रेषण किया जा रहा है। इस विषय में ईसीएल ने उचित कदम उठाया है। कुछ चल रहे एवं नए कार्यो का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है :-

क) **सड़कें :** वर्ष के दौरान कोयला परिवहन के लिए सड़कों को मजबूत बनाने के लिए 7 कार्य किये गए जिनमें विभिन्न क्षेत्रों में कुल रू. 792.51 लाख की लागत से 14.16 कि.मी (लगभग) सड़कें बनाई गई।

ख) **रेलवे साईडिंग, वार्फ वाल इत्यादि :** वर्ष के दौरान 2 कार्य बंकोला तथा सतग्राम के रेलवे साइडिंग विकास हेड किए गए जिन्हें रू. 121.86 लाख के खर्च से पूरा किया गया।

ग) **खान विकास कार्य :** कोयला उत्पादन के बढ़ते हुए वार्षिक लक्ष्य की पूर्ति तथा बिजली एवं अन्य उद्यमों में कोयला की बढ़ती हुई माँग की पूर्ति के लिए वर्ष 2016-17 के दौरान विभिन्न खान विकास गतिविधियाँ चलाई गई। वर्ष के दौरान पूरी की गई कुछ प्रमुख खान विकास गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं :

क्रम सं	कार्य का विवरण	कार्यादेश मूल्य (₹ लाख में)
1	झांझरा क्षेत्र की झांझरा परियोजना की 3 तथा 4 इन्क्लाईन कालियरी में ईवैसी सहित दो फैन ड्रिफ्ट का निर्माण	115.58
2.	झांझरा क्षेत्र में 1 तथा 2 इन्क्लाईन (ईसीएल) में इन्सपेक्सन कॅारीडोर सहित 2 मोटर घर तथा फैन ड्रिफ्ट का निर्माण	118.99
3.	ईसीएल की एमआईसी झांझरा परियोजना कोलियरी में झांझरा को आर- VI से आर-V सीम तक 800 टन स्ट्राटा बंकर का निर्माण	178.26

घ) **अन्य कार्य :** ईसीएल राज्य सरकार तथा अन्य जिला बोर्ड ऑथरिटी को राज्य। जिला बोर्ड की सड़कों को उन्नत बनाने के लिए धन उपलब्ध कराया है जिसका उपयोग कोल डिपो / साइन साइडिंग से कोयला परिवहन के लिए किया जाता है।

क्रम सं	कार्य का विवरण	ईसीएल द्वारा अंशदान (₹ लाख में)
1	ईसीएल के बंकोला क्षेत्र में वर्धमान जिला के पांडवेश्वर थाना में बंकोल रेल गेट से उखड़ा गाँव तक (लम्बा है लगभग 6.30 कि.मी) जिला परिषद की सड़क मरम्मत / नवीनीकरण।	466.38
2.	एनएच (गायघाट-60) से 5.50 किलोमीटर को मजबूत बनाने के लिए पेवमेंट रिजिड पेभमेंट लगभग 255 मीटर (फेज-1) सीमेन्ट कंक्रीट ब्लाक बिछाना 555 मीटर (फेज-2) तथा सड़क किनारे 450 मीटर नाली का निर्माण	128.96

12.0 खान सुरक्षा :-

ईसीएल में खान सुरक्षा को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाती है तथा इसे उत्पादन प्रक्रिया का एक प्रमुख अंग माना जाता है। ईसीएल शून्य दुर्घटना नीति की अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। खान सुरक्षा मानको में सुधार के लिए ईसीएल द्वारा वर्ष के दौरान कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। बावजूद इसके वर्ष के दौरान प्राणघातक दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है।

12.1 वर्ष 2016-17 की दुर्घटना सांख्यिकी : :

वर्ष	2016-17*	2015-16
i) प्राणघातक दुर्घटनाएँ (संख्या)	7	8
ii) मृत्यु (संख्या)	24	8
iii) गंभीर चोट (संख्या)	41	38
iv) विपत्ति / मि.टन उत्पादन	0.592	0.199
v) विपत्ति / 3 लाख श्रमिक-पारी	0.475	0.153

(* डीजीएमएस से साथ सामंजस्य का विषय है)

12.2 खान सुरक्षा संबंधी उपाय :

ईसीएल के खदानों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए आईएसओ द्वारा लिए गए कार्य :

क. द्विपक्षीय सदस्यों द्वारा मासिक जांच के लिए ईसीएल मुख्यालय के प्रत्येक महीनें में एक बार विचार विमर्श तथा सिफारिशो को लागू करने के लिए एक क्लेन्डर तैयार किया गया है। इस बैठक में कोलियरी निदेशक, सभी विभागीय प्रधान, सभी सेफ्टी बोर्ड मेम्बर, सभी क्षेत्रों के मुख्य प्रबन्धक / महाप्रबन्धक उपस्थित होते हैं।

ख) प्रत्येक खान की समीक्षा महाप्रबन्धक (खान सुरक्षा), म.प्र. (विद्युत एवं यांत्रिकी) द्वारा क्षेत्रीय सेफ्टी अधिकारी तथा क्षेत्रीय अभियंताओं के साथ की जाती है तथा ईसीएल मुख्यालय द्वारा सभी स्तरों पर इनकी मोनिटरिंग की जाती है।

ग) दुर्घटनाओं की जाँच, सुधारात्मक कदम उठाने के लिए तथा मूल कारण जानने के लिए की जाती है।

घ) ईसीएल द्वारा ज्वलनशील तथा दमघोंटू गैसों की नियमित मानीटॉरिंग की जाती है।

ङ) खान सुरक्षा पर सम्पन्न हुए 10 वें सम्मेलन के अनुमोदन के अनुसार, भूमिगत खदानों के कार्यकारी डिस्ट्रिक्ट् में बदला जा चुका है।

च) खदानों में रूफ व्यवहार के अध्ययन तथा रूफ सपोर्ट के सुधार के लिए ईसीएल मुख्यालय मे स्ट्राटा कंट्रोल मॉनिटरिंग सेल की स्थापना की गई है एवं इसी तरह सभी क्षेत्रों में भी स्ट्राटा कंट्रोल मॉनिटरिंग सेल स्थापित किए गए हैं। जब जरूरत हो तब आरएमआर निकाला जाना है तथा तदनुसार सपोर्ट रूल तैयार करवाया जाता है।

छ) खनन तथा खनन–कार्य से संबंधित गतिविधियों के संबंध में सुरक्शित संचालन प्रक्रिया तथा खनन महीनरी/एचईएमएम का संचालन किया गया तथा संबंधित कर्मियों के बीच वितरित किया गया।

ज) स्रोतों में धूल एवं मिट्टी को कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

झ) ठेका श्रमिकों के परीक्षण के लिए नियमित मानीटरिंग की जाती है।

12.3 ईसीएल में खान सुरक्षा निगरानी एजेंसी :

डीजीएमएस के वैधानिक नियमावली के अतिरिक्त, निम्नलिखित एजेंसियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर खान सुरक्षा की स्थिति की निगरानी की जाती है :

स्तर	के द्वारा निगरानी की जाती है,
खान स्तर	1. कर्मी निरीक्षक : खान नियमावली–1955 के अनुसार 2. खान सुरक्षा समिति : खान नियमावली–1955 के अनुसार गठित
क्षेत्रीय स्तर	1. द्विपक्षीय/त्रिपक्षीय समिति की बैठक 2. सुरक्षा अधिकारी समन्वय बैठक
मुख्यालय स्तर	1. मुख्यालय स्तर पर द्विपक्षीय/त्रिपक्षीय समिति की बैठक 2. क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी समन्वय बैठक 3. आईएसओ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण

12.4 खान सुरक्षा की जांच (लेखा परीक्षा) :

बहु अनुशासनिक अन्तर अनुषंगी दलों द्वारा खान सुरक्षा जाँच (लेखा परीक्षण) संचालित तथा पूरे किए गए। हमलोग बाहरी एजेन्सियों से भी खान सुरक्षा जाँच (लेखा परीक्षण) कराने में लगे हुए हैं। मार्च 2016 के दौरान एजीएम, एएसओ / एएसपी (सी तथा डी), इंजीनियर (ई तथा एम), इंजीनियर (उत्खनन) सर्वेक्षण अधिकारी / सर्वेक्षिक की एक अंतरक्षेत्रीय टीम द्वारा दुर्घटनाओं के खतरे तथा खतरनाक घटनाओं को समाप्त करने के उद्येश्य से खान सुरक्षा जाँच (लेखा परीक्षा) तथा प्रणाली अध्ययन किया गया। इस टीम को पिछली रिपोर्ट के अध्ययन की सलाह दी गई तथा ईसीएल की प्रत्येक खान की खान सुरक्षा जाँच की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए कहा गया। इस प्रकार ईसीएल की खानों की खान सुरक्षा जाँच का कार्य अन्तरक्षेत्रीय दलों द्वारा किया गया।

पुन: नवम्बर 2016 तथा दिसम्बर 2016 के महीने में एजीएम, एएसओ / एएमपी (सी तथा डी), क्षेत्रीय अभियंता (विद्युत एवं यांत्रिकी) / क्षेत्रीय अभियंता (उत्खनन) तथा क्षेत्रीय सर्वेक्षण अधिकारी अन्तर क्षेत्रीय दल द्वारा प्रणाली अध्ययन तथा खान सुरक्षा जाँच की गई।

जनवरी, फरवरी तथा मार्च 2017 के महीने के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड के सभी खानों की खान सुरक्षा जाँच अन्तर अनुषंगी बहु विभागीय दल के सदस्यों द्वारा पूरी की गई जिसके खनन, विद्युत एवं यांत्रिकी की, उत्खनन तथा सर्वेक्षण विभाग के सदस्य थे।

सीसीएल की अन्तर अनुषंगी खान सुरक्षा जाँच दल ने ईसीएल की सभी खुली खान परियोजनाओं तथा मिश्रित खानों की खान सुरक्षा जाँच (लेखा परीक्षा) पूरी की। एसईसीएल की अन्तर अनुषंगी दल ने ईसीएल की सभी भूमिगत खानों की खान सुरक्षा जाँच की।

इस प्रकार 56 भूमिगत खानों, 16 खुली खानों तथा 11 मिश्रित खानों की खान सुरक्षा जाँच एसईसीएल तथा सीसीएल की बहु विभागीय दलों द्वारा मार्च 2017 तक पूरी की दी गई।

एसईसीएल तथा सीसीएल के दलों द्वारा ईसीएल की खानों के किए गए अवलोकन तथा दी गई सिफारिशों का अध्ययन किया जा रहा है तथा कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति कोल इंडिया लिमिटेड को भेज दी गई है।

ईसीएल की खुली खान परियोजनाओं से बनी बेंचों तथा ओवरबर्डन डम्पों की स्थिरता के निर्धारण के लिए सीएमडी आईआरआई - I के क्षेत्रीय निदेशक ने तीन दलों का गठन किया है तथा ईसीएल के खुली खान परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया है।

12.5 मानसून की तैयारी :

ईसीएल मुख्यालय में 10.06.2016 से 15.10.2016 तक 24 7 के आधार पर एक नियंत्रण कक्ष खोला गया जिसमें सभी क्षेत्रों में नियंत्रण कक्ष के साथ संपर्क रखने एवं आवागमन के लिए वाहनों एवं टेलीफोन के साथ अधिकारियों की व्यवस्था की गई।

बाढ़ चेतावनी संदेश प्राप्त करने हेतु डीवीसी, मैथन के मुख्य अभियंता (हाईड्रल) के साथ नजदीकी संपर्क रखा गया, जब कभी पंचेत एवं मैथन डेम से पानी छोड़ा जाता है। निदेशक मौसम विभाग, अलीपुर कोलकाता तथा निदेशक, क्षेत्रीय चक्रवात चेतावनी केन्द्र, अलीपुर कोलकाता से मौसम पुर्वानुमान रिपोर्ट टेलीफोन एवं फैक्स द्वारा प्राप्ति हेतु नजदीकी संपर्क रखा गया ताकि भारी वर्षा/गर्जन/शोवर की चेतावनी क्षेत्रों को दी जा सके।

12.6 सुरक्षा प्रशिक्षण

वर्ष	... के लिए दो सप्ताह का संरचित प्रशिक्षण			
	फ्रंटलाईन पर्यवेक्षक		श्रमिकों का निरीक्षक	
	कार्यक्रम की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रम की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
2016-17	4	73	3	46
2015-16	4	108	3	41

12.7 वैधानिक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए प्रशिक्षण:

परीक्षा का प्रकार	प्रशिक्षित कर्मियों की संख्या	प्रशिक्षण संस्थान
क. ... में उपस्थित होने के लिए		
प्रथम श्रेणी कोयला	10	एमटीएस, धधका
द्वितीय श्रेणी कोयला	21	
माइनिंग सरदार	28	
सर्वेक्षक	00	
बिजली सर्वेक्षक	32	
वाइंडिंग ईंजन ड्राईवर	07	एमटीएस, रतिबाटी
गैस टेस्टिंग	25	एमटीएस, धधका
ख.व्यवसाय पाठ्यक्रम		
सर्वेक्षक	39	एमटीएस, धधका
माइनिंग सरदार	81	
ग.डिप्लोमा इन माइनिंग (अंशकालीन)	154	रानीगंज माइनिंग इंस्टीच्यूट

12.8 व्यावसायिक प्रशिक्षण (वीटीसी पर वैधानिक) 2016-17 :

प्रशिक्षण के प्रकार	2016-17	2015-16
आधारभूत (बेसिक)	864	1735
पुनश्चर्या (रीफ्रेशर)	10349	9491
विशेष प्रशिक्षण	11874	7679
आई.ओ.डी.	33	116
ठेका श्रमिक	4954	2106

12.9 ईसीएल में खान सुरक्षा सेवाएँ :

खान बचाव स्टेशन, सीतारामपुर ; पुनश्चर्या प्रशिक्षण के साथ खान बचाव कक्ष (आरआरआरटी) केंद्र तथा झांझरा, मुगमा और कालीदासपुर में संचालित खान बचाव कक्षों के जरिए ईसीएल के समस्त कोलियरी, बीसीसीएल के चुंच विक्टोरिया क्षेत्र, ईस्को की रामनगर कोलियरी के साथ-साथ नगर प्रशासन एवं लोक प्राधिकरण (आवश्यक होने पर) को खान बचाव सेवाएँ प्रदान किया गया हैं।

12.9.1 वर्ष के दौरान खान बचाव सेवाएँ द्वारा निम्नलिखित खदानों में आग/लगातार गर्म होने की घटनाओं का सफलतापूर्वक निपटारण किया गया :

क्रम	कोलियरी/घटना का स्थल	क्षेत्र	दिनांक	घटना/कार्य की प्रकृति
1	बहुला	केन्दा	02.11.2016 से 03.11.2016	भूमिगत पैनल एन.के-एन में स्वत: गर्म होता
2	परासकोल (पश्चिम)	काजोड़ा	25.11.2016	बंद क्षेत्र को फिर खोलना।
3	राजमहल परियोजना (महालक्ष्मी पैंच)	राजमहल	29.12.2016 से 12.02.2017	अधिकांश डम्प/बेंच के खिसकने से पीड़ितों को बचाना
4	जे. के. नगर	सतग्राम	30.01.2017	पिलर में आँग

12.9.2 प्रशिक्षण :

खान बचाव केंद्र में पुनश्चर्या (रीफ्रेशर) के साथ-साथ प्रारंभिक प्रशिक्षण निरंतर प्रदान किया गया है जिसका विवरण इस प्रकार है :

विवरण	2016-17	2015-16
प्रशिक्षित सुरक्षा बचाव कर्मियों की संख्या	614	644
हाल में प्रशिक्षित कर्मियों की संख्या	32	42
पुनश्चर्या प्रथाओं की संख्या	5622	5696
आपातकालीनों की संख्या	4	4

12.9.3 खरीदे गए नए उपकरण :

क्रम.सं.	विवरण	संख्या
1	मल्टी गैस डिटेक्टर	2
2	ऑक्सीजन की शुद्धता जाँच उपकरण	4
3	खान की हवा के नमूने की जाँच के लिए चल गैस क्रोमैटोग्राफ	1
4	इनफ्लेमेबल पोर्टेबल लाइटिंग सिस्टम	2

12.9.4 आंचलिक खान बचाव प्रतियोगिता :

वर्ष 2016-17 के लिए आंचलिक खान बचाव प्रतियोगिता, पूर्वी अंचल दिनांक 4 अक्तूबर, 2016 को आयोजित हुआ जिसमें 10 रेस्क्यू टीमों ने भाग लिया।

12.9.5 अखिल भारतीय खान बचाव प्रतियोगिता (कोयला तथा धातु) :

अखिल भारतीय खान बचाव प्रतियोगिता (कोयला तथा धातु) का 47 वाँ आयोजन माइन्स रेस्क्यू स्टेशन नागपुर (डब्लू सी एल) में 14 दिसम्बर 2016 को आयोजित किया गया। इसमे ईसीएल के दो टीमों ने भाग लिया तथा रिकवरी एवं एयर बेस इवेन्ट में पुरस्कार जीता।

12.9.6 खान बचाव स्टेशन के लिए बजट प्रावधान :–

विवरण	पूँजीगत बजट (₹ लाख में)		राजस्व बजट (₹ लाख में)	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
स्वीकृत	204.80	234.02	1667.42	1902.96
व्यय	132.73	222.98	1714.86	1561.92

13.0 गुणवत्ता नियंत्रण :

13.1 वजन स्थिति :

विगत वर्ष की तुलना में 2016-17 में बिजली घरों की आपूर्ति एवं अन्य खाते के लिए ईपीएस की मात्रा तौल निम्नलिखित है :

विवरण	2016-17			2015-16		
	पावर ईपीएस	अन्य खपत	कुल	पावर ईपीएस	अन्य खपत	कुल
प्रेषित मात्रा (लाख/टन)	401.21	26.86	428.07	357.75	25.04	383.79
ईपीएस के तहत मात्रा तौल (लाख/टन में)	392.34	26.86	419.20	350.02	26.04	376.06
ईपीएस के तहत तौल %	97.79	100.00	97.93	97.87	100.00	97.99

13.2 साइजिंग स्थिति :

पावर टेक्टर को सीएचपी / एफबी / मोबाइल क्रसर से प्रेषित ओवरआल आकार के कोयला में काफी सुधार आया। 100 कि.मी. के आकार के कोयला में शतप्रतिशत क्रसिंग प्रगति पर है। हलाकि अन्य विधियों में शतप्रतिशत ----- आकार का कोयला प्रेषित किया गया।

कोयले की साइजिंग	2016-17			2015-16		
	पावर	अन्य	कुल	पावर	अन्य	कुल
सीएचपी/एफबी में साइज्ड मात्रा (लाख/टन)	401.21	26.86	428.07	316.72	17.54	334.25
%	100.00	100.00	100.00	88.53	67.34	87.09
डीजेडआर/एमएनएल	–	–	–	41.03	8.50	49.54
%	–	–	–	11.47	32.66	12.91
कुल	100	100	100	100	100	100

14.0 सतर्कता गतिविधियाँ:

ईसीएल में प्रवन्धन की कार्यस्थिति में में पारदर्शिता, निष्पक्षता दायित्व बोध तथा दक्षता सुनिश्चित करने में सतर्कता विभाग सहायता करता है संस्थान की कार्यप्रणाली की छबि को ''पारदर्शी तथा उचित'' दिखने के लिए विभिन्न सतर्कता गतिविधियाँ वर्ष भर जारी रहीं। विभिन्न स्टाक धारकों के बीच विश्वास जगाने के लिए पिछले वर्ष कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे। काफी संख्या में प्राप्त शिकायतों को जांच सतर्कता विभाग ईसीएल द्वारा वर्षभर की गई जिसके फलस्वरूप विभिन्न कमियों / अनियमितताओं की ओर ध्यान दिलाया गया। इस कमियों / अनियमितताओं को दूर करने के लिए काफी संख्या में पिछली कार्यप्रणाली में सुधार लागू किया गया। साथी ही कम्पनी में अधिक जवावदेही, पारदर्शिता तथा निष्पक्षता लाने के लिए जो मामले जानपूछ कर गलत नीयत से अनियमितता। कमी लाने के लिए दिए गए उन्हें गम्भीर माना गया तथा कई मामले संबंधित अधिकारियों को सजा देकर समाप्त किए गए। यदि कुछ हो तो, कमी की जांच के लिए कर्मविभागो में काफी संख्या में गहन जांच किया गया तथा कई मामलों में यह ''प्रणाली सुधार'' के रूप में समाप्त हुआ। आधुनिक आई टी प्रत्यक्ष तथा ई गवर्नेन्स के सतर्कता विभाग द्वारा मानीटरिंग तथा नियमित जाँच के लिए ईसीएल के विभिन्न क्षेत्रों के लागू किया गया।

14.1 निवारक सतर्कता :

वर्ष 2016-17 के दौरान, सतर्कता विभाग ईसीएल की विभिन्न इकाइयों तथा क्षेत्रों में औचक निरीक्षण काफी संख्या में आयोजित किए गए ताकि कम्पनी की कार्यपद्धति पर संपूर्ण रूप से नजर रखी जा सके। हालांकि इसके अलावा काफी लाभुको को कवर करते हुए विभिन्न स्टेक होल्डरों के लिए सतर्कता जागरूकता सह प्रेरणात्मक कार्यक्रम बड़े पैमाने पर आयोजित किए गए। कई मामलों में पिछले कार्यक्रमों का गहराई से अध्ययन किया गया तथा आवश्यकतानुसार पद्धति में सुधार के बदले को लागू किया गया ताकि वर्तमान प्रणाली में सुधार हो तथा वर्तमान प्रणाली की कमी को निवारक सतर्कता के रूप को खत्म किया जाय। इन प्रयासों का कम्पनी की कार्यसंस्कृति पर हितकारी प्रभाव पड़ा एवं इसके प्रदर्शन में सर्वतोमुखी सुधार आया है।

क्रम	विषय	2016-17	2015-16
i	आकस्मिक जाँच/निरीक्षण आयोजित	64	61
ii	सतर्कता जागरूकता सह प्रेरणात्मक कार्यक्रम :		
	क. आंतरिक संकाय सदस्यों द्वारा जागरूकता कार्यक्रम	19	18
	ख. अंशधारकों की बैठक	01	01
	ग. निबंध/वाद-विवाद/चित्रकला प्रतियोगिता/सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि	06	05
	घ. बाह्य संकाय सदस्यों द्वारा संगोष्ठी/कार्यशाला	01	02
iii	गहन जाँच	11	10

14.2 सुधार के लिए उठाए गए कदम :

वर्ष 2016-17 के दौरान, निम्नलिखित प्रणालीगत सुधार उपाय प्रस्तुत किये गये है :

क) मुख्यालय तथा विभिन्न क्षेत्रों में डाक प्राप्ति तथा प्रेषण प्रणाली लागू कर गई।

ख) एचईएमएम की खरीद।

ग) ईसीएल की कर्मशालाओं में मरम्मत का कार्य करने तथा सुधारात्मक उपाय लागू करना।

घ) विभिन्न आउट सोर्सिंग ठेकों का प्रबन्धन।

ङ) ईसीएल के कर्मचारियों की संशोधित सेवा पुस्तिका का प्रारंभ।

14.3 दंडात्मक सतर्कता :

संस्थान की कार्यपद्धति की छवि पारदर्शी तथा स्वच्छ रखने के लिए जानबूझकर कपटपूर्ण इरादे से की गयी अनियमितताओंसे सख्ती से निपटा गया तथा संबंधित आचरण नियमावली के अनुसार अनुकरणीय दंडात्मक उपाय किए गए। इसके परिणामस्वरूप, एक सिविल ठेकेदार सहित कुल 31 लोगों को विभिन्न प्रकार की सज़ा दी गयी।

14.4 उत्तोलन तकनीक :

संस्था की पारदर्शिता एवं कार्यकुशलता में सुधार के लिए सतर्कता विभाग द्वारा उत्तोलन तकनीक के क्षेत्र में अधोलिखित कदम उठाए गए :

क्रम सं	आईटी क्षेत्र में की गयी पहल	31.03.17 को स्थिति	टिप्पणी
1	जीपीएस/जीपीआरएस आधारित व्हेकिल ट्रैकिंग पद्धति	1479	कुल 1479 उपकरणों में 1448 जीपीएस उपकरण उपलब्ध ट्रकों में लगा दिए गए। मुख्यालय तथा सभी 14 क्षेत्रों में नियंत्रण -- कार्यरत है। वाहनों की ट्रैकिंग जारी है।
2	सीसीटीवी के द्वारा इलेक्ट्रोनिक निगरानी	113	ईसीएल में 832 स्थलों पर सीसी टीवी कैमरे लगाए गए है।
3	आरएफ़आईडी आधारित बूम बैरियर एवं रीडर्स	77	आपूर्ति 77, स्थापित (यांत्रिक भाग) - 77, कुल 7 आरएफ़आईडी प्रणाली बंकोला क्षेत्र में लगाए गए शेष को स्थापित गिए गाने का काम प्रगति पर है।
4	वे ब्रीज की स्थिति	सड़क 101 एवं रेल12	पूरा किया गया।
5	वाइड एरिया नेटवर्किंग (डबल्यूएएन)	117	स्थापना का काम पूरा किया गया।
6	कोल नेट एप्लिकेशन	आनलाईन मैटेरियल मैनेजमैंट प्रणाली	ईसीएल मुख्यालय के कुनुस्तोड़िया, सोनपुर बजारी, सोदपुरतथा सालानपुर में स्थापित।
		वित्तीय सूचना प्रणाली	ईसीएल मुख्यालय कोलकाता विक्रय कार्यालय, सोदपुर तथा सोनपुर बजारी क्षेत्रों में लागू।
		कार्मिक सूचना प्रणाली	ईसीएल मुख्यालय में लागू।
		पेरोल	ईसीएल मुख्यालय कोलकाता विक्रय कार्यालय, कुनुस्तोड़िया तथा सोनपुर बजारी में लागू।
		विक्रय	राजमहल क्षेत्र को सभी में स्थापित।
7	ऑनलाइन शिकायत समाधान प्रणाली	लागू	-
8	ऑनलाइन लीव मैनेजमेंट सिस्टम	लागू	अधिकारियों के लिए सभी क्षेत्रों में लागू।
9	बिल ट्रैकिंग सिस्टम	लागू	ईसीएल मुख्यालय में लागू।

क्रम सं	आईटी क्षेत्र में की गयी पहल	31.03.17 को स्थिति	टिप्पणी
10	खानों की वाउन्ड्री की जियो फेन्सिंग	लागू	–
11	वायोमैट्रिक उपस्थिति	झांझरा क्षेत्र, तथा कोलियारियाँ। सतग्राम क्षेत्र कार्यालय तथा चिकित्सालय इत्यादि में लागू	अन्य क्षेत्रों तथा मुख्यालय में लागू करने पर कारवाई चल रही है। ईसीएल में 832 स्थलों पर सीसी टीवी कैमरे लगाए गए है।
12	लोकल एरिया नेटवर्क (एलएएन)	स्थापना कार्य लगभग पूरा	ईसीएल के सभी क्षेत्रों मुख्यालय के साथ तथा कोलकाता कार्यालय से संबंद्ध हो चुके है। टावर लगाने का काम प्रगति पर है।
13	ईएमडी का अटो रिफंड	पूरा किया गया	–
14	रिवर्स आक्सन	पूरा किया गया	रू करोड़ से अधिक के अंकसावित ठेका मूल्य के लिए लागू
15	डी टीएलएस	टेंडर गेमी किया गया है।	–

14.5 **एकीकरण करार कार्यक्रम का कार्यान्वयन :**

ईसीएल में एकीकरण करार विधिवत कार्यान्वित किया गया एवं यह प्रभाव में है।

14.6 सतर्कता जागरूकता सप्ताह का पालन :

केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार 31.10.2016 से 05.11.2016 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। इस वर्ष की थीम 'भ्रष्टाचार मिटाने तथा निष्ठा बढ़ाने में जन सहयोग'' था। ईसीएल के अप्रनि कार्यकारी निदेशक तथा मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा ईसीएल मुख्यालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में सरदार वल्लभ भाई पटेल के 142 वें जन्म दिवस पर उनके चित्र पर माल्यर्पण किया गया। ईसीएल के निदेशक तकनीकी श्री के. एस. पात्र द्वारा ईसीएल मुख्यालय में तथा क्षेत्र में संबंधित क्षेत्र के महाप्रबंधक विभागीय प्रधान द्वारा एकता की शपथ दिलाई गई ताकि विभिन्न गतिविधियों में निष्ठा एवं पारदर्शिता लाई जा सके तथा जीवन के हर क्षेत्र से भ्रष्टाचार को मिटाया जा सके। डीएवी स्कूल, निमचा के छात्रों द्वारा एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। ईसीएल मुख्यालय तथा विभिन्न क्षेत्रों / इकाइयों में सेमीनार, कार्यशाला, स्टेक होल्डरों का मिलन समारोह इत्यादि आयोजित किए गए ताकि स्टेक होल्डरों को जाग्रत किया जा सके एवं उनके बीच निष्ठा का संदेश फैलाया जा सके। सप्ताह भर चलाए गए प्रतिस्पर्धा कार्यक्रमों में विभिन्न स्कूलों तथा कॅालेजो में काफी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस अवसर पर 2016 का समाचारपत्र ''सचेतना'' (ईसीएल सतर्कता मैगजीन का अगला अंक) तथा कम्पोडियम अक्टूबर 2016 का ईसीएल के कर्मचारियों, निदेशकों तथा मुख्यासत कर्ता अधिकारी द्वारा विमोचन किया गया।

भारत के नागरिकों द्वारा शपथ लेने के लिए ईसीएल के वेवसाईट में निष्ठा शपथ वैनर (सीवीसी द्वारा उपलब्ध) का सक्रिय लिंक उपलब्ध कराया गया।

14.7 महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ :

क) गत वर्ष आरम्भ किए गए कई आई टी प्रयोग तथा ई-गवर्नेंस डिस्काउन्ट बिडिंग लागू करने में अग्रणी बने।

ख) सामान्य प्रबन्धन कार्यप्रणाली सहित इंटीग्रेटिंग विजिलेंस एक्टिविटीज के द्वारा लगातार सचेतना सहित प्रेरक कार्यक्रमों में चर्चा से कम्पनी के कर्मियों तथा स्टेक होल्डरों का मनोबल ऊँचा हुआ है तथा यह कम्पनी के उत्पादन तथा उत्पादकता में परिलक्षित होता है।

ग) सतर्कता विभाग द्वारा नियमित रूप से मानीटरिंग से ओवर रिपोटिंग को रोकने में मदद मिली है तथा दोषियों से पेनालटी के रूप में अर्थ वसूली में काफी मात्रा में वृद्धि हुई है।

15.0 कर्मियों का विवरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय के अंतर्गत कंपनी नियमावली, 2014 के नियम 5 (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) में निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक किसी भी कर्मी ने प्राप्त नहीं किया है।

16.0 01 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 के दौरान ईसीएल में राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी गतिविधियाँ

ईसीएल मुख्यालय तथा इसके 11 क्षेत्र ग क्षेत्र (पश्चिम बंगाल) में स्थित हैं जहाँ हमारे 83% कर्मचारी पदस्थापित हैं। केवल 03 क्षेत्र क क्षेत्र (झारखंड) में स्थित हैं। आलोच्य अवधि के दौरान कंपनी में राजभाषा कार्यान्वयन के अंतर्गत उठाए गए कदमों पर आधारित हमारी निम्नलिखित विशेष उपलब्धियाँ रही हैं :

1. आलोच्य अवधि में क क्षेत्र में 60.36% ख क्षेत्र में 59.88%एवं ग क्षेत्र में 56.91%हिंदी पत्राचार किया गया।

2. मुख्यालय के शत-प्रतिशत कंप्यूटरों में यूनीकोड सक्रिय करके हिंदी में काम करने योग्य बना दिया गया है। क्षेत्रों में भी प्रायः 100 प्रतिशत कम्प्यूटरों में यूनिकोड सक्रिय किया जा चुका है।

3. सभी फाइलों के कवर पर उनके विषय हिंदी में लिखने का नियम शत प्रतिशत लागू किया गया।

4. सभी विभागों के उपस्थिति-रजिस्टर में कर्मचारियों/अधिकारियों के नाम हिंदी एवं अंग्रेजी में लिखना अनिवार्य किया गया। अधिकांश कर्मी अपना हस्ताक्षर हिंदी अथवा अपनी मातृभाषा में करते हैं।

5. ई.सी.एल. कर्मियों की सेवानिवृति पर प्रबंधन की ओर से उनके नाम, पदनाम, सेवा-अवधि इत्यादि के विवरण सहित उन्हें दिया जाने वाला स्मृति-चिह्न हिंदी में बनवाकर दिया जाता है।

6. प्रत्येक विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में टंकण का प्रशिक्षण दिया गया ताकि वे अधिक से अधिक पत्राचार हिंदी में करने के लिए सक्षम हो सकें। यह प्रशिक्षण वर्तमान समय में भी नए अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए लगातार जारी है।

7. गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजी जाने वाली राजभाषा के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन भेजने की परंपरा निरंतर जारी है।

8. प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी 01.09.2016 से 14.09.2016 के दौरान ईसीएल में हिंदीपखवाड़ा का आयोजन किया गया जिसके दौरान हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता, कार्यालयीन पत्र-लेखन प्रतियोगिता एवं भाषण प्रतियोगिताका आयोजन हिंदी भाषी एवं हिंदीतर भाषी कर्मियों के लिए अलग-अलग किया गया जिसमें मुख्यालय तथा क्षेत्रों के कुल 84 प्रतिभागियों ने भाग लिया। समस्त प्रतिभागियों को पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया।

9. राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों एवं मुख्यालय के विभागों को भी सम्मानित किया गया।

10. 14.09.2016 को हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित हिंदी पखवाड़ा समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में कंपनी के वरिष्ठ आधिकारियों के साथ पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष (राँची विश्वविद्यालय) व वरिष्ठ चिंतक डॉ. रविभूषण (मुख्य वक्ता), हिंदी विभागाध्यक्ष

(आसनसोल गर्ल्स कॉलेज) डॉ. कृष्ण कुमार श्रीवास्तव (विशिष्ट वक्ता), हिंदी शिक्षण योजना, मंडल रेल प्रबंधक का कार्यालय, पूर्व रेलवे, आसनसोल के हिंदी प्राध्यापक श्री त्रिलोकीनाथ सिंह (निर्णायक) एवं एन. डी. राष्ट्रीय विद्यालय, सीतारामपुर के सहायक शिक्षक श्री राजीव लोचन सिन्हा (निर्णायक) के रूप में उपस्थित थे।

11. मुख्यालय के साथसाथ समस्त क्षेत्रों में भी हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया।

12. वर्ष 2016-17 के दौरान ईसीएल में कुल 08 (02.06.2016,09.06.2016,29.06.2016, 08.09.2016, 15.09.2016, 30.12.2016, 30.01.2017 तथा 14.02.2017)हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया ।

13. प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें देश के विभिन्न प्रान्तों से पधारे विशिष्ट कवियों ने शिरकत की। यह आयोजन 07.12.2016 को मुख्यालय के डिसरगढ़ क्लब में आयोजित किया।

14. कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त निदेशक (राजभाषा) श्री सुबोध कुमार द्वारा ईसीएल में (दिनांक: 02.06.2016 को क्षेत्रीय कार्यालय सतग्राम एवं केंद्रीय अस्पताल, कल्ला), (दिनांक: 03.06.2016 को क्षेत्रीय कार्यालय मुगमा, सोदपुर एवं सलानपुर) एवं (दिनांक: 09.06.2016 को ईसीएल मुख्यालय) राजभाषा हिंदी के प्रयोग की स्थिति एवं गतिविधियों से संबंधित निरीक्षण किया गया।

15. राजभाषा विभाग,गृह मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्व क्षेत्र) के उप निदेशक (कार्यान्वयन) श्री अजय मलिक द्वारा गत 07.09.2016 को ईसीएल मुख्यालय में एक बैठक की गयी एवं कंपनी स्तर पर चल रही राजभाषा संबंधी गतिविधियों का निरीक्षण किया गया।

16. गत 16.01.2017 को गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में माननीय सचिव (राजभाषा) की अध्यक्षता में आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन पर आधारित बैठक में ईसीएल के दो अधिकारी उपस्थित हुए।

17. गत 10.02.2017 को निदेशक (कार्मिक) महोदय की अध्यक्षता में विभिन्न क्षेत्रों/अस्पताल में कार्यरत राजभाषा संवर्ग के कर्मचारियों एवं राजभाषा अधिकारी/हिंदी नोडल अधिकारियों संग राजभाषा कार्यान्वयन पर आधारित एक संपर्क बैठक का आयोजन किया गया।

18. आलोच्य अवधि में ईसीएल की प्रतिनिधि अर्धवार्षिक हिंदी गृह–पत्रिका ज्योत्स्नाके दो अंकों का प्रकाशन हो चुका है।

19. ईसीएल के सलानपुर क्षेत्र से ऊर्जा स्रोत तथा मुगमा क्षेत्र से ऊर्जा कण नामक वार्षिक हिंदी पत्रिकाओं का निरंतर प्रकाशन हो रहा है ।

20. हिंदी में प्रकाशित होने वाला वाल पोस्टर ईसीएल समाचार का प्रकाशन निरंतर जारी है जिसमें ईसीएल के सचित्र समाचार, कर्मियों की उपलब्धियाँ आदि फोटो सहित प्रकाशित की जाती हैं।

21. साथ ही, ईसीएल की बुलेटिन के रूप में प्रकाशित होने वाला ईसीएल दर्पण (द्वैमासिक) का हिंदी एवं बांग्ला में प्रकाशन निरंतर जारी है तथा आलोच्य अवधि में इसके छह अंक प्रकाशित हो चुके हैं।

22. इनके अतिरिक्त, विभिन्न विभागों द्वारा प्रकाशित चेतना,सचेतना,जागृति आदि पत्रिकाओं में हिंदी के लेख तथा अन्य सामग्री को स्थान दिया गया।

17.0 कंप्यूटरीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी से लैश सेवाएँ :

17.1 ईसीएल में ई–निविदा प्रकोष्ठ की गतिविधियाँ :

क) वर्ष 2016-17 के दौरान, कुल 12.13 निविदाएँ ईसीएल / सीआईएल ई–टेंडरिंग पोर्टल : http:/ecltenders.gov.in में कुल 4047 टेंडर प्रकाशित किए गए जिनमें 1834 टेंडरों को पूरा किया गया तथा शेष पर विभिन्न चरणों पर कारवाई की जा रही है।

ख) ई टेंडरिंग में शामिल हैंग आउट / टीम व्यूर, एम्मी एडमिन, एनी डेस्क इत्यादि आधुनिक साफ्टवेयर का प्रयोग करके सभी क्षेत्रों कर्मशालाओं में घर वैठे तथा दूर से प्रशिक्षण / सहायता उपलब्ध कराया गया।

ग) ईसीएल मुख्यालय में 32 नोडल अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कार्यक्रम आयोजित किए गए।

घ) वर्ष 2016-17 के दौरान मुख्यालय सहित क्षेत्रों / कर्मशालाओं के 94 अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) का व्यवस्था की गई।

ङ) ई-टेंडरिंग द्वारा टेंडर पूर्णता अवधि वर्ष 2015-16 के 94 दिन से घटकर वर्ष 2016-17 में 49 दिन हो गयी। ई-टेंडरिंग के द्वारा टेंडर पूर्णता अवधि का पूर्ण चक्र न्युनतम 15 दिन है।

17.2 विशेष उपलब्धियाँ :

क) जीपीएस आधारित वीटीएस: वाहनों की ट्रेनिंग के लिए कोयला परिवहन ट्रकों में कुल 1448 जीपीएस उपकरण लगाए गए।

ख) कोलनेट का कार्यान्वयन : मुख्यालय, सोनपुर बजारी, कुनुस्तोड़िया तथा कोलकाता विक्रम कार्यालय में पैरोल माड्यूल कार्यान्वित किया गया। सोदपुर, मुगमा, सालानपुर तथा सतग्राम में अधिकारियों के पे रोल में लागू किया गया। राजमहल, झांझरा तथा पांडवेश्वर क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्रों में प्रायोगिक तौर पर लागू किया गया है। ईसीएल मुख्यालय, कोलकाता विक्रय कार्यालय, सोनपुर बजारी तथा सोदपुर क्षेत्र में सेल मड्यूल लागू किया गया है। फाइनेसियल एकाउटिंग सिस्टम (एफएएस) माड्यूल ईसीएल मुख्यालय, कोलकाता विक्रय कार्यालय, सोनपुर बजारी तथा सोदपुर क्षेत्र में लागू किया गया है। ईसीएल मुख्यालय, सोनपुर बजारी, कुनुस्तोड़िया, सलानपुर क्षेत्र में सामग्री प्रबन्धन प्रणाली (एमएमएस) लागू किया गया है। ईसीएल मुख्यालय के कार्मिक सूचना प्रणाली (पीआईएस) लागू किया गया है।

ग) ईसीएल मुख्यालय, सभी क्षेत्रों तथा कोलकाता विक्रय कार्यालय में ऑनलाइन अवकाश प्रवन्धन प्रणाली लागू की गई है।

घ) बिल ट्रेडिंग सिस्टम, स्वच्छ विद्यालय, शिकायत निवारण (निदान) का मोबाइल एप्लिकेशन मुख्यालय द्वारा विभागीय तौर पर विकसित किया गया है।

18.0 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार:

वर्ष 2016-2017 में संचार तथा सूचना प्रोद्योगिकी के साथ अग्रगति तालमेल रखने के लिए निम्नलिखित उपाय गिए गए :

क) **रेडियो सम्पर्क :** प्रभावशाली वेतार संवाद के लिए 156 वाकीटाकी खरीदे गए तथा यो पांडवेश्वर क्षेत्र, कुनुस्तोड़िया क्षेत्र एवं सीआईएसएफ, ईसीएल की इकाइयों के उपयोग में लाए जा रहे है।

ख) **भूमिगत संचार :** प्रभावशाली भूमिगत संवाद के लिए 40 साउन्ड पावर्ड टेलीफोन खरीदे गए तथा भूमिगत खदानों में उपयोग में लाए गा रहे है।

ग) **सूचना प्रोद्योगिकी प्रयास :** रेलगेट से 21 सेकेन्ड्री नेटवर्क कनेक्टीविटी (वैन) सड़क के ब्रिजो के लिए स्थापित किए गए है। मुख्यालय, क्षेत्र तथा वजनघरों में कुल 117 वैन ईसीएल में कार्यरत है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक क्षेत्र के रेलटेल से 4 एमबीपीएस लीस इंटरनेट सेवा स्थापित किए गए है तथा ईसीएल मुख्यालय में एयरटेल से 55 एमबीपीएस लीस इंत्तरनेट सेवा स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त एक नई ओडियो कांफरेसिंग प्रणाली ईसीएल मुख्यालय में स्थापित की गई है।

19.0 भूमि अधिग्रहण एवं भू-सूचना की स्थिति :

19.1 भूमि अधिग्रहण की स्थिति :

वर्ष 2016-17 के लिए मोड वार, परियोजना वार भूमि अधिग्रहण/कब्जा की स्थिति का विवरण निम्नलिखित है:

अधिग्रहण की विधि	अधिगृहित (हेक्टर में)	कब्जा (हेक्टर में)
काश्तकारी भूमि की सीधी खरीद	186.04	186.04
सीबीए अधिनियम	–	247.70
सरकारी भूमि का स्थानांतरण	7.83	7.32
कुल	**193.87**	**441.06**

19.2 सरकारी भूमि का स्थानांतरण :

पश्चिम बंगाल :

राज्य सरकार के पास निम्नलिखित सरकारी भूमि का हस्तांतरण लंबित है।

क) बांसड़ा ओसीपी, कुनुस्तोड़िया क्षेत्र, मौज़ा बांसड़ा, 2.96 एकड़ राशि रू. 1,25,81,051 9 मार्च 2016 को 2.44 एकड़ भूमि के लिए जमा किया गया।

ख) नॉर्थ सियारसोल ओसीपी, कुनुस्तोड़िया क्षेत्र, मौज़ा बीजपुर, 4.41 एकड़ राशि रू 2,44,91,447। 1.25 एकड़ के लिए 30 नवम्बर 2016 को एडीएम (भू राजस्व) वर्द्धमान कार्यशाला के पास जमा किया गया। शेष भूमि पट्ट भूमि रिकार्ड की गई है।

ग) परासिया विस्तृत ओसी, कुनुस्तोड़िया क्षेत्र, मौज़ा सोनचोरा, 2.49 एकड़ राशि रू. 1,29,40,908 2.48 एकड़ भूमि के लिए 9 मार्च 2016 को जमा की गई।

घ) खोट्टाडीह ओसीपी, पांडवेश्वर क्षेत्र, मौज़ा बीजपुर एवं बलानपुर। राज्य सरकार की स्वीकृति सरकारी भूमि 7.02 हेक्टर हस्तातंरण के लिए प्राप्त हुई तथा रू. 10,49,32,800 की राशि राज्य सरकार की मांग के अनुसार 29 दिसम्बर 2016 को जमा की गई।

ङ) भानोड़ा वेस्ट ब्लॉक श्रीपुर क्षेत्र मौजा गड़परिरा 6.84 एकड़ रू. 7.0172 करोड़ की राशि इस सरकारी भूमि के हस्तातंरण के लिए मांग के अनुसार जमा दी गई तथा राज्य सरकार से कब्जा प्रमाण पत्र 25 तथा 30 जनवरी 2017 को क्रमशः प्राप्त हुआ।

च) न्यू केन्दा मौजा केन्दा 2.81 एकड़ – डीएल तथा एआरओ के पास सरकारी भूमि के लांग टर्म सेटलमेंट के लिए आवेदन जमा दिया गया।

झारखण्ड :

एस. पी. माइन्स, चित्रा के लिए सरकारी भूमि 61.79 हेक्टेयर हस्तातंरित के लिए – 61.79 हेक्टेयर जमीन के हस्तातंरण के लिए 2010 में आवेदन दिया गया। डीजी (देवघर) ने 77.75 एकड़ (31.48 हेक्टयेर के बराबर) के लिए रू. 15.83 करोड़ जमा करने का अनुरोध किया है जिसके सारठ ब्लॉक का 72.07 एकड़ तथा पालाजोड़ी ब्लॉक का 5.68 एकड़ शामिल है। जाँच करने पर पाया गया कि सारठ ब्लॉक में 72.07 एकड़ में काफी जमीन (लगभग 34 एकड़ से अधिक) विभिन्न रैयती मालिकों से पहले ही सेटल किया जा चुका है। इसलिए इस तरह से जमीन अधिग्रहण में विवाद है। वह मामला पीएमजी पोर्टल पर आपलोड कर दिया गया है। ईसीएल के अनुरोध पर डीसी, देवघर, बिना विवाद के 27.65 एकड़ सरकारी भूमि का लैंड सिड्यूल 12.3.2016 को उपलब्ध कराया है। लेकिन यह देखा गया कि यह विवादहीन जमीन विभिन्न प्लाटों में विस्तृत क्षेत्र में छोटे छोटे टुकड़ों में फैला हुआ है। डीसी गोड्डा को महाप्रबन्धक एसपीमाइन्स द्वारा सूचित किया गया है विवरण उपलब्ध कराये ताकि ईसीएल अधिग्रहण के तरीके पर निर्णय ले सके। राज्य सरकार ने पत्रांक 559 दिनांक 7 अप्रैल 2016 के द्वारा रू. 139175717 (80% ट्रांस्फर मूल्य के रूप में 111340574) 28.05 एकड़ विवादहीन भूमि ईसीएल के पक्ष में हस्तांतरण के लिए माँगा है। पत्रांक 779 दिनांक 31.08.16 के द्वारा डीसी देवघर ने डीसी देवघर से 61.79 हेक्टयर (152.61 एकड़) सरकारी भूमि हस्तांतरित करने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार के अबतक कोई निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि रू. 11.13 करोड़ की राशि (मांग मूल्य का 80%) विवादहीन 28.05 एकड़ सरकारी भूमि हस्तांतरण के लिए मांगपत्र के अनुसार डीसी देवघर को 2 मार्च 2017 को जमा कर दिया गया है। सोओ पालोजोरी द्वारा सरकारी भूमि के हस्तांतरण के मौजा खून, चुड़ीकनाली, जमुआ, आमडंगाल तथा तारावाद में 06.2.17 तथा 7.2.17 को ग्रामसभा का आयोजन किया गया।

19.3 सीबीए (ए एवं डी) अधिनियम, 1957 के तहत प्रगति :

क्रम सं	परियोजना का नाम	स्थिति
1	ललमटिया कोल ब्लॉक फेज IX-4.047 हेक्टेयर	क) भारत के गैजेट में पत्रांक एसओ सं.2550 (ई) दिनांक 26 जुलाई 2017 द्वारा 9(1) के अंतर्गत अधिसूचना। ख) भारत के गैजेट में 4.047 हेक्टेयर प्रकाशित पर भूमि दिनांक 7 दिसम्बर, 2016 द्वारा 11.(1) के अधीन अधिसूचना प्रकाशित।
2	ललमटिया कोल ब्लॉक फेज	क) भारत के गैजेट में पत्रांक 8668 दिनांक 12 मई 2016 के द्वारा 7(1) के अधीन अधिसूचना प्रकाशित। ख) सेक्सन 9 के अधीन अधिसूचना के लिए कोयला न्यायालय को 2 दिसम्बर 2016 को आवेदन घोशित।
3	ललमटिया कोल ब्लॉक फेज	क) सेक्सन 7(1) के अधीन पत्रांक 1641 दिनों 8 अगस्त 2016 के द्वारा भारत के गैजेट में अधिसूचना प्रकाशित। ख) 13 जनवरी 2017 को कोयला मंत्रालय को सेक्सन 9 के अधीन अधिसूचना के लिए प्रेषित।
4	झांझरा कम्वाइन्ड परियोजना	कार्यालय मंत्रालय नई दिल्ली को सेक्सन 9 के अधीन 13 मार्च, 2017 को आनलाइन आवेदन समर्पित।

19.4 पुनर्वास की स्थिति :

वर्ष 2016-17 के अंतर्गत पुनर्वास के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये :–

क्षेत्र का नाम	दिये गये प्लॉट	मौद्रिक मुआवजा	कुल पीएपी/हाउसहोल्ड जिनके लिए पुनर्वास की सुविधा दी गयी	वास्तविक रूप में शिफ्ट किए गए हाउसहोल्ड
सोनपुर बजारी	106	89	195	195
झांझरा	0	6	6	15
सलानपुर	0	1	1	0
राजमहल	0	42	42	200
कुल	**106**	**138**	**244**	**410**

19.5 रेत के खनन पट्टे की स्थिति :

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आगामी 20 वर्षों के दिया बालू खनन पट्टा मिला तथा कब्जा प्रमाणपत्र 15 नवम्बर 2016 को प्राप्त हुआ।

20.0 सुरक्षा प्रबंधन :

सुरक्षा विभाग का लक्ष्य कंपनी की सामग्री एवं कर्मियों की रक्षा करना है। कंपनी में तीन प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था है।

1.	ईसीएल सुरक्षा	– 1381 कर्मी
2.	संविदात्मक सुरक्षा	– 2229 कर्मी
3.	सीआईएसएफ	– 1250 कर्मी (लगभग)

ईसीएल सुरक्षा :

ईसीएल सुरक्षा का कर्मियों की मुख्य जिम्मेदारी कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा तथा प्रवन्धन की आवश्यकता अनुसार अति विशिष्ट व्यक्तियों की रक्षा करना है। भरे हुए रेलवे रेकों, ट्रिपिंग ट्रकों, डम्परों की कोयला डिपो, साइडिंग से वचन घरों तक रक्षाकरण जब तक कि उनका वजन न हो जाय।

वर्ष भर हमारे सुरक्षा कर्मियों द्वारा सीआईएसएफ तथ्य स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की जाती है तथा इसप्रकार जब्त किए गए कोंला, ट्रक / वाहन तथा अपराधियों का पीछा करके पकड़के पुलिस स्टेशन / प्रबन्धन को सौंप दिया जाता है। ईसीएल सुरक्षा कर्मियों को हड़ताल / घेराव / प्रदर्शन / भूख हड़ताल इत्यादि के समय तथा क्षेत्रों में किसी प्रकार की विधि व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने पर काम पर लगाया जाता है।

ईसीएल के सुरक्षा कर्मियों द्वारा ईसीएल की समीक्षाओं / इकाइयों में तकनीकी सुरक्षा की मानीटरिंग सीसीटीवी, जीपीएस से जांच, वेहिकल ट्रेनिंग मानीटरिंग (वीटीएमएस) से करती है।

ठेका कर्मियों द्वारा सुरक्षा :

डीजीआर द्वारा सूचीबद्ध एजेंसियों के माध्यम से लगाए गए ठेका सुरक्षा कर्मियों द्यारा ईसीएल की कुछ कोलियरियों के आउट सोर्सिंग पैचों की रखवाली की जाती है तथा उन्हें रेलवे रैको की रखवाली के लिए लगाया जाता है क्योंकि विभागीय सुरक्षा की भारी कमी है।

सीआईएसएफ :

सीआईएसएफ के ईसीएल की राजमहल, सोनपुर बजारी एवं एसपी माइन्स में स्थायी ड्यूटी के लिए लगाया जाता है तथा ईसीएल के अन्य क्षेत्रों में सीआईएसएफ के छापा मारने / निगरानी रखने के लिए कैम्प है। वे अवैधजनक, अवैध कोयला परिवहन तथा अवधे कोयला डिपों की छापामारी के लिए सचल रहते है तथा कोलियरी / क्षेत्रों में हड़ताल घेराव के साल भी तैनात किए जाते है। गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में 210 अतिरिक्तसीआईएसएफ की तैनाती की स्वीकृति मिली है जिन्हें बारूद घरों की सुरक्षा में लगाया गया है।

ईसीएल में सुरक्षा–व्यवस्था में सुधार के लिए उठाए गए कदम :

क. ईसीएल में कोयला चोरी तथा अवैध खनन रोकने के लिए वर्तमान समय में 1040 सीआईएसएफ कर्मियों को तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त 210 सीआईएसएफ़ कर्मियों की स्वीकृति गृह मंत्रालय द्वारा दे दी गयी है तथा उन्हें ईसीएल के बारूद घरों की सुरक्षा में लगाया गया है।

ख. ईसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में एसएसआई प्रशिक्षण के बाद नैतान करने के लिए 106 नए सुरक्षा उपनिरीक्षकों की नियुक्ति की गई है।

ग. ईसीएल के बारूद घरों, केन्द्रींय भंडार, रेलवे साइडिंग तथा अन्य संवेदशशील स्थलों पर सीसीटीवी तथा अन्य तकनीकी उपकरण लगाने का काम प्रगति पर है।

घ. ईसीएल के जिन सुरक्षा कर्मियों को ईसीएल के शस्त्र लाइसेंस में गन रिटेनर की सूची में नाम दर्ज कराकर तैनात किया जायगा उन्हें सीआईएसएफ द्वारा प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाय।

ङ. सुरक्षा प्रहरी (एसजी) महिला सुरक्षा प्रहरी (एलएसजी) के रूप में प्रशिक्षण के बाद तैनात किए जाने वाले सभी पुरूष तथा महिला सुरक्षा कर्मियों को आधारभूत प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया।

च. कोयला चोरी / बर्बादी तथा अवैध खनन रोकने के लिए ईसीएल के सभी क्षेत्रों में सीसीटीवी निगरानी तथा जीपीएस आधारित वाहन ट्रेनिंग मानीटरिंग प्रणाली (वीटीएमएस) जैसे तकनीकी उपकरण का उपयोग आरम्भ किया गया।

ईसीएल में अवैध खनन / कोयला परिवहन रोकने के लिए उठेए गए कदम।

क) गुप्त रूप से सूचना संग्रह

ख) विभागीय पे लोडर/डोजर एवं कभी–कभी संविदा पर लेकर अवैध खनन स्थलों तथा धसान प्रभावित स्थलों की डोजिंग/सीलिंग इत्यादि।

ग) सीआईएसएफ, ईसीएल सुरक्षा, पुलिस द्वारा औचक जाँच की जाती है तथा अवैध कोयला, कोल लोडेड ट्रक जब्त करके असामाजिक तत्वों को पुलिस के हवाले कर रहे हैं।

घ) अवैध खनन पर केन्द्रीय स्तर पर नियमित वैठको, पं. बंगाल तथा झारखंड राज्य के अधिकारी स्तर पर बैठके वर्दमान, बाँकुड़ा, पुरूलिया तथा वीरभूम जिला स्तर पर प. बंगाल एवं झारखंड राज्य के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की जाती है।

ङ) प्रभावित स्थलों की क्षेत्रीय टीम जिसमें मुख्य महाप्रबंधमक, क्षेत्रीय सर्वे अधिकारी, क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी, सीआईएसएफ द्वारा नियमित जाँच की जाती है। तदनुसार कमांडेंट सीआईएसएफ के साथ नियमित बैठक की जाती हैं।

च) अवैध खनन की स्थिति की समीक्षा हेतु आसनसोल अनुमंडल के लिए सुरक्षा समन्वय समिति का गठन करने का संकल्प लिया गया है।

छ) न्यायालय में लंबित मामलो के तर्कपूर्ण समाधान के लिए ईसीएल ने वकील नियुक्त किया है।

ज) न्यायालय में लंवित मामलों मे तेजी से निपटारा के लिए नियम पालन तथा लोवर कोर्ट के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साथ विचार विमर्श किया गया।

कोयले चोरी को रोकने / कम करने के लिए उठाए गए कदम :

क. कोयले की चोरी को रोकने के लिए सीआईएसएफ कर्मी/निजी सुरक्षा कर्मी के साथ ईसीएल सुरक्षा कर्मियों द्वारा आकस्मिक जाँच/छापे किये गए। जाँच/छापे के दौरान, कोयले की जब्ती, शरारती तत्वों की गिरफ्तारी तथा स्थानीय पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करायी गई।

ख. साईडिंग से रेलवे धर्मकाँटा तक कोयला से भरे रेक का अनुरक्षण सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों द्वारा किया जाता है।

ग. 01 सितम्बर 2011 से आगे आसनसोल–दुर्गापुर में कमीशन दर लागू करने के बाद कोयला चोरी की गतिविधियों को रोकने में सुधार आया है। सीआईएसएप एवं ईसीएल सुरक्षाकर्मियों के साथ कमीशन रेट अधिकारियों ने विभिन्न कदम उठाए है जिसके परिणामस्वरूप ईसीएल के पश्चिम बंगाल क्षेत्र में कोयला चोरी की गतिविधियाँ कम हुई हैं।

घ. न्यायालयों में लंबित मामलों में पैखी के लिए ईसीएल ने पैनल वकीलों को काम पर लगाया है जो समी मामलों के शीघ्र तार्किक निपटारे के लिए पब्लिक प्रोसीक्यूटर के साथ सलाह मसवरा करेंगे।

क) **ईसीएल सुरक्षा कर्मी, सीआईएसएफ एवं स्थानीय पुलिस द्वारा अवैध कोयला तस्करी एवं अवैध कोयला खनन से जब्ती का विवरण :**

वर्ष	राज्य	छापों की संख्या	जब्त कोयला (टन)	जब्त वाहन	व्यक्तियों की गिरफ्तारी	दायर किये गये एफ़आईआर
अवैध तस्करी से कोयला जब्ती						
2016-17	पश्चिम बंगाल	1176	7804.76	54	70	241
	झारखण्ड	493	3500.66	02	06	35
	कुल	1669	11305.42	56	76	276
2015-16	कुल	917	7640.00	46	42	134
	अंतर	752	3665.42	10	34	142
ईसीएल सुरक्षा कर्मी, सीआईएसएफ तथा स्थानीय पुलिस द्वारा अवैध खनित कोयला की जब्ती						
2015-16	पश्चिम बंगाल	573	973.90	7	–	8
	झारखण्ड	107	285.50	–	–	6
	कुल	680	1259.40	7	–	14
2014-15	कुल	293	110.77	–	–	17
	अंतर	387	1148.63	7	–	–3

ख) डोजिंग/सीलिंग/अवैध खनन स्थलों की फीलिंग के दौरान ईसीएल के लीज होल्ड एवं लीज होल्ड के बाहर डोजिंग स्थल पर ईसीएल सुरक्षा कर्मी को भी तैनात किया गया। वर्ष 2016-17 के दौरान निम्नलिखित डोजिंग/सीलिंग का कार्य अवैध खनन को रोकने के लिए किया गया।

वर्ष	राज्य	डोज्ड साइट	उपयोग की गई मात्रा (लाख घन)	खपित (लगभाग) (₹ लाख में)	स्थानीय पुलिस स्टेशन को भेजे गई एफआईआर/सूचना
2016-17	पश्चिम बंगाल	550	193.05	31.45	08
	झारखण्ड	106	–	–	08
	कुल	656	193.05	31.45	16

अवैध खनन को रोकने एवं कोयले की चोरी जैसी प्रवृत्ति को बंद करने के उद्देश्य से राज्य सरकार सक्रिय रूप से प्रयत्नशील है।

ग) **अन्य सामग्रियों की चोरी/वसूली**

वर्ष	2016-17	2015-16	अंतर (वृद्धि/कमी)
घटनाओं की संख्या	73	60	13
एफआईआर/सूचना की संख्या	24	60	–36
चोरी की गई संपत्ति (₹ में)	709423.44	1858378	–1148954.56
वसूली की गई संपत्ति (₹ में)	281300	151155	130145
पकड़े गए अपराधी	2	–	2

21.0 बाह्य स्रोत के खुली खदान पैच :

वर्ष 2016-17 में कंपनी ने 40 बाह्य स्रोत की खुली खदान पैचों से 238.38 लाख टन कोयला उत्पादन किया एवं 1005.62 लाख घनमीटर अधिभार हटाया। जिसमें 39.30 की वृद्धि कोयला उत्पादन के तथा 13.99% की वृद्धि अधिभार हटाने में गतवर्ष के आधार पर हुई जबकि गत वर्ष 31 बाहरी स्रोत के खुली खान पैचों से 171.12 लाख टन कोयला उत्पादन किया गया था तथा 882.20 लाख घनमीटर ओवरवर्डन निकला गया।

22.0 कंपनी अभिशासन :

कंपनी अभिशासन वह प्रक्रिया है जिसके तहत शेयरधारकों एवं सामाजिक अपेक्षाओं के मुलाकात से मिला जाता है। यह एक प्रतिबद्धता है जिसके तहत शेयरधारकों की मौलिक विश्वास को बढ़ाया जाता है, कार्य में पारदर्शिता, संगठन के सभी घटकों के बीच अपनी विश्वास मूल्यों को बढ़ाया जाता है। कंपनी अभिशासन एक ऐसा अनुशासन है जो बोर्ड, प्रबंधन तथा कर्मचारियों को अंशधारकों के हितों में कार्य करने हेतु मार्गदर्शन करता है। इसमें एक रचनात्मक, सकारात्मक सोच एवं गतिविधि शामिल है जो विभिन्न अंशधारकों के मूल्यों को बढ़ावा देता है।

ईसीएल सभी क्षेत्रों के संचालन, सभी अंशधारकों की बैठक, शेयरधारकों के मूल्यों बढ़ावा देने, सभी अंशधारकों को समय पर सभी सामग्रियों की सूचना समय पर देने में पूरी पारदर्शिता एवं जवाबदेही पूर्ण कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। जोखिम कम करने एवं भूमि के कानून के अनुपालन, रणनीति कार्यान्वयन में कंपनी को मार्गदर्शक प्रदान करने के लिए कंपनी के पास एक ठोस पद्धति है।

हमारी कंपनी में कंपनी अभिशासन की धारणा यह है कि दक्षता एवं विकास के सुधार में कंपनी अभिशासन की अहम भूमिका है। इसके साथ ही निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने में सहायक है। यह धारणा निम्नलिखित है :

एक कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में कंपनी बेहतर कॉर्पोरेट पद्धति, अंतःकरण पर आधारित, सादगी, निष्पक्ष, व्यवसायिकता तथा विभिन्न अंशधारकों में विश्वास उत्पन्न करने की जवाबदेही एवं दीर्घावधि सफलता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

आपकी कंपनी के कंपनी अधिशासन पर एक प्रतिवेदन अनुलग्नक–VI में रखा गया है तथा 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी द्वारा कंपनी अभिशासन के अनुपालन के संबंध में लेखा परीक्षकों से प्रमाणीकरण भी अनुलग्नक–VII में दिया गया है।

23.0 अभिस्वीकृति :

आपके निदेशकगण भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, पश्चिम बंगाल सरकार, झारखण्ड सरकार एवं कोल इंडिया लिमिटेड को पूरे वर्ष मूल्यवान निर्देशन एवं सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। वे कंपनी के कर्मचारियों को भी धन्यवाद देते है जिन्होंने पूरे मन से कंपनी के हित में कार्य किया। वे सभी मजदूर संगठनों को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने दिन–प्रतिदिन प्रबंधन को अपना सहयोग प्रदान किया है। वे पूरी तरह आश्वस्त है कि कंपनी के सभी स्तर के कर्मीगण आगामी वर्षों में कंपनी के निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए कठिन परिश्रम करते रहेंगे ताकि कंपनी अपनी बीमार अवस्था से खुद का स्वास्थ्य लाभ कर सके एवं बीआईएफआर से मुक्ति पाकर लाभ कमा सके।

आपके निदेशकगण वैधानिक लेखा परीक्षक, कर लेखा परीक्षक तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कर लेखा परीक्षकों, समवर्ती लेखा परीक्षकों, कंपनी रजिस्ट्रार, पश्चिम बंगाल सरकार तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भी उनके द्वारा दिए गए

सहयोग और निर्देश के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके निदेशकगण उन उपभोक्ताओं को भी धन्यवाद देते है जिन्होंने कंपनी को संरक्षण प्रदान किया।

इस प्रतिवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न है :

i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी।

ii) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुभाग 204(1) के अनुसार कंपनी सचिव द्वारा दिये गए फॉर्म सं एमआर–3 में सचिवालयीन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (अनुलग्नक–VIII)।

iii) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुभाग 92(3) के अनुसार 31.03.2014 को समाप्त वित्त–वर्ष के अनुसार फॉर्म सं एमजीटी–9 में वार्षिक प्रतिवेदन का निष्कर्ष (अनुलग्नक–IX)।

iv) विदेशी मुद्रा में आय एवं खर्च (अनुलग्नक–X)

v) कंपनी के अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का विवरण (अनुलग्नक – XI)

vi) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(2) एवं 134(3)(एफ़) के तहत निदेशक के प्रतिवेदन का अनुशेष जिसमें वैधानिक लेखा परीक्षकों का प्रतिवदेन एवं प्रबंधन का उत्तर शामिल है।

निदेशक मंडल की ओर से तथा के लिए

सांकतोड़िया,
दिनांक : 24th July, 2017

(सुब्रत चक्रवर्ती)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

3.3.1. 31.03.2017 को गतिमान अनुसंधान तथा विकास परियोजना का स्थिति :

क्रम. सं.	परियोजना का नाम	वित्तीय परिव्यय (₹लाख में)	चालू होने की तिथि	समाप्ति की संशोधित/ अनुसूचित तिथि	प्रगतिशील संवितरण (₹लाख में)	विवरण
1	भूमिगत खान में फँसे खनिकों की जाँच प्रणाली परियोजना कोड– CIL/R&D/1/35/10 कार्यान्वयन एजेंसी: टीसीएस, सीएमसी एवं सीएमपीडीआईएल (एमई), राँची	489.70	15 जनवरी, 2010	मार्च, 2015	447.98	एपेक्स कॅमिटी की सलाह के अनुसार टीसीएस / सीएमसी तथा सीएमपीडीआई परियोजना अधिकारी 09.01.2015 को डीजीएमएस के निदेशक (एस तथा टी) से मिले एवं परियोजना की अद्यदन स्थिति से उन्हें अवगत कराया। साथ ही, उन्होंने परियोजना की आगे की प्रगति में होने वाली समस्याओं एवं कठिनाइयों पर भी चर्चा की। एमएफ़ रीपीटर की जाँच के संबंध में, निदेशक (एस व टी), डीजीएमएस ने कहा कि यदि टीसीएस/सीएमसी आईएस हेतु उत्पादक देश की किसी मान्य प्रयोगशाला की जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो डीजीएमएस 07.01.2015 से प्रभावी अपने नये दिशानिर्देशों के आधार पर स्वीकृति नीति (खंड संख्या : 6.2) पर इसके जमीनी परीक्षण हेतु अनुमति प्रदान करने पर विचार कर सकती है। टीसीएस/सीएमसी टीम ने डीजीएमएस को आश्वस्त किया कि तकनीकी स्टेकहोल्डरों (कुट्टा ड्रम 100 आर मैनुफैक्चरर्स) के साथ विचार करने के बाद वे परियोजना के लिए उचित समाधान हेतु डीजीएमएस के पास वापस आएँगे। वहीं, एमसीडी (वाई–फ़ाई डोंगल), वाई–फ़ाई एक्सेस पॉइंट एंटीना एवं वीएचएफ़ मोटोरोला सेट्स जैसी अन्य सह–पद्धतियों के जमीनी परीक्षण की अनुमति के संबंध में निदेशक (एस व टी), डीजीएमएस ने कहा कि वे डीजीएमएस के अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ इस मामले पर चर्चा करेंगे एवं समुचित समाधान खोज निकालने का प्रयास करेंगे। कुट्टा ड्रम 100 आर मैनुफैक्चरर्स, यूएसए से टीसीएस को कुछ कागजात प्राप्त हुए हैं।कागजातों को इकट्ठा करने के पश्चात टीसीएस/सीएमसी ने इन्हें जमीनी परीक्षण की अनुमति के लिए डीजीएमएस के समक्ष

क्रम. सं.	परियोजना का नाम	वित्तीय परिव्यय (₹लाख में)	चालू होने की तिथि	समाप्ति की संशोधित/ अनुसूचित तिथि	प्रगतिशील संवितरण (₹लाख में)	विवरण
						प्रस्तुत किया। डीजीएमएस की ओर से अनुमति मिलना शेष है। सीएमपीडीआई, ईसीएल मुख्यालय तथा टीसीएस/सीएमसी के अधिकारियों की एक टीम ने ईसीएल के झांझरा खदान का दौरा किया एवं पाया कि भूमिगत खदानों में एमएफ़ रेडियो सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। टीम ने हस्ताक्षरित कागजात कार्य सूची में शामिल किया है। 03 अक्टूबर, 2015 को आयोजित बोर्ड की मीटिंग में इस परियोजना की स्थिति की पुनः समीक्षा की गई। बोर्ड को बताया गया कि टीसीएस द्वारा प्रस्तुत कागजातों की जाँच डीजीएमएस कर रहा है एवं एमएफ़ रिपीटर के जमीनी परीक्षण की अनुमति जल्द ही दे दी जाएगी। डीजीएमएस धनबाद में 11.08.2016 में सम्पन्न बैठक में यह निर्णय लिया गया कि झांझरा के माइन प्लान में सुरक्षित जोन की पहचान जैसे कुछ दस्तावेज/कागजात जिनमें विष्फोटक लगाने के लिए सामान्य रूट जो काफी दूर है। भूमिगत क्षेत्र में 110 वोल्ट की आपूर्ति करने वाला वर्तमान ट्रांन्सफर्मर इत्यादि को डीजीएमएस में जमा करने के लिए ईसीएल की झांझरा खान के अधिकारियों द्वारा तैयार कराया जाना चाहिए। उपरोक्त दस्तावेजों के तैयार हो जाने के बाद परियोजना के अधीन विकसित कलोजिट सिस्टम की जांच के लिए अनुमति हेड सर्वेयर तथा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की उपस्थिति में डीजीएमएस में एक बैठक की जाएगी। डीजीएमएस द्वारा अपेक्षित दस्तावेज तैयार करके दिसम्बर 2016 के अंतिम सप्ताह में डीजीएमएस की स्वीकृति के लिए जमा कर दिया गया है। डीजीएमएस से सीवकृति की प्रतीक्षा की जा रही है।

क्रम. सं.	परियोजना का नाम	वित्तीय परिव्यय (₹ लाख में)	चालू होने की तिथि	समाप्ति की संशोधित/ अनुसूचित तिथि	प्रगतिशील संवितरण (₹ लाख में)	विवरण
2	कुशल उर्जा प्रबंधन हेतु प्रायोगिक अध्ययन तथा कार्य योजना पर अनुसंधान एवं विकास परियोजना कोड: CIL/R&D/1/55/13. कार्यान्वयन एजेंसी: आईआईएस डब्ल्यूबीएम, कोलकाता एवं डीएफआईसी मनेजमेंट कंसल्टेंट प्रा. लि., कोलकाता	66.19	मार्च, 2013	मई, 2014	64.70	परियोजना पूरी की गई। ऊर्जा दक्षता के प्रदर्शन सूचक की एक कंप्यूटरी कृत मॉनिटरिंग एवं रेपोर्टिंग पद्धति ऊर्जा (डीजल एवं विद्युत होंगे) खपत से संबंधित सभी आवश्यक विवरण जुटाने तथा उपयोग में आनेवाली प्रत्येक प्रक्रिया उपकरण से जुड़े प्रदर्शन मानको के विवरण जुटाने में सहायक होंगे।
3.	भूमिगत खनन मशीनों के ट्रेलिंग केबलों के लिए रबर कम्पाउन्ड एवं मरम्मत तकनीक का विकास परियोजना कोड: CIL/R&D/1/54/2013 कार्यान्वयन एजेंसी: आईआईटी, खड़गपुर तथा ईसीएल	204.07	मार्च, 2013	फरवरी, 2016	202.65	परियोजना पूरी हो चुकी है एवं रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है तथा परियोजना के तहत, अब तक, ईसीएल की पटमोहना कोलियरी से संग्रहित 25 वर्ग मिलीमीटर व्यास तथा 70 मीटर लंबाई के एक अनुगामी तार की आईआईटी, खड़गपुर द्वारा विकसित रबड़ कम्पाउन्ड के से मरम्मत का काम पूरा कर लिया गया तथा तार को कोलियरी में वापस आपूर्ति करने के पहले विभिन्न प्रकार के आवश्यक जाँच कर लिए गए। जे के रोपवेज़ से संग्रहित 55 वर्ग मिलीमीटर व्यास तथा 125 मीटर लंबाई के एक अन्य क्षतिग्रस्त अनुगामी तार की भी मरम्मत नव–विकसित रबड़ से की गयी। तार का उच्च वोल्टेज परीक्षण किया गया तथा कमजोर एवं दोषपूर्ण हिस्सों को हटा दिया गया और मजबूत हिस्सों को जोड़ दिया गया। जनवरी, 2015 में आईआईटी, खड़गपुर को ईसीएल से 561 मीटर क्षतिग्रस्त अनुगामी तार प्राप्त हुआ जिनकी मरम्मत कर उनके जमीनी परीक्षण के लिए ईसीएल को वापस भेज दिया गया है। क्षतिग्रस्त तारों की मरम्मत के पश्चात आईआईटी, खड़गपुर ने इनके जमीनी परीक्षण के लिए इन्हं ईसीएल के खदानों में भेज दिया है। इन तारों के प्रदर्शन पर निगरानी रखी जा रही है एवं तभी अंतिम निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकेगा।

क्रम. सं.	परियोजना का नाम	वित्तीय परिव्यय (₹ लाख में)	चालू होने की तिथि	समाप्ति की संशोधित/ अनुसूचित तिथि	प्रगतिशील संवितरण (₹ लाख में)	विवरण
4	रानीगंज कोयलांचल के मोटे सीमों में सुरक्षित परिसमापन की पद्धति खोजने के लिए : ईसीएल की खोट्टाडीह कोलियरी में डिजाइन और विकास तथा प्रदर्शन प्रदर्शनात्मक परीक्षण	41.066	जुलाई, 2014	जून, 2016	30.00 सीआईएमएफ़आर -10.00 ईसीएल–20.00	परियोजना पूरी कर ली गई तथा रिपोर्ट तैयार की जा रही है। i) ईसीएल के खोट्टाडीह के सब पैनल बी2ए तथा बी2बी को निकालने की स्वीकृति डीजीएमएस द्वारा दे दी गई। शर्त यह है कि सीआईएमएफआर द्वारा जियो टेक्निकल तथा वातावरणीय मानीटरिंग के अनुकूल स्ट्राटा मॉनीटरिंग किया जाता रहे। ii) रिमोर्ट कनवर्जेंस इंडिकेटर स्ट्रेटमीटर लोड सेल तथा इंसट्रूमेंटेड रॉक बोल्ट जैसे जियो टेक्निकल कर्म उपकरण पैनल वी–2 (सब पैनल ए) में डिपिलरिंग के दौरान स्थापित गिए गए तथा परिणाम देखा गया। विश्लेषण 'मैन फॉल' से संबंधित अस्थायी है। सलेस के अतिरिक्त सुरक्षित डिपिलारिंग संचालन के लिए खतरनाक होने वाले स्ट्रेस में बड़े परिवर्तन दिखाई नहीं दिए। बी2ए पैनल की वर्किंग में इसे लागू करने के अनुभव के बाद बी2बी पैनल में स्मूथ तथा रेगुलटर के केभिंग हासिल किया गया। iii) प्रोलंग्ड असेसमेंट सहित पैनलो के निष्काशन के लिए टेन्डेम अप्रोच – (क) रिब स्टैविलटी नियंत्रित केभिंग, स्ट्राटा मानीटारिंग तथा प्रबन्धक एवं सुरक्षित लिक्यूडेशन पद्धति सतह नियंत्रण सहित पहलू तथा (ख) स्वत: ज्वलन / आग लगने के लक्षण संबंधित पहलू की जांच, के साथ साथ इसे फेस्टर से रोकने के लिए सुधारात्मक उपा को लागू करना। iv) सीम के लिए फायर लैंडर विकसित किया गया है जो आग लगने से पहले ही इसकी सम्भावना को पता लगाने में मदद करता है।

3.3.2. 31 मार्च, 2017 तक चालू विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विवरण :

क्रम. सं.	परियोजना का नाम (कोड के साथ)	वित्तीय परिव्यय (₹लाख में)	चालू होने की तिथि	समाप्ति की संशोधित/ अनुसूचित तिथि	प्रगतिशील संवितरण (₹लाख में)	विवरण
1	भूमिगत कोयला खदानों के लिए टेलि–रोबॉटिक एवं दूरस्थ संचालन तकनीक का विकास– –एमटी(ईओआई)/162. कार्यान्वयन एजेंसी: सीएमईआरआई, दुर्गापुर; सीआईएमएफआर, धनबाद एवं सीएमपीडीआईएल, राँची	440.12 सीएमईआरआई हेतु 251.57 सीआईएमएफआर हेतु 125.55 सीएमपीडीआईएल हेतु 63.00	सितम्बर, 2012	अगस्त, 2016	373.00 सीएमईआरआई – 235.00 सीआईएमएफआर – 75.00 सीएमपीडीआईएल– 63.00	प्रोजेक्ट पूर्णता प्रतिवेदन का ड्राफ्ट जमा कर दिया गया है। रोबोट का प्रस्तावित मॉडेल सीएमईआरआई, दुर्गापुर द्वारा तैयार किया जा चुका है तथा प्रयोगशाला स्तर पर इसका ट्रायल भी हो चुका है। इसका जमीनी परीक्षण ईसीएल के खोट्टाडीह खदान में किया गया। हालांकि, रोबोट की डिजाइन में आवश्यक संशोधन के पश्चात इसके आगे का जमीनी परीक्षण किया जाएगा।
2	विस्फोट प्रारूपण एवं विखंडन नियंत्रण उत्पादकता की –चाभी मि.ट/162. कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी : सीआईएमएफ़आर, धनबाद	303.86	जनवरी, 2013	जून, 2016	250.00	सीआईएफआर द्वारा प्रोजेक्ट पूर्णता प्रतिवेदन का ड्राफ्ट जमा कर दिया गया है। निगाही परियोजना, एनसीएल, कुसमुंडा ओसीपी, एसईसीएल, समलेश्वरी ओसीपी, एमसीएल तथा सोनपुर बजारी परियोजना, ईसीएल में जमीनी जाँच की गयी। चट्टान विखंडन पर प्रत्येक विस्फोट के लिए विस्फोट प्रारूपण आयामों का प्रभाव तथा प्रत्येक विस्फोट के लिए वितरण प्रणाली का अध्ययन किया गया। डबल्यूआईपीएफ़आरएजी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके विखंडित आकार का विश्लेषण किया गया।
3	दामोदर बेसिन ऑफ इंडिया के शेल गैस की क्षमता जाँच सीई(ईओआइ)/30 कार्यान्वयन एजेंसी: एनजीआरआई, हैदराबाद, सीआईएमएफ़आर, धनबाद तथा सीएमपीडीआईएल, राँची	2038.09 एनजीआरआई हेतु -813.84 सीआईएमएफ़आर हेतु– -169.95 सीएमपीडीआईएल हेतु -1054.30	दिसंबर, 2012	मई, 2017	1166.87 एनजीआरआई - 660.00 सीआईएमएफ़आर – 140.00 सीएमपीडीआईएल - 366.87	रानीगंज कोयलांचल के रंगामाटी बी ब्लॉक तथा वेस्टर्न झरिया कोयलांचल को 3 डी सिस्मिक सर्वेक्षण हेतु समुचित स्थान के रूप में चयन किया गया है। संगृहीत नमूनों के पेट्रोग्राफिक विश्लेषण, एडज़ोरप्शन आइसोथर्म जाँच, प्रोक्सिमेट विश्लेषण आदि सीआईएमएफ़आर, धनबाद तथा एनजीआरआई, हैदराबाद में किये गये। दुर्गापुर के निकट रंगामाटी बी ब्लॉक में एनजीआरआई, हैदराबाद द्वारा 3 डी सिस्मिक सर्वेक्षण हाल ही में आरंभ किया गया।

अनुलग्नक - III

3.14 परियोजना मॉनीटरिंग एवं ऑनगोइंग परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति :

क्रम. सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मि टन प्रति वर्ष)	पूँजी (₹ करोड़ में)	स्वीकृति की तारीख	पूर्णता की अनुसूचित तिथि	पूर्णता की अनूमोदित अवधि	कार्यान्वयन की स्थिति
1	राजमहल विस्तार खुली खान	1.50	153.82	सितम्बर 2009	मार्च 2014	दिसम्बर 2014	प्राप्त उत्पादन : 2013-14 :14.34 मि. टन 2014-15 :15.91 मि. टन 2015-16 :15.55 मि. टन 2016-17 :14.43 मि. टन पूर्णता प्रतिवेदन स्वीकृति के अधीन है।
2	सोनपुर बजारी संयुक्त	8.00	1055.05	आगस्त 2012	मार्च 2018	सितम्बर 2018	प्राप्त उत्पादन : 2013-14 :6.40 मि. टन 2014-15 :6.41 मि. टन 2015-16 :6.20 मि. टन 2016-17 :8.92 मि. टन रेलवे साइडिंग का निर्माण तथा राष्ट्रीय राजपथ का विपधन प्रगति पर है
3	हुरा सी खुली खान	3.00	359.69	अक्टूवर 2015	मार्च 2022	मार्च 2022	वन विभाग की सहमति स्टेज–II तथा भूमि पर कब्जा का काम प्रगति पर है।
4	झांझरा संयुक्त पीआर	3.50	602.86	नवम्बर 2015	मार्च 2022	मार्च 2022	2016-17 के प्राप्त उत्पादन 2.44 मिलियन टन।
5	न्यू केन्दा ओसीपी	1.20	127.72	नवम्बर 2014	मार्च 2019	मार्च 2019	भूमि पर कब्जा तथा पुनर्वास प्रगति पर है। नवम्बर 2016 में ओवरवर्डन हटाने का काम आरम्भ हुआ।
6	कुमारडीह बी सीएम भूमिगत	1.02	117.91	मई 2014	मार्च 2023	मार्च 2023	क) इन्क्लाइन ने । तथा II के लिए ड्राइवेज का काम 950 मीटर में से 102.40 मीटर पूरा। ख) सबस्टेशन भवन, मैनेजर का भवन तथा स्टोर निर्माण पूरा। ग) कर्मशाला निर्माण का काम 755% पूरा। घ) सी एम पैकेज के लिए टेण्डर 24.11.2016 को खोला गया। जाँच प्रगति पर है।
7	चित्रा ईस्ट खुली खान	2.50	112.69	अगस्त 2007	मार्च 2013	दिसम्बर 2017	वन विभाग की सहमति स्टेज–I, भूमि पर कब्जा तथा आर एण्ड आर प्रगति पर। आरसीई निर्माणाधीन है।

क्रम. सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मि टन प्रति वर्ष)	पूँजी (₹ करोड़ में)	स्वीकृति की तारीख	पूर्णता की अनुसूचित तिथि	पूर्णता की अनूमोदित अवधि	कार्यान्वयन की स्थिति
8	मोहनपुर विस्तार खुली खान	1.00	14.23	जून 2008	जून 2013	जून 2017	प्राप्त उत्पादन : 2010-11 : 0.98 मि. टन 2011-12 : 1.39 मि. टन 2012-13 : 1.07 मि. टन 2013-14 : 0.84 मि. टन 2014-15 : 0.30 मि. टन 2015-16 : 0.81 मि. टन 2016-17 : 0.99 मि. टन भूमि पर कब्जा तथा आर एण्ड आर गतिविधियाँ प्रगति पर है।
9	खोट्टाडीह कन्टीन्युअस माइनर भूमिगत	0.60	127.17	मई 2015	मार्च 2016	दिसम्बर 2018	इन्क्लाइन चलाने का काम पूरा हुआ। खनन विकास के अन्य कार्य प्रगति पर है। सीएम पैकेज के लिए टीसीआर स्वीकृति के अधीन है।
10	खोट्टाडीह ओसीपी के लिए आर सी ई	1.50	60.10	फरवरी 2015	मार्च 2017	सितम्बर 2017	प्राप्त उत्पादन : 2012-13 : 1.50 मि. टन 2013-14 : 1.70 मि. टन 2014-15 : 2.04 मि. टन 2015-16 : 1.80 मि. टन 2016-17 : 0.84 मि. टन खोट्टाडीं विस्तार (1.60 मिलियन टन वार्षिक) की स्वीकृति प्रक्रिया के अधीन है।
11	नारायणकुड़ी भूमिगत	0.54	149.06	फरवरी 2009	मार्च 2015	परियोजना प्रतिवेदन पुनर्लेखन में	परियोजना प्रतिवेदन पुनर्लेखन में
12	सिदुली भूमिगत	0.30	54.99	दिसम्बर 2006	मार्च 2015	परियोजना प्रतिवेदन पुनर्लेखन में	परियोजना प्रतिवेदन पुनर्लेखन में
13	नवकाजोड़ा माधवपुर भूमिगत	0.30	56.14	दिसम्बर 2006	मार्च 2015	परियोजना प्रतिवेदन पुनर्लेखन में	परियोजना प्रतिवेदन पुनर्लेखन में
14	खोद्रा एन के जे	0.285	18.81	जुलाई 2003	मार्च 2009	परियोजना प्रतिवेदन पुनर्लेखन में	परियोजना प्रतिवेदन पुनर्लेखन में

क्रम. सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मि टन प्रति वर्ष)	पूँजी (₹ करोड़ में)	स्वीकृति की तारीख	पूर्णता की अनुसूचित तिथि	पूर्णता की अनूमोदित अवधि	कार्यान्वयन की स्थिति
15	परासिया दोबराना भूमिगत	0.16	11.89	फरवरी 2004	मार्च 2009	परियोजना प्रतिवेदन पुनर्लेखन में	परियोजना प्रतिवेदन पुनर्लेखन में
16	बेलबाद भूमिगत	0.36	69.01	फरवरी 2009	मार्च 2014	परियोजना प्रतिवेदन पुनर्लेखन में	परियोजना प्रतिवेदन पुनर्लेखन में
17	बंकोला आर VI	0.24	14.14	मार्च 2003	मार्च 2009	परियोजना प्रतिवेदन पुनर्लेखन में	परियोजना प्रतिवेदन पुनर्लेखन में

अनुलग्नक :– IV

प्रबंधन का विचार–विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट 2016-2017

भारतीय अर्थव्यवस्था का अवलोकन :

समान विद्युत क्रय शक्ति के आधार पर, अनुमानित जीडीपी के साथ संयुक्त राष्ट्र और चीन के बाद भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था है। अधिकतम उपभोक्ता संतुष्टि के साथ गुणवत्ता उत्थान के लगातार प्रयान खान सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने तथा प्रभावशाली खान सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने तथा प्रभावशाली खनन द्वारा खानों की संभाव्यता में सुधार के द्वारा लागत प्रभावशालिता प्राप्त करने के लिए मंत्रालय कोयला क्षेत्र पर, दबाव बनाए हुए है। कोयला भारत के एक प्रमुख इधनों में से एक हो तथा भविष्य में भी भारत के उर्जा सुरक्षा के लिए प्रमुख इंधन बना रहेगा।

भारतीय कोयला उधोग और भंडार :

अप्रैल, 2016 को, भारतीय कोयले का अनुमानित भूगर्भीय स्रोत 1200 मीटर की गहराई तक 308.80 बिलियन टन था (स्रोत : जीएसआई, भारत सरकार). भारत में, कोयले की उपलब्धता एवं सस्ता होने के कारण, यह ताप विद्युत संयंत्रों के लिए मुख्य ईंधन है।

परिचय :

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का सामान्य परिचय :

कोल इंडिया के एक सहायक के रूप में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की शुरूआत 01 नवंबर, 1975 को हुई थी जिसके अन्तर्गत कोयला खनन प्राधिकरण लिमिटेड के पूर्वी संविभाग के साथ 414 खदानों को शामिल किया गया था तथा उसी दिन से कंपनी ने अपने व्यावसायिक परिचालन की शुरूआत कर दी। इसका परिचालन पश्चिम बंगाल व झारखंड राज्य में होता है।वर्तमान में, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में कुल 14 परिचालन क्षेत्र, 87 चालू खदान हैं जिनमें से 60 भूमिगत खदान, 19 खुली खदान तथा 8 मिश्रित खदान हैं। 01.04.2016 के अनुसार, पश्चिम बंगाल में 31.52 बिलियन टन तथा झारखंड में 18.56 बिलियन टन (कुल 50.24 बिलियन टन) कोयले के रिज़र्व के साथ ईसीएल भारत में सर्वोत्तम गुणात्मकता वाला कोयला उत्पादन करने वाली कंपनियों में से एक है।

मजबूती और कमजोरी :

प्रतिस्पर्धात्मक बल :

क. ईसीएल कमान क्षेत्र में पश्चिम बंगाल राज्य के अंतर्गत कुल 31.52 बिलियन टन कोयले का भूगर्भीय भंडार है जिसमें से 13.60 बिलियन टन सिद्ध श्रेणी में आता है। ईसीएल में रानीगंज में 20% से कम ऐश कंटेन्ट सहित प्रीमियम श्रेणी के ग्रेड का कोयला है। इस कोयले का मिश्रण, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, अन्य अनुषंगी कंपनियों से मिले उच्च राख़ वाले कोयले के साथ किया जा सकता है।

ख. झारखंड राज्य में 01.04.2016 (जीएसआई के अनुसार) तक 600 मीटर नीचे से लगभग 18.56 बिलियन टन निम्न श्रेणी के कोयले का उत्पादन आरक्षित था जिसमें कि खुले खदान बनाकर आसानी से कोयला निकालने का स्कोप है।

ग. कर्मचारी कठिन परिस्थितियों में भी काम करते हैं।

घ. ईसीएल के खदान राष्ट्रीय राजमार्ग तथा रेलवे कॉरीडोर के आसपास स्थित हैं जिससे कोयले के निकास में सुविधा होती है।

ङ. ईसीएल के खदानों के कोयला 6700 किलो कैलरी प्रति किलो ग्राम / से 3400 किलो कैलरी प्रति किलो ग्राम का सकल ताप मूल्य (जी 3–जी 13) तक के रेंज का होता है जिससे इसके उपभोक्ता मिलने में आसानी होती है।

कमजोरीयाँ :

क. रानीगंज में कोयले की खदान की शुरूआत लगभग 150 वर्ष पहले हुई थी। अभी भी कंपनी छोटे खदानों के पुराने लिगेसी , पुराने पवन चक्की, जो कि अपनी क्षमता से 50% तक ही काम करती है, के साथ चल रही है।

ख. जैविक खदान की परिस्थिति काफी कठिन है।

ग. जनसंख्या का घनत्व अधिक होने के कारण भूमि की कमी है।

घ. कोयला क्षेत्र के आसपास बड़ी–बड़ी बिल्डिंग है जो कि खुले खदान को प्रभावित करती हैं।

ङ. बड़ी पम्पिंग व रेत का क्षेत्र।

च. निचली सीमों में व्यापक उत्पादन तकनीक को प्रस्तुत करने में ऊपरी वाटर–लॉग्ड सीम बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।

अवसर और चुनौतियां :

अवसर :

क. ई–मार्केटिंग के माध्यम से कोयले का मूल्य बढ़ना ।

ख. अवैध खनन को रोकने के लिए छोटे ओसी पैचों में कार्यरत संसाधन।

ग. केन्द्रीय व्यापार संगठन से उत्पादन व उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए सकारात्मक सहयोग प्राप्त होना।

घ. समस्याओं के समाधान हेतु राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों से मिलने वाले सहयोग में वृद्धि।

ङ. ईसीएल में प्रथम बार हाईवाल माइनिंग तकनीक की प्रस्तुति।

च. अतिरिक्त राजस्व उत्पादन के लिए ईसरएल के अधिकार क्षेत्र में पहलीबार कोलवे बेड मीथेन (सीबीएम) कोल माईन मिथेन (सीएमएम) तथा गैसीफिकेशन का अन्वेषण तथा दो इन रिगरबवायर माडलिंग तथा टेक्नो इकोनामी व्यवहार्यता अध्ययन प्रगति पर है।

चुनौतियाँ :

क. गाँववालों की ओर से ज़मीन अधीग्रहण का विरोध एवं कंपनी नियमों के अतिरिक्त माँगों की प्रस्तुति।

ख. अव्यवहार्य भूमिगत खदानों को बंद करने का विरोध।

ग. व्यापक उत्पादन तकनीक तथा ओसी के विस्तार के लिए भूमि की पहचान।

घ. राज्य की वित्तीय स्थिति बिगड़ने के कारण आगत समस्याएँ।

व्यवसाय रणनीति :

क. उत्पादन को निरंतर बढ़ाते रहना , उत्पादन क्षमता और भारतवर्ष में कोयले की मांग और आपूर्ति के अंतर को दूर करना।

ख. उच्च श्रेणी को कोयले और ई–एक्यूशन कोयले की विक्रय को सुधारने का प्रयास करना।

ग. परिचालन क्षमता को सुधार कर और नियंत्रित करके लाभ को बढ़ाना और प्रतिस्पर्धा को व्यवस्थित करना।

घ. विस्तृत अन्वेषण के बाद आरक्षित क्षेत्र को बढ़ाने को जारी रखना।

ङ. पर्यावरणपरक और समाजपरक परिचालन के विकास पर ध्यान केन्द्रित करना।

च. सक्रिय विचार–विमर्श के तहत कोल बेड मीथेन का अन्वेषन एवं उसका दोहन।

उत्पादन :

विवरण	2016-17	2014-15
ओसीपी–कोयला(एमटी)	32.391	32.880
भूमिगत कोयला(एमटी)	8.127	7.329
कुल	40.517	40.209
वृद्धि %	0.77	0.51
ओबीआर–(एमसीयूएम)	124.53	119.22
वृद्धि %	4.45	26.77

विभागवार या उत्पादनवार कार्यनिष्पादन :

(मिलियन टन में)

विवरण	2016-17	%	2015-16	%	वृद्धि (%)
एफएसए के अन्तर्गत बाहर से वितरण	38.283	88.99	34.470	89.28	7.85
ई–नीलामी	2.190	5.09	1.827	4.73	–3.30
एमओयू–प्रीमियम मूल्य के अन्तर्गत प्रेषण	–	–	1.313	3.40	–69.11
एमओयू–अधिसूचित मूल्य के अन्तर्गत प्रेषण	2.264	5.26	0.667	1.73	–
अन्य	0.071	0.17	0.102	0.27	–15.37
स्वयं खपत	0.211	0.49	0.228	0.59	–9.00
कुल ऑफ़ टेक	**43.019**	**100.00**	**38.607**	**100.00**	**0.36**

हमारे ग्राहक :

ईसीएल में उत्पादित अधिकांश कोयले को जल विद्युत संयत्रों को आपूर्ति की जाती है।इसके साथ विभिन्न उद्योगों जैसे कि स्टील, सिमेंट , स्पोंज आयरन , सुरक्षा व अन्य विभिन्न उद्योगों में भी कोयले की आपूर्ति की जाती है।

परिवहन, आधारभूत संरचना और लॉजिस्टिक :

खदान से निकाले गए कोयले को वितरण स्थान तक टिपिंग ट्रक और मालवाहक वेल्ट के माध्यम से पहुँचाया जाता है। ग्राहकगण तक कोयले का वितरण रेलमार्ग, सड़कमार्ग तथा रेल एमजीआर पद्धति के माध्यम से पहुँचाया जाता है।

समस्त वितरण ईसीएल के पास उपलब्ध अपने मालवाहक या रेलवे के मालवाहक के द्वारा किया जा सकता है। ग्राहक रेलमार्ग या सड़कमार्ग में से किसी एक परिवहन के मार्ग का चयन कर सकते हैं। खदान से वितरण स्थान यदि तीन किलोमीटर की दूरी पर हो तो खदान से निर्दिष्ट वितरण स्थान तक कोयले के परिवहन में आने वाले खर्च का वहन ईसीएल के द्वारा किया जाएगा। यदि वितरण स्थान हमारे खदान से तीन {H$b mn_rQa goA{YH$V‘n20 किलोमीटर तक की दूरी पर हो तो कोयले के परिवहन में आने वाले खर्च का वहन, समय–समय सीआईएल द्वारा निर्धारित दर के आधार पर, ग्राहक को ही करना पड़ेगा।

हमारे खदानों से कच्चे कोयले के परिवहन के लिए उपयोग में आने वाले विभिन्न परिवहन मार्गों से संबंधित विवरण निम्न सारणी में दर्शाया जा रहा है :

(मिलियन टन में)

प्रेषण का माध्यम	2016-17	2015-16
रेल	29.155	26.4446
सड़क	1.464	1.6790
एमजीआर	12.188	10.2557
कुल	42.807	38.3793

कोयले का मूल्य :

वर्तमान समय में कूकिंग के लिए प्रयोग न किए जाने वाले कोयले का मूल्य 01.01.2012 से प्रभावी उसके सकल कैलोरिक मूल्य पर निर्भर करता है और कूकिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला कोयला और वैशरी श्रेणी के कोयले का मूल्य निर्धारण स्तर पर किया जाता है। सह–कूकिंग कोल का मूल्य निर्धारण अस और नमी के स्तर पर निर्भर करता है। कोयले के मूल्य का संशोधन आवक लागत, इनफिलेशन और आयात कोयले को रखवाने के खर्च के आधार पर निर्धारित किया जाता है। ग्राहक के लिए तय किए गए मूल्य में मूल और अन्य खर्चों (उपकर, रॉयल्टीज, सीमा शुल्क, विक्रय कर और अन्य) को शामिल करके किया जाता है। ईसीएल और उससे जुड़े ग्राहकों के बीच हुए दीर्घावधि ईंधन वितरण समझौते(एफएसएएस) के अन्तर्गत लगभग 90% कोयले का वितरण विक्रय किया जाता है। इसके अतिरिक्त ई नीलामी योजना के अन्तर्गत भी कोयले का विक्रय किया जाता है।

वितरण व बाजार नीति :

अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को ग्राहकों, दीर्घावधि व अल्पावधि दोनों, से प्राप्त कोयले की माँग को पूरा करने के लिए 18 अक्तूबर 2007 में एनसीडीपी जारी की गई है।

ई–नीलामी योजना :

एनसीडीपी के अन्तर्गत संस्थागत तंत्र में उपलब्ध कोयले के माध्यम से जो ग्राहक अपने कोयले की आवश्यकता को पूरा नही कर पाते हैं, ऐसे ग्राहकों को कोयला उपलब्ध कराने के लिए कोयले की ई–नीलामी योजना की शुरूआत की गई है। कोयला मंत्रालय के द्वारा समय–समय पर ई–नीलामी के अन्तर्गत ऑफर किए गए कोयले के परिमाण की समीक्षा की जाती है। ई–नीलामी योजना से ग्राहकों द्वारा अतिरिक्त कोयला उपलब्धता का भी एक विकल्प तैयार होता है।

ईंधन आपूर्ति समझौते :

एनसीडीपी के शर्त के आधार पर, कोयला कंपनी विधिक एफएसए में प्रवेश किया है जो कि ग्राहकों या राज्य सरकार के द्वारा नामित एजेंसियों से जुड़कर ग्राहकों को उचित वितरण व्यवस्था करती है। हमारी एफएसए को वृहद रूप से निम्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है :–

1. विद्युत उपयोग करने वाले क्षेत्रों जिसमें कि राज्य विद्युत उपयोग, निजी विद्युत उपयोग करने वाले क्षेत्र (पीपीएस) और स्वतंत्र विद्युत उपयोग करने वाले क्षेत्र (आईपीपीएस) के साथ एफएसए।
2. गैर विधिक उद्योगों में (कैप्टिव विद्युत संयत्र को शामिल करके) ग्राहक के साथ एफएसए।
3. राज्य के नामित एजेंसियों के साथ एफएसए।

अनुसंधान व विकास :

अनुसंधान व विकास के लिए ईसीएल को सीएमपीडीआईएल के साथ जुड़ने की आवश्यकता हुई, जो कि सीआईएल का एक प्रमुख सहयोगी है।अनुसंधान कार्य को करने के लिए सीएमपीडीआईएल एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है, राशि वितरित करती है तथा साथ ही

साथ हमारे अनुसंधान और विकास कार्यों की निगरानी भी करती है।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड तथा कोयला मंत्रालय के समझौते का ज्ञापन :

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भौतिक व वित्तीय कार्यनिष्पादन करने के लिए ईसीएल विभिन्न आयामों को सेट करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड तथा कोयला मंत्रालय के साथ एमओयू हस्ताक्षर करती है। कार्यनिष्पादन को श्रेणी 1 से 5 तक के ग्रेड में बाँटा जाता है, जिसके अन्तर्गत सर्वोत्तम के लिए ग्रेड 1 तथा निम्नतम के लिए ग्रेड 5 दिया जाता है। वर्ष 2014-15 के लिए ईसीएल को सर्वोत्तम ग्रेडिंग प्राप्त हुई है।

आंतरिक नियंत्रण पद्धति और उसकी पर्याप्तता :

व्यवसाय के सक्षम विकास के साथ–साथ,विभिन्न नियमों और विनियामकों के दैनंदिन अनुपालन में, एक कोयला उत्पादक कंपनी के रूप में, ईसीएल के आंतरिक नियंत्रण की पद्धति बहुत ठोस है।

सुचारु रूप से इसके संचालन के लिए कंपनी द्वारा विभिन्न प्रकार की नियम पुस्तिकाएँ (पर्चेज़,सिविल,फ़ाइनेंस,कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट आदि) संचालन में हैं जिनमें उन सभी दिशानिर्देशों एवं विस्तृत प्रक्रिया का विस्तार से उल्लेख है जिनकी आवश्यकता दैनंदिन कार्य–प्रणाली में पड़ती है। इनके साथ–साथ, सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर, आवश्यकता पड़ने पर, संस्था के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इन नियम–पुस्तिकाओं के साथ–साथ विभिन्न प्रकार के परिपत्र भी जारी किए जाते हैं। साथ ही, पद्धति में किसी प्रकार की चूक को दूर करने के लिए इन दिशानिर्देशों/पुस्तिकाओं में विभिन्न स्तरों पर आवश्यक जाँच तथा तुलन का भी उल्लेख है।

कोलियरी/यूनिट स्तर पर डेलीगेशन ऑफ पावर बिल्कुल व्यापक/विषद है जो सुनिश्चित करता है कि वस्तुस्थिति एवं महत्व पर निर्भर डेलीगेशन ऑफ पावर के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर ठीक ढंग से निर्णय लिए जा सकें। इस प्रकार, यहाँ निर्णय लेने की एक सहज प्रक्रिया है जो सभी महत्वपूर्ण मामलों में विभिन्न स्तरों पर समय से निर्णय लेना सुनिश्चित करता है।

यह सुनिश्चित करने के दौरान कि आवश्यक जाँच एवं तुलन यथास्थान हैं तथा सभी आंतरिक नियंत्रण पद्धतियाँ काम कर रही हैं। नियंत्रक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा तय किये गये कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कंपनी के अपने आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के समन्वय से चार्टर्ड/कॉस्ट अकाउंटेंट्स के अनुभवी फ़र्मों द्वारा साल भर निरंतर आंतरिक लेखापरीक्षा की गयी।नियंत्रकएवंमहालेखापरीक्षक अधिकारी भी विभिन्न क्षेत्रों/स्थापनाओं में वर्ष भर लेनदेन की लेखापरीक्षा करते हैं जिनमें व्यय के समर्थन में समुचित तथ्यों के प्रस्तुत किये जाने की भी, आंतरिक नियंत्रण के रूप में, गहराई से जाँच की जाती है। यदि किसी प्रकार का असंतुलन देखने को मिलता है तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जाँच रिपोर्ट में उसका उल्लेख कर दिया जाता है ताकि प्रबंधन द्वारा उसका औचित्य स्पष्ट करते हुए उसमें सुधार किया जा सके।

आंतरिक नियंत्रण पद्धतियों के अनुपालन पर कंपनी/सीआईएल की लेखापरीक्षा समिति विशेष ध्यान रखती है तथा आंतरिक लेखापरीक्षकों के महत्वपूर्ण पर्यवेक्षणों की समीक्षा के लिए त्रैमासिक आधार पर कंपनी/सीआईएल की लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। वहाँ चर्चा के पश्चात लेखापरीक्षा समिति अनुपालन के लिए आवश्यक निर्देश जारी करती है।

खास मुद्दों पर, प्रबंधन के चाहने पर, कंपनी का आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग विशेष लेखापरीक्षा/जाँच की व्यवस्था करता है। इस प्रकार की विशेष लेखापरीक्षा/जाँच के संचालन के दौरान, कंपनी में कार्यरत आंतरिक नियंत्रण पद्धतियों की गहन जाँच की जाती है और यदि किसी प्रकार की कमी पायी जाती है तो आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई के लिए मामले की रिपोर्टिंग सक्षम प्राधिकारी के समक्ष की जाती है।

2014-15 के दौरान, ईसीएल में आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में कार्य कर रहे विभिन्न लेखापरीक्षा संस्थाओं द्वारा कंपनी के परिचालन की आंतरिक वित्तीय लेखापरीक्षा की गयी। उल्लेखनीय है कि लेखापरीक्षा संस्थाओं ने कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर संतोष जताया है।

इस प्रकार,कहा जा सकता है कि कंपनी के आकार एवं इसके कार्य–निष्पादन की प्रकृति के संबंध में कंपनी की आंतरिक नियंत्रण पद्धति ठोस एवं प्रभावी है।

लागत लेखा परीक्षा:

कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 148 तथा कंपनी नियमावली, 2011 (लागत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन) के अनुसार ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लिए कॉस्ट ऑडिट अनिवार्य किया गया। वित्त–वर्ष 2014-15 हेतु, 29 सितंबर, 2015 को लागत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन फॉर्म–I - एक्स बी आर एल में केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

संचालन कार्य–निष्पादन के संबंध में वित्तीय कार्य निष्पादन पर चर्चा :

संचालन के परिणाम :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016 – 17	2015 – 16	वृद्धि (%)
कुल विक्रय	14717.53	13514.18	8.90%
उगाही में कमी	4576.35	3294.73	38.90%
शुद्ध विक्रय	10141.18	10219.45	–0.77%
अन्य आय	787.13	787.66	–0.07%
कुल आय	10928.31	11007.11	–0.72%

कोयले के विक्रय से आय :

कोयले के विक्रय से होने वाली आय मुख्यत: कोयले के मूल्य, उत्पादन तथा वितरण पर निर्भर करता है। विक्रय के अंतर्गत () रॉयल्टी, कोयले पर उपकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं नौभरण उत्पाद शुल्क समेत विविध वैधानिक लेविश तथा () विक्रय कर शामिल है।

व्यय :

मुख्य शीर्षों का विवरण :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2015-16	वृद्धि	
			विशुद्ध	प्रतिशत
स्टॉक में (अभिवृद्धि)/कमी	157.37	–186.24	343.58	–184.48%
भंडार एवं पुर्जे	693.25	738.60	–45.35	–6.14%
वेतन एवं पारिश्रमिक	626.06	609.24	16.82	2.76%
बिजली एवं ईंधन	6436.58	5709.95	726.63	12.73%
सामाजिक ओवरहेड	503.17	507.48	–4.31	–0.85%
संविदा व्यय/मरम्मत	21.62	62.61	–40.99	–65.47%
अन्य व्यय	1591.80	1367.92	223.88	16.37%
ओबीआर समायोजन	156.94	134.41	22.53	16.76%
अवमूल्यन/हानि	454.08	414.72	39.36	9.49%
प्रावधान	–49.37	–11.71	–37.66	321.61%
कर के पहले लाभ	323.89	318.15	5.74	1.80%
कर के बाद लाभ	–144.91	48.04	–192.95	–401.64%
	51.90	1222.69	–1170.79	–95.76%
	20.77	790.67	–769.90	–97.37%

नकद–प्रवाह :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
शुरुआती नकद एवं नकद समानांतरण	591.08	538.77
क्रियात्मक क्रियाकलापों द्वारा प्राप्त शुद्ध नकद	485.73	(7.13)
निवेशात्मक क्रियाकलापों द्वारा प्राप्त शुद्ध नकद	(332.98)	65.65
वित्तीय क्रियाकलापों में इस्तेमाल शुद्ध नकद	(6.39)	(6.21)
नकद एवं नकद समानांतरण में अंतर	146.36	52.31
समापन नकद एवं नकद समानांतरण	737.44	591.08

मानव संसाधन विकास :

जनशक्ति :

श्रेणी	जनशक्ति		वृद्धि (+)/ ह्रास (–)
	31.3.2017	**31.3.2016**	
अधिशासी	2276	2375	–99
पर्यवेक्षक	4425	4439	–14
मंत्रालयी/लिपिकीय	2776	2806	–30
उच्चतम दक्ष/दक्ष	21879	22571	–692
अर्ध–दक्ष/दक्षताविहीन	32126	33301	–1175
प्रशिक्षु	547	746	–199
कुल	**64029**	**66238**	**–2209**

जनशक्ति में अंतर के कारण :

विवरण	अधिशासी	गैर–अधिशासी	कुल
वृद्धि			
नव–नियुक्ति	82	389	471
चिकित्सा की दृष्टि से अनफ़िट मामलों में नियुक्ति	0	21	21
मृत्यु मामलों में नियुक्ति	0	434	434
पुनः–पदभार–ग्रहण	0	10	10
दूसरी कंपनियों से स्थानांतरण	80	11	91
भूमि के बदले नियुक्ति	0	316	316
स्पेशल फ़ीमेल वीआरएस के तहत नियुक्ति	0	3	3
कुल वृद्धि (क)	**162**	**1184**	**1346**

विवरण	अधिशासी	गैर–अधिशासी	कुल
ह्रास			
सेवानिवृत्ति	161	2503	2664
मेडिकल अनफ़िट	0	21	21
मृत्यु	1	598	599
त्यागपत्र	20	14	34
अन्य कंपनियों में स्थानांतरण	79	41	120
निलंबन	0	46	46
जीएचएस/ईवीआरएस के अंतर्गत वीआर	0	2	2
स्पेशल फ़ीमेल वीआरएस	0	69	69
कुल ह्रास (ख)	**261**	**3294**	**3555**
अंतर (क–ख)	**–99**	**–2110**	**–2209**

औद्योगिक संबंध :

प्रबंधन की सहभागिता शैली सौहार्दपूर्ण ढंग से गहन विचार–विमर्श द्वारा विवादों/शिकायतों के निपटारण की सुविधा प्रदान करता है। परिणामस्वरूप 2016-17 के दौरान कंपनी में आद्योगिक संबंध सौहार्द्रपूर्ण बना रहा। औद्योगिक संबंध तथा कानून एवं व्यवस्था संबंधी सांख्यिकी निम्नलिखित है –

क्रम सं	विषय	2016-17	2015-16
1	हड़तालों की संख्या	1	1
2	नष्ट श्रम दिन (लाख में)	0.08	0.15
3	उत्पादन हानि (लाख टन में)	0.45	0.37

कानून एवं आदेश :

विषय	2016-17	2015-16
कानून एवं आदेश (उल्लंघन)	33	34
उत्पादन हानि(लाख टन में)	1.58*	0.12

उत्पादन में अति मुख्य रूप से कानून स्वस्थ्य में गड़बड़ी के कारण हुये जो राजमहल क्षेत्र में 29.12.2016 को घटी थी।

प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी :

ईसीएल के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी अपनी कंपनी के प्रत्येक आयाम में पूर्ण रूप से कार्यरत है। कॉर्पोरेट के साथ–साथ परियोजना/ईकाइयों स्तरों पर संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी) कार्यरत है। जेसीसी की बैठक निरंतर होती रहती है जहाँ महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे उत्पादन, उत्पादकता, सुरक्षा, लागत, कल्याण इत्यादि पर विचार–विमर्श किया जाता है अन्य समिति/बोर्ड जैसे सुरक्षा समिति, कल्याण बोर्ड, स्वास्थ्य सलाहकार मंडल, गृह आवंटन समिति, कैंटिन समिति इत्यादि भी अपनी कंपनी में कार्यरत है। इस तरह के समितियों में श्रमिक संघ की सक्रिय भागीदारी है।

बैठकें	2016-17	2015-16
मुख्यालय स्तर पर संपन्न जेसीसी बैठकों की संख्या	04	05
मुख्यालय स्तर पर संपन्न संरचनात्मक बैठकों की संख्या	19	21

एनसीडब्ल्यूए एवं एलएलएस के अंतर्गत दिया गया रोजगार :

....के तहत रोजगार दिया गया	2016-17	2015-16
एनसीडब्ल्यूए	555	458
लैंड लूज़र योजना	375	238
प्रत्यक्ष नियोजन	471	276

भर्ती एवं पदोन्नति में अनुसूचित जाति(अ.जा.)/अनुसूचित जनजाति(अ.ज.जा.) तथा अन्य पिछड़ी वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण :

ईसीएल में अनुसूचित जाति(अ.जा.), अनुसूचित जनजाति(अ.ज.जा.) तथा अन्य पिछड़ी वर्ग की भर्ती के मामले में राष्ट्रपति के निदेशों को क्रियान्वित किया गया है। कुल जनशक्ति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित है –

दिनांक को	कुल जनशक्ति	अनुसूचित जाति वाले अभ्यर्थी		अनुसूचित जनजाति वाले अभ्यर्थी	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
31.03.2017	64029	17775	27.76	8231	12.85
31.03.2016	66238	18204	27.48	8727	13.18

2015-16 के दौरान जहाँ अनुसूचित जाति के 450 एवं अनुसूचित जनजाति के 206 कर्मचारी पदोन्नत हुए; वहीं 2016-17 के दौरान पदोन्नत होने वाले कर्मचारियों की संख्या क्रमश: 292 एवं 135 रही। 31.03.2016 तक कंपनी में अन्य पिछड़ा वर्ग के 16611 कर्मचारी कार्यरत हैं जबकि 2015-16 में यह संख्या 17094 थी।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत रहस्योद्घाटन :

महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा–2 (एच) के अंतर्गत 23.05.2014 को ईसीएल की आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया। अब तक, ईसीएल में दो यौन उत्पीड़न के मामले प्रकाश में आए हैं जिनकी जाँच की जा रही है।

श्रमिक संघ :

अधिकांश अकार्यपालक श्रेणी के कर्मचारी विभिन्न संगठनों, जैसे आईएनटीयूसी, आईटीयूसी,एचएमएस,बीएमएस,यूटीयूसी,सीआईटीयू, के सदस्य होते हैं। जेबीसीसीआई के द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय कोल मजदूरी समझौता के द्वारा अकार्यपालक श्रेणी के कर्मचारी के वेतन संशोधन व सेवा के अन्य शर्तों का निर्धारण किया जाता है। दिनांक 31.12.2011 को एनसीडब्लूए–IX के लिए जेबीसीसीआई ने एमओयू पर हस्ताक्षर किया है और दिनांक 01.07.2011 से 5 वर्षों के लिए कार्यपालकों को शामिल करते हुए सभी कर्मचारियों को लाभ पहुँचाने के लिए एनसीडब्लूए–IX प्रभावी हो गया है। हमारे कार्यपालक श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन, पर्क्स और भत्तों का निर्धारण भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। 01 जनवरी, 2007 से कार्यपालकगण के वर्तमान वेतन में सुधार किया गया है।

प्रशिक्षण :

हमारा उद्धेश्य हमारे सभी कर्मचारी को लगातार प्रशिक्षण देना है। कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा 1994 में स्थापित इंडियन इन्स्टीटूयट ऑफ़ कोल मैनेजमेंट अग्रिम प्रबंधन, नेतृत्व क्षमता के विकास, सामान्य प्रबंधन, अग्रिम रख–रखाव के तरीके, प्रबंधन विकास, प्रशिक्षण और कोचिंग, कैरियर विकास और सम्प्रेषण कौशल के क्षेत्र में प्रशिक्षण देती है। इसके अतिरिक्त, हमारी कंपनी ने वाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए

अधिशासियों की व्यवस्था की है तथा हमारे कर्मचारियों (निदेशकों, वरिष्ठ अधिशासियों एवं गैर-अधिशासी कर्मचारियों सहित) को भारत के बाहर आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेने के लिए भेजा। आईआईसीएम के अलावा, ईसीएल में भी अच्छे एचआरडी केन्द्र,बीटीसी हैं, जो कि हमारे कर्मचारियों और अधिशासियों को विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। नव-नियुक्त प्रबंधन प्रशिक्षुओं के लिए समय-समय पर प्रवेश प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है।

2015-16 में कंपनी ने 4049 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जबकि वर्ष 2014-15 में यह संख्या 4077 थी। विस्तृत विवरण नीचे दिया जा रहा है :

1. कार्य योजना :

वर्ष	पाठयक्रम का नाम		प्रतिभागियों की संख्या							
			लक्ष्य				वास्तविक			
	लक्ष्य	वास्तविक	कार्यपालक	अधीक्षक	कर्मचारी	कुल	कार्यपालक	अधीक्षक	कर्मचारी	कुल
2016-17	143	210	712	587	1740	3039	1075	777	2010	3862
2015-16	156	151	295	460	1050	1805	426	731	1092	2259

2. 2015-16 की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान दिए गए विविध प्रशिक्षण का विवरण :

क्रम	प्रशिक्षण की प्रकृति	2016-17				2015-16			
		अधिकारी	पर्यवेक्षक	कर्मचारी	कुल	अधिकारी	पर्यवेक्षक	कर्मचारी	कुल
1	**सामान्य/कंपनी में प्रशिक्षण :**								
1.i	3 दिन या उससे अधिक	968	764	2000	3732	426	731	1092	2259
1.ii	3 दिनों से कम	107	13	10	130	404	60	288	752
2	**बाह्य प्रशिक्षण (भारत में) :**								
2.i	**आईआईसीएस में:**								
2.i.a	3 दिन या उससे अधिक	480	0	0	480	273	0	0	273
2.i.b	सेमिनार/अल्पकालीन पाठ्यक्रम	59	0	0	59	117	0	0	117
2.ii	**बाह्य कंपनी प्रशिक्षण (आईआईसीएस के अलावा) :**								
2.ii.a	अल्पकालीन	193	11	5	209	144	4	0	148
2.ii.b	दीर्घकालीन	150	4	6	160	0	0	163	163
2.ii.c	3 दिन या उससे अधिक	84	15	0	99	70	10	13	93
3	बाहरी विदेश में	12	0	0	12	15	0	0	15
	कुल	**205**	**807**	**2021**	**4881**	**1449**	**805**	**1556**	**3820**
4	**अन्य प्रतिशण तथा सेमीनार**								
a	**प्रशिक्षु**								
	वीटीसी	0	0	438	438	0	0	392	392
	पीडीपीटी	0	0	197	197	0	0	80	80
b	सेमीनार/कार्यशाला कम्पनी के भीतर नहीं	100	7	5	112	131	16	12	159

3. निपुण जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संचालित विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण :

क्रम सं	कार्यक्रम का विवरण	प्रतिभागियों की संख्या
1	ग्रेड-III क्लरीकल में एससी/एसटी उम्मीदवार के चयन हेतु कोचिंग क्लास	245
2	नए नियुक्त सुरक्षा उपनिरीक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	65
3	माइनिंग सरकार बनने के लिए स्थानीय युवाओं को भूमिगत प्रशिक्षण	531
4	भूमिगत खानों में माइन मेकेनिज्म पर कार्यशाला	38
5	स्लोप स्टैविलिटी विश्लेषण तथा खुली खानों में सुरक्षा पर कार्यशाला	78
6	आईएसओ प्रमाणपत्र के लिए आंतरिक आडिटिंग दक्षता पर कार्यक्रम	24
	कुल	981

4. सीखने से पहले पहचान (आरपीएल) के अधीन आयोजित प्रशिक्षण के विवरण :

क्रम सं	कार्यक्रम का विवरण	प्रतिभागियों की संख्या
1	फिटर / हेल्पर	1304
2	एसडीएल / एलएचडी ओपरेटर	351
3	बारूद बाहक	880
4	इलेक्ट्रिसियन / हेल्पर	638
5	सपोर्ट पारसोनेल	817
6	डम्पर ऑपरेटर	543
7	सामान्य मजदूर	1972
	कुल	**6505**

पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण :

कंपनी द्वारा कोयला खनन के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर लगातार नजर रखी जाता है एवं पर्यावरण सुरक्षा कार्यक्रम के नियमों एवं धाराओं के अनुसार वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण, भू-अवनति, जंगलों की कटाई आदि पर नियंत्रण हेतु समय-समय पर उचित उपाय किये जाते हैं।

भूमि सुधार, खदानों के परिसमापन, बेहतर हवा, पानी एवं भूमि का प्रबंध, पर्यावरण, पुनर्वास तथा सीएसआर नीति के संबंध में लोगों को जागरूक करने जैसे महत्वपूर्ण बिन्दुओं के साथ ईसी की शर्तों में संबोधित क्षेत्र की बहुरूपता में भी वृद्धि हुई है। कार्बन और वाटर फुटप्रिंट्स में कमी, अर्निंग कार्बन क्रेडिट, जलवायु परिवर्तन से निबटने जैसे पर्यावरण मानकों के विकसित अवधारणाओं ने भी हमें, स्टेकाधारकों के आशानुसार, इस दिशा में कार्य करने को मोड़ा है। ऊर्जा की मांगों को पूरा करने के लिए ईसीएल सतत विकास की अवधारणा एवं गैर-पारंपरिक ऊर्जा को अपनाने में पूर्णत: विश्वास करती है। इसी क्रम में हमने वर्षा-जल संग्रहण, सोलर पैनलों की स्थापना जैसे कार्यक्रमों की शुरुआत की है।

2016-17 के दौरान विशेष उपलब्धियाँ :

1. पर्यावरण संबंधी मंजूरी :

क्लस्टर के पर्यावरण मंजूरी में संशोधन : क्लस्टर नं. 2 की पर्यावरण भंडार क्षमता में विस्तार तथा क्लस्टर सं.-9 एवं क्लस्टर सं.- 11 में संभोधन वन, पर्यावरण तथा मौसम परिवर्तन, मंत्रालय के अनुवार किया गया। उपरोक्त लिखित पर्यावरण अनुमति से निमचा खुली खान पैच (क्लस्टर 9 के अन्तर्गत खान) न्यू केन्दा खुली खान (1.2 एमटीपीए), शंकरपुर खुली खान पैच (2.00

एमटीपीए), शंकरपुर भूमिगत (1.33 एमटीपीए) तथा सिदुली भूमिगत तथा खुली खान (1.33 एमटीपीए) क्लस्टर 11 के अन्तर्गत तथा क्लस्टर 2 के अन्तर्गत बारमुरी खुली खान तथा राजपुरा खुली खान के अन्तर्गत उत्पादन में वृद्धि होगी। इसी प्रकार क्लस्टर 1, 2, 3 तथा 10 के अधीन संसोधन की योजना है जिसके वर्तमान समय में काम चल रहा है।

ख) वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्त पर्यावरण मंजूरी :

क्रम सं	प्रस्ताव का नाम	खदानों की संख्या	पर्यावरण मंजूरी की क्षमता (मिलियन टन वार्षिकि)	पर्यावरण मंजूरी तिथि
1	क्लस्टर सं. 2 विस्तार	3	1.1	16-06-2016
2	क्लस्टर सं. 11 संभोधन	11	8.2	29-11-2016
3	क्लस्टर सं. 09 संभोधन	15	8.0	23-03-2017
	कुल	**29**	**17.3**	

ग) वालु खनन प्रस्ताव के लिए पर्योवरण मंजूरी :

दामोदर तथा अजय नदी से ईसीएल की भूमिगत खानों में बालू भरके के लिए बालू खनन प्रस्ताव पर पर्यावरण मंजूरी प्राप्त हुई। यह प्रमुख उपलब्धि है तथा भूमिगत खानों में वालू भराई के लिए चालू खनन के स्थायी लीग ई अनुमति सम्भव हुई है।

क्रम सं	प्रस्ताव का नाम	क्षमता (मिलियन टन मीटर)	पर्यावरण मंजूरी की तिथि
1	अजय नदी से भूमिगत कोयला खानों में बालू भराई के लिए बालू खनन	2.0	26-05-2016
2	दामोदर नदी के भूमिगत कोयला खानों में बालू भराई के लिए बालू खनन	1.5	26-05-2016

2. वन विभाग की मंजूरी :

वर्ष 2016-17 के दौरान वन विभाग की मंजुरी प्रमुख रूप से निम्नलिखित है।

क) झांझरा यूजीपी के लिए 16.08.2016 को 90.30 हेक्टेयर वनभूमि के लिए स्टेज ii की उजवजति नवीनीकरण की मंजूरी मिली। इससे पारवर सपोर्ट लांगवाल द्वारा उत्पादन सम्भव होगा।

ख) सोनपुर बाजारी ओसीपी के लिए 28.03.2017 को 32.65 हेक्टेयर वन भूमि के लिए स्टेज-II डाइवर्जन प्रस्ताव पर मंजूरी मिली।

ग) सिमलौंग ओसीपी के 81.71 हेक्टेयर के डाइवर्जन के लिए आनलाइन प्रस्ताव जमा किया गया तथा नोडल अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया। सर्तमान समय में प्रस्ताव डीएफओ पाकुड़ के पास आवेदन के फार्म ए के पार्ट – II के साथ माइनिंग के लिए विचाराधीन है।

वर्ष 2016-17 के दौरान वानिकी की मंजूरी में प्रगति की एक झलक : :

क्रम सं	स्थिति	प्रस्तावों / क्लस्टरों की संख्या
1	द्वितीय चरण की मंजूरी प्राप्त	2
2	प्रथम चरण की मंजूरी प्राप्त	0
3	द्वितीय चरण की मंजूरी के लिए ईएफसीसी मंत्रालय के अग्रसारित प्रस्ताव	3
4	द्वितीय चरण की मूंजूरी के लिए राज्य सरकार के पास विचाराधीन प्रस्ताव	1
5	प्रथम चरण की मंजूरी के लिए नये तैयार नए प्रस्ताव	1

3. पौधारोपण :

वर्ष 2016-17 में कोयला परिवहन सड़क के किनारे 8 कि.मी. समतल मार्ग में तेथा 103 हेक्टेयर में रखे ओवर वर्डन पर तीन स्तरीय पौधा रोपण का कार्य ईसीएल द्वारा आरम्भ किया गया। इसमें ईसीएल के नियंत्रण क्षेत्र में 3004.49 हेक्टेयर भूमि में अबतक पौधारोपण किया गया। पौधारोपण का मुख्य ध्यान सुधारी गई तथा धसान वाली भूमि पर किया गया। वर्ष 2016-17 के दौरान 63 हेक्टेयर पौधारोपण आंतरिक तथा बाहरी ओवरवार्डन पर तथा 31 हेक्टेयर धसानवाली भूमि पर पौधारोपण किया गया।

4. सतत विकास पहल :

वर्ष 2016-17 में ईसीएल द्वारा छत्तोंपर वर्षाजल का संग्रहण परियोजना सफलता पूर्वक पूरा किया गया। दो झांझरा क्षेत्र तथा एक सोदपुर क्षेत्र में। यदि प्रत्येक वर्ष 2012-13 में अेरम्भ किया गया था तथा वर्तमान समय में ईसीएल के नियंत्रण क्षेत्र में 12 वर्षा जल संग्रह परियोजना में कार्यरत है।

5. पर्यावरण सहमति स्थिति का अनुपालन : प्रमुख पहल :

ईसीएल ने पर्यावरण सहमति स्थिति के अनुपालन में निम्नलिखित पहल की है :

क) **रेलवे साइडिंग के सुधार से जल छिड़काव :** ईसीएल ने रेलवे साइडिंग पर धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए स्थिर जल छिड़काव यंत्र की स्थापना की पहल की है। मुगमा क्षेत्र के रेलवे साइडिंग में स्थिर जल छिड़काव यंत्र लगाया गया है। वर्ष 2016-17 के दौरान झांझरा क्षेत्र के पुरूषोत्तमपुर रेलवे साइडिंग में तथा सालानपुर क्षेत्र के वनजेमेहारी रेलवे साइडिंग में स्थिर जल छिड़काव यंत्र लगाए गए।

ख) **पीजोमीटर की स्थापना :** ईसीएल ने पीजोमीटर के द्वारा भूमिगत जल को मानीटर करने का पहल की है। कुल 61 स्थलों पर पीजोमीटर लगाने के लिए अध्ययन प्रतिवेदन जिसमें 12 क्लस्टर तथा स्टैंड एलोन ईजी मानक है। सीएमपीडीआईएल द्वारा चालू वित्त वर्ष में पुरा किया गया अगले वित्त वर्ष में कार्य आरम्भ किया जाएगा।

ग) **ईसीएल की खानों में शेप फाइल को तैयार करना** : ईएफ तथा सीसी मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार ईसीएल की सभी खानों में शेष फाइल तथा के एम एल फाईल पर्यावरण क्लीयटेज तथा फारेस्ट क्लीयरेज के दिशा निर्देशों के अनुसार ईएफ तथा सीसी मंत्रालय के डीएसएस प्लेटफर्म द्वारा मानीटरिंग के लिए तैयार की जा रही है।

इसे ईएफ एवं सीसी मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, ---- तथा ईएफएण्डसीसी मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर में जमा करा दिया गया है।

6. आईएसओ प्रमाणपत्र :

इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा कम्पनी भर में आईएइओ प्रमाणन आरम्भ किया गया है। वर्तमान वित्त वर्ष में प्रमाणन संस्था के चयन का काम पूरा हो गया है। प्रमाणन प्रक्रिया की तैयारी के लिए दो वेसिक सचेतना कार्यक्रम तथा एक आंतरिक आडीटर पाठ्यक्रम सीएमपीडीआईएल रांची द्वारा ईसीएल के अधिकारियों के लिए चलाए गए है।

7. वैज्ञानिक अध्ययन :

आई आई टी खड़गपुर द्वारा सोनपुर बजारी ओसीपी में ओवी डम्प पर ''माइन साइट रेस्टोरेशन की द्वारा कारण पर रोक तथा मिट्टी डम्प की बजबूती'' परियोगना का काम आम्भ किया गया है। कार्य आदेश जारी किया जा चुका है तथा क्लस्टर–2 तथा क्लस्टर–2 की ईसी स्थिति के अनुपालन में मुगमा के लिए वाइल्ड लाइफ प्रबन्धन योजना सीआईएमएफआर द्वारा तैयार की गई है आई आई टी की टीम खड़गपुर दल द्वारा प्रारम्भिक स्केल अध्ययन आरम्भ किया गया है।

अनुलग्नक – V

सीएसआर गतिविधियाँ 2016-17

कंपनी की सीएसआर नीति का संक्षिप्त परिचय :

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कम्पनी है तथा कोल इंडिया लिमिटेड ने अपनी सीएसआर नीति तैयार की है जो ईसीएल सहित इसकी सभी अनुषंगी कम्पनियों पर लागू होती है। कंपनी अधिनियम, 2013 के संशोधन के साथ संशोधित सीआईएल सीएसआर नीति को ही ईसीएल में स्वीकार किया गया है एवं उसका कार्यान्वयन किया गया। 01.04.2014 से प्रभावी, पत्रांक : 15(13)/2013 –डीपीई(जीएम), दिनांक 21.10.2014 के माध्यम से जारी सीएसआर पर डीपीई के दिशानिर्देशों को भी अपनाया गया। यह सामाजिक प्रक्रिया के साथ व्यापार बढ़ाने पर ज़ोर देती है; खास तौर पर 25 किलोमीटर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए प्रयासरत रहकर। सीआईएल सीएसआर नीति के अंतर्गत आने वाले प्रावधान के अनुसार, 25 किलोमीटर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए 20% राशि का उपयोग किया जाना चाहिये। यह सुनिश्चित करता है कि समाज का गरीब एवं पिछड़े हिस्से को सतत विकास के पर्याप्त अवसर मिलते रहें। ईसीएल में निम्नलिखित प्राथमिक क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों का निर्देश दिया गया।

1. स्वच्छ विद्यालय अभियान
2. दक्षता विभाग
3. जल आपूर्ति सुविधा
4. महिला सशक्तिकरण
5. शिक्षा में उन्नति
6. स्वच्छता एवं लोक स्वास्थ्य
7. सामुदायिक केंद्रों, रात्रि विश्राम स्थलों, वृद्धाश्रमों के निर्माण/मरम्मत, सड़कों, रास्तों एवं पुलों के निर्माण जैसे आधारभूत विकासात्मक कार्य
8. खेलों की उन्नति
9. सरकार के विकासात्मक कार्यक्रमों को पूरा करना
10. पर्यावरण तथा इकोलॉजिकल संतुलन सुनिश्चित करना।

सीएसआर समिति का गठन :

कंपनी के सीएसआर एवं सतत विकास के मामले के परिचालन के क्रम में द्विस्तरीय संरचना गठित की गयी, जिसमें अध्यक्ष–सह प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता वाली एक बोर्ड स्तर की समिति एवं उप महाप्रबंधक (कल्याण एवं सीएसआर) की अध्यक्षता में सीएसआर तथा सतत विकास की योजना, कार्यान्वियन, मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन हेतु एक बोर्ड स्तर से नीचे की समिति शामिल है। सीएसआर गतिविधियों के समन्वय के लिए ईसीएल मुख्यालय में एक सीएसआर समिति का गठन किया गया जैसा कि सीआईएल सीएसआर नीति में उल्लेख किया गया है।

क्षेत्रीय स्तर पर, सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए बहु–अनुशासनात्मक अधिशासियों की एक सीएसआर समिति का भी गठन किया गया।

गत तीन वर्षों के वित्ती वर्षों के लिए कम्पनी का औशत व्यय :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ/कर पूर्व लाभ की 2% राशि का निर्धारण इस प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2016-17
कर पूर्व लाभ (₹ करोड़ में)	1299.28	1782.41	1300.04
कम : संपदा के विक्रय पर लाभ (₹ करोड़ में)	1.63	1.10	0.31
धारा 198 के तहत लाभ (₹ करोड़ में)	1297.65	1781.31	1299.73
पिछले तीन वर्षों के दौरान औसत शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	1459.56		

अत: औसत शुद्ध लाभ का 2% ₹ 29.19 करोड़ ठहरता है।

निर्धारित सीएसआर व्यय :

ईसीएल द्वारा निधि निर्धारण कोल इंडिया लिमिटेड की सीएसआर नीति पर आधारित है जो औसत शुद्ध लाभ का 2% अथवा पिछले वर्ष हुए कोयला उत्पादन के ₹ 2/- प्रति टन के हिसाब से, जो अधिक हो, तय होता है। 2015-16 में कोयला उत्पादन 40.21 मिलियन टन था। अत: ₹2/- प्रति टन के हिसाब से सीएसआर राशि का निर्धारण ₹ 8.00 करोड़ होता जबकि औसत शुद्ध लाभ का 2% के हिसाब से यह राशि ₹ 29.19 करोड़ तय हुई।

वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर पर खर्च का विवरण :

क) वित्तीय वर्ष में कुल खर्च की गई राशि : ₹ 21.62 करोड़

ख) खर्च से बची हुई राशि : ₹ 7.57 करोड़

ग) संलग्नक 'क' पर सीएसआर के अधीन की गई गतिविधियों की सभी संलग्न है।

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान खर्च नहीं की गई राशि का कारण :

ईसीएल 2016-17 के लिए स्वीकृत वजट रू 29.19 करोड़ के स्थान पर रू. 42.95 करोड़ के सीएसआर प्रस्ताव की स्वीकृति दी हैं। पंचायत, जिला तथा राज्य प्रशासन इत्यादि विभिन्न स्टेक होल्डरों से क्लीयरेंज मिलने में असुविधा के कारण त्रिमुख परियोजनाओं के अनुसूचित समय पर पूरा करने में विभिन्न स्तर पर विलाव से असुविधा उपसम होने लगी।

इस वित्तीय वर्ष की लम्बी अवधि की स्वीकृत परियोजनाओं वजट प्रावधान के अनुरूप है तथा प्रारम्भिक बाधाये दूर कर लेने के बाद आने वाले वर्ष में लाभदायक रूप से उपयोग में आने लगेंगी। वर्ष 2016-17 के वित्त वर्ष में आरम्भ की गई लम्बी अवधि की परियोजनाओह इस वित्तीय वर्ष 2016-17 में आंशिक भुगतान किया गया तथा शेष भुगतान आगामी वित्त वर्ष में किया जाएगा।

एततद्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि कोल इंडिया लिमिटेड की सीएसआर नीति (कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार) तथा डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में ईसीएल में सीएसआर नीति का क्रियान्वयन तथा उसकी मॉनीटरिंग 01.04.2014 से की जा रही है।

(सुब्रत चक्रवर्ती)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(डॉ इंदिरा चक्रवर्ती)
अध्यक्ष
सीएसआर एवं सतत विकास समिति, ईसीएल

दिनांक 22.06.2017
स्थान कोलकाता

अनुलग्नक – ए

वित्त–वर्ष 2016-17 हेतु सीएसआर गतिविधियाँ

(₹ लाख में)

क्रम. सं.	गतिविधि	क्षेत्र	लागत राशि (बजट)	व्यय की गयी राशि	31.03.2017 तक संचित व्यय	प्रत्यक्ष रूप से या कार्यकारी एजेंसी के माध्यम से खर्च की गयी राशि
1	स्वच्छ भारत अभियान पर अन्तर विद्यालय निवन्ध तथा वादविवाद प्रतियोगिता	स्वच्छ भारत	6.50	6.19	6.19	सीधे स्वयं
2	श्रीपुर क्षेत्र की श्रीपुर गर्ल्स हाई स्कूल में प्रयोगशाला निर्माण	शिक्षा	5.68	5.10	5.10	सीधे स्वयं
3	कालीपहाड़ी / कोलियरी प्रबंधक घुसिक बाउरीपाड़ा से बंधु धौड़ा	संरचनात्मक	26.86	27.04	27.04	सीधे स्वयं
4	श्रीपुर में श्रीपुर गांव से शिवडंगा क्षेत्र तक पक्की सड़क निर्माण	संरचनात्मक	26.89	26.25	26.25	सीधे स्वयं
5	मेगा स्वास्थ्य कैंप श्रीपुर तथा ईसीएल मुख्यालय	स्वास्थ्य	2.40	2.09	2.09	सीधे स्वयं
6	सभी क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधायें	स्वास्थ्य	8.32	6.24	6.24	सीधे स्वयं
7	सालानपुर क्षेत्र की मोहनपुर कोलियरी के आसपास के गांव के घरों में भाड़े के पानी टैंकर से पेय जल आपूर्ति	जल आपूर्ति	13.63	0.96	0.96	सीधे स्वयं
8	सालानपुर के चार गाँव के सवमर्सिबल पम्प सहित 4 वोर वेल का निर्माण	जल आपूर्ति	19.60	19.60	19.60	बीडीओ, सलानपुर
9	सलानपुर ब्लाक के अचड़ा गाँव से अलकुशा गाँव तक सड़क निर्माण	संरचनात्मक	74.43	37.21	37.21	सीधे स्वयं
10	रतिबाटी के चपुईखास हिन्दी प्राइमारी स्कूल में शौचालय निर्माण तथा पेय जल व्यवस्था	स्वच्छ भारत	3.03	2.83	2.83	सीधे स्वयं
11	हँसडीहा गाँव में सड़क पर अलकतरा विछाना खोट्टाडीह मोड़ से	संरचनात्मक	19.33	19.32	19.32	सीधे स्वयं
12	खोट्टाडीह मोड़ से छत्तीस गोंड़ा तक पक्की सड़क का निर्माण	संरचनात्मक	77.08	16.79	16.79	सीधे स्वयं

13	कुनुस्तोड़िया के अमरासोता ग्राम पंचायत के वेसलाइन सर्वे के अनुसार व्यक्तिगत घरो में शौचालय में निर्माण	स्वच्छ भारत	18.20	9.10	9.10	बीडीओ, रानीगंज
14	अजय नदी के दक्षिणी छोर पर पांडवेश्वर के श्मशान में विजली तथा पेयजल की सुविधा सहित पक्का शेड निर्माण	स्वच्छ भारत	8.87	7.94	7.94	सीधे स्वयं
15	निजी स्कूलों के शौचालय निर्माण तथा पेयजल की सुविधा	स्वच्छ भारत	19.04	18.97	18.97	सीधे स्वयं
16	मधाईपुर में पक्की सड़क का निर्माण	संरचनात्मक	0.79	0.46	0.46	सीधे स्वयं
17	खोट्टडीह गाँव में सड़न निर्माण	जल आपूर्ति	57.48	57.60	57.60	सीधे स्वयं
18	कुमारडीही 'ए' कोलियरी में घुटानी कुमारडीही रेलवे साइडिंग के 2.10 मीटर अर्थव्यास के कुए का निर्माण	जल आपूर्ति	2.15	2.15	2.15	सीधे स्वयं
19	स्वाभिमान परियोजना	महिला सशक्तिकरण	3.87	1.94	1.94	दुर्गापुर सुंदरम वेलफेयर सोसाइटी
20	आफ सेट प्रिन्टिंग मशीन की खरीद	जीवनस्तर में उत्थान	8.80	8.80	8.80	विधान चन्द्र प्रतिबन्धी कर्म केन्द्र
21	बंकोला के मुस्लिम पाड़ा कब्रिस्तान में चवूतरा तथा आराम घर का निर्माण	संरचनात्मक	4.89	4.84	4.84	सीधे स्वयं
22	केन्दा में दिव्यांगो के लिए खेलकूद का आयोजन	खेलकूद में उत्थान	0.50	0.50	0.50	सीधे स्वयं
23	बनवहाल गाँव में श्मशान तथा पक्का आराम शेड का निर्माण	संरचनात्मक	5.08	5.03	5.03	सीधे स्वयं
24	रक्षाकिता गाँव से गजर टोला तक पक्की सड़क का निर्माण	संरचनात्मक	23.08	23.01	23.01	सीधे स्वयं
25	पानी के टैंकर से पेय जल की आपूर्ति	जल आपूर्ति	156.00	156.55	156.55	सीधे स्वयं
26	01 सितम्बर 2016 से अगस्त 2016 तक की अवधि में संस्थान के संचालन तथा अनुरक्षण के लिए मेसर्स जेएसपीएल को रू. 70 लाख के भुगतान की स्वीकृति।	दक्षता विकास	70.00	52.50	52.50	ओपी जिंदल ग्रामीण जन कल्याण संस्थान

27	देवघर के पालाजोड़ी ब्लाक के बगदाहा हाई स्कूल में शौचालय (लड़के तथा लड़कियों) तथा सांस्कृतिक मंच एवं साइकिल शेड का निर्माण	शिक्षा	19.91	5.79	5.79	सीधे स्वयं
28	चिकित्सा सीएसआर के अधीन आँख जाँच कैम्प	स्वस्थ्य	0.37	0.17	0.17	सीधे स्वयं
29	सांकतोड़िया गाँव में तलावो का नवीनीकरण	जल आपूर्ति	4.29	2.14	4.28	सांकतोड़िया ग्राम समिति
30	जार्ज टेलीग्राफ ट्रेनिंग द्वारा दक्षता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए सीएसआर प्रस्ताव	दक्षता विकास	24.31	14.58	14.58	जर्ज टेलीग्राफ ट्रेनिंज इंस्टीट्यूट
31	दृष्टिहीन बच्चों को सहयोग के लिए आसनसोल दृष्टि हीनता निवारण सोसाइटी की एक इकाई आसनसोल ब्रेल अकादमी के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र प्रणाली, सिलाई ईकाइ / मशीन फैशन मेकर सहित, मोमबत्ती निर्माण ईकाइ, कम्प्यूटराइजड खेल ट्रांसक्रिप्सन सिस्टम का सहयोग।	जीवन स्तर विकास	14.35	14.35	14.35	आसनसोल दृष्टिहीनता निवारण सोसाइटी
32	सांकतोड़िया के नोनिया बस्ती में पेय जल की समस्या के समाधान हेतु परित्यक्त कुँए का नवीनीकरण	जल आपूर्ति	0.69	0.69	0.69	सांकतोड़िया ग्राम समिति
33	सांकतोड़िया के डिसरगढ़ एसी इंस्टीट्यूट डिसरगढ़ के भवन की मरम्मत	शिक्षा	16.87	16.27	16.27	सीधे स्वयं
34	सीतारामपुर रामकृष्ण शारदा संघ के कम्प्यूटर प्रशिक्षण स्कूल के लिए 10 कम्प्यूटर तथा प्रिंटर की खरीद।	शिक्षा	2.57	2.57	2.57	सीतारामपुर रामकृष्ण सारदा संघ
35	दुर्गापुर चिल्ड्रेन अकाडमी आफ कलचर को ईसीएल के सीएसआर योजना के अधीन राक क्लाईबिंग साल की मरम्मत तथा रिमाडलिंग के लिए सहयोग	खेलकूद प्रोन्नति	2.60	2.60	2.60	दुर्गापुर चिल्ड्रेन अकाडमी ऑफ कलचर
36	रामकृष्ण मिशन आश्रम, आसनसोल को स्कूल हास्टल तथा मातृ भवन (रसोईघर तथा भोजनालय) का नवनीकरण	शिक्षा	16.00	16.00	16.00	रामकृष्ण मिशन आश्रम, आसनसोल

37	वर्ष 2016-17 के सीएसआर योजना के अंतर्गत प्लास्टिक इंजीनियरिंग तथा तकनीकी पर एससी, एसटी, ओबीसी, जेनरल तथा मोइनेरिटी के युवाओं हेड आवासीय रोजगार परक दक्षता विकास कार्मिक का पुनर्गठन।	दक्षता विकास	48.80	24.40	24.40	सीआईपीईटी
38	कालीघाट मंदिर कोलकाता में ठोस कचरा प्रबन्धन	पर्यावरण	15.83	12.83	12.83	एसएसआरडीपी
39	पुर्नदृष्टि आईएण्डजेनरल हास्पीटल के लिए (1) एक स्कैन वायोमीटर मॉडल इकोरूल प्रो तथा, (2) स्टेप सहित स्लिट लेंप ए/ए उपकरण की स्थापना सहित खरीद के लिए वित्तीय सहायता।	स्वास्थ्य	4.28	2.05	2.05	हस्पीतल
40	डिसरगढ़ श्मशान घाट पर विद्युत शवदाह गृह का निर्माण।	पर्यावरण	192.00	134.75	134.75	आसनसोल म्युनिसिपल कार्पोरेशन
41	स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत बनाए गए। मरम्मत किए गए शैचालयों में जल आपूर्ति के लिए डीप बोर वेल, खुले कुए सौर ऊर्जा बत्ती तथा जल आपूर्ति व्यवस्था	स्वच्छ भारत	8293.00	377.87	5532.8	पुरुलिया जिला प्रशासन
				835.86	835.86	साहिबगंज जिला प्रशासन
42	पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिला से साहापुर ग्राम पंचायत के तारापुर ग्राम के तारापीठ मंदिर में ठोक कचरा प्रबन्धन के लिए आर्गेनिक वेस्ट कनवर्टर ओडब्लूसी के स्थापना	पर्यावरण	18.72	8.25	17.25	एसएफआरडीपी
43	झारखंड के देवघर मे बाबा वैद्यनाथ मंदिर में ठोक कचरा प्रबन्धन के लिए आर्गेनिक वेस्ट कनवर्टर ओडब्लूसी के स्थापना	पर्यावरण	11.51	2.59	11.50	शिवेस्ता
44	कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में स्वच्छ भारत अभियान में ठोक कचरा प्रबन्धन के लिए आर्गेनिक वेस्ट कनवर्टर ओडब्लूसी के स्थापना	पर्यावरण	12.63	2.63	12.63	एसएसआरडीपी
45	वीटीसी सलानपुर में सौंदर्य प्रसाधन कार्यक्रम (ब्यूटीसियन कार्स), एयर कंडीशनिंग तथा रेफ्रीजरेशन प्रशिक्षण	दक्षता विकास	14.58	4.71	12.00	एसएसआरडीपी

46	केन्दा क्षेत्र में व्यवसायिक प्रशिक्षण (सम्भव पाउन्डेशन) जीविका केन्द्र में दक्षता विकास	दक्षता विकास	22.93	11.46	22.93	सम्भव फाउंडेशन
47	सामुदायिक भागीदारी मॉडल परियोजना के लिए केन्दा क्षेत्र में आईआईटी, खड़गपुर द्वारा आर्थिक विकास तथा पौष्टिकता स्वास्थ्य प्रबन्धन के लिए भिथा तथा प्रदर्शन	पर्यावरण उत्थान	49.60	14.88	42.16	आईआईटी, खड़गपुर
48	वीटीसी सलानपुर में विद्युत दक्षता प्रशिक्षण के द्वितीय वर्ष का विस्तार।	दक्षता विकास	8.66	5.20	5.20	एसएसआरडीपी
49	ईसीएल के अधिकार क्षेत्र में रहने वाली दिव्यांग जन के लिए परियोजना	स्वास्थ्य	24.40	7.32	7.32	एएलआईएमसीओ
50	ईसीएल के अधिकार क्षेत्र में फैले गँाव के ग्रामीणों को चिकित्सा तथा स्वस्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल मेडिकल वैन	स्वास्थ्य	23.50	23.50	47.00	वोखार्ड एचएमआरआई तथा आरके एचआईवी
51	बेनागोरिया, धनबाद, मुगमा क्षेत्र के अधीन के जवाहर नबोदय विद्यालय में कक्षा चलने के लिए 4 कमरों का निर्माण	शिक्षा	79.72	47.83	47.83	जिला प्रशासन धनबाद
52	ईसीएल के मुगमा क्षेत्र में स्कूल का निर्माण	शिक्षा	688.03	42.70	42.70	डीएवी, मुगमा
53	अपर कुहु का गँाव में पेय जल आपूर्ति के लिए पाइप लाईन उपलब्ध कराने तथा फिट करने का कार्य	जल आपूर्ति	9.94	5.88	10.47	मुगमा
54	वित्त 2014-15 वर्ष के लिए सीएसआर मैगजीन का मुद्रण	विविध	0.87	0.87	0.87	सीधे स्वयं
55	सीएसआर को आर्डिनेशन बैठक	विविध	0.02	0.02	0.02	सीधे स्वयं
56	जेराक्स मशीन के लिए टोनर	विविध	0.05	0.07	0.05	सीधे स्वयं
57	ईसीएल के बोर्ड की उपसमिति के लिए सीएसआर तथा स्थायित्व पर पुस्तक हेतु टोनर की खरीद एवं मुद्रण खर्च	विविध	0.03	0.03	0.03	सीधे स्वयं

58	छः महीनों (अक्टूबर 2015 से मार्च, 2016) के लिए मानव संसाधन हेतु टीआईएसएस को भुगतान	विविध	1.80	1.80	1.80	ईआईएसएस
	कुल			**2161.67**		

अनुलग्नक – VI

कंपनी अभिशासन पर रिपोर्ट :

(1) विचारधारा :

कंपनी अधिशासन को ऐसी पद्धतियों, प्रक्रियाओं तथा सिद्धांतों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी अपने सभी स्टेकधारकों के हित में कार्य करती है। ईसीएल को यह दृढ़ विश्वास है कि कंपनी अधिशासन एक संस्कृति है जिसके अंतर्गत एक संस्था विकसित एवं पल्लवित होती है। इस दौरान कंपनी अपने मूल्यों तथा उन उपायों का इस्तेमाल करती है जिसके द्वारा यह लोकहित तथा अपने स्टेकधारकों की आशाओं को पूरा करती है। ईसीएल में, यह नियमों एवं नैतिक मानकों के अनुपालन के साथ–साथ एक महत्वपूर्ण व्यापार निवेश है जो न केवल हमारी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, बल्कि हमारे व्यापार को बनाए रखने के लिए भी बेहद आवश्यक है।

पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सत्यनिष्ठा अच्छे कंपनी अधिशासन के मुख्य घटक हैं। एक अच्छे कंपनी अधिशासन नागरिक की तरह आपकी कंपनी अधिशासन के उच्चतम मानकों के अनुपालन में विश्वास करती है। ईसीएल सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत भारत के नागरिकों को उचित सूचना मुहैया करवाती है।

(2) निदेशक मंडल :

(क) बोर्ड का गठन :

हम कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(45) के तहत एक सरकारी कंपनी हैं क्योंकि कोल इंडिया के पास संपूर्ण प्रदत्त अंश पूंजी मौजूद है। संघ के अनुच्छेदों के मुताबिक निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है।

कंपनी के संघ की धारा के अनुसार हमारे बोर्ड में 02 से कम एवं 15 से ज्यादा निदेशक नहीं रहेंगे। ये निदेशकगण पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक या अंशकालिक हो सकते है। निदेशकों को अंशधारी रहना जरूरी नहीं है।

31 मार्च, 2017 को बोर्ड में 07 निदेशकगण थे, जिसमें से अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक समेत 04 पूर्णकालिक निदेशक हैं।

बोर्ड के निदेशकों के पास व्यापक अनुभव एवं दक्षता मौजूद है।

निदेशकगण :

वर्ष 2016-17 के दौरान, श्री सी. के. डे कम्पनी के अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) 22.11.2016 तक थे तथा उसके बाद 23.11.2016 से श्री आर आर मिश्र अप्रनि डब्ल्यूसीएल ने अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक ईसीएल का कार्यभार सम्हाला।

कम्पनी के बोर्ड में अन्य निदेशकों के रूप में श्री वी. पेदन्ना (28.02.2017 तक), डा० इंदिरा चक्रवर्ती, श्री सी. के. डे, श्री के. एस. पात्र, श्री ए. एम. मराडे, श्री बी. एन. शुक्ला (17.08.2016 से) तथा श्री ए. के. सिंह (15.09.2016 से) रहे।

निदेशकगणों का संक्षिप्त जीवनवृत्त **अनुलग्नक बी** में संलग्न है।

सेवा करार :

सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है। सभी पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशकों की अवधि एवं शर्तों का निर्णय कंपनी के संस्था के अनुच्छेदों के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशकों की सेवा शर्ते कोयला मंत्रालय द्वारा तय की जाती है।

(ख) बोर्ड की बैठक :

निदेशक मंडल की बैठकें निदेशकों की सुविधा के लिए सामान्यतः सांकतोड़िया / कोलकाता में होती है। निदेशक मंडल एवं समितियों की बैठक के लिए कंपनी के पास स्पष्ट प्रक्रिया मौजूद है ताकि सुविधा एवं कुशल तरीके से निर्णय लेने में सुविधा हो।

31 मार्च, 2016 तक समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड की 09 बैठकें हुईं जबकि न्यूनतम आवश्यकता 4 बैठकों की थी। बोर्ड बैठकों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है–

दिनांक	निदेशक मंडल							
	कार्यकारी		अंशकालिक सरकारी		अंशकालिक गैर सरकारी		कुल	
	क्षमता	उपस्थिति						
10.04.2016 11.04.2016	2	2	2	2	1	1	5	5
12.05.2016	2	2	2	2	1	1	5	5
26.05.2016	2	2	2	2	1	1	5	5
15.06.2016	2	2	2	2	1	1	5	5
29.07.2016 30.07.2016	2	2	2	2	1	1	5	5
31.08.2016	3	3	2	2	1	1	6	6
29.09.2016	4	3	2	2	1	1	7	6
30.11.2016	5	5	2	2	1	1	8	8
01.02.2017	5	5	2	2	1	1	8	8
18.03.2017	5	4	1	1	1	1	7	6

प्रत्येक निदेशकों द्वारा भाग लिए गए बोर्ड बैठकों की संख्या का विवरण निम्नलिखित है :

क्रम	निदेशक	बोर्ड बैठक		डायरेक्टरशिप की संख्या
		अन्य अवधि के दौरान सम्पन्न बैठक	उपस्थिति	
	कार्यकारी निदेशक :			
1	श्री राजीव रंजन मिश्र अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) (23.11.2016 से)	3	3	2
2	श्री के.एस. पात्र निदेशक (कार्मिक) एवं निदेशक (तकनीकी)	10	10	NIL
3	श्री ए. एम. मराठे निदेशक (वित्त)	10	10	NIL
4	श्री बी. एन. शुक्ला निदेशक (तकनीकी) (संचालन) (17.08.2016 से)	5	4	NIL
5	श्री ए. के. निदेशक (तकनीकी) योजना तथा परियोजना (15.09.2016 से)	4	3	NIL
	अंशकालिक सरकारी निदेशक :			
6	श्री वी. पेद्दन्ना संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय	9	9	NIL
7	श्री चन्दन कुमार दे निदेशक (वित्त), कोल इंडिया लिमिटेड	10	10	6
	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक :			
8	डॉ. इन्दिरा चक्रवर्ती	10	10	NIL

(ग) निदेशक का पारिश्रमिक :

(i) कार्यकारी निदेशक :

Name	पदनाम	के लिए पारिश्रमिक 2016-17 (राशि ₹ में)		
		पारिश्रमकि पैकेज के सभी तत्व (वेतन, पेंशन, पीएफ, ग्रेच्यूटी इत्यादि)	अन्य लाभ	कुल
श्री के एस पात्र	निदेशक (कार्मिक)	2967383.00	62770.00	3030153.00
श्री ए एम मराठे	निदेशक (वित्त)	2997426.00	20646.00	3018072.00
श्री बी. एन. शुक्ला (17.08.2016 से)	निदेशक (तकनीकी) (संचालन)	1556968.00	135040.00	1692008.00
श्री ए. के. सिंह (15.09.2016 से)	निदेशक (तकनीकी) योजना तथा परियोजना	1542760.00	63739.00	1606499.00

(ii) अंशकालिक सरकारी निदेशकगण –

अंशकालिक आधिकारिक निदेशकगण को कंपनी द्वारा कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है।

(iii) अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशकगण :

सीटिंग शुल्क को छोड़कर अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। बोर्ड/समिति की बैठक में सीटिंग शुल्क का विवरण निम्नलिखित है–

क्रम	निदेशकों के नाम			कुल
1.	डॉ इंदिरा चक्रवर्ती	1,50,000/-	2,85,000/-	4,35,000/-

3. बोर्ड समिति :

[क] लेखा परीक्षा समिति :

आपकी कंपनी में एक स्वतंत्र लेखा परीक्षा समिति है। कंपनी द्वारा गठित लेखा परीक्षा समिति की संरचना, कार्यविधि, शक्तियाँ एवं भूमिका/कार्योंको कंपनी अधिनियम का पालन करना होता है।

लेखा परीक्षा समिति के कार्यक्षेत्र :

लेखा परीक्षा समिति के कार्यक्षेत्र निम्नलिखित है :–

1. कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का अवलोकन करना एवं इसके वित्तीय सूचना का प्रकटीकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त एवं विश्वसनीय है।
2. लेखा परीक्षा शुल्क के नियतन को बोर्ड के पास सिफारिश करना।
3. वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रदान की गई कोई सेवा के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों के शुल्क के निर्धारण हेतु बोर्ड को सिफारिश करना।
4. स्वीकृति हेतु बोर्ड के पास जमा करने, पहले लागू नियमों के साथ अनुपालन के वार्षिक वित्तीय विवरण की समीक्षा एवं सुनिश्चित करना कि :

क) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (5) के खंड (२एए) की शर्तों में बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल निदेशकों की जिम्मेदारी विवरण में शामिल होने वाले मामले ;

ख) लेखांकन नीतियों एवं पद्धति में कोई बदलाव, यदि हो;

ग) प्रबंधन द्वारा लिए गए फैसले को लागू करने पर आधारित आकलन जो बड़े लेखांकन प्रविष्टियों में शामिल है ;

घ) लेखा परीक्षा तथ्यों से प्राप्त वित्तीय विवरण में महत्वपूर्ण समायोजन ;

ङ) वित्तीय विवरण से संबंधित वैधानिक जरूरत के साथ अनुपालन ;

च) किसी पार्टी लेनदेन से संबंधित प्रकटीकरण ;

छ) लेखा परीक्षा रिपोर्ट मसौदा में योग्यता ।

ज) वित्तीय दशा का विश्लेषण तथा प्रबंधन चर्चा एवं संचालन का परिणाम।

5. स्वीकृति हेतु बोर्ड में जमा करने के पहले प्रबंधन के साथ तिमाही वित्तीय विवरण की समीक्षा।

6. प्रबंधन के साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता एवं आंतरिक लेखा परीक्षकों के निष्पादन की समीक्षा।

7. आंतरिक लेखा परीक्षा के कार्य का पर्याप्तता की समीक्षा यदि कोई हो जिसमें आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की रचना, स्टाफिंग एवं स्टाफ की वरिष्ठता, आंतरिक लेखा परीक्षा की रिपोर्टिंग, कवरेज एवं बारंबारता तथा आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति/निष्कासन से संबंधित सूचना।

8. किसी महत्वपूर्ण तथ्य का आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा।

9. आंतरिक लेखा परीक्षकों/लेखा परीक्षकों/एजेंसियों द्वारा उन मामलों का आंतरिक अनुसंधान जहाँ किसी धोखाधरी या अनियमितता या आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के फेल होने के तथ्य की समीक्षा तथा बोर्ड को रिपोर्ट करना।

10. लेखा परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व, लेखा परीक्षा की प्रकृति एवं स्कॉप साथ ही लेखा परीक्षा पश्चात चर्चा के बारे में वैधानिक लेखा परीक्षकों के साथ विचार विमर्श।

11. जमाकर्ताओं, डिवेंचर होल्डरों, अंशधारियों (घोषित डिविडेंट भुगतान नहीं होने पर) एवं ऋणदाताओं के भुगतान के व्यापक गड़बड़ी के कारणों को देखना।

12. व्हीसल व्लोवर मेकानिज्म के कार्य करने के ढंग की समीक्षा करना।

13. सी एण्ड ए जी लेखा परीक्षा की टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा।

14. अपेक्षित सूचना के निर्धारण या गतिविधियों के कार्यक्षेत्र पर कोई प्रतिबंध समेत लेखा कार्य के दौरान कोई असुविधा, संघर्ष।

15 संसदीय लोक उद्यम समिति की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा।

संयोजन :

लेखा परीक्षा समिति में 2 (दो) अंशकालिक सरकारी निदेशक नामतः श्री वी पेदन्ना (28.02.2017 तक) एवं श्री सी के दे, 01 (एक) अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक डॉ इंदिरा चक्रवर्ती एवं 02 (दो) कार्यकारी निदेशक नामत: श्री बी. एन. शुक्ला, निदेशक (तकनीकी) संचालन (31.08.2016 से) तथा श्री के. एस. पात्र, निदेशक (कार्मिक), ईसीएल शामिल हैं।

श्री वी पेदन्ना, अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष रहे। हालांकि 21.02.2017 का आडिट कमिटी की 80 वीं बैठक में उनकी अनुपस्थिति में डा. इंदिरा चक्रवर्ती अंशकालीन गैर सरकारी निदेशक को आडिट कमिटी का अध्यक्ष चुना गया।

निदेशक (वित्त) एवं महाप्रबंधक (वित्त)आंतरिक लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं तथा कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की 06 (छह) बैठकें हुईं। लेखा परीक्षा समिति की बैठकों का विवरण निम्नलिखित है :

दिनांक	सदस्य							
	कार्यकारी		अंशकालिक सरकारी		अंशकालिक गैर–सरकारी		कुल	
	उपस्थिति	क्षमता	उपस्थिति	क्षमता	उपस्थिति	क्षमता	उपस्थिति	क्षमता
10.04.2016	1	1	2	2	1	1	4	4
26.05.2016	1	1	2	2	1	1	4	4
31.08.2016	1	1	2	2	1	1	4	4
29.11.2016	2	1	2	2	1	1	5	4
01.02.2017	2	2	2	2	1	0	5	4
21.02.2017	2	2	2	0	1	1	5	3

लेखापरीक्षा समिति की उपस्थिति :

प्रत्येक सदस्यों द्वारा भाग लिए गए लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की संख्या का विवरण निम्नलिखित है :–

क्रम	सदस्य	सदस्यों की संबंधित अवधि के दौरान बैठकें	भाग ली गई बैठकों की संख्या
1	श्री वी. पेद्दन्ना	6	5
2	श्री सी. के. दे.	6	5
3	डॉ. इन्दिरा चक्रबर्ती	6	5
4	श्री के. एस. पात्र	6	5
5	श्री बी. एन. शुक्ला	3	3

[ख] परियोजनाओं के मूल्य निरूपण, मूल्यांकन एवं स्वीकृति हेतु समिति

बोर्ड की 246 वीं बैठक में परियोजनाओं के मूल्य निरूपण, मूल्यांकन तथा स्वीकृति हेतु समिति का गठन हुआ। परियोनाओं के मूल्य निरूपण, मूल्यांकन तथा स्वीकृति हेतु समिति का पुनर्गठन एक अंशकालिक सरकारी निदेशक श्री वी पेद्दन्ना (28.02.2017 तक), एक अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक डॉ इंदिरा चक्रवर्ती तथा तीन कार्यकारी निदेशकों – श्री बी. एन. शुक्ला, निदेशक (तकनीकी) संचालन (31.08.2016 से), श्री ए. के. सिंह,निदेशक(तकनीकी) यो एवं परि (29.09.2016 से) तथा श्री ए एम मराठे, निदेशक (वित्त) को शामिल करते हुए किया गया।

कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं तथा महाप्रबंधक (योजना एवं परियोजना) इस समिति हेतु नोडल अधिकारी हैं।

श्री वी पेद्दन्ना, अंशकालिक सरकारी निदेशक वर्ष 2016-17 के दौरान इस समिति के प्रथम चार बैठकों में अध्यक्ष थे। 2016-17 के दौरान,मूल्य निरूपण, मूल्यांकन तथा स्वीकृति हेतु गठित समिति की 05 (पाँच) बैठकें सम्पन्न हुईं (15.06.2016, 31.08.2016, 30.11.2016, 31.01.2017 तथा 18.03.2017).

बैठकों में सदस्यों एवं उनकी उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित है :

क्रम	सदस्य	सदस्यों की संबंधित अवधि के दौरान बैठकें	बैठक में उपस्थिति की संख्या
1	श्री वी. पेद्दन्ना	4	4
2	डॉ. इन्दिरा चक्रबर्ती	5	5
3	श्री ए. एम. मराठे	5	5
4	श्री बी. एन. शुक्ला (31.08.2016 से)	3	2
5	श्री के. एस. सिंह (29.09.2016 से)	3	2

[ग] सीएसआर तथा सतत विकास पर समिति

ईसीएल बोर्ड की 261 वीं बैठक में सीएसआर एवं सतत विकास पर एक समिति का गठन किया। समिति में एक अंशकालिक सरकारी निदेशक श्री वी पेद्दन्ना (28.02.2017 तक) , एक अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक डॉ इंदिरा चक्रवर्ती तथा चार कार्यकारी निदेशकों – श्री बी. एन. शुक्ला, निदेशक (तकनीकी) संचालन (31.08.2016 से), श्री के एस पात्र, निदेशक (कार्मिक), श्री ए. के. सिंह, निदेशक(तकनीकी) यो एवं रि (29.09.2016 तक) तथा श्री ए एम मराठे, निदेशक (वित्त) को शामिल किया गया।

कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं तथा विभागाध्यक्ष (सीएसआर एवं कल्याण) इस समिति हेतु नोडल अधिकारी हैं।

वर्ष 2016-17 के दौरान, सीएसआर एवं सतत विकास पर 06 बैठकों का आयोजन दिनांक : 10.04.2016, 12.05.2019, 29.07.2016, 07.10.2016, 31.01.2017 एवं 21.2.2017 को किया गया। वर्ष भर डॉ. इन्दिरा चक्रवर्ती समिति की अध्यक्ष थीं। बैठक के सदस्यों एवं उनकी उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित है :

क्रम	सदस्य	सदस्यों के संबंधित कार्यकाल के दौरान हुई बैठकें	बैठक में उपस्थिति की संख्या
1	डॉ. इन्दिरा चक्रबर्ती	6	6
2	श्री वी. पेद्दन्ना (28.02.2017 तक)	6	5
3	श्री के. एस. पात्र	6	6
4	श्री ए. एम. मराठे	6	5
5	श्री बी. एन. शुक्ला (31.08.2016 से)	3	3
6	श्री के. एस. सिंह (29.09.2016 से)	3	2

ईसीएल बोर्ड की 285 वीं बैठक में प्रदर्शन समीक्षा समिति का गठन किया गया था। उक्त समिति अंशकालिक सरकारी निदाशक तथा एक में श्री वी. पेदन्ना (28.02.2017 तक) अंशकालीन कार्यकारी निदेशक के रूप में डॉ. इन्दिरा चक्रवर्ती एवं दो कार्यकारी निदेशकों के रूप में श्री के. एस. पात्र, निदेशक (कार्मिक) तथा श्री ए. एम. मराठे, निदेशक (वित्त) शामिल थे। वर्ष 2016-17 के दौरान दिनांक : 10.04.2016 को प्रदर्शन समीक्षा समिति की एक बैठक आयोजित हुई।

उक्त समिति के सचिव, कंपनी सचिव है तथा महाप्रबंधक (योजना एवं परियोजना), महाप्रबंधक (उत्खनन), महाप्रबंधक (वैद्युतिक एवं यांत्रिकी) तथा महाप्रबंधक (विक्रय एवं विपणन) समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य है।

उक्त समिति के अध्यक्ष अंशकालीन कार्यालयीन निदेशक श्री वी. पेद्न्ना थे। सदस्यों एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्रम	सदस्य	सदस्यों के संबंधित कार्यकाल के दौरान हुई बैठकें	बैठक में उपस्थिति की संख्या
1	श्री वी. पेद्न्ना (28.02.2017 तक)	1	1
2	डॉ. इन्दिरा चक्रबर्ती	1	1
3	श्री के. एस. पात्र	1	1
4	श्री ए. एम. मराठे	1	1

[ङ] खतरा प्रबन्धन समिति :

ईसीएल बोर्ड की 291 वीं बैठक में खतरा प्रबंधन समिति गठित की गई। इस समिति में एक अंशकालीन सरकारी निदेशक यथा श्री वी. पेदन्ना (28.02.2017 तक) एक अंशकालीन गैर सरकारी निदेशक यथा डा० इंदिरा चक्रवर्ती, तथा 4 (चार) कार्यकारी निदेशक यथा श्री के. एस. पात्र, निदेशक (कार्मिक), श्री ए. एम. मराठे, निदेशक वित्त, श्री बी. एन. शुक्ला, निदेशक तकनीकी (संचालन) (31.08.2016 से) तथा श्री ए. के. सिंह निदेशक तकनीकी योजना एवं परियोजना (29.09.2016 से) है। वर्ष 2016-17 के दौरान एक खतरा प्रबन्धन समिति की एक बैठक 07.10.2016 को सम्पन्न हुई।

कम्पनी के सचिव, इस समिति के सचिव है तथा श्री व. पेदन्ना अंशकालीन सरकारी निदेशक समिति के अध्यक्ष है। सदस्यों का विवरण तथा बैठक में उनकी उपस्थिति निम्नलिखित है :

वैधानिक लेखा परीक्षक :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी लेखा की लेखा परीक्षा लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त निम्नलिखित चार्टर्ड लेखा परीक्षक, फर्म का विवरण निम्नलिखित है :

क्रम	सदस्य	सदस्यों के संबंधित कार्यकाल के दौरान हुई बैठकें	बैठक में उपस्थिति की संख्या
1	श्री वी. पेद्दन्ना (29.09.2016 तक)	1	1
2	डॉ. इन्दिरा चक्रबर्ती	1	1
3	श्री के. एस. पात्र	1	1
4	श्री ए. एम. मराठे	1	–
5	श्री बी. एन. शुक्ला (31.08.2016 से)	1	1
6	श्री ए. के. सिंह (29.09.2016 से)	1	1

वैधानिक लेखा परीक्षक :

1. मेसर्स एम चौधरी एंड कंपनी, 162, जोधपुर पार्क,कोलकाता–700068

शाखा लेखा परीक्षक :

2. मेसर्स यू एस साहा एंड कंपनी, 228 कमलालय सेंटर, द्वितीय तल, 156 ए लेनिन सरणी, कोलकाता – 700013
3. मेसर्स डी झा एण्ड एदोसिएट्स, प्रथम तल, सूरज मार्केट, हलजी हिटजी, रांची – 834001
4. मेसर्स एन. सरकार एण्ड कंपनी, 21, प्रफुल्ल सरकार स्ट्रीट, कोलकाता – 700072
5. मेसर्स वीरेंद्र सुराना एंड कंपनी, विवेकानंद कॉलेज के पास, श्रीपल्ली, बर्दवान, 713103
6. मेसर्स सराफ एण्ड चन्द्रा, 501, अशोक हाउस, 3A, हेयर स्टीट, पाँचवा तल, कोलकाता–700001

वार्षिक सामान्य बैठक :

विगत 3 वर्षों के दौरान कंपनी के अंशधारियों को वार्षिक सामान्य बैठक का विवरण निम्नलिखित है :–

वर्ष	दिनांक तथा समय	स्थान	उपस्थिति	विशेष संकल्प, यदि कोई
2013-14	14.06.2014 12:15 अपराहन	सांकतोड़िया	श्री राकेश सिन्हा, अप्रनि, ईसीएल श्री एस मन्ना, मु प्रबंधक (वित्त), सीआईएल, सीआईएल के प्रतिनिधि, अध्यक्ष, सीआईएल तथा निदेशक (वित्त), सीआईएल श्री एस एम शर्मा, अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति, श्री के के गौतम, विशेष निदेशक, बीआईएफ़आर, श्री एस चक्रवर्ती, निदेशक (तकनीकी) संचालन, ईसीएल (लेखापरीक्षा समिति के सदस्य) श्री सी के दे, निदेशक (वित्त), ईसीएल, श्री रमेश चन्द्र,निदेशक (तकनीकी) यो–परि, श्री के एस पात्र, निदेशक (का)	

2014-15	27.06.2015 11:00 पूर्वाह्न	सांकतोड़िया	श्री सी. के. दे, निदेशक (वित्त), सीआईएल, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), ईसीएल, श्री एस मुखर्जी, मुख्य प्रबंधक (वित्त), सीआईएल, सीआईएल के प्रतिनिधि, अध्यक्ष, सीआईएल, एस चक्रवर्ती, निदेशक (तकनीकी) संचालन, ईसीएल (लेखापरीक्षा समिति के सदस्य), श्री के एस पात्र, निदेशक (का), श्री बी आर रेड्डी,निदेशक (तकनीकी) यो-परि	
2015-16	16.07.2016 11:00 पूर्वाह्न	सांकतोड़िया	श्री सी. के. दे, निदेशक (वित्त), सीआईएल, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), ईसीएल, श्री डी. सेट, निदेशक (तकनीकी) संचालन, ईसीएल (लेखापरीक्षा समिति के सदस्य), श्री के एस पात्र, निदेशक (का), श्री ए. एम. मराठे, निदेशक (वित्त), ईसीएल,	

ईसीएल के 41 वें एजीएम में ईसीएल के आर्टिकल आफ एसोसिएसन के क्लाज 32 (ए) के संसाधन के लिए विशेष संकल्प पारित किया गया। जिसका सारांश निम्नलिखित है

संकल्प किया जाता है कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के आर्टिकल आफ एसोसिएसन के क्लाज 32 (क) के संशोधन के लिए प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।

''उपरोक्त प्रावधान के होते हुए भी बोर्ड अध्यक्ष सीआईएल के एतद्वारा संबंधित निर्मण को सुरक्षित रखेगी।

क) समय समय पर जारी सरकारी मार्गदर्शन में शामिल यदि कुछ हो तो, पूंजीगत खर्च के लिए निर्धारित खर्च की सीमा अधिक होने पर भी कोई कार्यक्रम''।

4. प्रकटन :

(क) संबंधित पार्टी लेनदेन :

कंपनी के निदेशकों द्वारा दिए गए प्रकटीकरण के तहत पार्टियों के साथ लेन-देन के क्रम में व्यापक तौर पर कंपनी के हित के विरूद्ध कोई विवाद नही था।

(ख) निदेशकों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आचार संहिता :

निदेशकों एवं वार्षिक अधिकारियों के लिए आचार संहिता को दिनांक 15 अक्तूबर 2007 को कंपनी के निदेशक मंडल की 214 वीं बैठक में मंजूरी दे दी गई। इसे निदेशकों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के नाम परिचालित कर दिया गया तथा उनसे इसकी पुष्टि प्राप्त कर

ली गई। इसे कंपनी के वेबसाइट www.easterncoal.gov.in पर भी अपलोड कर दिया गया।

(ग) लेखांकन व्यवहार :

वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 में दर्शाए गए जरूरी लेखांकन मानकों एवं संबंधित प्रस्तुतीकरण आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किये गए है।

(घ) जोखिम प्रबंधन, धोखाधरी नियंत्रण तथा पहचान :

05.11.2012 को 257 वीं बैठक में ईसीएल बोर्ड द्वारा जोखिम मूल्यांकन एवं न्यूनीकरण नीति की मंजूरी दी गई है।

(ङ) सीईओ/सीएफ़ओ प्रमाणीकरण :

ईसीएल की 289 वीं बोर्ड बैठक में कंपनी के निदेशक (वित्त) श्री ए एम मराठे तथा अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक श्री चन्दन कुमार दे (अतिरिक्त प्रभार) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया जो **अनुलग्नक–सी** के रूप में कंपनी अधिशासन रिपोर्ट के साथ अनुलग्नित किया गया है।

(च) प्रयोज्य विधियों/नियमों का अनुपालन :

वित्त–वर्ष 2016-17 के दौरान, कंपनी पर प्रयोज्य सभी विधियों/नियमों का अनुपालन किया गया।

5. संचार का माध्यम :

कंपनी का वार्षिक प्रतिवेदन, संचालन तथा वित्तीय कार्य–निष्पादन को कंपनी की वेबसाइट www.easterncoal.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है। वार्षिक लेखा के अलावा लेखा के छमाही समीक्षा को भी कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा देखा गया।

6. लेखा परीक्षा अर्हता :

कंपनी का यह हमेशा प्रयास रहा है कि वह अप्रतिबंध वित्तीय विवरण प्रस्तुत करे। 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा पर वैधानिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों का प्रबंधन के उत्तर को निदेशकों के प्रतिवेदन के संलग्नक के रूप में तैयार किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लेखा पर टिप्पणियों को भी संलग्न किया गया है।

7. बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण :

अपेक्षित अनुभव के आधार पर कार्यकारी निदेशकगण अपने संबंधित क्षेत्रों के प्रधान हैं। वे कंपनी के बिजनेस मॉडल तथा जोखिम विवरण से भलीभांति परिचित हैं। अंशकालिक निदेशक भी कंपनी के बिजनेस मॉडल से सुपरिचित हैं।

8. कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न :

कंपनी का 100% शेयर कोल इंडिया लिमिटेड के पास है।

9. व्हीसिल ब्लोअर नीति :

कंपनी अपनी सभी व्यवसायिक गतिविधियों में नैतिक आचरण को बढ़ावा देती है। बोर्ड ने अवैध या अनैतिक आचरण की रिपोर्टिंग की व्यवस्था दी है। कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी के पास कानून के उल्लंधन, धोखाधरी या अनैतिक आचरण की शिकायत करने के लिए स्वतंत्र है। किसी कर्मचारी से प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा छानबीन समिति द्वारा किया गया। प्रबंधन के कार्मियों को यह हिदायत दी जाती है कि वे उक्त रिपोर्टिंग को गोपनीय रखें।

सत्यनिष्ठा समझौते के कार्यान्वयन के लिए कोल इंडिया द्वारा किए गए समझौता ज्ञापन की तर्ज पर मेसर्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए 27 मार्च 2008 को कंपनी के बोर्ड ने अपनी 218 वीं बैठक की मंजूरी दे दी।

10. 2016-17 के दौरान, लेखा समिति के अध्यक्ष तक सीधे पहुँचने से किसी को भी नहीं रोका गया।

11. पीई सर्वे के लिए पूर्ण डाटा शीट को डीपीई के पास प्रस्तुत करने की तारीख 05.09.2016 थी।

अनुलग्नक – ख

निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

सभी निदेशकों, का संक्षिप्त सारवृत्त, विशिष्ट कार्यकारी क्षेत्रों में उनके अनुभव की प्रकृति तथा कंपनियों का नाम जिसमें उन्होंने अध्यक्ष, निदेशक, बोर्ड/समितियों के सदस्य रहें है, का विवरण निम्नलिखित है –

श्री सुब्रत चक्रवर्ती (50), ईसीएल के 15.06.2017 से अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक हैं। पिछले दिनों में उन्होंने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की निदेशक तकनीकी संचालन के रूप में सेवा की है।

अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा शांति निकेतन के पाठ भवन में पूरी करने के बाद उन्होंने वर्ष 1979 में इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स से खनन अभियांत्रिकी में स्नातक परीक्षा पास की। उसके बाद बी आई टी मेसरा से वर्ष 1997 में मास्टर ऑफ कम्प्यूटर एप्लिकेशन की परीक्षा पास की। उन्हें ईपीरियल स्कूल आफ साइन्स एन्ड टेकनालॉजी लंदन में बिलियम सेलकिर्क स्कालरशिप तथा हार्लेम ई वेस्ट स्कालरशिप प्रदान किया गया।

श्री चक्रवर्ती को खनन उद्योग का 35 वर्षों से अधिक वर्षों का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त है। उन्हें सीसीएल, बीसीसीएल, एनसीएल तथा ईसीएल का प्रशासन प्रबंधन, उत्पादन, योजना कार्यान्वयन, भूमिगत तथा खुली खानों में खनन का व्यापक अनुभव है। ईसीएल के अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक बनने से पहले उन्होंने मुख्य महाप्रबन्धक / तकनीकी सचिव कोल इंडिया लिमिटेड, मुख्य महाप्रबन्धक अमलोरी परियोजना नार्दर्न कोल फील्डस् लिमिटेड तथा निदेशक तकनीकी (संचालन) ईसीएल के रूप में कार्य किया है। विभिन्न कार्यां को पूरा कराने का उनका काफी उत्कृष्ट ट्रैक रिकार्ड रहा है। जिसकी हमेशा प्रशंसा होती हरी है। ईसीएल को सालों साल घाटा देने वाली कम्पनी से उबार कर लाभदायक कम्पनी बनाने में उन्होंने निदेशक (तकनीकी) संचालन के पदभार पर रहते हुए उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। इस अवधि में ईसीएल ने एमओयू का प्रतिष्ठित पुरस्कार लगातार तीन वर्षो तक जीता है। श्री चक्रवर्ती ने यूएसए, रूस, बेलारूस, जर्मनी, स्विजरलैंड, फ्रांस, चीन, सिंगापुर इत्यादि देशों की व्यापक रूप से यूएनडीपी तथा कार्यालयीन कार्यो से यात्रायें की हैं। श्री चक्रवर्ती का पुस्तकें पढ़ने, गाने तथा सभी प्रकार के खेलों में गहरी अभिरूचि है।

श्री चंदन कुमार दे, निदेशक (वित्त),कोल इंडिया लिमिटेड का जन्म दिनांक 10 सितम्बर, 1958 को कोलकाता में हुआ। 01 मार्च, 2015 को कोल इंडिया लिमिटेड में पदभार ग्रहण करने के पहले श्री दे निदेशक (वित्त) के रूप में 01.02.2013 से 28.02.2015 तक ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएँ प्रदान कर रहे थे। वर्तमान में, गत 01 जून, 2015 से, श्री चन्दन कुमार दे ईसीएल के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं।

श्री दे 1975 में केंद्रीय विद्यालय से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की तथा वर्ष 1978 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से लेखा में ऑनर्स के साथ वाणिज्य में स्नातक हुए। श्री डे चार्टर्ड अकाउंटेंड तथा कोस्ट अकाउंटेंड है।

श्री दे को 35 वर्षो से अधिक का व्यापक अनुभव है तथा लवलॉक एण्ड लीव्स, डन्लॉप इंडिया लि., निक्को ग्रूप, बाल्मर लौवरी एण्ड कंपनी लि. एवं ऑयल इंडिया लिमिटेड सहित विभिन्न प्रतिष्ठित संगठनों में अपनी सेवाएँ दीये हैं।

अपने पेशेवर कैरियर के दौरान श्री दे लेखा, राजकोष, कराधान एवं आंतरिक लेखा परीक्षण कार्यों के प्रमुख रहें तथा मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में सेवाएँ दिये। 03 वर्षो के लिए श्री डे यूनाइटेड किंग्डम में बाल्मर लॉवरी एण्ड कंपनी लि. के संचालन के मुख्य संचालन अधिकारी के

रूप में भी प्रमुख थें। वे सरकारी कार्य से भारत में तथा विदेशों में जैसे यूके, फ्रांस, जर्मनी, स्वीजरलैंड, यूएसए, हॉन्ग कॉन्ग, यूएई और सेन्ट्रल एशियन रिपब्लिक का व्यापक यात्रा किये हैं।

श्री दे की रूचि किताबें पढ़ने में है तथा उन्हें संगीत से प्रेम है।

श्री विवेक भारद्वाज (48) संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय भारत सरकार ने 9 जून 2017 को ईसीएल के निदेशक मंडल में अशंकालिक निदेशक के रूप में संयुक्त हुए। वे बीसीसीएल के निदेशक मंडल में भी अंशकालिक निदेशक हैं। इसके पहले श्री भारद्वाज कोल इंडिया तथा नार्थन कोलफील्ड्स लिमिटेड तथा साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक मंडल में भी रह चुके हैं।

श्री भारद्वाज पश्चिम बंगाल काडर के 1990 बैच के आइ ए एस हैं। श्री भारद्वाज मेयो कॉलेज तथा डिमान्स्ट्रेशन स्कूल अजमेर के भूतपूर्व छात्र हैं तथा वे दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री राम कॉलेज आफ कामर्स के ग्रेजुएट तथा स्लोवेनिया के लुब्जियाना विश्वविद्यालय के जननीति (पब्लिक पालिसी) विषय में एमबीए हैं।

श्री भारद्वाज को पश्चिम बंगाल राज्य में एसडीओ अलीपुर दुआर, अतिरिक्त अधिशासी अधिकारी, मालदा जिला परिषद, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दार्जीलिंग जिला मजिस्ट्रेड तथा कलक्टर, नदिया, परियोजना निदेशक कोलकाता पर्यावरण सुधार परियोजना (केईआईपी) मुख्य अधिशासी अधिकारी (सीईओ) के एमडीए (कोलकाता मेट्रोपोलिटन डवलपमेंट अथोरिटी) तथा विशेष सचिव आयकर विभाग सहित विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्य का करने विस्तृत अनुभव है। उन्होंने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों में अपनी सेवायें दी हैं। अपनी पिछले कार्यकाल में से उपसचिव / निदेशक, स्कूल शिक्षा (एमएचआरडी, भारत सरकार) बने जहाँ उन्होंने शिक्षा में आईसीटी समर्थन के लिए भारत सरकार के फलैगशिप कार्यक्रम को निरूपित किया तथा उपसचिव / निदेशक उच्च शिक्षा (एमएचआरडी, भारत सरकार) बने जहाँ उन्होंने भारत में विदेशी विश्व विद्यालयों के नियंत्रित करने के लिए ड्राफ्ट नीति को निरूपित करने में सक्रिय रहे।

उनकी बहु मूल्य सेवाओं को विभिन्न सम्मान तथा पुरस्कार यथा ''दि स्काच अवार्ड 2010'' बर्द्धमान तथा बांकुड़ा में अनुसूचित जाति बहुल विद्यालयों में कम्प्यूटर सहायक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए दिया गया तथा अंतिम दौर के 15 व्यक्तियों में विशेष गुण के लिए ''दि स्टाकहोम चैलेंज अवार्ड'' से सम्मानित किया गया।

आपने विभिन्न पुस्तकें / शोध अध्ययन / लेख लिखे हैं जिसमें ''भारतीय विद्यालयों में आईसीटी के उपयोग पर एक अध्ययन'', ''भारत में चुनिंदा सार्वजनिक परीक्षा संस्थानों की दक्षता तथा प्रबन्धन बोर्ड का मानदण्ड तथा उनके परिणाम'' – पर एक शोध प्रबन्ध प्रमुखें इसके अतिरिक्त ग्रडिंग द बोर्ड जिसका प्रकाशन टाइम्स ऑफ इंडिया में हुआ था तथा टाइम्स ऑफ इंडिया, कोलकाता में शहरी मामलों पर नियमित रूप से विभिन्न अन्य लेख प्रकाशित किए गए। इकोनामिक टाइम्स के फीचर ''टॉप व्यू'' में आपके विचार प्रकाशित किए गए। श्री भारद्वाज सूचना प्रोद्योगिकी तथा शिक्षा पर सम्मेलनों के नियमित वक्ता के रूप में पहचाने जाते है।

प्रोफेसर (डॉ) इन्दिरा चक्रवर्ती एक प्रसिद्ध विदुषी हैं तथा उनका सम्पूर्ण प्रयास लोक स्वास्थ्य में आधारभूत सुधार हेतु वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने में समर्पित रहा है। मूलतः इनका ध्यान पोषण एवं स्वास्थ्य रक्षा की ओर रहा। डॉ. चक्रवर्ती के पास अध्ययन क्षेत्र की सर्वोच्च डिग्रियों जैसे – पीएचडी एवं डी. एससी हैं।कोलकाता में प्रेसिडेंसी कॉलेज एवं साइंस कॉलेज में अध्ययन करने के पश्चात वे यू. एस. में कई प्रसिद्ध संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों में विश्व स्वास्थय संगठन फ़ेलो के रूप में प्रशिक्षित हुईं।

प्रोफेसर इन्दिरा चक्रवर्ती को उनकी आजीवन उपलब्धियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र (1995) के 50 साल पूरे होने पर श्रीमती चक्रवर्ती को सर्वोत्तकृष्ट ग्लोबल प्रोजेक्ट के लिए प्रसिद्ध एडुआर्डो सौमा पुरस्कार, 2009 में यूएसएफ़ की ओर से लोक स्वास्थ्य संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के क्षेत्र में प्रेसिडेंट्स ग्लोबल लीडरशीप एवार्ड, इन्दिरा गाँधी नेशनल प्रियदर्शनी एवार्ड आजीवन उपलब्धियों के लिए उदय पुरस्कार, रोटरी इंटरनेशनल एवं अन्य अनेकों पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

श्रीमती चक्रवर्ती काफी वरिष्ठ एवं दायित्वशील पदों पर कार्य कर चुकीं हैं जिनमें से स्वास्थ्य सेवाओं की अपर महानिदेशक, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाईजीन एंड पब्लिक हेल्थ, भारत सरकार की निदेशक, चित्तरंजन नेशनल केंसर इंस्टीट्यूट, भारत सरकार की निदेशक, साऊथ एशिया, एमआई, आईडीआरसी (कनाडा) की क्षेत्रीय निदेशक एवं न्यूट्रीशन एक्ट, डबल्यूएचओ, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय सलाहकार कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण पद महत्वपूर्ण हैं।

वर्तमान में वे डबल्यूएसएसओ, पीएचईडी की मुख्य सलाहकार हैं। वे कोर कमिटी, डबल्यूएएसएच (स्वच्छ भारत अभियान), एमडीडबल्यूएस, भारत सरकार की सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय आईआईजीएच के सलाहकार बोर्ड की सदस्य है, वाटर एंड बीभेरेज साइंटिफिक पैनेल, एफ़एसएसएआई, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षा है, रिजनल मेडिकल सेंटर (भुबनेश्वर), आईसीएमआर, एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, स्टॉप डाइरिया टैग की अध्यक्षता है, सेभ द चिल्ड्रेन की अध्यक्षता है, स्केवरण इनोवेशन सेंटर की अध्यक्षा हैं, हाईजिन इंडेक्स, रेकिट बैकीजर की सलाहकार समिति की सदस्या हैं तथा ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक हैं।

श्री के. एस. पात्र 03 अप्रैल, 1958 को ओडीशा के गंजम जिले के एक शिक्षित परिवार में जन्मे श्री के एस पात्र ने भंजनगर (ओडीशा) के केएसयूबी कॉलेज से अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद बरहमपुर विश्वविद्यालय से श्रम एवं समाज कल्याण में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की।

श्री पात्र ने वर्ष 1982 में प्रशिश्रु कल्याण अधिकारी के रुप में कोल इंडिया लिमिटेड में पदभार ग्रहण किया एवं उन्हें कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में पदस्थापित किया गया। ईसीएल से उन्होंने उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया। इसमें यूनिट क्षेत्र स्तर पर औद्योगिक संबंध, कर्मियों के कल्याण, कार्मिक मामले–खासकर मजदूरी एवं वेतन प्रशासन तथा पदोन्नति से संबंधित विभिन्न चुनौतीपूर्ण कार्य भी शामिल है। ईसीएल में उनकी लंबी अवधि के दौरान श्री पात्र ने सभी संवेदनशील स्थितियों का बड़े साहस के साथ सामना किया। विशेषकर न्यू केंदा खदान (1994), शामसुंदरपुर कोलियरी एवं बंकोला कोलियरी में भयावह खान दुर्घटना के समय उन्होंने अपने समृद्ध ज्ञान के द्वारा सफलतापूर्वक उन प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय पायी। 27 वर्षों (1982 - 2009) तक ईसीएल में अपनी सेवाएँ देने के पश्चात उन्होंने 2009 में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) में मुख्य प्रबंधक (कार्मिक) के रुप में पदोन्नत होकर सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, राँची (कोल इंडिया लिमिटेड की एक अन्य अनुषंगी कंपनी) में पदभार ग्रहण किया।

वर्ष 2011 में पदोन्नति के बाद महाप्रबंधक (कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध) के रुप में कार्मिक विभाग, सीसीएल को नेतृत्व प्रदान किया। 50,000 से अधिक जन शक्ति वाली कम्पनी सीसीएल के रांची में आपने कम्पनी स्तर पर कार्यकारी ट्रेड यूनियनों तथा कम्पनी के साथ बेहतर संबंध बनाए रखा तथा सामूहिक सामाजिक जिम्मेदारी को खूबी निभाया। आपकी नवीन तथा सकारात्मक सोच से कम्पनी के औद्योगिक संबंध में केवल सौहार्दपूर्ण बना रहा बल्कि कम्पनी के उत्थान में उत्पादन, उत्पादकता, आफटेक, लाभदायकता में सहायता की तथा ––––––परियोजना प्रमाणित जनता तथा ग्रामीण लोगों के मनोवल को ऊँचा उठाने के लिए अनुकूल वातावरण की सृष्टि की। श्री पात्र हमेशा अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए चिंतित रहते है तथा कम्पनी की परिधि में आनेवाले समाज के कमजोर समुदाय के लोगों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए लगे रहते हैं।

सामुदायिक विभाग तथा सामूहिक सामाजिक जिम्मेदारी के अधीन सीसीएल में उन्होंने लुपुंगटोली सीमारटोली तथा वर्ष 1971 में बांगलादेश के युद्ध के समय शहीद अलवर्ट एक्का की जन्मस्थली के सीएसआर के अधीन ग्रहण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे श्रमिकों की भलाई के लिए उनकी कालोनियों में जाकर देखभाल करने में रूचि रखते हैं।

कोयला उद्योग तथा अपने कार्य के प्रति नवीन सकारत्मक सोच के साथ व्यापक अनुभव के मामले में उनकी उपलबधि तथा सफलता की कहेनी से उनका ईसीएल के निदेशक तकनीकी के रूप में चयन हुआ तथा ईसीएल के विस्तृत परिवार नियमों में 1 नवम्बर 2013 को उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया।

श्री फात्रो, गरीब तथा निचले तब के शामिल अपनो कर्मचारियों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार के संकल्प के साथ ईसीएल में अपने पुनर्योगदान से ही श्रमिकों के कल्याण तथा सीएसआर गतिविधियों को तेजी प्रदान करने में लगे हैं। केन्द्रीय चिकित्सालय काल्ला में नर्सिंग स्कूल की स्थापना, काल्ला चिकित्सालय के लिए तथा सांकतोड़िया नवीनतम चिकित्सा उपकरणों की खरीद, कर्मचारियों की कालोनी तथा आवासों वी.टी केन्द्रों का उत्थान, नियोजन के मामलों में सहानुभूति के आधार पर शीघ्र निपटारा एयर कंडीशंड तथा अन्य सुविधा सहित जलपान गृह (कैन्टीन) निपटारा, तथा जमीन के बदले नौकरी झांझरा तथा मुगमा क्षेत्र में विद्यालय की स्थापना, सालानपुर, केन्दा, राजमहल, बांकोला में दक्षता विकास केन्द्र की स्थापना, पुरुलिया, देवघर तथा साहिवगंज जिला के प्राथमिक विद्यालयों में 3300 शौचालय का निर्माण इत्यादि उनकी उपलब्धियों में प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त पारा मेडिकल स्टाफ, संवैधानिक पदों के कर्मी, तथा अन्य आवश्यक जनशक्ति के साथ साथ वर्तमान जनशक्ति के विकास के लिए दक्षता प्रशिक्षण, तथा प्रशिक्षित कमियों द्वारा उत्पादन उत्पादकता तथा खान सुरक्षा के लिए किया गया कार्य उल्लेखनीय है। उनके नेतृत्व में ईसीएल में फुटबॉल अकादमी की स्थापना की गई जो विभिन्न क्षेत्रों से 13 वर्ष से कम उक्र के खिलाड़ियों के विकास के लिये स्पोर्टस अथोरिटी आफ इंडिया (साई) के मार्गदर्शन में स्थापना की गई है।

उन्हें सर्वश्रेष्ठ सीईओ (एचआर) का पुरस्कार (2014), 100 अति योग्य ग्लोबल एचआर लीडर (2015), एचआर लीडरशिप पुरस्कार (पी एस यू फोकस) (2016), गोल्ड कैटेगसी में एचआर लीडर (2016) का पुरस्कार प्रदान किया गया तथा उनकी अद्वितीय उपलब्धियों ने ईसीएल को सामूहिक कैटेगरी में 'ग' वर्ग में राजभाषा पुरस्कार (2014), तथा मिनी रत्न कैटेगरी में गतवर्ष (2015 तथा 2016) में सर्वोत्कृष्ट इन्टरप्राइज के रूप में ईसीएल विप्स को प्रथम पुरस्कार एवं 50 शीर्ष सार्वजनिक उपक्रमों में नवीनतम एचआर प्रैक्टिस (2016) के पुरस्कार से सम्मानित किया गाय।

श्री ए. एम. मराठे 02 मार्च, 1958 को जन्में श्री ए. एम. मराठे ने गत 29.09.2015 को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। श्री मराठे एक चार्टर एकाउंटेंट है तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया के सदस्य हैं।

श्री मराठे को 45 वर्षो का गहन अनुभव है एवं उन्होंने कोयला उद्योग में विभिन्न पदों पर अपनी सेवा प्रदान की है। श्री मराठे ने 16 फरवरी, 1988 को एक लेखाकार के रूप में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने डबल्यूसीएल एवं एसईसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न पदों पर अपनी सेवा प्रदान की हैं। ईसीएल में निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के ठीक पहले श्री मराठे डबल्यूसीएल मुख्यालय, नागपुर में महाप्रबंधक (वित्त) के रूप में कार्यरत थे।

एड्भांस मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए वर्ष 2014 में उन्होंने स्वीडेन, स्वीजरलैंड एवं जर्मनी की यात्रा की।

श्री बी. एन. शुक्ला (57) : 1982 में आई टी बीएचयू से स्नातक हुए तथा 1989 में इंडियन इंस्टीच्युट, धनबाद से खुली खान परियोजना में एम टेक किया। वे लोकप्रिय छात्रनेता रहे है तथा वी. टेक एवं एमटेक में रजत पुरस्कार से सम्मानित किए जाते रहे हैं।

श्री शुक्ला ने ईसीएल बोर्ड में 17.8.2016 को ईसीएल के निदेशक तकनीकी के रूप में योगदान किया। इसके पहले वे सी एम पी डी आई एल में निदेशक तकनीकी (कोल, रिसोर्स डेवलपमेंट) रहे है।

उन्होंने 1982 में एस ईसीएल मे योगदान किया था तथा 1983 में डिपिलरिंग के लिए चेन कनवेयर तथा एसडीएल बैठाने में मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने जमुना खुलीखान परियोजना में कास्ट ब्लास्टिंग का परीक्षण किया तथा अमलई खुली खान को उत्पादक बनाया जिसे ओवी वेंच सहित बर्टिकल फेस के रूप में उभरने के कारण डीजीएमएस ने छ: महीनों के लिए बंद कर दिया था। उन्होंने 1999 में चरचा इस्ट अन्डरग्राउन्ड खान में योगदान दिया जहाँ हार्ड रूफ मैनेजमेंट के लिए हाइड्रोफ्रैक्चरिंग का परीक्षण किया तथा स्ट्राटा वंकर कर निर्माण कराया जिसे कनवेयर वेल्ट के टूटने कमी आई एवं बिजली की बचत की गई।

उन्होंने बेहराबांद भूमिगत खान में सव एरिया मैनेजर के रूप में कार्यभार सम्भाला जहाँ परिस्कृत कन्टीन्युअस माइनर विकास के कारण एसईसीएल के ग्रुप ए खानों में सर्वश्रेष्ठ आवेरऑल माना गया। आपको बलराम ओसीपी में परियोजना अधिकारी के रूप में पदस्थापित किया गया ताकि कमजोर ज्यामिति तथा आर एण्ड आर समस्या का समाधान कर सकें। इस खान ने लगातार दो वर्षों तक ओवरऑल वार्षिक खान

सुरक्षा में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। वर्ष 2007 में आपको भरतपुर क्षेत्र का महाप्रबन्धक बनाया गया, जहाँ आप झारखण्ड आर समस्या के समाधान में सफल हुए तथा खान को अपेक्षित स्वरूप देने सहित पर्याप्त भूमि अधिग्रहण। इसके बाद आपने एमसीएल की सबसे कठिन क्षेत्र हिंगुला क्षेत्र में पद स्थापित किया गया जहाँ दैनिक उत्पादन 21000 टन प्रतिदिन था जबकि उस क्षेत्र को छोड़ते समय आपने उसका दैनिक उत्पादन 62000 टन प्रतिदिन तक पहुँचा दिया।

आपकी दूरदृष्टि, ज्ञान तथा कार्यशैली को देखकर आपको एमसीएल मुख्यालय में सामूहिक योजना एवं परियोजना विभाग में पदस्थापित किया गया जहाँ आपने एमसीएल के डाइवर्सिफिकेशस क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट (2 x 800 मेगावाट)की हो सके जिससे एमबीपीएल कम्पनी बनी तथा आपके 09.04.2012 से निदेशक बनाया गया। अन्य डाइवर्सिफिकेशन में सोलर पोर्ट तथा पावर ट्रांसमिशन व्यापार शामिल है।

आप झारसुगुडा वारापल्ली रेल लिंक को सैद्धान्तिक से व्यवहारिक स्तर पर लाने का कार्य किया जो 2016 में आपके कठिन परिश्रम से पूरा हुआ जो महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के उन्नति की जीवन रेखा है। आपने परियोजना की क्षमता को 122 मिलियन टन के स्तर से बढ़ाकर 322 मिलियन टन (उच्चतम) तक पहुँचाया। आपने रोड नेटवर्क, रेल नेटवर्क सीएचपी सीलो जैसी इन्फ्रास्ट्रकचरल गतिविधियों की प्लानिंग तथा मानीटरिंग की तथा कोयला मंत्रालय, राज्य सरकार के साथ बैठकें करके बन विभाग, आर एण्ड आर तथा कानून एवं व्यवस्था की समस्याओं के समाधान में शामिल रहे।

आपको 1 अक्टूबर 2015 में सीएमपीडीआईएल में निदेशक तकनीकी (कोयला स्रोत विकास) के पद पर स्थापित किया गया। वर्ष 2015-16 के दौरान विभागीय ड्रिलिंग हमेशा उच्च एवं उच्चतम स्तर पर 52000 मीटर था आप सीएमपीडीआई को एमएमडीआर 1957 में सक्सन 4(1) में अधिसूचित कराने में सफल रहे, जिससे किसी खनिज की खोज की सम्भावना बनी जो कि सीएमपीडीआईएल के इतिहास में मील का पत्थर है। क्षेत्रीय, प्रमोसनल तथा डिटेल्ड प्रकृति के पहले से सभी अन्वेषण को डिजिटल प्लेटफर्म पर लाया गया जिसमें डब्ल्यू जी एस 84, वन घनत्व नक्सा सर्वे ऑफ इंडिया टोपोशीट, गूगल अर्थ इत्यादि विभिन्न स्तर है।

आपने चीन की यात्रा की तथा सेमीनार में कई प्रकार के तकनीकी पेपर प्रस्तुत किए। आप बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं तथा बीएचयू के आईटी बेटिंग क्लब के कैप्टन रहे हैं। आपने वीएचयू के काठमांडू नेपाल की 1981 में साइकिल से यात्रा की।

श्री अजय कुमार सिंह (57) ने सेन्टजेवियर कॉलेज रांची से इंटरमीडियेट इन माइन्स परीक्षा पास की। आपने वीएयू से माइनिंग में वी टेक की डिग्री हासिल की जोकि देश का सबसे पुराना शिक्षण संस्थान है तथा इंडियन स्कूल आफ माइन्स धनबाद से प्लानिंग तथा डिजाइन में एमटेक किया। आपने 1988 में प्रथम श्रेणी माइन मैनेजरों का दक्षता प्रमाणपत्र हासिल किया।

ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद आपने कोल इंडिया की अनुषंगी कम्पनी सेन्ट्रल कोल फील्ड लिमिटेड के कथारा क्षेत्र में कनिष्ठ अधिशासी प्रशिक्षु (जेट) के रूप में कार्य आरम्भ किया तथा प्रबन्धक, परियोजना अधिकारी इत्यादि के रूप में तथा सीसीएल के बोकारो एण्ड करगली क्षेत्र में काम किया।

उसके बाद अगस्त 2001 में स्थानांतति होकर ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड में आए। उनके विविध तथा व्यापक अनुभव के कारण उन्हें कुनुस्तोड़िया क्षेत्र की अमृतनगर तथा बांसरा कोलियरी में अभिकर्ता (एजेन्ट) के रूप में पदस्थापित किया गया उनके कार्यकाल में, उनके प्रयास, योजना तथा समय पर गतिविधियों को पूरा करने के कारण, बांसरा कोलियरी का भूमिगत उत्पादन तीन वर्षों में 40% बढ़ गया तथा यह लाभदायक भूमिगत खान बन गई। इसमे अलावा, कालियरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय खान सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद उन्होंने केन्दा, झाझरा तथा मुगमा क्षेत्र में अपर महाप्रबन्धक का कार्यभार सम्हाला तथा 01 मार्च 2009 को मुगमा क्षेत्र के महाप्रबन्धक का कार्यभार ग्रहण किया। उचित तथा समय पर सभी गतिविधियों की योजनाओं का कार्यान्वयन प्रबन्धकीय दक्षता तथा मिलजुल कर काम करने की क्षमता मुगमा क्षेत्र ने भूमिगत खानों के उत्पादन में 24% का भारी विकास हासिल किया। इसके बाद उन्हें सालानपुर स्थानान्तरित किया गया जहाँ उस वर्ष 2013-14 में क्षेत्र 2.27 मिलियन टन के उत्पादन में वृद्धि हुई तथा क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में चार गुना लाभ कमाया। सालानपुर क्षेत्र की डावर कॉलोनी आपकी अवधि में भूमिगत खान से बदल कर खुली खान बना दी गई तथा

लाभ अर्जित करने वाली कम्पनी बन गई। मुगमा तथा सालानपुर क्षेत्र में आपके कार्यकाल में कई सामूहिक सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) की गतिविधियों को पूरा किया गया।

इस प्रकार आपको भूमिगत तथा खुली खानों दोनों के प्रबन्धन अनुरक्षण तथा संचालन का 34 वर्षों से अधिक का अनुभव वर्ष 1986 में आपने सीडीएफ फ्रांस द्वारा मोटी सीमों के खनन के लिए आयोजित सात महीनों के प्रशिक्षण के लिए फ्रांस की यात्रा की। वर्ष 2010 में कोल इंडिया के प्रतिनिधि के रूप में खनन उपकरण पर आयोजित प्रदर्शनी में जर्मनी में, भाग लिया। वर्ष 2013 में एडवान्स मैनेजमेंट प्रोग्राम में भाग लेने के लिए जर्मनी तथा स्वीडन की यात्रा की। सितम्बर 2016 में आपने लास बेगास यूएसए में आयोजित माइन एक्सपो 2016 में कोल इंडिया प्रतिनिधि मंडल के एक सदस्य के रूप में भाग लिया।

आपकी विस्तृत तथा व्यापक प्रबन्धकीय अनुभव के आधार पर आपको निदेशक तकनीकी ईसीएल के रूप मे चयन किया गया तथा आपने 15 सितम्बर, 2016 को कार्यभार ग्रहण किया। खेलकूद, योग तथा अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में आपकी गहरी अभिरूचि है।

अनुलग्नक – ग

सेवा में,
निदेशक मंडल

सीईओ एवं सीएफ़ओ सर्टीफिकेशन

वित्तीय कार्यों के लिए जिम्मेदार हम, आर. आर. मिश्र, अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक तथा ए एम मराठे,निदेशक (वित्त) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड प्रमाणित करते हैं कि :

क) हमने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों एवं नकद प्रवाह विवरण का अवलोकन किया है एवं हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :

i) इन विवरणों में किसी अवास्तविक विवरण को शामिल नहीं किया गया है या किसी वास्तविक तथ्य को हटाया नहीं गया है। साथ ही इनमें ऐसा कोई तथ्य सम्मिलित नहीं है जो वास्तविकता से परे हो एवं बहकाने वाला हो।

ii) ये विवरण कंपनी के मामलों की स्वच्छ एवं वास्तविक छवि सामने प्रस्तुत करते हैं एवं इनमें कंपनी के वर्तमान लेखा मानकों, प्रयोज्य नियमों तथा विनियमों का अनुपालन किया गया है।

ख) हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, 31 मार्च, 2017 को समाप्त तिमाही में कंपनी द्वारा प्रवेशित कोई लेनदेन ऐसा नहीं है जो कपटपूर्ण, अवैध या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन करने वाला हो।

ग) वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण की स्थापना तथा उसके रखरखाव का दायित्व हम स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी कंपनी के आंतरिक नियंत्रण की पद्धति के प्रभाव का मूल्यांकन किया है तथा इस प्रकार के आंतरिक नियंत्रणों के प्रारूपण अथवा संचालन की कमियों, यदि हों, को महालेखापरीक्षकों तथा महालेखापरीक्षा समिति के समक्ष उजागर किया जिनसे वे परिचित हैं एवं इन कमियों की सुधार के लिए उन्होंने कदम उठाए हैं या उठाने का प्रस्ताव है।

घ) हमने महालेखापरीक्षकों तथा महालेखापरीक्षा समिति को संकेत किया कि :

i) संदर्भगत वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ,

ii) उक्त अवधि के दौरान, लेखा नीतियों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ; हालांकि 01.04.2015 से आईएनडी एएस को कार्यान्वयन व्यवहार द्वारा आवश्यक माप तथा आय/व्यय एवं परिसम्पत्ति / देयता में परिवर्तन है जिसे पर्याप्त रूप से लेखांकन नीति तथा वित्तीय विवरण की टिप्पणियों में स्पष्ट किया गया है।

हम इसके अतिरिक्त वित्तीय विवरण पर भारतीय लेखांकन तथा मानक (आई एन डी एएस) के पारा 1 तथा पारा 2 में निर्देशित करते हैं कि

iii) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण पद्धति में ऐसे किसी महत्वपूर्ण छल की जानकारी हमें नहीं है जिसमें प्रबंधन या किसी कर्मचारी की कोई महत्वपूर्ण भूमिका हो।

निदेशक (वित्त) अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

अनुलग्नक - VII

एम चौधरी एंड कंपनी
चार्टर्ड लेखापाल

162, जोधपुर पार्क,
कोलकाता – 700068
ई–मेल : jmitul@ymail.com
(033) 2429-2417, 2248-0668

..

कंपनी अभिशासन की शर्तों के साथ अनुपालन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

सेवा में,
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्यगण,

हमलोगों ने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा कंपनी अधिशासन की शर्तो के अनुपालन की जाँच की।

कंपनी अधिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। कंपनी कोल इंडिया की सहायक कंपनी है एवं एक सूचीबद्ध सरकारी कंपनी है। कंपनी का शेयर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है एवं ऐसी परिस्थिति में इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी निर्देशों के साथ जाँच का कार्य किया गया तथा कंपनी अधिशासन की शर्तों के अनुपालन के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया एवं कार्यान्वयन तक सीमित था। यह कंपनी के वित्तीय विवरणऩ पर न तो कोई लेखा परीक्षा है अपने वित्तीय विवरण पर कोई राय है।

हमारी राय में तथा हमारी सूचना एवं हमें जो स्पष्टीकरण दिए गए उसके मुताबिक हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने कंपनी अधिशासन की शर्तों का सामान्यतः अनुपालन किया है।

हम आगे यह घोषणा करते है कि यह अनुपालन न तो कंपनी के भविष्य में उत्तरजीविता का आश्वासन है और न अपने दक्षता को जिस कंपनी ने कार्य किया है।

एम चौधरी एंड कंपनी
चाटर्ड लेखापाल
एफ़आर संख्या : 302186 ई

दिनांक : 25 मई, 2017
स्थान : कलकाता

डी चौधरी
सहभागी
सदस्यता संख्या : 052066

दिनेश अग्रवाल, एसीएमए, एफसीएस
व्यवसायिक कम्पनी सचिव

16/1ए, अब्दुल हमीद स्ट्रीट (ब्रिटिस इंडिया स्ट्रीट)
चौथा तल, कमरा नं–4बी, कोलकाता – 700069 (प.बं.)
मोबाइल : +91 9339740007 || ई–मेल : agarwaldcs@gmail.com

निदेशक मंडल के प्रतिवेदन का संलग्नक

फार्म नं. एम आर – 3

सचियालयीन लेखा परीक्षा

31 मार्च, 2017 समाप्त वित्त वर्ष के लिए

कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 204(1) तथा कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिक नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियमावली 2014 के नियम सं. 9 के आधार पर

सेवा में,
सदस्यगण,
मेसर्स ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,
पो०– डिसरगढ़, सांकतोड़िया,
बर्द्धमान – 713333
पश्चिम बंगाल, भारत

मेसर्स ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीआईएनयू : 10101 डब्लूबी 1975 जीओआई 030295) (आगे से कम्पनी कहा जाएगा) द्वारा संवैधानिक प्रावधानों के अनुपालन तथा अच्छी सामूहिक कार्यप्रणाली से लगाव का सचिवालयीन लेखा परीक्षा किया है। सचिवालयीन लेखा परीक्षा उस तरीके से किए गए जो हमें सामूहिक व्यवहार /संवैधानिक अनुपालन तथा उस पर मेरी राय को अभिव्यक्त करने के लिए उचित आधार उपलब्ध कराए गए।

कम्पनी द्वारा रखे गए अभिलेख तथा मेरी जाँच के लिए आधारित पुस्तकों, कागजातों, कार्यवाही पुस्तिकाओं फार्मों तथा जमा किए गए रिटर्नों एवं कम्पनी, इसके अधिकारियों, अभिकर्ताओं, तथा अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवालयीन लेखा परीक्षा के दौरान व्यक्त व्यवहार तथा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के आधार मैं यह रिपोर्ट करता है कि मेरी राय में कम्पनी ने लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान जो 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्त वर्ष मे व्याप्त है, निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा कम्पनी ने निम्नलिखित रिपोर्ट के विषय तथा तरीकें में बोर्ड पद्धति तथा अनुपालन प्रक्रिया को अपनाया है।

हानि 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (''कम्पनी'') की पुस्तकों, दस्तावेजों, कार्यवाही पुस्तिका, फार्मों तथा जमा किए गए रिटर्नो की निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार जाँच की है।

i) कम्पनी अधिनिवम 2013 (दि एक्ट) तथा उसके अधीन नियमावली

ii) सुरक्षा ठेका (नियमन) अधिनियम 1956 (एससीआरए) तथा उसके अधीन नियमावली।

iii) डिपोजिटरी अधिनियम 1996 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमन, उपनियम

iv) विदेशी मुद्रा प्रबन्धक अधिनियम 1999 तथा नियमन एवं उसके अधीन बनाई गई नियमावली तथा नियमन जो फारेन डायरेक्ट इनवेस्टमेयट, ओवरसीज डायरेक्ट इनवेस्टमेंट तथा एक्सटर्नल कामर्सियल वोरोइंगस् की सीमा में है।

v) सिक्युरिटीज एन्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 (ऐबी एक्ट) के अधीन विहित नियमन तथा मार्गदर्शन

vi) कम्पनी पर लागू अन्य विशेष कानून।

टिप्पणी : सिक्युरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 (सेबीएक्ट), दि सिक्युरिटीज कान्ट्राक्ट (रेगुलेशन) एक्ट 1956 (सेरा) के अधीन वर्णित नियमन तथा दिशानिर्देश तथा उसके अधीन बनाई गई नियमावली एवं दि डिपाजिटरी एक्ट 1996 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमन तथा उप नियम जो निम्नलिखित है तथा कम्पनी पर लागू नहीं हैं।

मैने निम्नलिखित के अधीन लागू अनुच्छेद तथा उनके अनुपालन की जाँच की है :

i) दि इंस्ट्रीच्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सचिवालयीन मानदण्ड।

सीपीएसई 2010 का कार्पोरेट गवर्नेन्स दिशानिर्देश।

- आलोच्य अवधि में कम्पनी ने उपरोक्त अधिनियमों नियमावलियों, नियमनों, दिशानिर्देशों स्तरों इत्यादि का अनुपालन किया है तथा इसके होते हुए हमारी निम्नलिखित राय है :
- उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार अधिनियम की धारा 149 के अंतर्गत आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की संख्या कम्पनी में उपलब्ध नहीं है।
- कम्पनी ने कोयला मंत्रालय भारत सरकार की कम्पनी के निदेशक मंडल की पुनर्गठन से संबंधित पत्रांक –21/35/2005–एएसओ (2) दिनांक 06.06.2008 का अनुपालन नहीं किया है।
- उपलब्ध अभिलेखों से यह प्रदर्शित होता है कि सामूहिक सामाजिक जिम्मेदारी गतिविधियों के अंतर्गत रू. 7.57 करोड़ की राशि की कमी / बची हुई है।
- कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के अनुसार ऑडिट कमिटी का गठन किया जाना है। इसका गठन उचित रीति से नहीं किया गया है।

यह भी प्रतिवेदन करता हूँ कि :

कम्पनी का निदेशक मंडल कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति को छोड़कर गठित है। आलोच्य वर्ष के दौरान निदेशक मंडल के गठन में हुए परिवर्तन को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लागू किया गया है।

सभी निदेशक को अनुसूचित बोर्ड बैठक, कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणी की पर्याप्त सूचना कम से कम सात दिन अग्रिम दी गई है तथा बैठक के पहले तथा बैठक में अर्थपूर्ण भागीदारी के लिए कार्यसूची की मदों पर बाद में की सूचना तथा स्पष्टीकरण माँगने तथा प्राप्त करने की प्रणाली उपलब्ध है।

लेखा परीक्षा की आलोच्य अवधि के दौरान बोर्ड की बैठक के सभी निर्णय एकमत से लिए गए।

मैं यह भी प्रतिवेदित करता हूँ कि कम्पनी के आकार तथा संचालन के अनुरूप कम्पनी में लागू कानूनों, नियमों, नियमनों तथा दिशानिर्देशों को उचित रीति से देखदेख तथा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणाली तथा पद्धति उपलब्ध है।

(दिनेश अग्रवाल)
कम्पनी सचिव
सीपी न.–5881
सदस्य संख्या : 6315

दिनांक : 30.06.2017
स्थान : कोलकाता

दिनेश अग्रवाल, एसीएमए, एफसीएस
व्यवसायिक कम्पनी सचिव

16/1ए, अब्दुल हमीद स्ट्रीट (ब्रिटिस इंडिया स्ट्रीट)
चौथा तल, कमरा नं–4बी, कोलकाता – 700069 (प.बं.)
मोबाइल : +91 9339740007 || ई–मेल : agarwaldcs@gmail.com

''संलग्नक – क''

सेवा में,
सदस्यगण,
मेसर्स ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,
पो०– डिसरगढ़, सांकतोड़िया,
बर्द्धमान – 713333
पश्चिम बंगाल, भारत

हमारे इसी तिथि के प्रतिवेदन को इस पत्र के साथ पड़ा जाय :

1) सचिवायीय अभिलेख को देखरेख कम्पनी के प्रबन्धन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी इन सचिवालयीय अभिलेखों पर आधारित हमारी लेखा परीक्षा पर एक राय व्यक्त करना है।

2) हमलोगों ने पर्याप्त लेखा परीक्षा पद्धति तथा तरीका सचिवालयीय अभिलेखों में निहित विषयवस्तु की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए अपनाया है। सचिवालयीय अभिलेखों में प्रदर्शित तथ्यों की सत्यता को सुनिश्चित करने के लिए हमने जाँच आधार पर प्रमाणन किया है। हम विश्वास करते है कि पद्धति और कार्यशैली जो हमने अपनाया वह हमारी राय के लिए पर्याप्त आधार है।

3) हमने कम्पनी के वित्तीय अभिलेखों तथा लेखा पुस्तकों की सत्यता तथा उपयुक्तता की जाँच नहीं की है।

4) जहाँ भी आवश्यकता हुई, हमने कानूनों, नियमों तथा विनियमों एवं घटना के घटित होने के अनुपालन से संबंध में प्रबन्धन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

5) सामूहिकता अन्य अपेक्षित कानूनों नियमों, विनियमों स्तरों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबन्धन का दायित्व है। हमारा परीक्षण जाँच आधार पर पद्धति की जाँच तक ही सीमित रही है।

6) सचिवालयीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन न तो कम्पनी की भावी व्यवहारिकता का आश्वासन है न ही क्षमता या प्रभावकारिता की जिससे प्रबन्धन ने कम्पनी के मामलों को संचालित किया है।

Dinesh

दिनांक : 30.06.2017
स्थान : कोलकाता

(दिनेश अग्रवाल)
कम्पनी सचिव
सीपी न.–5881
सदस्य संख्या : 6315

ईसीएल के वर्ष 2016-17 के सचिवालयीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में अवलोकन पर प्रबन्धन का उत्तर

क्रमांक	सचिवालयीय लेखा परीक्षकों का अवलोकन	प्रबन्धन का उत्तर
1.	प्राप्त सूचना के अनुसार, कम्पनी में अधिनियम की धारा 149 के अधीन आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की पर्याप्त संख्या नहीं है।	ईसीएल का पास केवल एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में प्रो (डा.) इन्दिरा चक्रवर्ती हैं जिनकी नियुक्ति ईसीएल बोर्ड द्वारा 17.11.2015 को की गई थी। ईसीएल में निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार कोयला मंत्रालय द्वारा की जाती है।
2.	कम्पनी ने भारत सरकार कोयला मंत्रालय के दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया है देखे : कम्पनी के निदेशक मंडल के संबंध में पत्रांक 21/35/2005 - ए एस ओ (2) दिनांक 06.06.2008	
3.	कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के अनुसार आडिट समिति का गठन किया जाना चाहिए। इसका गठन उचित रीति से नहीं किया गया है।	
4.	उपलब्ध अभिलेख यह प्रदर्शित करते हैं कि सामूहिक सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) गतिविधि में रू. 7.57 करोड़ की राशि की कमी/खर्च नहीं गई है।	यह तथ्य का एक विवरण है। पर्याप्त प्रकटीकरण बोर्ड के रिपोर्ट 2016-17 में की गई है।

अनुलग्नक -IX

फॉर्म संख्या एमजीटी - 9
वार्षिक लेखा का सार
31.03.2016 को समाप्त वित्त–वर्ष के अनुसार

[कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 92(3) तथा कंपनी नियम (प्रबंधन एवं प्रशासन), 2014 के नियम 12(1) का कार्यान्वयन]

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण :

i) सीआईएन :- U10101WB1975GO/030295

ii) पंजीकरण दिनांक : 01.11.1975

iii) कंपनी का नाम :- ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

iv) कंपनी की श्रेणी/उप-श्रेणी :- कंपनी अधिनियम-2013 के अनुभाग 2(71) के अंतर्गत पब्लिक लिमिटेड कंपनी

v) पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण :- अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का कार्यालय, सांकतोड़िया, पत्रालय डिसेरगढ़, जिला बर्दवान, पिन- 713333, पश्चिम बंगाल

vi) क्या सूचीगत कम्पनी है? हाँ/नहीं :- नहीं

vii) पंजीयक (रजीस्ट्रार) तथा ट्रांसफर एजेंट का नाम, पता एवं संपर्क विवरण, यदि हो :- अप्रयोज्य

II. कंपनी की मुख्य व्यापारिक गतिविधियाँ :

कंपनी के कुल टर्नओवर का १०% या उससे अधिक के योगदान वाली समस्त व्यापारिक गतिविधियों का उल्लेख किया जाएगा :-

क्रम सं	मुख्य उत्पाद/सेवाओं के नाम एवं विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का प्रतिशत
1	कोयला	0510	100 %

III. नियंत्रक, अनुषंगी तथा सम्बद्ध कंपनियों का विवरण : –

क्रम सं	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन/जीएलएन	नियंत्रक/अनुषंगी/संबद्ध	धारण किए शेयर का %	कंपनी अधिनियम, 2013 का प्रयोज्य अनुभाग
1	कोल इंडिया लिमिटेड, सीआईएन-एल23109डबल्यूबी1973जीओआई028844 कोल भवन प्रेमिसेस-04 एमएआर, प्लॉट संख्या - एएफ़-III एक्शन एरिया-1ए, न्यू टाउन, राजारहाट, कोलकाता-7000156, पश्चिम बंगाल		नियंत्रक कंपनी	100%	2(46)

IV. शेयर नियंत्रण पद्धति (कुल इक्विटी के प्रतिशत के अनुसार इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रेकअप)

क) श्रेणीवार शेयर नियंत्रण

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारण किए गए शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारण किए गए शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तित %
	डी–मैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डी–मैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रमोटर									
(1) भारतीय									
a) व्यक्तिगत/एचयूएफ़		3	3	0.01		3	3	0.01	शून्य
b) केंद्र सरकार									
c) राज्य सरकार									
d) कॉरपोरेट संस्थाएँ		22184497	22184497	99.99		22184497	22184497	99.99	शून्य
e) बैंक/वित्तीय संस्थाएँ									
f) कोई अन्य...									
कुल (क) (1): -	शून्य	22184500	22184500	100	शून्य	22184500	22184500	100	शून्य
(2) विदेशी									
a) एनआरआई–व्यक्तिगत									
b) अन्य व्यक्तिगत									
c) कॉरपोरेट संस्थाएँ									
d) बैंक/वित्तीय संस्थाएँ									
e) कोई अन्य...	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (ख) (2):									
प्रमोटर (क) के कुल धारण शेयर = (क)**(1)+**(क)**(2)**	शून्य	22184500	22184500		शून्य	22184500	22184500		
ख. पब्लिक शेयरहोल्डिंग									
1. संस्थाएँ									
a) म्यूचुअल फंड									
b) बैंक/वित्तीय संस्थाएँ									
c) केंद्र सरकार									
d) राज्य सरकार									
e) वेंचर कैपिटल फंड									
f) बीमा कंपनी									
g) एफ़आईआई									
h) विदेशी वेंचर कैपिटल फंड									
i) अन्य (उल्लेखनीय)		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (ख) (1): -									
2. गैर–संस्थाएँ									
a) कॉरपोरेट संस्थाएँ									
अ) भारतीय									
आ) ओवरसीज									
b) व्यक्तिगत									

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारण किए गए शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारण किए गए शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तित %
	डी–मैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डी–मैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
अ)व्यक्तिगत शेयरधारकों द्वारा धारण की हुई रू 01 लाख तक की शेयर पूँजी									
आ)व्यक्तिगत शेयरधारकों द्वारा धारण की हुई रू 01 लाख से अधिक की शेयर पूँजी									
इ)अन्य (उल्लेखनीय)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (ख)(2): कुल पब्लिक शेयरहोल्डिंग (ख)= (ख)(1)+ (ख)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग. जीडीआर एवं एडीआर हेतु अभिरक्षक द्वारा धारण किए गए शेयर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सकल योग(क+ख+ग)	शून्य	22184500	22184500	100	Nil	22184500	22184500	100	शून्य

ख. प्रमोटरों की शेयरहोल्डिंग

क्रम सं	शेयरधारकों के नाम	वर्ष के आरंभ में धारण किए गए शेयर			वर्ष के अंत में धारण किए गए शेयर			वर्ष के दौरान परिवर्तित %
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में से प्लेज्ड/ इनकंबर्ड शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में से प्लेज्ड/ इनकंबर्ड शेयरों का %	
1	कोल इंडिया लिमिटेड	22184497	99.99	शून्य	22184497	99.99	शून्य	शून्य
	कुल	22184497	99.99	शून्य	22184497	99.99	शून्य	शून्य

ग) प्रमोटरों की शेयरहोल्डिंग में बदलाव (कृपया चिहनित करें, यदि कोई परिवर्तन न हुआ हो) :

वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरहोल्डिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है :

क्रम सं	विवरण	वर्ष के आरंभ में शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	वर्ष के आरंभ में	22184497	99.99	22184497	99.99
2	प्रमोटरों की शेयरहोल्डिंग में तारीखवार वृद्धि/कमी; वृद्धि/कमी के कारणों का उल्लेख करते हुए (जैसे आवंटन/ स्थानांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	वर्ष के अंत में	22184497	99.99	22184497	99.99

घ) चोटि के दस शेयरधारकों की शेयरहोल्डिंग पद्धति (जीडीआर तथा एडीआर के निदेशकों, प्रमोटरों एवं धारकों/नियंत्रकों के अलावा) :

क्रम सं	चोटि के दस शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए	वर्ष के आरंभ में शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	वर्ष के आरंभ में	शून्य			
2	प्रमोटरों की शेयरहोल्डिंग में तारीखवार वृद्धि/कमी; वृद्धि/कमी के कारणों का उल्लेख करते हुए (जैसे आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी)				
3	वर्ष के अंत में (या अलगाव की तारीख पर, यदि वर्ष के दौरान अलग हुआ हो)				

ङ) निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरहोल्डिंग :

क्रम सं		वर्ष के आरंभ में शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	वर्ष के आरंभ में	1	0.01	1	0.01
2	प्रमोटरों की शेयरहोल्डिंग में तारीखवार वृद्धि/कमी; वृद्धि/कमी के कारणों का उल्लेख करते हुए (जैसे आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	वर्ष के अंत में	1	0.01	1	0.01

V. अनुगृहीता

बकाया/बढ़ते ब्याज पर भुगतान बाकी नहीं सहित कंपनी की अनुगृहीता

विवरण	जमा को छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल अनुगृहीता
वित्त वर्ष के आरंभ में अनुगृहीता i) मूल राशि ii) बकाया ब्याज, पर भुगतान नहीं किया गया iii) बढ़ा हुआ ब्याज, पर बकाया नहीं		1492.01		1492.01
कुल (i+ii+iii)		**1492.01**		**1492.01**
वित्त वर्ष के दौरान अनुगृहीता में बदलाव → जोड़ → घाटा		105.43 6.94		105.43 6.94
शुद्ध बदलाव		**98.49**		**98.49**

विवरण	जमा को छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल अनुगृहीता
वित्त वर्ष के अंत में अनुगृहीता i) मूल राशि ii) बकाया ब्याज, पर भुगतान नहीं किया गया iii) बढ़ा हुआ ब्याज, पर बकाया नहीं		1590.50		1590.50
कुल (i+ii+iii)		**1590.50**		**1590.50**

VI. निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की पारिश्रमिक

क) प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों तथा/अथवा प्रबन्धक की पारिश्रमिक :

(आँकड़े ₹ में))

क्रम	पारिश्रमिक का विवरण	के.एस.पात्र, निदेशक (कार्मिक), (डब्ल्यूटीडी)	श्री ए एम मराठे, नदेशक (वित्त), (डब्ल्यूटीडी),	श्री वी. एन. शुक्ला निदेशक (तकनीकी) संचालन (डब्ल्यूटीडी)	श्री ए. के. सिंह निदेशक (तकनीकी) (डब्ल्यूटीडी)	कुल राशि
1	**कुल वेतन** (क) आय कर अधिनियम, 1961 के अनुभाग 17(1) में शामिल प्रावधानों के अनुसार वेतन -	2298683.00	2327221.00	1330199.00	1332970.00	7289073.00
	(ख) आय कर अधिनियम, 1961 के अनुभाग 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	346500.00	348005.00	226769.00	209790.00	1131064.00
	(ग) आय कर अधिनियम, 1961 के अनुभाग 17(3) के अंतर्गत वेतन के अलावा लाभ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	स्टॉक विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	स्वेट इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	कमीशन - लाभ का प्रतिशत -अन्य, उल्लेख करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5	अन्य, कृपया उल्लेख करें	384970.00	342846.00	135040.00	63739.00	926595.00
6	कुल (क)	3030153.00	3018072.00	1692008.00	1606499.00	9346732.00
7	अधिनियम के अनुसार सीलिंग					**2.17** करोड़

ख) अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक

(आँकड़े ₹ में)

क्रम सं	पारिश्रमिक का विवरण	कुल राशि	कुल राशि
		डॉ इंदिरा चक्रवर्ती	
1	स्वतंत्र निदेशक →बोर्ड–समिति बैठकों में उपस्थिति हेतु शुल्क →कमीशन →अन्य,उल्लेख करें	 453850.00 शून्य शून्य	 453850.00 शून्य शून्य
	कुल (1)	**453850.00**	**453850.00**
2	अन्य गैर अधिशासी निदेशक →बोर्ड/समिति बैठकों में उपस्थिति हेतु शुल्क →कमीशन →अन्य,उल्लेख करें		 शून्य शून्य शून्य
3	**कुल (2)**		**453850.00**
4	**कुल (ख)=(1+2)**	**453850.00**	**453850.00**
5	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक (क+ख)		**0.22 crore**
6	अधिनियम के अनुसार कुल सीलिंग		**9800582.00**

ग) एमडी/प्रबंधक/डब्ल्यूटीडी को छोड़कर अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क्रम सं	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक कंपनी सचिव	कुल
1	कुल वेतन (क) आय कर अधिनियम, 1961 के अनुभाग 17(1) में शामिल प्रावधानों के-अनुसार वेतन (ख) आय कर अधिनियम, 1961 के अनुभाग 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य (ग) आय कर अधिनियम, 1961 के अनुभाग 17(3) के अंतर्गत वेतन के अलावा लाभ	 2277892.00 394829.00 शून्य	 2193923.00 376815.00 शून्य
	स्टॉक विकल्प	शून्य	शून्य
	स्वेट इक्विटी	शून्य	शून्य
	कमीशन - लाभ का प्रतिशत - अन्य, उल्लेख करें	शून्य	शून्य
	अन्य, कृपया उल्लेख करें	15930.00	15930.00
	कुल	**2688651.00**	**2688651.00**

Vii. जुर्माना / दंड /अपराधों की सुलह :

प्रकार	कंपनी अधिनियम का अनुभाग	संक्षिप्त विवरण	लगाए गए जुर्माने/ दंड/सुलह शुल्क का विवरण	प्राधिकारी (आरडी/एनसीएलटी /सीओयूआरटीकी)	गयी अपील, यदि कोई हो (विवरण दें)
क. कंपनी					
जुर्माना					
दंड			शून्य		
सुलह					
ख. निदेशक					
जुर्माना					
दंड			शून्य		
सुलह					
ग. अन्य दोषी अधिकारी					
जुर्माना					
दंड			शून्य		
सुलह					

अनुलग्नक – X

विदेशी मुद्रा अर्जन एवं खर्च

I. निर्यात से संबंधित गतिविधियाँ, निर्यात बढ़ाने के लिए की गई पहल, उत्पादों, सेवाओं एवं निर्यात योजनाओं के लिए नए निर्यात बाजार का विकास — कंपनी निर्यात गतिविधियों से जुड़ी हुई नहीं है ।

II. अर्जित एवं व्यवहार में लाए गए कुल विदेशी मुद्रा –

(रु लाख में)

क्र.स.	विवरण	2016-17	2015-16
क)	**व्यवहार में लाई गई विदेशी मुद्रा**		
1)	आयात का सीआईएफ मूल्य		
	क) कच्चा माल	0.00	0.00
	ख) पुर्जे, भंडार एवं स्पेयर्स	475.00	1124.00
	ग) पूंजीगत माल	15189.00	14908.00
2.	यात्रा / प्रशिक्षण खर्च	34.00	13.00
3.	तकनीकी जानकारी एवं विदेशी परामर्श पर व्यय	0.00	0.00
4.	विदेशियों को पेंशन	0.00	0.00
5.	अन्य	424.00	220.00
	कुल	16122.00	16265.00

ख)	विदेशी मुद्रा आय	शून्य	शून्य

अनुलग्नक– - XI

तकनीकी आमेलन से संबंधित विवरणों का प्रकटीकरण प्रपत्र

अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी)

1.	विशिष्ट क्षेत्र जिसमें कंपनी द्वारा अनुसंधान एवं विकास का कार्य किया गया		कंपनी के पास अपना अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित नहीं है। सीएमपीडीआईएल, जो कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी है,केंद्रीय रूप से सीआईएल की सभी अनुषंगी कंपनियों के लिए अनुसंधान एवं विकास का कार्य करती है।
2.	उपरोक्त अनुसंधान एवं विकास से प्राप्त लाभ	:	अप्रयोज्य
3.	भविष्य की कार्य योजना	:	अप्रयोज्य
4.	अनुसंधान एवं विकास पर खर्च	:	अप्रयोज्य
	क) पूँजी		--
	ख) आवर्ती		--
	ग) कुल		--
	कुल आर एण्ड डी व्यय, कुल टर्नओवर का प्रतिशत	:	अप्रयोज्य

तकनीकी आमेलन, अनुकूलन एवं नवप्रवर्तन

1.	तकनीकी आमेलन, अनुकूलन तथा नवप्रवर्तन में किए गए प्रयास का संक्षिप्त विवरण	:	शून्य
2.	परोक्त प्रयासों से प्राप्त लाभ जैसे– उत्पाद उन्नयन, लागत में कमी, उउत्पाद का विकास, आपात का विकल्प इत्यादि	:	शून्य
3.	आयातित तकनीक के मामले में (वित्तीय वर्ष आरंभ होने से विगत 5 वर्षो के दौरान आयात का गणना) निम्नलिखित जानकारी निम्नवत है–	:	शून्य
	(i) आयातित तकनीक	:	शून्य
	(ii) आयात का वर्ष	:	शून्य
	(iii) क्या आयात का पूर्णतः आमेलन किया गया?	:	शून्य
	(iv) यदि पूरी तरह आमेलन नहीं हुआ तो कहाँ तक हुआ, उसका कारण एवं भविष्य की कार्य योजना	:	शून्य

गोपनीय

कार्यालय, प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा तथा पदेन सदस्य लेखापरीक्षा
बोर्ड कोलकाता
पुराना निज़ाम महल, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड,
कोलकाता – 700 020

सत्यमेव जयते

दिनांक : **15.06.2015**

सेवा में,
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक,
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,
सांकतोड़िया,
पश्चिम बंगाल ।

विषय : कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (b) के तहत 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी ।

महोदय,

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (b) के तहत 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी अग्रसारित करता हूँ।

कृपया पत्र की पावती प्रेषित की जाय।

भवदीय

अनुलग्नक : यथोपरि ।

(रीना साहा)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
तथा पूर्व पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड
कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 14.06.2017

दु०भा०/Phones : 91-33-22875380/7165/2360/8838, 2281-0043/5654, फैक्स/Fax : 91-33-22800062
ई० मेल/E-mail : mabkolkata2@cag.gov.in, तार : ‘‘कोयलेखा’’ / Telegram : "COLADIT",

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 146 (6) (बी) के तहत 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी ।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरण की तैयारी कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में दर्शाए गए रिपोर्टिंग फ्रेम वर्क के तहत है जो कंपनी के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। कंपनी अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक कंपनी अधिनियम की धारा 143 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं जो कि कंपनी अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुपालन में स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित है। यह 25.05.2017 को उनके द्वारा रिपोर्ट किए गए विवरण पर आधारित है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की तरफ से कंपनी अधिनियम की धारा 143 (6) (a) के तहत 31 मार्च, 2017 को समाप्त ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षकों के वर्किंग पेपर्स के निर्धारण के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है एवं यह वैधानिक लेखा परीक्षकों एवं कंपनी कार्मिकों की जाँच के प्राथमिक रूप से सीमित है एवं कुछ लेखा रिकॉर्डो की जाँच के तहत है। मेरे द्वारा की गयी लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ महत्वपूर्ण नहीं आया है जो वैधानिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन की पूरक हो अथवा उसपर कोई टिप्पणी की जा सके।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की तरफ से

(रीना साहा)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
तथा पूर्व पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड
कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 14.06.2017

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्यों के लिए लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन

क्रम	लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का जवाब
1.	हमने ईस्टर्न कोल फील्डस् लिमिटेड (कम्पनी) का भारतीय लेखांकन प्रणाली सहित वित्तीय परिणाम का लेखा परीक्षण किया है जिसमें 31 मार्च, 2017 का तुलनपत्र, लाभ तथा हानि (अन्य व्यापक आय सहित) का विवरण, नगद प्रवाह का विवरण, उसी तिथि को समाप्त वर्ष को इक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा स्पष्ट लेखांकन नीति का सारांश तथा अन्य व्यख्यात्मक सूचनायें (यहाँ के बाद ''इन्ड ए एस) ''वित्तीय विवरण'' कहा जाएगा) शामिल है। इनमें (क) मुख्यालय तथा 7 क्षेत्रीय / कोलियरियों का लेखा परीक्षण कम्पनी अधिनियम 2013 (अबसे ''अधिनियम'') की धारा 139 के अधीन नियुक्त शाखा लेखा परीक्षकों ने किया है।	यह तथ्यों का बयान है।
	इंड एएस वित्तीय विवरण के लिए प्रबन्धन की जिम्मेदारी :	
2)	कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में व्यक्त मामलों के लिए कम्पनी का प्रबन्धन जिम्मेदार है। जिससे कि कम्पनी अधिनियम की धारा 134 (5) के अनुसार इस प्रकार के वित्तीय विवरण को तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के निदेशक मंडल की है जिससे कि कंपनी अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत उल्लिखित लेखा मानकों तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2017 के नियम 7 के साथ-साथ भारत में सामान्यत: प्रचलित लेखांकन सिद्धांतों के अनुपालन में कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा नगद प्रवाह की एक सच्ची एवं निष्पक्ष छवि प्रस्तुत की जा सके। इस दायित्व के अंतर्गत अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में लेखा रिकॉर्डो का समुचित रखरखाव भी शामिल है ताकि कंपनी की सम्पत्तियों की रक्षा की जा सके एवं किसी प्रकार की धोखाधड़ी तथा अनियमितताओं से बचा जा सके, समुचित लेखा नीतियों का चुनाव किया जा सके, वित्तीय विवरण को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वियन और रखरखाव को शामिल करते हुए सच्चा एवं निष्पक्ष रुख अपनाया जा सके तथा सामग्री के अशुद्ध कथन से मुक्त हो, जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुआ।	यह तथ्यों का बयान है।
लेखा परीक्षकों का दायित्व :		
3.	हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर राय देना हमारा दायित्व है। हमने, अपनी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में, अधिनियम के प्रावधानों, लेखापरीक्षा मानकों तथा उन सभी सामग्रियों का अनुपालन किया है जिन सबों की आवश्यकता अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों के अनुसार थी।	यह तथ्यों का बयान है।
4.	अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत उल्लिखित लेखापरीक्षा मानकों के अनुपालन में हमने लेखापरीक्षा का कार्य पूरा किया है। इन मानकों के अनुसार हमने नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन	यह तथ्यों का बयान है।

करते हुए योजना बनायी एवं लेखापरीक्षा का कार्य सम्पन्न किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण किसी प्रकार की वस्तुनिष्ठ गड़बड़ी से मुक्त हो।

5.	वित्तीय विवरणों में शामिल राशि के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया भी लेखापरीक्षा में शामिल है। इस प्रक्रिया का चुनाव धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों में गड़बड़ी के जोखिम के आकलन को देखते हुए लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करता है। ऐसे जोखिम के आकलन के दौरान, लेखापरीक्षक कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करती है जो कि लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की डिजाइन के दौरान एक सही एवं निष्पक्ष राय देता है। उपयोग की जा रही लेखा नीतियों के औचित्य तथा कंपनी के निदेशकों के द्वारा तैयार लेखा अनुमानों की तार्किकता का मूल्यांकन भी लेखापरीक्षा के अंतर्गत किया जाता है। साथ ही, इसमें कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का भी मूल्यांकन इसके अंतर्गत किया जाता है।	यह तथ्यों का बयान है।
6.	हमें विश्वास है कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं वे वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए पर्याप्त एवं उचित आधार थे।	यह तथ्यों का बयान है।

अभिमत

7.	हमारी राय एवं उत्कृष्ट सूचना तथा हमें दिये गए विवरण के अनुसार भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरण के आवश्यक रूप से अधिनियम द्वारा सत्यता एवं निष्पक्ष राय के साथ 31 मार्च 2017 को कंपनी की स्थिति एवं इसके लाभ तथा नगद प्रावाह की जानकारी देता है :	यह तथ्यों का बयान है।

अन्य मामले

8.	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनात्मक वित्तीय सूचनायें तथा उसी तिथि को आरम्भ तुलनपत्र यथा 01 अप्रैल 2015 में शामिल एन्ड ए.एस. वित्तीय विवरण : कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 का पाठ सहित अधिनियम की धारा 133 के अधीन लेखांकन मानक की अभिव्यक्ति सहित जारी संवैधानिक वित्तीय विवरण तैयार गिए गए है उनका लेखा परीक्षण हमलोगों ने किया है तथा 31 मार्च, 2016 तथा 31 मार्च, 2015 एवं 26 मई, 2016 तथा 26 मई 2015 क्रमशः करते है। इन वित्तीय विवरणों पर अंसशोधित राय व्यक्त करते है, जिसे लेखांकन नीति तथा इंन्डएस सहित अन्यपरिसर्तनों में लागू करने के लिए (देखे क्रमांक 4 एस) टिप्पणी सं. 38) संमंजित किया गया है।	यह तथ्यों का बयान है।

अन्य विधि एवं विनियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन

9.क)	अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के रूप में भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन) आदेश, 2017 की आवश्यकता के अनुसार, कथित आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण अनुलग्नक क में देते हैं।	यह तथ्यों का बयान है।

ख)	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में उठाये गये कदमों एवं उसका कंपनी की लेखा तथा वित्तीय विवरणों में पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक में दिया गया है।	यह तथ्यों का बयान है।
10.	अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) की माँग के अनुसार, हमलोग प्रतिवेदित करते हैं कि :	
(क)	हमने सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण प्राप्त की जो हमारी जानकारी में लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थी ;	यह तथ्यों का बयान है।
(ख)	हमारी राय में कानून के तहत आवश्यक लेखा की पुस्तिका कंपनी द्वारा रखी गई है जो इस पुस्तिकाओं की जाँच से स्पष्ट होता है तथा हमारे लेखा परीक्षण के उद्देश्य हेतु पर्याप्त उचित वापसी को शाखाओं से प्राप्त कर लिया गया है जहाँ हमारे द्वारा दौरा नहीं किया गया;	यह तथ्यों का बयान है।
(ग)	क्षेत्रीय/यूनिट स्तर के लेखापरीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (8) के तहत कंपनी के क्षेत्रों/यूनिटों की लेखा पर प्रतिवेदन तय प्रावधान के अनुसार हमें भेजा जा चुका है ताकि इस प्रतिवेदन को तैयार करते हुए इन्हें शामिल किया जा सके।	यह तथ्यों का बयान है।
(घ)	इस प्रतिवेदन के साथ निपटारित तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण लेखा बही तथा उन क्षेत्रों/यूनिटों से प्राप्त रिटर्न जहाँ हमने दौरा नहीं किया है; के साथ करार में है।	यह तथ्यों का बयान है।
(ङ)	हमारे विचार में, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ धारा 133 में उल्लिखित लेखा मानकों का अनुपालन करती है।	यह तथ्यों का बयान है।
(च)	वित्तीय लेनदेन अथवा ऐसे किसी मामले जिससे कि कंपनी की कार्य-प्रणाली पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो; पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं है।	यह तथ्यों का बयान है।
(छ)	कंपनी के निदेशक से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर कंपनी अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (2) के संदर्भ में 31 मार्च, 2017 तक कंपनी के किसी भी निदेशक को अयोग्य नहीं ठहराया गया है।	यह तथ्यों का बयान है।
(ज)	लेखा की देखरेख एवं अन्य संबंधित मामलों के संबंध में कोई अर्हता, आरक्षण अथवा विपरीत टिप्पणी नहीं की गयी है।	यह तथ्यों का बयान है।

(झ)	कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आधारित हमारे आंतरिक लेखा नियंत्रण से संबंधित रिपोर्ट एवं ऐसे नियंत्रणों के प्रभाव का विवरण अनुलग्नक– में दिया जा रहा है।	यह तथ्यों का बयान है।
ञ)	कम्पनी (लेखा परीक्षा तथा लेखा परीक्षकगण) नियमावली 2014 के नियम 11 के साथ लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन में शामिल अन्य मामलों तथा हमें उपलब्ध कराई गई सूचनाओं तथा स्पष्टकरणों के आधार पर हमारी राय है कि –	यह तथ्यों का बयान है।
	1. कंपनी ने टिप्पणी संख्या 38 में मद संख्या 4(क) में दायित्वों को प्रस्तुत किया है। हमने ऐसा कोई अन्य दायित्व नहीं देखा है जिसका वित्तीय स्थिति पर असर पड़ेगा।	यह तथ्यों का बयान है।
	2. कंपनी को दीर्घावधि संविदाओं में वास्तविक हानि हेतु प्रयोज्य विधि अथवा लेखा मानकों के तहत प्रावधान तैयार करने की आवश्यकता नहीं थी।	यह तथ्यों का बयान है।
	3. कंपनी में इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में राशि का स्थानांतरण प्रयोज्य नहीं है।	यह तथ्यों का बयान है।
	4. कम्पनी ने अपने इन्ड एएस वित्तीय विवरण के टिप्पणी नं 14 में होल्डिंग तथा 8 नवम्बर 2016 से 30 दिसम्बर 2016 के बीच बैंक नगदी के निपटान के बारे में आवश्यक घोषणा उपलब्ध कराई है। तथा यह कम्पनी द्वारा रखे गए लेखा पुस्तकों की सहमति में हैं।	यह तथ्यों का बयान है।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड पर लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का संलग्नक 'I'

(जैसा कि उस दिन के हमारे प्रतिवेदन के अनुच्छेद 8 (क) में वर्णित है)

क्रम	लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का जवाब
1.क)	कंपनी द्वारा मात्रात्मक विवरण एवं अचल परिसंपत्तियों समेत समस्त विवरणों को दर्शाता समुचित रिकॉर्ड रखा गया है।	यह तथ्यों का बयान है।
ख)	गत तीन वर्षो के दौरान कीमत को गौण रखते हुए खरीदी गई सभी स्थिर परिसम्पत्तियों तथा इस अवधि के पहले रू 1 लाख था उससे अधिक की खरीदी गई परिस्पत्तियों की भौतिक जाँच वर्ष के अंत में प्रबन्धन द्वारा की गई तथा कोई गम्भीर विसंगति नहीं पाई गई।	यह तथ्यों का बयान है।
ग)	कम्पनी के नाम की अचल संपत्तियों के टाइटल डीड् की स्थिति निम्नलिखित है :	यह तथ्यों का बयान है। साथ ही,

भूमि का विवरण	कम्पनी के कब्जे में कुल भूमि हेक्टेयर क्षेत्रफल में	भूमि जिनके लिए दस्तावेज रखे गए है हेक्टेयर क्षेत्रफल में	टिप्पणी
कोल माइन्स राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1973 के अधीन भूमि	8711.00	8711.00	यह जमीन अब कम्पनी के नाम से समाहित (वेस्टेड) हो गई है।
भू–अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अधीन भूमि	2587.59	2587.59	कम्पनी के सभी संबंधित क्षेत्रों के कोलियरी कार्यालयों में कब्जा प्रमाणपत्र उपलब्ध है
सीबीए (ए तथा डी) अधिनियम 1957	3772.23	3772.23	कम्पनी के सभी संबंधित क्षेत्रों के कोलियरी कार्यालयों में संबंधित विवरण उपलब्ध है।
सीधी खरीद के द्वारा ली गई जमीन	5648.09	3975.15	1672.94 हेक्टेयर भूमि का दस्तावेज डीड के मिलान तथा एकत्रीकरण का काम प्रगति पर है
स्थानांतरित सरकारी भूमि	311.25	311.25	कम्पनी के संबंधित क्षेत्रों के कोलियरी कार्यालयों में कब्जा प्रमाणपत्र उपलब्ध है।
बनभूमि कोल वियरिंग एक्ट के अधीन	275.77	275.77	कम्पनी के संबंधित क्षेत्रों के कोलियरी कार्यालयों में संबंधित विवरण उपलब्ध है।
वनभूमि स्तर को एक एक्ट वियरिंग एक्ट (के अधीन)	100.62	100.62	कम्पनी के संबंधित क्षेत्रों के कोलियरी कार्यालयों में स्टेज-I तथा स्टेज-II के दिखाई उपलब्ध है।
कुल	**21406.54**	**19733.61**	

2.	प्रबंधन द्वारा नियमित अंतराल पर वस्तुसूची की वास्तविक जाँच की जाती है तथा वास्तविक जाँच के दौरान किसी प्रकार की विसंगति नहीं पायी गयी।	यह तथ्यों का बयान है।
3.	कंपनी अधिनियम की धारा 189 के तहत कंपनी रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मो या अन्य पार्टियों को कंपनी द्वारा सुरक्षित या असुरक्षित किसी प्रकार के ऋण का अनुदान नहीं दिया गया है।	यह तथ्यों का बयान है।
4.	कंपनी अधिनियम की धारा 185 एवं 186 के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी के पास कोई ऋण, निवेश, गारंटी एवं प्रतिभूति नहीं है।	यह तथ्यों का बयान है।
5.	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा अधिनियम की धारा 73 से 76 के प्रावधानों अथवा अधिनियम के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों एवं उनके अंतर्गत तैयार नियमों के आलोक में कंपनी ने किसी प्रकार का जमा स्वीकार नहीं किया है। कंपनी लॉ बोर्ड अथवा नेशनल कंपनी लॉ ट्रीबुनल अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा किसी न्यायालय या किसी अन्य ट्रीबुनल द्वारा अनुपालन की अपेकषा में किसी प्रकार का आदेश जारी नहीं किया गया है।	यह तथ्यों का बयान है।
6.	अधिनियम की धारा 148 की उपधारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा उल्लिखित लागत रेकॉर्ड के संदर्भ में कंपनी ने इस प्रकार की लेखा एवं रेकॉर्ड तैयार किए हैं तथा उनकी देखरेख की है।	यह तथ्यों का बयान है।
7.क)	कंपनी द्वारा भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, विक्रय कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, वैट, उपकर (सेस) एवं अन्य वैधानिक बकाया सहित अविवादित वैधानिक बकाया की नियमित रूप से उचित अधिकारी के पास जमा किया गया है। वित्त वर्ष के अंतिम दिन में किसी प्रकार के वैधानिक बकाया शेष नहीं था।	यह तथ्यों का बयान है।
(ख)	कंपनी द्वारा आयकर अथवा विक्रय कर अथवा संपत्ति कर अथवा सीमा शुल्क अथवा उत्पाद शुल्क अथवा वैट अथवा उपकर (सेस) जो जमा नहीं कराया गया है उनका विवरण नीचे की सारणी में दिया जा रहा है ।	यह तथ्यों का बयान है।
8.	ऋणों के पुनः भुगतान अथवा संस्थानों, बैंको, सरकार अथवा डिवेंचर धारकों को दिये गए ऋण में कमी कंपनी पर लागू नहीं होते।	यह तथ्यों का बयान है।
9.	प्राथमिक लोक प्रस्ताव अथवा इसके अतिरिक्त लोक प्रस्ताव (ऋण उपकरण संबंधि) के माध्यम से जारी राशि कंपनी पर लागू नहीं थे। सावधि ऋण जिस उद्देश्य से लिया गये थे उन्हें उसी उद्देश्य में उपयोग किया गया।	यह तथ्यों का बयान है।
10.	वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी का मामला नहीं रहा।	यह तथ्यों का बयान है।

11.	अधिनियम की धारा 197 एवं अनुच्छेद (V) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रबंधकीय वेतन का भुगतान किया गया।	यह तथ्यों का बयान है।
12.	चूंकि यह निधि कंपनी नहीं है अतः यह खंड कंपनी के ऊपर लागू नहीं होता।	यह तथ्यों का बयान है।
13.	अधिनियम की धारा 177 एवं 178 के अनुपालन में सभी संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन किया गया एवं आवश्यकतानुसार कंपनी के वित्तीय विवरण में इसका खुलासा किया गया।	यह तथ्यों का बयान है।
14.	कंपनी ने अपने शेयरों पर न तो पूर्ण रूप से और न ही आंशिक रूप से प्राथमिक आवंटन/निजी स्थापन किया।	यह तथ्यों का बयान है।
15.	कंपनी के निदेशकों एवं उनसे संबंधित लोगों के साथ किसी भी प्रकार का गैर नगद लेन-देन नहीं किया।	यह तथ्यों का बयान है।
16.	कंपनी का पंजीकरण भारतीय रिजर्व बैंक, अधिनियम 1934, की धारा 45-1ए के अंतर्गत आवश्यक नहीं था।	यह तथ्यों का बयान है।

संलग्नक – 'क'

एक लाख या उससे अधिक का विचाराधीन विवाद जो जमा नहीं किया गया।

क्रमांक	अधिनियम का नाम	बकाया की प्रकृति	संबंधित राशि की अवधि	रू. करोड़ में	मंच जहाँ मामला लंबित है
1.	पश्चिम बंगाल ग्रामीण नियोजन तथा उत्पादन अधिनियम 1976	पश्चिम बंगाल ग्रामीण नियोजन सेस	F.Y. 1997-98	142.03	जेसीसीटी, आसनसोल
2.	पश्चिम बंगाल ग्रामीण नियोजन तथा उत्पादन अधिनियम 1976	पश्चिम बंगाल ग्रामीण नियोजन सेस	F.Y. 1998-99 to F.Y. 2000-01	149.78	डब्लू.बी.टी.टी
3.	पश्चिम बंगाल ग्रामीण नियोजन तथा उत्पादन अधिनियम 1976	पश्चिम बंगाल ग्रामीण नियोजन सेस	F.Y. 2001-02 to F.Y. 2008-09	117.60	स्पेशल कमांडेंट पश्चिम बंगाल वाणिज्य कर
4.	पश्चिम बंगाल ग्रामीण नियोजन तथा उत्पादन अधिनियम 1976	पश्चिम बंगाल ग्रामीण नियोजन सेस	F.Y. 2009-10 to 2012-13	294.84	सीनियर जेसीसीटी आसनसोल सर्किल
5.	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा अधिनियम 1973	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा सेस	F.Y. 1997-98	27.04	जेसीसीटी, आसनसोल
6.	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा अधिनियम 1973	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा सेस	F.Y. 1998-99 to FT 2000-01	82.92	डब्ल्यूटीटी
7.	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा अधिनियम 1973	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा सेस	F.Y. 2001-02 to FT 2008-09	29.40	डब्ल्यूटीटी
8.	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा अधिनियम 1973	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा सेस	F.Y. 2009-10 to FT 2012-13	55.63	सीनीयर जेसीसीटी आसनसोल सर्किल

यह तथ्यों का बयान है। हलांकि इन विवादित बका से जो आकस्मिक देयता (ऋण के रूप में अस्वीकृत कम्पनी के विरूद्ध दावे) में लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणी क्लास 4(क) अस्वीकृत के अधीन दिखाया गया है।

9.	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956/पं.बंगाल अधिनियम 2003	पश्चिम बंगाल वैट / सीएसटी	F.Y. 2004-05	1.44	सीनीयर जेसीसीटी आसनसोल सर्किल
10.	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956/पं.बंगाल अधिनियम 2003	पश्चिम बंगाल वैट / सीएसटी	FY 2010-11 FY 2011-12 एवं FY 2013-14	26.53	डब्ल्यूसीटी अपीलीप तथा रिविजनल बोर्ड
11.	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956/पं.बंगाल अधिनियम 2003	पश्चिम बंगाल वैट / सीएसटी	FY 2012-13	12.66	डब्ल्यूटीटी
12.	वित्त अधिनियम 1994	साइडिंग प्रभार पर सेवाकर की मांग	FY 2006-07 से 2010-11	36.54	सीईएसटीएटी, कोलकाता
13.	केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम 1994	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	मार्च 2011 से मार्च 2015	610.76	सीईएसटीएटी, कोलकाता
14.	केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम 1994	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	जनवारी 2012 से मार्च 2015	0.21	सीसीई (अपील) आसनसोल
15.	आयकर अधिनियम 1961	आयकर	AY 1993-94 AT 2005-06 से AY 2009-10	264.76	आईटीएटी, कोलकाता
16.	आयकर अधिनियम 1961	आयकर	AY 2010-11 से AY 2013-14	128.40	सीआईटी (अपील) आसनसोल
17.	एमएमडीआर 1957	रायल्टी	अप्रैल 1986 से मार्च 1996 सीतम्बर' 03	5.92	माननीय सर्वोच्च न्यायालय
18.	एमएमडीआर 1957	रायल्टी	2005-06	0.76	माननीय सर्वोच्च न्यायालय, रांची
19.	एमएमडीआर 1957	रायल्टी	24.09.03 से 31.12.05	0.17	डीसीसीटी, देवघर
20.	सीएसटी अधिनियम 1956 तथा जेवीएटी 2005	सीएसटी/जेवीएटी	FY1989-90 से FY1995 -96 FT 2002-03	20.94	झारखण्ड टैक्सेसन ट्रिब्यूनल
21.	सीएसटी अधिनियम 1956 तथा जेवीएटी 2005	सीएसटी/जेवीएटी	FY1997-98 से 2003-04 एवं 2008-09 से 2010-11	13.93	एसीसीटी, देवघर
22.	सीएसटी अधिनियम 1956 तथा जेवीएटी 2005	सीएसटी/जेवीएटी	FY 2004-05 से FY 2007-08	9.03	सीसीटी, रांची
23.	सीएसटी अधिनियम 1956 तथा जेवीएटी 2005	सीएसटी/जेवीएटी	FY 2011-12 एवं FY 2012-13	3.69	डीसीसीटी, देवघर
24.	केन्द्रीय उत्पाद कर अधिनियम 1944	उत्पाद अधिनियम	FY 2016-17	1.23	सीसीई (अपील) धनबाद
25.	वित्त अधिनियम 2010	स्वच्छ ऊर्जा सेस	FY 2016-17	1.37	सीसीई (अपील) धनबाद
26.	सीएसटी अधिनियम 1956 तथा जेवीएटी अधिनियम 2005	सीएसटी तथा वीएटी	FY 1989-90 से 1991-92 एवं FY 1997-98 से 2006-07	17.43	जेसीसीटी (अपील) धनबाद
27.	सीएसटी अधिनियम 1956 तथा जेवीएटी अधिनियम 2005	सीएसटी तथा वीएटी	FY 2007-08 से fy 2013-14	19.00	उन सीवीटी, चिरकुंडा सर्किल
28.	सीएसटी अधिनियम 1956 तथा जेवीएटी अधिनियम 2005	सीएसटी तथा वीएटी	FY 2001-02	19.96	सीसीटी, रांची
29.	सीएसटी अधिनियम 1956 तथा जेवीएटी अधिनियम 2005	सीएसटी तथा वीएटी	FY 2006-07 एवं 2008-09	3.50	एसीसीटी, गोड्डा

30.	सीएसटी अधिनियम 1956 तथा जेवीएटी अधिनियम 2005	सीएसटी तथा वीएटी	FY 2008-09 एवं 2015-16	38.36	डीसीसीटी, गोड्डा
31.	केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम 1944	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	मार्च' 11 से फेब्रुयरी' 13	2.52	सीसीई (अपील), रांची
32.	केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम 1944	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	FY 2010-11 से 2014-15	7.69	सीसीई (अपील), धनबाद
33.	केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम 1944	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	FY 2014-15 से 2015-16	5.19	लेखापरीक्षा के प्रमुख निदेशक का कार्यलय रांची
34.	एमएमडीआर अधिनियम 1957	रायल्टी	FY 1990-94, 1996-97, 1997-98, 2007-08 से 2011-12	11.47	प्रमाणपत्र अधिकारी दुमका
35.	एमएमडीआर अधिनियम 1957	रायल्टी	FY 1997-98	29.76	माननीय उच्च न्यायालय, रांची
36.	एमएमडीआर अधिनियम 1957	रायल्टी	FY 2006-07 से 2015-16	0.14	जिला खनन अधिकारी, गोड्डा

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड पर लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का संलग्नक

(जैसा कि उस दिन के हमारे प्रतिवेदन के अनुच्छेद 8(b) में वर्णित है)

अनुलग्नक – क

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (5) के अधीन संशोधित निर्देश

Sl. No.	Auditors' Report	Auditors' Comment	Management Reply
1.	क्या कंपनी के पास फ्रीहोल्ड एवं लीज़होल्ड की क्रमश: कोई स्पष्ट टाइटल/लीज़ डीड्स हैं? यदि नहीं, तो कृपया उन क्षेत्रों का उल्लेख करें जहाँ की भूमि के फ्रीहोल्ड एवं लीज़होल्ड भूमि के टाइटल/लीज़ डीड्स उपलब्ध नहीं हैं।	संबंधित विवरण संलग्नक स्तर पर दिया हुआ है।	यह तथ्यों का बयान है।
2.	कृपया यह बताएँ कि क्या नामे/ऋण/ब्याज के वेवर/राइट ऑफ का कोई मामला है।	संबंधित वर्ष के दौरान कम्पनी ने कोई ऋण बट्टे खाते नहीं डाला है।	यह तथ्यों का बयान है।
3.	थर्ड पार्टी के साथ वस्तुसूची तथा सरकार अथवा अन्य प्राधिकारी द्वारा उपहार के रूप में प्राप्त संपत्ति हेतु समुचित रेकॉर्ड का रखरखाव किया गया हो।	वर्ष के दौरान ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया।	यह तथ्यों का बयान है।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड पर लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का संलग्नक – ख

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत अतिरिक्त निर्देश

अनुलग्नक – ख

क्रम.	लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन	लेखापरीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन का जवाब
1.	क्या रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए स्टॉक माप का कार्य पूरा किया गया ? क्या समस्त मामलों में रूपरेखा द्वारा वास्तविक स्टॉक मापन रिपोर्ट संलग्न किया गया? क्या वर्ष के दौरान किसी नये संचय, यदि कोई हो, को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त हुई है?	स्टॉक मापन का कार्य मूलभूत रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए ही किया गया। सामान्यत: रूपरेखा द्वारा ही वास्तविक स्टॉक मापन संलग्न होता है। नये संचय, जब भी तैयार किए जाते हैं, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से ही किए जाते हैं।	यह तथ्यों का बयान है।
2.	किसी क्षेत्र की पुन: संरचना के दौरान क्या कंपनी द्वारा परिसंपत्तियों एवं सम्पत्तियों की वास्तविक जाँच की गई?	वर्ष के दौरान ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया ।	यह तथ्यों का बयान है।
3.	वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किए जाते समय क्या सभी अधिगृहीत भूमि की प्रविष्टियों एवं भूमि क्षतिपूरण में विलंब के कारण लागू ब्याज को परिगणित किया गया है?	वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किए जाते समय सभी अधिगृहीत भूमि की प्रविष्टियों एवं भूमि क्षतिपूरण में विलंब के कारण लागू ब्याज को परिगणित किया गया है।	यह तथ्यों का बयान है।
4.	नमूनों के परिणाम के अनुसार जीसीवी स्तरों पर कोई विवाद, यदि हो, की विधिवत जाँच की गई? यदि ऐसा है तो इसे मात्रा के रूप में निर्धारित किया जाना चाहिए तथा सी तथा एजी लेखा परीक्षकों को सूचित किया जाता चाहिए।	वर्ष 2016-17 के दौरान जीजीवी के रेंज में विवाद के 310 मामले थे जिसके फलस्वरूप कम्पनी द्वारा सैंपलिंग के पर्याप्त प्रावधान किए गए है।	यह तथ्यों का बयान है।

भूमि के लिए डीड :

अनुलग्नक – ख

भूमि का विवरण	**कम्पनी के कब्जे में कुल जमीन (हेक्टयर में)**	**जमीन जिसके लिए दस्तावेज है (हेक्टयर) में**	**आयुक्ति**	**प्रबन्धन का उत्तर**
कोल माइन्स राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1973 के अधीन भूमि	8711.00	8711.00	यह जमीन कम्पनी के नाम में शामिल (वेस्टेड) है।	यह तथ्यों का बयान है।
भू अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अधीन भूमि	2587.59	2587.59	जिला एलए प्राधिकारी तथा कम्पनी के संबंधित क्षेत्रों के कोलियरी कार्यालयों में कब्जा प्रमाणपत्र उपलब्ध है।	यह तथ्यों का बयान है।
सीबीए (ए तथा डी) अधिनियम 1957 के अधीन प्राप्त जमीन	3772.23	3772.23	संबंधित विवरण कम्पनी के संबंधित क्षेत्रों के कोलियरी कार्यालय में उपलब्ध है।	यह तथ्यों का बयान है।
सीधी खरीद से प्राप्त जमीन)	5648.09	3975.15	शेष 1672.94 हेक्टेयर भूमि के दस्तावेजों के मिलान तथा इकट्ठा करने का काम प्रगति पर है।	यह तथ्यों का बयान है।
सरकार द्वारा स्थानांतरित भूमि	311.25	311.25	कब्जा प्रमाण पत्र कम्पनी के संबंधित क्षेत्रों के कोलियरी कार्यालयों में उपलब्ध है।	यह तथ्यों का बयान है।
कोल वियरिंग एक्ट के अधीन वन भूमि	275.77	275.77	संबंधित विवरण कम्पनी के क्षेत्रीय कम्पनियों के अधीन कोलियरी कार्यालय में उपलब्ध है।	यह तथ्यों का बयान है।
गैर कोल वियरिंग एक्ट के अधीन वन भूमि	100.62	100.62	स्टेज–I तथा स्टेज–II क्लीयरेंस के रिकार्ड कम्पनी के क्षेत्रों की संबंधित को ––– कार्यालय में उपलब्ध है।	यह तथ्यों का बयान है।
कुल	**21406.54**	**19733.61**		

31 मार्च को तुलनपत्र

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
निधियों का श्रोत :										
अंश पूंजी	2218.45	2218.45	2218.45	2218.45	2218.45	2218.45	2218.45	4269.42	2218.45	2218.45
ऋण का इक्विटी में परिवर्तन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
रिजर्व एवं सरप्लस.	(6458.31)	(8567.40)	(8234.00)	(8127.43)	(7165.30)	(4677.05)	(3804.82)	(2716.00)	(1072.92)	(1052.15)
प्रोद्भूत ब्याज एवं बकाया.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ऋण निधि	656.23	689.26	665.52	656.24	670.18	674.17	681.29	164.33	1485.87	1584.31
अन्य गैर चालू देयताएं				11.20	5.51	17.95	17.99	18.92	28.42	25.9
दीर्घावधि प्रावधान	2324.70	3342.90	3634.76	4136.04	4731.93	4670.27	4042.55	3135.23	2948.25	2789.92
	-1258.93	**-2316.79**	**-1715.27**	**-1105.50**	**460.77**	**2903.79**	**3155.46**	**4871.90**	**5608.07**	**5566.44**
निधियों की प्रयोज्यता										
स्थिर परिसम्पत्तियाँ										
सकल ब्लॉक	5030.21	5217.34	5290.16	5197.08	5389.97	5535.55	5797.26	6618.71	2139.57	3074.95
न्यून: मूल्यह्रास	3789.40	3983.67	4097.59	3988.28	4107.20	4280.72	4413.47	5053.31	163.58	452.86
शुद्ध ब्लॉक	1240.81	1233.67	1192.57	1208.80	1282.77	1254.83	1383.79	1565.40	1975.99	2622.09
पूंजीगत चालू कार्य	41.34	39.85	64.80	36.91	51.28	61.32	106.87	265.86	561.01	382.78
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ				11.28	46.22	20.21	30.36	80.19	87.77	117.65
गैर चालू निवेश	0.34	0.31	0.28	0.21	0.18	0.15	0.13	0.08	0.08	0.08
आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ						864.20	510.99	91.95	149.47	173.77
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ				18.34	17.68	17.43	16.33	17.41	0.36	0.15
अन्य दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम				6.57	21.04	50.87	99.86	172.71	430.40	515.65
चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम:										
चालू निवेश				0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
वस्तुसूची	331.42	323.83	453.36	568.72	622.93	442.33	450.52	551.02	764.21	603.30
विविध देनदार	269.84	338.11	746.79	959.20	2459.37	3582.13	1720.01	1426.88	1955.53	1607.49
नकद एवं बैंक शेष	664.36	688.98	947.88	940.99	1248.74	1949.53	3852.00	4563.88	591.08	737.44
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	42.75	48.35	33.65	65.83	83.28	182.14	270.65	345.73	4022.62	4079.92
ऋण एवं अग्रिम	138.00	130.33	146.82	77.59	176.23	188.98	205.25	377.81	0.00	0.00
पूर्ण योग	1446.37	1529.60	2328.50	2612.36	4590.58	6345.14	6498.46	7265.35	7333.44	7028.15
न्यून: चालू देयताएँ	3987.79	5120.22	5301.42	4999.97	5548.98	5710.36	5491.33	4587.05	4930.45	5273.88
निवल चालू परिसंपत्तियाँ	-2541.42	-3590.62	-2972.92	-2387.61	-958.40	634.78	1007.13	2678.30	2402.99	1754.27
अन्य व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल :	**-1258.93**	**-2316.79**	**-1715.27**	**-1105.50**	**460.77**	**2903.79**	**3155.46**	**4871.90**	**5608.07**	**5566.44**

टिप्पणी : 31.03.2016 तथा 31.03.2017 के वित्तीय आंके इंडएएस के अनुसार है।

लाभ एवं हानि

(₹ करोड़ में)

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
विक्रय (लेवी का निवल)	3187.61	3837.40	5227.78	5882.60	8262.09	9191.91	8887.79	10,018.54	10219.45	10141.18
अन्य आय	204.53	207.77	348.76	354.37	298.62	548.56	712.91	894.25	787.66	787.13
वृद्धि / ह्रास	-85.86	-11.90	123.26	112.35	44.32	(168.92)	(5.64)	84.84	186.24	(157.34)
निजी उद्देश्य हेतु कर्मशाला कार्य	44.72	44.51	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00			-
ब्याज में छूट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			-
शीर्षस्थ प्रभार में छूट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			-
विद्युत शुल्क में छूट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			-
विविध उद्देश्यों के लिए जारी कोयला	0.09	0.16	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00			-
	3351.09	**4077.94**	**5750.29**	**6349.32**	**8605.03**	**9571.55**	**9595.06**	**10,997.63**	**11,193.35**	**10,770.97**
कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ	2597.87	3803.75	3364.35	4042.04	5217.06	5329.99	5495.74	5,850.50	5,709.95	6,436.58
बकाया वेतन एवं मजदूरी	163.80	504.89	58.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
उत्पाद कर									609.24	626.06
भंडार एवं स्पेयर्स की खपत	427.37	466.61	490.96	539.95	574.22	649.95	735.36	797.82	738.60	693.25
विद्युत एवं इधन	263.66	259.25	304.79	376.11	382.42	433.97	463.77	475.78	507.48	503.17
मरम्मत	74.63	70.95	82.82	57.02	61.76	60.23	76.47	101.22	134.41	156.94
सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व पर खर्च	229.89	268.09	296.40	180.52	79.33	117.12	92.98	24.85	62.61	21.62
ठेका व्यय	210.91	254.87	342.00	410.98	481.42	672.36	742.15	930.65	1,367.92	1,591.80
विविध व्यय	134.69	148.51	160.16	176.44	208.45	261.29	265.34	444.37	414.72	454.08
मूल्यह्रास	147.00	206.86	146.69	184.72	200.90	203.20	213.50	226.36	278.42	294.90
हानि	21.83	20.96	9.51					19.66	39.73	28.99
ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	0.29	0.07	0.01	1.01	0.16	8.48	0.98	-	128.54	142.54
अधिभार निष्कासन	80.42	155.86	170.35	164.08	248.19	(324.59)	210.00	174.42	(11.71)	(49.37)
प्रावधान	12.47	17.43	-13.55	87.27	188.99	260.92	(131.57)	98.35	48.04	(144.91)
बट्टे खाता	0.00	2.76	1.97	22.61	0.00	0.00	127.70	73.42	42.21	-
	4364.83	**6180.86**	**5415.27**	**6242.75**	**7642.90**	**7672.92**	**8292.42**	**9,217.40**	**10,070.16**	**10,755.65**
पीपीए पूर्व वर्ष के लिए लाभ (+)/हानि (−)	-1013.74	-2102.92	335.02	106.57	962.13	1898.63	1302.64	1,780.23	1,123.19	15.32
पूर्वाविधि समायोजन	-12.92	-2.78	-1.62	0.00	0.00	(1.45)	(3.36)	2.18	-	-
अनुषंगी हितलाभ कर	-3.27	-3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	
कर व्यय										
- चालू वर्ष						273.13	73.84	398.59	497.93	45.58
- मैट क्रेडिट हकदार								(174.62)	(38.71)	(8.66)
- आस्थगित कर						(31.49)	353.21	419.04	(57.52)	(24.30)
- पूर्व वर्ष									(4.12)	(3.43)
सीपीआरए पश्चात लाभ (+)/हानि (−)	-1029.93	-2109.09	333.40	106.57	962.13	1655.54	872.23	1,139.40	725.61	6.13
अन्य संकलित आय									99.50	36.58
अन्य संकलित आय पर कर									34.44	21.94
अन्य संकलित आय कर का शुद्ध रूप									65.06	14.64
कुल संकलित आय									790.67	20.77
विगत वर्ष पर लाभ एवं हानि	-5143.88	-6458.31	-8567.40	-8234.00	-8127.43	-7165.30	-5509.76	(4637.53)	(3548.71)	(2761.24)
पारगमनीय प्रावधान	-284.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
									50.58	(3.20)
शेष जो तुलनपत्र में लाया गया	**-6458.31**	**-8567.40**	**-8234.00**	**-8127.43**	**-7165.30**	**-5509.76**	**-4637.53**	**(3548.71)**	**(2761.24)**	**(2740.47)**

टिप्पणी : 31.03.2016 तथा 31.03.2017 के वित्तीय आंके इंडएएस के अनुसार है।

प्रयुक्त पूँजी, निवल एवं वित्तीय अनुपात

(₹ करोड़ में)

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
प्रयुक्त पूँजी	-2318.43	-3526.75	-3135.66	-1320.30	171.10	1971.14	2528.15	4589.75	5027.76	4876.79
निवल मालियत	-4239.86	-6348.95	-6015.55	-5908.98	-4946.85	-2458.60	-1586.37	1553.42	1145.53	1166.30
नकदी अनुपात :										
i) चालू अनुपात (चालू परिसंपत्तियाँ / चालू देयताएं)	0.36	0.30	0.44	0.52	0.83	1.11	1.18	1.58	1.49	1.33
कुल कारोबार अनुपात :										
i) पूंजीगत कुल कारोबार अनुपात (निवल विक्रय / प्रयुक्त पूँजी)	-1.37	-1.09	-1.67	-4.46	48.29	4.66	3.52	2.18	2.03	2.08
ii) विविध देनदार यथा महीनों की संख्या										
a). सकल बिक्री	1.33	1.25	1.61	1.76	2.99	3.93	2.15	1.69	2.20	1.61
b). निवल बिक्री	1.70	1.58	1.93	2.13	3.87	5.20	2.89	2.26	2.90	2.34
iii) कोयले का स्टॉक यथा महीनों की संख्या का बिक्री मूल्य	0.80	0.62	0.74	0.84	0.66	0.37	0.38	0.43	0.60	0.45
iv). भंडार एवं स्पेयर्स का स्टॉक यथा महिनों की संख्या में खपत	4.26	4.00	3.99	3.70	3.78	3.10	2.91	2.85	3.55	3.76
संरचनात्मक अनुपात										
i). ऋण : इक्वीटी	0.30	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31	0.04	0.67	0.71
ii). ऋण : निवल मूल्य	-0.15	-0.11	-0.11	-0.11	-0.14	-0.27	-0.43	0.11	1.30	1.36

टिप्पणी : 31.03.2016 तथा 31.03.2017 के वित्तीय आंके इंडएएस के अनुसार है।

परिचालन सांख्यिकी

31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 (क) कच्चे कोयले का उत्पादन : (मिलियन टन)										
भूमिगत	8.32	8.39	8.23	7.37	6.83	6.85	6.87	7.29	7.33	8.13
खुली खदान	15.74	19.74	21.83	23.43	23.73	27.05	29.18	32.72	32.88	32.39
कुल :	24.06	28.13	30.06	30.80	30.56	33.90	36.05	40.01	40.21	40.52
(ख) उपरी संस्तर हटाव (मिलियन घन मीटर)	39.98	43.07	49.74	56.25	60.31	76.45	85.76	94.05	119.22	124.53
2. उठाव (कच्चा कोयला) : (मिलियन टन)										
लोको	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विद्युत	21.94	23.69	25.22	26.21	24.27	30.02	31.05	35.10	35.80	40.12
सीमेंट	0.17	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.06	0.08	0.08	0.05
उर्वरक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
. कोलियरी खपत	0.42	0.41	0.40	0.38	0.34	0.30	0.28	0.25	0.23	0.21
अन्य	2.91	4.01	3.45	3.00	6.08	5.38	4.86	3.04	2.50	2.64
कुल	25.44	28.26	29.22	29.74	30.83	35.84	36.25	38.47	38.61	43.02
3. जनशक्ति	94943	90470	85617	81128	78009	74276	71826	68681	66238	64029
4. उत्पादकता (ओ. एम. एस.)										
भूमिगत खान	0.43	0.46	0.47	0.45	0.44	0.46	0.48	0.53	0.56	0.64
खुली खान	5.04	6.42	7.29	8.14	8.64	10.17	10.96	12.12	12.42	12.90
समग्र :	1.07	1.33	1.46	1.60	1.68	1.94	2.12	2.45	2.56	2.64

तुलन–पत्र

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणी संख्या	31-03-2017 को स्थिति (पुन:कथित)	31-03-2016 को स्थिति (पुन:कथित)	01-04-2015 को स्थिति (पुन:कथित)
परिसंम्पत्तियाँ				
गैर मौजूदा परिसम्पत्तियों				
क. सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	3	2,622.09	1,975.99	1,842.00
ख. पूंजीगत चालू कार्य	4	382.78	561.01	313.32
ग. अनुसंधान तथा मूल्यांकन परिसम्पत्तियाँ	5	117.65	87.77	32.73
घ. अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियाँ	6	-	-	-
ङ. विकासशील अमूर्त परिसम्पत्तियाँ				
च. निवेश सम्पत्ति				
छ. वित्तीय परिसम्पत्ति				
i. निवेश	7	0.08	0.08	0.08
ii. ऋण	8	0.15	0.36	0.58
iii. अन्य वृत्तीय परिसम्पत्तियाँ	9	393.30	274.40	165.47
ज. आस्थगित पर परिसम्पत्ति (शुद्ध)		173.77	149.47	91.95
झ. अन्य गैर मौजूदा परिम्पत्ति	10	122.35	156.00	172.13
कुल गैर मौजूदा परिसम्पत्ति (क)		**3,812.17**	**3,205.08**	**2,618.26**
चालू परिसम्पत्तियाँ				
a. वस्तु सूची	12	603.30	764.21	551.02
b. वित्तीय परिसम्पत्ति				
i. निवेश	7	-	-	0.03
ii. व्यापारिक प्राप्तियाँ	13	1,607.49	1,955.53	1,426.88
iii. नगद तथा नगद समतुल्य	14	737.44	591.08	538.77
iv. अन्य बैंक शेष	15	3,228.64	3,432.06	3,877.05
v. ऋण	8	-	-	-
vi. अन्य परिसम्पत्तियाँ (क+ख)	9	350.51	305.18	283.05
घ. चालू कर परिसम्पत्तियाँ (शुद्ध)		202.07	46.22	-
ङ. अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	11	298.70	239.16	440.49
कुल चालू परिस्पत्तियाँ (ख)		**7,028.15**	**7,333.44**	**7,117.29**
कुल परिसम्पत्तियाँ (क + ख)		**10,840.32**	**10,538.52**	**9,735.55**
इक्विटी तथा देयतायें				
इक्विटी				
क. इक्विटी अंश पूंजी	16	2,218.45	2,218.45	2,218.45
ख. अन्य इक्विटी	17	(1,052.15)	(1,072.92)	(1,863.59)

तुलन–पत्र

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणी संख्या	31-03-2017 को स्थिति (पुन:कथित)	31-03-2016 को स्थिति (पुन:कथित)	01-04-2015 को स्थिति (पुन:कथित)
कम्पनी के इक्विटी धारकों को आकर्षणीय इक्विटी		1,166.30	1,145.53	354.86
गैर नियंत्रित व्याज		-	-	-
कुल इक्विटी (क)		**1,166.30**	**1,145.53**	**354.86**
देयतायें				
गैर वर्तमान देयतायें				
क. वित्तीय देयतायें				
i. उधार	18	1,584.31	1,485.87	1,384.58
ii. अन्य वित्तीय देयतायें	20	25.91	28.42	18.94
ख. प्रावधान	21	2,789.92	2,948.25	2,985.31
ग. अन्य गैर वर्तमान देयतायें	22	-	-	-
कुल गैर सर्मान देयतायें (ख)		**4,400.14**	**4,462.54**	**4,388.83**
अन्य देयतायें				
क. वित्तीय देयतायें				
i. उधार	18	-	-	-
ii. व्यापारिक देनदारी	19	105.07	128.40	128.35
iii. अन्य वित्तीय देयतायें	20	196.22	383.38	274.78
ख. अन्य वर्तमान देयतायें	23	3,610.49	3,326.94	3,132.48
ग. प्रावधान	21	1,362.10	1,091.73	1,239.64
घ. वर्तमान कर देयतायें (शुद्ध)		-	-	216.61
कुल वर्तमान देयतायें (ग)		**5,273.88**	**4,930.45**	**4,991.86**
कुल इक्विटी तथा देयतायें (क+ख+ग)		**10,840.32**	**10,538.52**	**9,735.55**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	2			
लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ	38			

उपरोक्त टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण काफी अन्न अंग हैं

(व्ही. आर. रेड्डी)
कंपनी सचिव

(एस. सरकार)
महाप्रबंधक (वित्त)

(ए. एम. मराठे)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन – 07318418

(आर. आर. मिश्र)
अध्यक्ष–सह–प्रबंधक निदेशक
डी.आई.एन.– 05103300

दिनांक : 25 मई, 2017
स्थान : कोलकाता

एम चौधरी एंड कंपनी हेतु हमारी रिपोर्ट संलग्न है
चाटर्ड अकाउंटेंट्स
संस्था पंजीकरण सं – 302186ई

(सीए डी चौधरी)
भागीदार
सदस्यता सं – 052066

लाभ–हानि का विवरण

(₹ करोड़ में)

		टिप्पणी संख्या	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए
संचालन से प्राप्त राजस्व				
क.	विक्रय शुद्ध	24	10,141.18	10,219.45
ख.	अन्य संचालन राजस्व (शुद्ध)	24	321.19	268.84
(I)	संचालन से प्राप्त राजस्व (क+ख)		**10,462.37**	**10,488.29**
(II)	अन्य आय	25	465.94	518.82
(III)	**कुल आय (I + II)**		**10,928.31**	**11,007.11**
(IV)	**व्यय**			
	प्रयुक्त सामग्री की लागत	26	693.25	738.60
	तैयार माल की वस्र्ड सूची में परिवर्तन, चालू कार्य एवं व्यापार में स्टाक	27	157.34	(186.24)
	उत्पाद कर		626.06	609.24
	कर्मचारी लाभ खर्च	28	6,436.58	5,709.95
	बिजली तथा इंधन		503.17	507.48
	सामूहिक सामाजिक दायित्व	29	21.62	62.61
	मरम्मत	30	156.94	134.41
	संविदात्मक व्यय	31	1,591.80	1,367.92
	वित्तीय लागत	32	142.54	128.54
	मूल्य ह्रास / ऋण परिशोधन		323.89	318.15
	प्रावधान	33	(144.91)	48.04
	बट्टे खाते डाला गया	34	-	42.21
	अन्य खर्च	35	454.08	414.72
	स्ट्रिपिंग गतिविधि समंजन		(49.37)	(11.71)
	कुल व्यय (IV)		**10,912.99**	**9,883.92**
(V)	**अपवाद मदों तथा कर के पूर्व लाभ (III-IV)**		**15.32**	**1,123.19**
(VI)	अपवाद मद		-	-
(VII)	**कर पूर्व लाभ (V - VI)**		**15.32**	**1,123.19**
(VIII)	कर व्यय	36	9.19	397.58
(IX)	**जारी संचालन की अवधि के लिए लाभ (VII - VIII)**		**6.13**	**725.61**
(X)	बाधित संचालन पर लाभ / (हानि)		-	-
(XI)	वाधित संचालन पर कर खर्च		-	-
(XII)	लाभ / (हानि) वाधित संचालन पर / कर के बाद **(X - XI)**		-	-
(XIII)	जेवी के / एसोसिएएट के लाभ/(हानि) में अंश		-	-
(XIV)	अवधि के दौरान लाभ **(IX + XII + XIII)**		**6.13**	**725.61**

लाभ–हानि का विवरण

(₹ करोड़ में)

		टिप्पणी संख्या	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए
	अन्य व्यापक आय	37		
	i. लाभ या हानि में पुनवर्गीकृत न किए जाने योग्य मद		36.58	99.50
	ii. लाभ या हानि में पुनवर्गीकृत न किए जाने योग्य मदों पर आयकर		21.94	34.44
	iii. लाभ या हानि में पुनवर्गीकृत किए जाने योग्य मद		-	-
	iv. लाभ या हानि में पुनवर्गीकृत किए जाने योग्य मदों पर आय कर		-	-
(XV)	**कुल अन्य व्यापक आय अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XIV + XV)**		**14.64**	**65.06**
(XVI)	**अवधि के लिए अन्य व्यापक आय तथा समाविष्ट लाभ (हानि)**		**20.77**	**790.67**
	प्रति इक्विटी शेयर पर आय (₹ में)			
	(प्रति शेयर ₹ 1000/- अंकित मूल्य)			
	1. मूल्य (वेसिक)		**2.76**	**327.08**
	2. तनुकृत		**2.76**	**327.08**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ 2

लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ 38

उपरोक्त टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण काफी अन्न अंग हैं

(व्ही. आर. रेड्डी)
कंपनी सचिव

(एस. सरकार)
महाप्रबंधक (वित्त)

(ए. एम. मराठे)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन – 07318418

(आर. आर. मिश्र)
अध्यक्ष–सह–प्रबंधक निदेशक
डी.आई.एन.– 05103300

एम चौधरी एंड कंपनी हेतु हमारी रिपोर्ट संलग्न है
चाटर्ड अकाउंटेंट्स
संस्था पंजीकरण सं – 302186ई

(सीए डी चौधरी)
भागीदार
सदस्यता सं – 052066

दिनांक : 25 मई, 2017
स्थान : कोलकाता

31-03-2017 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तन पर विवरण

(क) इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	01-04-2015 को शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31-03-2016 को शेष	01.04.2016 को शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31-03-2017 को शेष
10390000 Equity Shares of ₹ 1000/- each fully paid in cash	1,039.00	-	1,039.00	1,039.00	-	1,039.00
11794500 Equity Shares of ₹ 1000/- each allotted as fully paid up for consideration received other than cash	1,179.45	-	1,179.45	1,179.45	-	1,179.45
Total	**2,218.45**	**-**	**2,218.45**	**2,218.45**	**-**	**2,218.45**

(ख) अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

	प्रीफेरेंस शेयर पूंजी में इक्विटी अंश	पूंजीगत विमोचन आरक्षित	सीएसआर आरक्षित	पोषणीय विकास आरक्षित	सामान्य आरक्षित	अन्य आरक्षित	सुरक्षित आय	इक्विटी धारको को देय अन्य इक्विटी का योग	अनियंत्रित व्याज	कुल
01-04-2015 को शेष	855.61	-	-	-	832.71	-	(3,548.71)	(1,860.39)	-	(1,860.39)
लेखाकंन नीति में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	(3.20)	(3.20)	-	(3.20)
पूर्वावधि भूलें	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.2015 को पुनर्लिखित शेष	**855.61**	-	-	-	**832.71**	-	**(3,551.91)**	**(1,863.59)**	-	**(1,863.59)**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	790.67	790.67	-	790.67
डिविडेंट (डिविडेंट कर सहित)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सुरक्षित आय को स्थानांतरित	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सामान्य आरक्षित को स्थानांतरित	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31-03-2016 को शेष	**855.61**	-	-	-	**832.71**	-	**(2,761.24)**	**(1,072.92)**	-	**(1,072.92)**
01-04-2016 को शेष	**855.61**	-	-	-	**832.71**	-	**(2,761.24)**	**(1,072.92)**	-	**(1,072.92)**
लेखाकंन नीति में परिवर्तन पूर्वावधि भूलें	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.2015 को पुनर्लिखित शेष	**855.61**	-	-	-	**832.71**	-	**(2,761.24)**	**(1,072.92)**	-	**(1,072.92)**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	20.77	20.77	-	20.77
डिविडेंट (डिविडेंट कर सहित)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सुरक्षित आय को स्थानांतरित	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सामान्य आरक्षित को स्थानांतरित	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31-03-2017 को शेष	**855.61**	-	-	-	**832.71**	-	**(2,740.47)**	**(1,052.15)**	-	**(1,052.15)**

(व्ही. आर. रेड्डी)
कंपनी सचिव

(एस. सरकार)
महाप्रबंधक (वित्त)

(ए. एम. मराठे)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन – 07318418

(आर. आर. मिश्र)
अध्यक्ष–सह–प्रबंधक निदेशक
डी.आई.एन.– 05103300

एम चौधरी एंड कंपनी हेतु हमारी रिपोर्ट संलग्न है
चाटर्ड अकाउंटेंट्स
संस्था पंजीकरण सं – 302186ई

दिनांक : 25 मई, 2017
स्थान : कोलकाता

(सीए डी चौधरी)
भागीदार
सदस्यता सं – 052066

नकद प्रवाह विवरण (अप्रत्यक्ष प्रणाली)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2017		31.03.2016	
क. संचालन गतिविधियों से नगद प्रवाह				
वर्ष के लिए कुल व्यापक कार्य		**20.77**		**790.67**
समायोजन हेड :				
मूल्यह्रास तथा हानि	323.89		318.15	
व्याज आय	(285.22)		(375.19)	
परिसम्पत्ति कें विक्रय पर आय (शुद्ध)	(0.02)		(0.31)	
प्रावधान	(144.91)		48.04	
पुनर्लिखित देयता	(44.15)		(35.71)	
स्ट्रीपिंग गतिविधि समंजन	(49.37)		(11.71)	
कोयला के क्लोजिंग स्टाक पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	(22.19)		31.35	
छूट की अनवाइडिंग	142.54		128.54	
विनिमय दर में भिन्नता पर हानि / (लाभ)	(0.55)	(79.98)	11.21	114.37
वर्तमान /गैर वर्तमान परिसम्पत्तियों तथा देयताओं के पूर्व संचालन लाभ के लिए समंजन :		**(59.21)**		**905.04**
व्यापारिक प्राप्तियाँ	348.04		(528.65)	
वस्तु सूची	183.10		(244.54)	
लघु/दीर्घ अवधि देयतायें तथा प्रावधान	558.86		408.36	
लघु/दीर्घ अयधि ऋण/अग्रिम तथा अन्य परिसम्पत्तियाँ	(370.06)	719.94	(17.12)	(381.95)
संचालन से उत्पन्न नगदी :		**660.73**		**523.09**
प्रदत्त आयकर		175.00		530.22
संचालन गतिविधियों से शुद्ध नगद प्रवाह (I)		**485.73**		**(7.13)**
ख. निवेश गतिविधयों से नगद प्रवाह				
स्थिर परिसम्पत्ति की खरीद	(827.80)		(755.26)	
स्थिर परिसम्पत्ति के मूल्य में समंजन	6.16		0.39	
परिसम्पत्ति के विक्रय पर लाभ (शुद्ध)	0.02		0.31	
निवेश की (खरीद)/मुनाफा	203.42		444.99	
पावर बान्ड का विमोचन	-		0.03	
निवेश से संबंधित आय	285.22		375.19	65.65
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नगद प्रवाह (II)		**(332.98)**		**65.65**

नकद प्रवाह विवरण (अप्रत्यक्ष प्रणाली)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2017		31.03.2016	
ग. वित्तीय गतिविधियों से नगद प्रवाह				
उधार का पुन: भुगतान	(6.39)	(6.39)	(6.21)	(6.21)
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नगद (III)		**(6.39)**		**(6.21)**
नगद तथा बैंक शेष में शुद्ध वृद्धि / कमी (I + II + III)		**146.36**		**52.31**
नगद तथा नगद समतुल्य (प्रारंभिक शेष) (IV)	591.08		538.77	
कोष्ठक के सभी आंकड़े आउट फ्लो दर्शातें है (V)	737.44	**146.36**	591.08	**52.31**

(व्ही. आर. रेड्डी)
कंपनी सचिव

(एस. सरकार)
महाप्रबंधक (वित्त)

(ए. एम. मराठे)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन – 07318418

(आर. आर. मिश्र)
अध्यक्ष–सह–प्रबंधक निदेशक
डी.आई.एन.– 05103300

एम चौधरी एंड कंपनी हेतु हमारी रिपोर्ट संलग्न है
चाटर्ड अकाउंटेंट्स
संस्था पंजीकरण सं – 302186ई

दिनांक : 25 मई, 2017
स्थान : कोलकाता

(सीए डी चौधरी)
भागीदार
सदस्यता सं – 052066

टिप्पणी – 1 : सामूहिक सूचनायें

ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड (कम्पनी) गत 01 नवम्बर, 1975 को कोल माइन्स अथोरिटी लिमिटेड (कोल इंडिया लिमिटेड का पुराना नाम) में निहित परिसम्पत्ति तथा देयताओं का अधिग्रहण करके 100% कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी के रूप में एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के रूप में गठित हुई थी। यह कम्पनी कुल रूप से कोयला के उत्पादन तथा विक्रय के व्यापार में संलग्न है।

टिप्पणी – 2 : महत्वपूर्ण लेखाकंन नीति

2.1 वित्तीय विवरण निर्माण का आधार :

कम्पनी का वित्तीय विवरण (कोल इंडिया लि. समेकित) कम्पनियों की (भारतीय लेखाकंन स्तर) नियमावली 2015 के अधीन अधिसूचित भारतीय लेखांकन स्तर (इंड एएस) की सहमति में तैयार किया गया है।

सभी अवधि तक तथा 31 मार्च 2016 सहित सी आई एल समेकित (अबसे कम्पनी कहा जायगा) कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अधीन अधिसूचित लेखांकन स्तर (एएस) की सहमति में कम्पनी (लेखांकन) नियमावली 2014 के अनुच्छेद 7 तथा कम्पनियों (लेखांकन स्तर) की नियमावली 2006 के साथ पढ़े जाने पर वित्तीय विवरण तैयार करती रही हैं। 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए ये वित्तीय विवरण प्रथम वित्तीय विवरण है जो इंड एएस की सहमति में कम्पनी द्वारा तैयार किए गए हैं। सूचना के लिए टिप्पणी सं 38.6 इंड एएस के प्रथमबार अंशीकरण पर देखें।

वित्तीय विवरण निम्नलिखित छोड़कर माप के एतिहादित लागत आधार पर तैयार किए गए है :

- ➢ स्वच्छ मूल्य (अनुच्छेद 2.15 में लेखांकन नीति पर वित्तीय उपकरण को देखें) पर मापी गई कुछ वित्तीय परिसम्पत्तियों तथा देयतायें।
- ➢ परिभाषित सुविधा योजनायें – स्वच्छ मूल्य पर मापी गई योजना परिसम्पत्तियाँ।
- ➢ लागत पर सम्पत्ति सूची या एन आर वी जो भी कम हो, लेखांकन नीति में अनुच्छेद 2.21 को देखें।

2.2.1 राशि का लघु रूपायन :

इन वित्तीय विवरणों में संख्या को, यदि अन्यथा न कहा गया हो तो, दो दशमलव अंको तक ''रूपये करोड़ में'' बनाकर लघु रूपायन किया गया है।

2.2 वर्तमान तथा अवर्तमान वर्गीकरण :

कम्पनी ने तुलनपत्र में परिसम्पत्ति तथा देयताओं को वर्तमान / अवर्तमान वर्गीकरण में प्रस्तुत किया है। कोई परिसम्पत्ति वर्तमान के रूप में कम्पनी द्वारा मानी गई है जब :

क) अपने सामान्य संचालन तरीके में जब परिसम्पत्ति को वसूल करना चाहती है, या बेचना या उपभोग करना चाहती है।

ख) सामान्य तौर पर व्यापार के उद्देश्य से रखती है।

ग) प्रतिवेदन की अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर परिसम्पत्ति को वसूल करना चाहती है, या

घ) परिसम्पत्ति नगद या नगद समतुल्य (इंड एएस 7 की परिभाषा के अनुसार) यदि परिसम्पत्ति प्रतिवेदन की अवधि के बाद न्यूनतम बारह महीनों के लिए अदला बदली या किसी दायित्व के निपटारे के लिए उपयोग की जाती है। अन्य सभी परिसम्पत्तियों का वर्तमान के रूप में वर्गीकृत हैं।

कम्पनी द्वारा कोई देयता वर्तमान तब मानी जाती है जब –

क) अपने सामान्य संचालन चक्र में देयता का निपटारा करने की उम्मीद है।

ख) देयता को प्राथमिक रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखा जाता है।

ग) प्रतिवेदन की अवधि के बाद बारद महीनों की भीतर दायित्व का निपटारा देय हो।

घ) इसके पास कोई विना शर्त अधिकार न हो कि प्रतिवेदन की अवधि के बाद न्यूनतम बारह महीनों के लिए दायित्व निपटारे को टाल सके। प्रतिस्थानी की राय पर दायित्व की शर्तें इक्विटी उनकरण को जारी करने में परिणामी हों तथा इसके वर्गीकरण को प्रभावित न करे।

अन्य सभी देयतायें अवर्तमान के रूप में वर्गीकृत हैं।

2.3 राजस्व की पहचान

2.3.1 सामग्री के विक्रय से राजस्व

निम्नलिखित सभी स्थितियाँ यदि पूरी होती हो तो सामग्री के विक्रय को राजस्व के रूप में मापा जायेगा।

क) सामग्री का मालिकाना उल्लेखनीय खतरा तथा इनाम को कम्पनी ने खरीददार को स्थानांतरित कर दिया हो।

ख) कम्पनी बेची गई सामग्री पर न तो इसके प्रभावशाली नियंत्रण न ही मालिकाना के लिए सामान्य तौर पर अपेक्षित प्रबन्धकीय संलग्नता जारी रखती है।

ग) राजस्व की राशि को विश्वस्तरीय रूप से मापा जा सके।

घ) यह सम्भव हो कि लेनदेन के साथ संलग्न आर्थिक सुविधायें कम्पनी की ओर प्रवाहित हों।

ङ) लेनदेन के सम्बन्ध में सबद्ध लागत या लागत की संभावित संबद्धता को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सके।

राजस्व को स्वच्छ मूल्य पर प्राप्त या प्राप्य मुआवजा के रूप में सरकार / अन्य संवैधानिक निकाय की तरफ से संग्रहित कर उगाही या शुल्क को छोड़कर केन्द्रीय रूप से परिभाषित भुगतान को शामिल कर मापा जाता है।

ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम को ग्राहकों का जमा दिखाया गया है यदि राजस्व के पहचान की उपरोक्त शर्त पूरी नहीं होती। हालांकि दि इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाऊन्टेन्ट्न्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी इंड एएस 18 पर आधारित शैक्षणिक सामग्री के आधार पर कम्पनी ने मान लिया है कि उत्पाद शुल्क की वसूली कम्पनी की अपनी लेखा में प्रवाहित है। इसका कारण यह है कि यह उत्पादन कर्ता का दायित्व है जो उत्पादन लागत का अंग है चाहे उत्पादित सामग्री बिके या नहीं। चूंकि उत्पाद कर की वसूली कम्पनी की अपनी लेखा में प्रवाहित है सकल राजस्व में उत्पाद शुल्क शामिल है।

हालांकि अन्य कर, वसूली या शुल्क कम्पनी की अपनी लेखा में प्राप्त नहीं माने जाते इसलिए राजस्व में शामिल नहीं होते।

2.3.2 व्याज

प्रभावशाली व्याज तरीका का उपयोग कर व्याज आय की पहचान की जाती है।

2.3.3 लाभांश (डिविडेंट)

निवेश से लाभांश आय की पहचान तब की जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

2.3.4 अन्य दावे :

अन्य दावों (ग्राहकों से बिलम्ब के कारण वसूले गऐ व्याज सहित) का लेखांकन वसूली की निश्चितता होने तथा मापे जाने की वास्तविकता होने पर की जाती है।

2.3.5 सेवा का प्रदान

जब किसी लेनदेन के परिणाम को जिसमें सेवा के प्रदान को वास्तविक रूप से आकलित किया जाना सम्भव हो तब लेनदेन से सम्बद्ध राजस्व की पहचान प्रतिवेदित अवधि के अंत में लेनदेन की पूर्णता के संदर्भ में की जाती है। लेनदेन परिणाम को विश्वसनीय रूप से तब आकलित किया जा सकता है जब निम्नलिखित सभी शर्ते पूरी होती है –

क) जब राजस्व की रकम को विश्वसनीय रूप से मापा जा सके।

ख) जब लेनदेन से संबंधित आर्थिक सुविधायें की कम्पनी की ओर प्रवाहित होने की सम्भवना हो।

ग) जब प्रतिवेदन की अवधि के अंत में लेने देन के पूर्णता की स्तर को वास्तविक रूप से मापा जा सके।

घ) जब लेनदेन पर हुए खर्च तथा लेनदेन को पूरा करने की लागत को वास्तविक रूप से मापा जा सके।

2.4 सरकारी अनुदान :

सरकारी अनुदान को तब तक मान्यता नहीं दी जाती जब तक पर्याप्त आश्वासन न हो कि कम्पनी इसके साथ संलग्न शर्तो को पूरा करेगी तथा पर्याप्त निश्चितता न हो कि अनुदान प्राप्त होगा।

सरकारी अनुदान को लाभ तथा हानि विवरण में एक प्रणाली आधार पर उस अवधि पर दी गई है। जिसे कम्पनी खर्च के रूप में मान्यता देती है तथा जिसकी क्षति पूर्ति की इच्छुक है।

परिसम्पत्ति से संबंधित सरकारी अनुदान सफलता तुलनपत्र में आस्थगित आय के रूप में स्थिर कर प्रस्तुत है एवं लाभ तथा हानि के विवरण में परिसम्पत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर पहचान की गई है। आय से संबंधित अनुदान (यथा परिसम्पत्ति से अतिरिक्त के लिए संबंधित अनुदान) को लाभ तथा हानि के विवरण में ''अन्य आय'' शीर्ष के अधीन प्रस्तुत किया गया है।

एक सरकारी अनुदान जो उन खर्चों या हानियों के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्य होता है जो पहले ही खर्च हो चुके हैं या कम्पनी को तत्काल विड्डीय समर्थन के लिए दिए जाने हैं जिनमें भविष्य से संबंधित लागत नहीं है उस अवधि के लिए लाभ तथा हानि में मान्यता प्राप्त है जिसके लिए वे प्राप्य होते है।

सरकारी अनुदान या प्रोत्साहक अंशदान की प्रकृति की हैं उन्हें सीधे पूंजीगत आरक्षण के रूप में पहचान की गई है जो कि शेयर होल्डर निधि के अंग है।

2.5 पट्टे (लीज)

वित्तीय लीज वह लीज है जो किसी सम्पत्ति के मालिकाना से संबंधित सभी खतरे तथा इनाम को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित करते हैं। अंततोगत्वा टाइटल स्थानांतरित हो भी सकते हैं और नही भी

एक संचालन लीज वह लीज है जो वित्तीय लीज के अतिरिक्त है।

2.5.1 पट्टाग्रहण कर्ता के रूप में कम्पनी एक लीज प्रारंभिक तिथि को ही वित्तीय लीज या सचालन लीज के रूप में वर्गीकृत की जाती है।

2.5.1.1 **वित्तीय लीज** प्रारंभिक तिथि को ही पट्टेदारी सम्पत्ति के स्वच्छ मूल्य के रूप में या यदि कम हो तो न्यूनतम लीज भुगतान के वर्तमान मूल्य के रूप में पंजीकृत की जाती है। लीज भुगतान को वित्तीय प्रभार का लीज देयता की कमी के रूप में विभाजित किया जाता है ताकि देयता के शेष मांग पर सावधिक व्याज पर प्राप्त किया जा सके। लाभ तथा हानि लेखा के विवरण में वित्तीय प्रभार को वित्तीय लागत माना जाता है जबतक कि वह योग्य परिसम्पत्ति को सीधे आकर्षित न करे, जिसमें वह कम्पनी की उदार लागत पर सामान्य नीति की सहमति में पूंजीकृत किया जा सके। लीज परिसम्पत्ति को परिसम्पत्ति उपयोगी के जीवन के आधार पर मूल्य ह्रास किया जाता है। हालांकि यदि औचित्यपूर्ण निश्चितता न हो कि कम्पनी लीज अवधि के अंत तक मालिकाना प्राप्त कर ही लेगी, परिसम्पत्ति का मूल्य ह्रास परिसम्पत्ति के आंकलित उपयोगी जीवन काल तथा लीज पदों के न्यूनतम के आधार पर किया जाता है

2.5.1.2 **संचालन लीज –** संचलन लीज आधार पर लीज भुगतान की पहचान खर्च पर सीधी रेखा आधार पर किया जाता है अन्यथा अथवा (क) अन्य व्यवस्थित आधार है समय तरीका को उपयोगकर्ता की सुविधा के लिए अधिक प्रतिनिधित्व देना भले ही कम के लिए भुगतान का आधार न हो या

(ख) कम के लिए भुगतान बढ़ाने की लाइन जो गठित न हो यह आशा की जाती है कि सामान्य मुद्रा स्फीति लागत बढ़ने पर कम की क्षतिपूर्ति हो सके। क्योंकि यदि अतिरिक्त कारणों से सामान्य मुद्रा स्फीति के भुगतान में भिन्नता होती है तो यह शर्त पूरी नहीं होती।

2.5.2 **पट्टादाता के रूप में कम्पनी**

संचालन लीज : संचालन लीज से लीज आय (इश्योरेंस तथा रखरखाव के रूप में सेवाओं के लिए राशि को छोड़कर) को लीज के पदों में भौतिक रेखा पद्धति पर आय के रूप में मान्यता की जाती है यदि अन्यथा

(क) यदि अन्य व्यवस्थित आधार अधिक समय साथ के प्रतिनिधित्व पूर्ण है जिसमें लीज सम्पत्ति से प्राप्त सुविधा कम है फिर भी लीजदाता को भुगतान उप आधार पर नहीं है या

(ख) पट्टादाता को भुगतान सीध में अपेक्षित सामान्य मुद्रा स्फीति गुणकों के अनुसार मुद्रा स्फीति के अतिरिक्त बढ़ने के लिए ढाचागत है तो यह शर्त पूरी नहीं होगी।

प्रारंभिक निधि लागत एक संचालन लीज में मोलभाव तथा व्यवस्था पर हुए प्रारंभिक सीधे खर्च को लीज सम्पत्ति की संवाहक राशि में जोड़ा जाता है तथा लीज आय के रूप में उसी आधार पर प्रारंभिक लीज पद में खर्च के रूप में पहचाना जाता है।

वित्त पट्टा (लीज) वित्तीय लीज के अंतर्गत लीज प्राप्तकर्ताओं से प्राप्त बकाया रकम लोगों में कम्पनी के शुद्ध निवेश के रूप में दर्ज किया जाता है। लीज आय लेखांकन अवधि में आबंटित किया जाता है ताकि लीज के सम्बन्ध में शुद्ध बकाया निवेश पर लगातार सावधि वापसी की दर प्रतिविंवित हों।

2.6 **विक्रय के लिए रखी गई गैर वर्तमान परिसम्पत्ति**

कम्पनी गैर वर्तमान परिसम्पत्ति को वर्गीकृत करती है तथा (या निस्तारण समूह) विक्रय के लिए रखती है यदि लगातार उपयोग के स्थान पर विक्रय द्वारा वहन की गई राशि प्राथमिक रूप से वसूली जा सके। विक्रय को पूरा करने की कारवाई करते है कि यदि उल्लेखनीय परिवर्तन विक्रय में होंगे तो विक्रय के निर्णय को वापस ले लिया जाएगा। प्रबन्धन वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर

विक्रय के लिए अवश्य वचनबद्ध होगी।

इस उद्देश्य से, विक्रय के लेनदेन में गैर वर्तमान परिसम्पत्तियों के साथ अन्य गैर वर्तमान के साथ बिनिमय शामिल होगा जबकि विनिमय व्यवसायिक सामग्री होगी। विक्रय वर्गीकरण के लिए रखी गई कसौटी पूरी तब मानी जाती है जब परिसम्पत्ति या बेचा गया समूह तत्काल विक्रय के लिए उपलब्ध है। केवल उन शर्तो में अपनी वर्तमान स्थिति में जो सामान्य या ग्राहकीय हो इस प्रकार के परिसम्पत्ति के विक्रय के मामले में (या विक्रय योग्य समूह) इसका विक्रय पूर्णत: सम्भव हो, तथा यह सचमुच में बेचा जाय केवल खाली न किया जाय। कम्पनी परिसम्पत्ति अथवा निस्तारण समूह को उच्च सम्भावना वाली विक्रय तक मानती है जब

- उचित स्तर पर प्रबन्धन परिसम्पत्ति या निस्तारण समूह के विक्रय की योजना के प्रति चयनबद्ध है।
- खरीददार को ढूढने के लिए सक्रिय कार्यक्रम तथा योजना को पूरा करने के लिए कार्यक्रम आरम्भ होता है।
- परिसम्पत्ति (या निस्तारण समूह) सक्रिय रूप से बाजार में वर्तमान स्वच्छ मूल्य तथा उचित मूल्य पर विक्रय के लिए आता है।
- वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर पूर्ण विक्रय के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए विक्रय योग्य हो।

योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक कारवाई सूचित करता है कि योजना में या तो वे आवश्यक परिवर्तन किया जायेगा अन्यथा यह योजना वापस ले ली जाएगी

2.7 परिसम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण (पीपीई)

भूमि ऐतिहासिक लागत पर निष्पादित की जाती है। ऐतिहासिक लागत में शामिल है – भूमि अधिग्रहण के लिए सीधे आरोपणीय खर्च यथा विस्थापित व्यक्त इत्यादि से संबंधित पुनर्वास खर्च, पुर्नस्थापन लागत तथा नियोजन के बदले में क्षतिपूर्ति।

पहचान के बाद, परिसम्पत्ति संयंत्र तथा उपकरण के अतिरिक्त कोई वस्तु लागत मॉडल के रूप में अपने लागत पर किसी प्रकार का मूल्य ह्रास हो तो तथा कोई संचित क्षति तथा क्षतिपूर्ति। उसे घटाकर निष्पादित की जाती है। परिसम्पत्ति, संयंत्र अथवा उपकरण की लागत में शामिल है।

(क) इसका खरीद मूल्य आयात मुक्त तथा वापसी विहीन क्रय कर सहित व्यापारिक कमी या छूट घटाकर।

(ख) परिसम्पत्ति को कार्यस्थल पर लाने से सीधे संबंधित कोई लागत तथा प्रबन्धन द्वारा इसके सक्षम संचालन के तरीके के संबंधित खर्च।

(ग) प्रारंभिक लागत का आकलन जो इसे अलग आलग करने तथा सामग्री को हटाने तथा जिस स्थान पर यह रखा है उसे पुन: खाली करने, जिसके लिए कम्पनी का दायित्व है तथा जब अवधि के दौरान सूची में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक निश्चित अवधि में इसे अधिग्रहण किया गया है।

परिसम्पत्ति संयंत्र तथा उपकरण का प्रत्येक भाग लागत सहित प्रत्येक मद के अलग अलग मूल्यह्रास के लिए, ताकि कुल लागत में शामिल महत्वपूर्ण है। हालांकि पीपीई का महत्वपूर्ण मांग समानरूप से उपयोगी आयु तथा मूल्यह्रास के तरीके पर मूल्य ह्रास निर्धारण के लिए एक साथ रखा गया है।

''मरम्मत तथा रख रखाव'' के लिए प्रतिदिन की सर्विसिंग के लागत की पहचान लाभ तथा हानि विवरण में संबंधित अवधि के अंतर्गत की हुई है।

परिसम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की कुल लागत के संबंधित विशिष्ट पुरजों को बदलने की लागत को वस्तु के संलग्न मूल्य में पहचान की गई है। यदि यह सम्भव है कि वस्तु के साथ संबद्ध आर्थिक सुविधायें भविष्य में कम्पनी की ओर प्रवाहित होगी; तथा वस्तु की

लागत विश्वसनीय ढंग से भविष्य में मापी जा सकेगी। उन अंगों की संलग्न राशि को निम्नलिखित मान्यता रद्यगी नीति के अनुसार मान्यता रद्य कर बदल दिया गया है।

जब वृहद निरीक्षण पूरा किया गया है, तब परिसम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की वस्तुओं में सम्बद्ध राशि की पहचान की गई है। यदि यह सम्भव है कि वस्तु के साथ संबद्ध आर्थिक सुविधायें भविष्य में कम्पनी की ओर प्रबाहित होगी तब वस्तु की लागत विश्वसनीय ढंग से भविष्य में मापी जा सकेगी। पिछली जांच (भौतिक अंग से विशिष्ट) की लागत राशि से संलग्न कोई शेष की मान्यता रद्य कर की गई है।

परिसम्पत्ति, संयंत्र या उपकरण के वस्तु की मान्यता रद्द कर दी गई है, जबकि निस्तारण या सम्पति के लगातार उपयोग के वाद भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की सम्भावना नहीं है। इस प्रकार कोई लाभ या हानि जो इस प्रकार की परिम्पत्ति संयंत्र या उपकरण की वस्तु की मान्यता रगी से हुई हो उसे लाभ तथा हानि में मान्यता दी गई है।

परिसम्पत्ति, संयंत्र अथवा उपकरण पर मूल्य ह्रास, फ्री होल्ड भूमि को छोड़कर, परिसम्पत्ति के उपयोगी आकलित जीवन के सीधी रेखा आधार पर आदर्श लागत के अनुसार उपलब्ध कराया गया है जो निम्नलिखित है –

अन्यभूमि (लीजहोल्ड भूमि सहित)	:	परियोजना की आयु या लीज जो भी कम हो।
भवन	:	3 - 60 वर्ष
सड़क	:	3 - 10 वर्ष
दूरसंचार	:	3 - 9 वर्ष
रेलवे साइडिंग	:	10 वर्ष
संयंत्र तथा उपकरण	:	5 - 15 वर्ष
कम्प्यूटर तथा लैपटॉप	:	3 वर्ष
कार्यालय उपकरण	:	3 - 6 वर्ष
फर्नीचर तथा उपस्कर	:	10 वर्ष
वाहन	:	8 - 10 वर्ष

तकनीकी आकलन के आधार पर प्रबन्धन यह विश्वास करती है कि उपरोक्त उपयोगी जीवन उप अवधि के सबसे अच्छीतरह प्रस्तुत करता, है जो प्रबन्धन परिसम्पत्ति के उपयोग के लिए उम्मीद करती है। अतएव परिसम्पत्ति की उपयोगी आयु कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसूची 11 के पार्ट सी के अधीन वर्जित उपयोगी जीवन से भिन्न हो सकती है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिसम्पत्ति की उपयोगी जीवन के आकलन की समीक्षा की जाती है।

परिसम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण को शेष मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 5% माना जाता है परिसम्पत्ति की कुछ वस्तुओं को छोड़कर जिनमें कोल टब वाइंडिंग रोप, हालेम रोप, स्टोइंग पाइप तथा सुरक्षा दीप इत्यादि है क्योंकि जिसके लिए उपयोगी जीवन का तकनीकी आकलन एक वर्ष तथा शून्य मूल्य है।

वर्ष के दौरान खरीदे अथवा बेची गई परिसंपत्ति पर मूल्य ह्रास प्रोराटा आधार पर खरीदे / बेचे जाने के माह के संदर्भ में उपलब्ध कराया गया है। अन्य भूमि मूल्य में कोल वियरिंग क्षेत्र (अधिग्रहण तथा विकास) (सीवीए) अधिनियम 1957, भूमि अधिग्रहण 1894, भूमि अधिग्रहण में स्वच्छ क्षतिपूर्ति तथा पारदर्शिता अधिकार, पुनर्वास तथा पुर्नस्थापन (आरएफसीटीएलएएआर) अधिनियम 2013 सरकारी भूमि की लंबी अवधि के स्थानांतरण इत्यादि शामिल है। जिसे परिसम्पत्ति की शेष आयु के आधार पर परिशोधित किया गया

है, तथा लीज होल्ड भूमि के मामले में इस प्रकार का परिशोधन लीज अवधि या परियोजना की शेष अवधि जो भी कम हो पर आधारित है।

पूरी तरह मूल्य ह्रासित परिसम्पत्ति सक्रिय उपयोग से देवा मुक्त क्रो सर्वे आफ परिसम्पत्ति के रूप में दिखाया गया है क्योंकि इसकी परिसम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण का शेष मूल्य है तथा दुर्वलता के लिए जाँच की गई है।

कुछ परिसम्पत्ति के निर्माण तथा विकास पर कम्पनी द्वारा किए गए पूंजीगत खर्च जो उत्पादन सामग्री आपूर्ति के लिए आवश्यक हैं या कम्पनी की वर्तमान परिसम्पत्ति से अधिक है उन्हें परिसम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के अधीन सदाम परिसम्पत्ति की पहचान की गई है।

इंड ए. एस.की ओर परिवर्तन

कम्पनी ने अपनी सभी परिसम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरणों के लागत मॉडल के अनुसार संवाहक मूल्य को जारी रखना चुना है जैसा कि वित्तीय विवरणों तिथि पर इंड ए एस की ओर परिवर्तन के लिए पहले के गैप (जीएएपी) के अनुसार मापा गया था।

2.8 माइन क्लोजर, स्थल पुनःस्थापन तथा सेवामुक्ति दायित्व :

भूमि संस्कार तथा संरचना सेवामुक्ति के लिए कम्पनी के उत्तरदायित्व में सतह तथा भूमिगत खानों दोनों में भारत सरकार कोयला मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार खर्च करना शामिल है। कम्पनी माइन क्लोजर, स्थल पुनस्थापन तथा सेवामुक्ति की जिम्मेदारी का आकलन राशि के तनकीनी आकलन, तथा विस्तृत गणना के आधार पर करती हैं। आवश्यक कार्य पूरा करने के लिए भावी नगद खर्च का समय स्वीकृत माइन क्लोजर योजना के अनुसार माइन क्लोजर खर्च उपलब्ध कराया जाता है, खर्च का आकलन मुद्रा स्फीति के लिए वृद्धि, तथा छूट की दर पर छूट दी जाती है जो कि मुद्रा के मूल्य तथा खतरों के समय वर्तमान बाजार मूल्यांकन में परिलक्षित होता है। देयता के निपटारे के लिए आवश्यक आवश्यकता सहित दायित्व तथा समतुल्य परिसम्पत्ति को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिससे देयता नहीं है कुल स्थल पुनःस्थापन लागत (सेन्ट्रल माईन प्लानिंग एन्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड द्वारा आकलित) को प्रतिनिधित्व करने वाली परिसम्पत्ति की एक अलग पीपीई के रूप में मान्यता दी जाती माइन क्लोजर पलन के अनुसार तथा शेष परियोजना / खान अवधि पर परिशोधन किया जाता है। प्रावधान का मूल्य समय से साथ साथ उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है क्योंकि छूट घटता जाता है, जिसमें एक खर्च का सृजन होता है तथा वित्तीय व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। पुन: एक विशिष्ट निलम्बलेख निधि खाता इस उद्देश्य से स्वीकृत माइन क्लोजर योजना के अनुसार माइन कोजर खर्च उत्तरोत्ता वर्ष दर वर्ष आधार पर के कुल माइन क्लोजर देयता का अंग है वह प्रारम्भ में निलम्ब लेख से प्राप्य है तथा उस वर्ष में देयता के साथ समेक्षित किया जाता है जिसमें प्रमाणन एजेन्सी के उत्पत्ति के बाद राशि वापस ले ली जाती है।

2.9 अन्वेषण तथा मूल्यांकन परिसम्पत्ति

अन्वेषण तथा मूल्यांकन परिसम्पत्ति में पूंजीकृत लागत समाहित है जो कोयला तथा संबंधित स्रोत की खोज को आकर्षित करती है। इसमें तकनीकी व्यवहार्यता तथा वित्तीय संमाण्यता बकाया रखते हुए सुनिश्चित स्रोत समाहित जन निम्नलिखित के साथ गडित है।

- ऐतिहासिक अन्वेषण आंकड़ों की पुन: खोज तथा विश्लेषण।
- स्थलाकृतिक, भूरासायनिक तथा भू भौतिक अध्ययन के द्वारा संग्रहीत अन्वेषण आंकड़े।
- अन्वेषणात्मक भू वेधन, खंदक खुदाई तथा नमूना संग्रह।

- स्रोत के ग्रेड तथा आयतन की जाँच तथा निर्धारण।
- परिवहन तथा संरचनात्मक आवश्यकताओं का सर्वेक्षण।
- बाजार तथा वित्त अध्ययन संचालन।

उपरोक्त में कर्मचारी का पारिश्रमिक सामग्री की लागत तथा प्रयुक्त इंधन, ठेकेदार को भुगतान शामिल है। चूकि अप्रत्यक्ष उपकरण, भविष्य के अन्वेषण में होने वाले सामूहिक अपेक्षित वास्तविक लागत में से अस्पष्ट / अप्रभेदनीय मांग प्रस्तुत करते है, यह लागत तथा अन्य पूंजीकृत अन्वेषण लागत को अन्वेषण तथा मूल्यांकन लम्बित के रूप में मान्यता दी गई है।

अन्वेषण तथा मूल्यांकन लागत परियोजना दर परियोजना आधार पर पूंजीकृत किए जाते हैं, परियोजना तकनीकी औचित्य और व्यापारिक व्यवहार्यता के बिना तथा गैर वर्तमान लागत के अधीन अलग माइन पर प्रदर्शित हैं। उन्हें बाद में संचित क्षति / प्रावधान घटाकर लागत पर मापा जाता है।

एकबार सुरक्षित भंडार निश्चित किया जाता है तथा खान परियोजना के विकास की स्वीकृति की जाती है। अन्वेषण तथा मूल्यांकन परिसम्पत्ति को पूंजीगत कार्य प्रगति पर के अधीन ''विकास'' को स्थानातंरित किया जाता है। हालांकि यदि सुरक्षित भंडार का निर्धारण नहीं किया जाता अन्वेषण तथा मूल्यांकन परिसम्पत्ति को मान्यता नहीं दी जाती।

2.10 विकास खर्च

जब सुरक्षित भंडार निश्चित कर लिया जाता है तथा खान / परियोजना के विकास की स्वीकृति दे दी जाती है, पूंजीकृत अन्वेषण तथा मूल्यांकन लागत को निर्माण के अधीन परिसम्पत्ति के रूप में मान्यता दे दी जाती है तथा विकास शीर्ष को अंतर्गत पूंजीगत कार्यप्रगति पर के अंग के रूप में पहचान मिल जाती है। बाद में सभी बिकास खर्च भी पूंजीकृत कर दिए जाते है। विकास खर्च जो पूंजीकृत होता है वह विकास अवधि के दौरान निकाले गए कोयला के विक्रय से प्राप्तधन का शुद्ध रूप होता है।

व्यापारिक संचालन :

परियोजना / खानों को राजस्व के अंतर्गत व्याया जाता है। परियोजना प्रतिवेदन में उल्लिखित परिसम्पत्तियों के आधार पर अथवा निम्नलिखित कसौटी पर जब किसी परियोजना / खान की उत्पादन करने की क्षमता कायम रहने के आधार पर व्यापारिक तैयारी स्तिर करली जाती है तब

क) एक वर्ष के तत्काल बाद, वित्तीय वर्ष के आरम्भ से जिसमें परियोजना अपनी स्वीकृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुवार वास्तविक उत्पादन का 25% दर क्षमता प्राप्त कर लेगी है।

ख) कोयला की तह के स्पर्श कर लेने के दो वर्ष बाद या

ग) वित्तीय वर्ष के आरम्भ से जिसमें उत्पादन का मूल्य कुल खर्च से अधिक हो

जो भी स्थिति पहले घटित हो

राजस्व में लाने के बाद, पूंजीगत चालू कार्य के अंतर्गत परिसम्पत्ति ''अन्य खनन ढांचा'' नामकरण के अधीन परिसम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के रूप में पुन: वर्गीकृत की जाती है। अन्य खनन ढांचे उस वर्ष में परिशोधित किए जाते है जबसे खान 20 वर्षों परियोजना की आयु जो भी कम हो, मैं राजस्व में लाए जाते है।

2.11 अप्रत्यक्ष परिसम्पत्ति

अधिग्रहीत अप्रत्यक्ष परिसम्पत्ति अलग से लागत पर प्रारंभिक मान्यता पर मानी जाती है। अधिग्रहीत अप्रत्यक्ष परिसम्पत्ति की लागत किसी व्यापार में अधिग्रहण की तिथि पर उसका स्वच्छ मूल्य है। प्रारंभिक मान्यता का पालन करते हुए, अप्रत्यक्ष परिसम्पत्ति लागत पर न्यून संचित परिशोधन (उसकी उपयोगी आयु सीधी रेखा पद्धति पर परिगणित) तथा सचित अति हानि यदि कुछ हो तो, रखी गई है। अन्दरूनी रूप से उत्पन्न अप्रत्यक्ष पूंजीकृत विकास खर्च को छोड़कर, परिसम्पत्ति को पूंजीकृत नहीं किया जाता। इसके बदले में, संबंधित खर्च को लाभ तथा हानि के विवरण तथा अन्य विस्तृत आय, जिस अवधि में वह खर्च हुआ है, मैं मान्यता दी जाती है। अप्रत्यक्ष परिसम्पत्ति की उपयोगी आयु सीमित या असीमित आधार पर निर्धारित की जाती है। सीमित आयु की अप्रत्यक्ष परिसम्पत्ति को उपयोगी आर्थिक आयु पर परिशोधित की जाती है तथा क्षति के लिए निर्धारित किया जाता है जब की पृष्ट प्रकार का कोई संकेत हो कि अभीमित परिसम्पत्ति अति ग्रस्त होगी। अवास्तविक परिसम्पत्ति के लिए परिशोधन अवधि तथा परिशोधन विधि, सीमित उपयोगी आयु के लिए को कम से कम प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है अपेक्षित उपयोगी जीवन में परिवर्तन या भावी अर्थिक सुविधा के उपभोग के अपेक्षित तरीके को परिशोधन अवधि या तरीका जो भी उपयुक्त हो तथा लेखांकन आकलन में परिवर्तन किया जाता है। सीमित आयु सहित अवास्तविक परिसम्पत्ति परिशोधन खर्च की लाभ तथा हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। एक अनीकित उपयोगी आयु की अवरस्तयिक परिसम्पत्ति परिशोधन नहीं की जाती क्योंकि प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर क्षति के लिए जांच जाती है। अवास्तविक परिसम्पत्ति के रूप में उपयोग करने के अधिकार हेतु विधिक अवधि या तीन वर्ष जो भी कम हो, शून्य शेष मूल्य सहित साफ्टवेयर की लागत को मान्यता दी गई है तथा सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित किया गया है।

2.12 परिसम्पत्ति की दुर्बलता (वित्तीय परिसम्पत्ति के अतिरिक्त)

प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में कम्पनी निर्धारित करती है कि किसी परिसम्पत्ति की दुर्बलता का संकेत तो नहीं है। यदि ऐसा कोई संकेत मिलता है उपपरिसम्पत्ति की वसूली योग्य कीमत का आकलन करती है। परिसम्पत्ति की वसूली योग्य मूल्य परिसम्पत्ति से अधिक है या उपयोग में आ रही नगद उत्पादन ईकाई के मूल्य से अधिक है तथा विद्युत के स्वच्छ मूल्य लागत पर है, तथा एकल परिसम्पत्ति पर निर्धारित है यदि परिसम्पत्ति नगद प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो कि अन्य परिसम्पत्ति या परिसम्पत्ति के समूह से पूरी तरह स्वतंत्र है जिसमें वसूली योग्य राशि जिस परिसम्पत्ति की है उस इकाई से नगद उत्पादन इकाई के आधार पर तय की जाती है। प्रत्येक खान को कम्पनी अति की जांच के उद्देश्य मे अलग नगद उत्पादन इकाई मानती है।

यदि परिसम्पत्ति की वसूली योग्य राशि इसकी वहन राशि से कम आकलित की जाती है तक परिसम्पत्ति की वहन राशि से कम आकलित की जाती है तब परिसम्पत्ति वहन की गई राशि को कम करके वसूली योग्य राशि तक लाया जाता है तथा हानि को लाभ तथा हानि विवरण में मान्यता की जाती है।

2.13 निवेश सम्पत्ति

सम्पत्ति (भूमि या एक भवन या भवन का अंग या दोनो) भाड़ा कमाने या पूंजी वृद्धि या दोनों के लिए रखी हुई उत्पादन में उपयोग के लिए या सामग्री आपूर्ति के लिए या सेवा या प्रशासनिक उद्येश्य से, या सामान्य मामले में व्यापार के लिए हुई हो उसे निवेश सम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

निवेश सम्पत्ति को लागत पर संबंधित लेन देन लागत तथा जहाँ लागू हो वहाँ उधार लागत सहित मापा जाता है, निवेश सम्पत्ति को उनके उपयोगी आकलित आयु पर सीधी रेखा पद्धति का उपयोग कर मूल ह्रासित किया जाता है।

2.14 वित्तीय उपकरण

वित्तीय उपकरण एक ठेका है जो एक इकाई के वित्तीय परिसम्पत्ति या अन्य इकाई की इक्विटी अकरण या एक वित्तीय देयता के कारण बनाती है।

2.14.1 वित्तीय परिसम्पत्ति

2.14.1 प्रारंभिक मान्यता तथा माप

वित्तीय परिसम्पत्ति के अधिग्रहण में आरोपणीय संचालन लागत सहित वित्तीय परिसम्पत्ति को लाभ तथा हादि के द्वारा स्वच्छ मूल्य पर रिकार्ड न किए जाने के मामले में सभी वित्तीय परिसम्पत्ति की प्रारंभ में स्वच्छ मूल्य पर मान्यता दी जाती है। वित्तीय परिसम्पत्ति की विक्री या खरीद परिसम्पत्ति की जिसे एक समयसीमा बाजार स्थल (विक्रय का नियमित मार्ग) में डिलीवरी अपेक्षित है वह विक्रय तिथि अर्थात जिस तिथि पर कम्पनि परिसम्पत्ति को बेचने या खरीदने की प्रतिवद्ध होती है, को मान्यता दी जाती है।

2.14.2 अनुगामी माप

अनुगामी माप के उद्देश्य से वित्तीय परिसम्पत्ति को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है :

- परिशोधित लागत पर ऋण उपकरण
- अन्य विस्तृत आय के द्वारा स्वच्छ मूल्य पर ऋण उपकरण (एकवीटीओसीआई)
- लाभ तथा हानि के द्वारा स्वच्छ मूल्य पर ऋण उपकरण, अमौलिक तथा इक्विटी उपकरण (एफवीटीपीएल)
- अन्य विस्तृत आय के द्वारा स्वच्छ मूल्य पर मापे गए इक्विटी उपकरण

2.14.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण उपकरण

एक ''ऋण उपकरण'' परिशोधित लागत पर तब मापा जाता है जब निम्नलिखित स्थितियाँ पूरी हों –

क) परिसम्पत्ति व्यापारिक मॉडल के भीतर हो जिसका उद्देश्य ठेकेदारी नगद प्रवाह संग्रह करना हो।

ख) परिसम्पत्ति को ठेकेदारी शर्त, विशिष्ट तिति को नगद प्रवाह का कारण हो जो कि वकाया मूल राशि पर मूल तथा व्याज (एसपीपी) के भुगतान का जिम्मेदार हो।

प्रारंभिक माप के बाद इस प्रकार की वित्तीय परिसम्पत्तियों को बाद में परिशोधित लागत पर माता जाता है। प्रभावशाली व्याज दर (ईआईआर) तरीका का उपयोग करके परिशोधित लागत की गणना, ईआईआर के अनिवार्य अंग कोई घूट या अधिग्रहण पर प्रीमियम तथा फीस या लागत को लेखा में लेकर की जाती है। ईआईआर परीशोधित लाभ या हानि में वित्तीय आय में शामिल की जाती है। क्षति से उत्पन्न हादि को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

2.14.2.2 एफ वी टी ओ सी आई में ऋण उपकरण एक ऋण उपकरण को एफ वी टी ओ सी आई के रूप में निम्नलिखित दोनों मानदण्ड परा करने पर वर्गीकृत किया जाता है।

क) व्यापारिक माडल का उद्देश्ं ठेकेदारी नगद प्रवाह को संग्रह करके तथा वित्तीय परिसम्पत्ति को बेचकर दोनों तरह से प्राप्त हो जाता है।

ख) परिसम्पत्ति का ठेकेदारी नगद प्रवाह एसपीपीआई को प्रतिनिधित्व करता है।

एफवीटीओसीआई कैटगरी के बीच शामिल ऋण उपकरण प्रारम्भ में साथ ही साथ प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर स्वच्छ मूल्य पर मापा

जाता है। स्वच्छ मूल्य गतिविधि को अन्य समग्र आय (ओसीआई) में मान्यता दी जाती है। हालांकि कम्पनी व्याज आय, क्षति की हानि तथा परिवर्तन तथा विदेशी मुद्रा लाभ या लाभ तथा हानि में हानि के रूप में मान्यता दी जाती है। परिसम्पत्ति की मान्यता हटा लेने पर सामूहिक लाभ या हानि जो महले ओसीआई मान्यता प्राप्त की उसे पी तथा एल की इक्विटी में पुन: वर्गीकृत किया जाता है। अर्जित व्याज जबकि एफवीटीओसीआई ऋण उपकरण को इ आई आर प्रणाली का उपयोग कर व्याज आय के रूप में प्रतिवेदित किया जाता है।

2.14.2.3 एफवीटीपीएल पर ऋण उपकरण

एफ वी टी पी एल ऋण उपकरण के लिए एक शेष कैटगरी है। कोई ऋण उपकरण, जो एफ वी टी ओ सी आई के रूप में परिशोधित आयव पर वर्गीकरण के लिए कसौटी पूरा नहीं करता उसे एफ वी टीपी एल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसमें अतिरिक्त, कम्पनी ऋण उपकरण को पद्नामित करने के लिए चयन कर सकती है जो अन्य रूप में परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई की कसौटी को एकबीटीपीएल के रूप में पूरा करती है।

हालांकि यह चयन तभी मान्यता है जब ऐसा करने से एक माप या मान्यता अस्थिरता के साथ (एकाउन्टिंग मिसमैच के रूप में निर्देशित) कम या खत्म हो जाती हैं। कम्पनी ने किसी ऋण उपकरण को एफवीटीपीएल के रूप में पदनामित नहीं किया है। एफ सी टी पी एल कैटेगरी में शामिल ऋण उपकरण को स्वच्छ मूल्य पर पी एल में सभी परिवर्तनों के हाथ मापा गया।

2.14.2.4 अनुषंगी, एसोसिएट्स् तथा संयुक्त वेन्चर में इक्विटी का निवेश

इंड ए एस 101 (पहलीवार ईड ए एस अंगीकृत) के अनुसार, पिछले जी ए ए पी के आधार पर परिवर्तन की तिथि को इन निवेशों की राशि को लेते हुए डीम्ड लागत मापा गया। बाद में अनुषंगी, एसोसिएटस तथा संयुक्त वेन्चर में लागत पर मापा गया।

समेजित वित्तीय विवरण के मामले में, एसोसिएटस तथा संयुक्त वेन्चर में इक्विटी निवेश का लेखांकन इहड ए एस 28 के पैरा 10 में वर्णित प्रति इक्विटी पद्धति के अनुसार लेखांकित किया गया।

2.14.2.5 अन्य इक्विटी निदेश

अन्य सभी इक्विटी निवेश इंड ए एस 109 के अंतर्गत लाभ तथा हानि के द्वारा स्वच्छ मूल्य पर मापे जाते हैं। अन्य सभी इक्विटी उपकरणों के लिए कम्पनी अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने के लिए अपरिवर्तनीं चुनाव कर सकती है जो बाद में स्वच्छ मूल्य में परिवर्तन योग्य हो। कम्पनी इस प्रकार का चुनाव उपकरण दर उपकरण आधार पर करती है। यह वर्गीकरण प्रारंभिक पचहान पर की जाती है तथा अपरिवर्तनीय है। यदि कम्पनी एक इक्विटी उपकरण को एफ वी टी ओ सी एल के रूप में वर्गीकरण करने का निर्णय करती है तो उपकरण पर सभी स्वच्छ मूल्व परिवर्तन, डिविडेंट को छोड़कर ओ सी आई के रूप में स्वीकार किए जाते हैं।

ओसीआई से पी एण्ड एल में पुनरावर्तन के लिए कोई राशि यहाँ तक कि निवेश के विक्रय के लिए भी नहीं है। हालांकि कम्पनी संचयी लाभ या हानि को इक्विटी के भीतर स्थानांतरित कर सकती है। एफ वी टी पी एल कैटेगरी के भीतर शामिल इक्विटी उपकरण पी तथा एल में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों सहित स्वच्छ मूल्य पर मापे जाते है।

2.14.2.6 मान्यता हटाया

किसी वित्तीय परिसम्पत्ती (या यथा लागू वित्तीय परिसम्पत्ति का एक अंश या समान वित्तीय परिसम्पत्ति को समूह का भाग) की प्राथमिक रूप से मान्यता तब हटाई जाती है (अर्थात तुलन पत्र से हटा देना) जब

परिसम्पत्ति नगद प्रवाह स्वीकार करने का अधिकार खत्म हो गया है।

कम्पनी ने परिसम्पत्ति से नगद प्रवाह स्वीकार करने का अधिकार पास थ्रू व्यवस्था के अंतर्गत तीसरी पार्टी को स्थानातंरित कर दिया हो तथा या तो

(क) कम्पनी ने मूल रूप से परिस्पत्ति के समस्त खतरों तथा पारितोषिक का स्थानांतरित कर निया हो या

(ख) कम्पनी ने न तो मूलरूप से परिसम्पत्ति के समस्त खतरों तथा पारितोषिक को स्थानातंरित किया है न ही बनाए रखा है, लेकिन परिसम्पत्ति का नियंत्रण स्थानातंरित कर दिया है।

जब कम्पनी ने किसी परिसम्पत्ति से नगद प्रवाह को प्राप्त करने का अधिकार स्थानातंरित कर दिया है या गुजरने की व्यवस्था में प्रदर्श कर गई है, यह आकलन करती है कि किस परिमाण तक मालिकाना के खतरे तथा परिसम्पत्ति पारितोषिक बनाए रखा है। मूल रूप से परिसम्पत्ति के सभी खतरों तथा पारितोषिक को जबकि न तो इसने स्थानांतरित किया है न ही बनाए रखा है। तो कम्पनी स्थानांतरित परिसम्पत्ति के साथ नियंत्रण संवंधित अपने संबंध को जारी रखती है।

इस मामले में कम्पनी संबंधित देयता को मान्यता देती है। स्थानातंरित परिसम्पत्ति तथा संबंधित देयता की माप कम्मनी द्वारा रखी गई परिसम्पत्ति के अधिकार तथा दायित्व में प्रदर्शित होती है। लगातार संबद्धता को स्थानांतरित परिसम्पत्ति पर गारंटी के रूप ले लेती है उसकी माप परिसम्पत्ति की निम्नतर मूल वहन राशि पर की जाती है तथा कम्पनी मुआवजा की अधिकतम राशि जिसको पुन: भुगतान कर सकती है।

2.14.2.7 वित्तीय परिसम्पत्ति (स्वच्छ मूल्य के अतिरिक्त) की हानि

इंड ए एस 109 के अनुसार कम्पनी निम्मलिखित वित्तीय परिसम्पत्ति तथा उधार खतरा विवरण पर दुर्वलता हानि की पहचान तथा माप के लिए अपेक्षित उधार हानि (ईसीएल) लागू करती है –

क) वित्तीय परिसम्पत्ति जो कि ऋण उपकरण है तथा परिशोधित लागत पर मापा जाता है जैसे ऋण, ऋण प्रतिभूति, जमा, व्यापारिक प्राप्तियाँ तथा बैंक शेष।

ख) वित्तीय परिसम्पत्ति जो कि ऋण उपकरण हैं तथा एफ वी टी ओ सी आई पर मापा जात है।

ग) इंड ए एस 17 के अधीन प्राप्त लीज

घ) व्यापारिक प्रगतियाँ या कोई ठेकेदारी अधिकार, नगद प्राप्ति या अन्य वित्तीय परिसम्पत्ति को लेनदेन का परिणाम है जोकि इंड एएस 11 तथा इंड ए एस 18 के अधिकार में है।

कम्पनी दुर्बलता हानि भत्ता की पहचान के लिए निम्नलिखित ''सरलीकृत पहुँच'' अपनाती है

- व्यापारिक प्राप्तियाँ या ठेकेदारी राजस्व प्राप्तियाँ तथा
- इंड एएस 17 के अधीन लेनदेन के फलस्वरूप सभी लीज प्राप्तियाँ।

सरलीकृत पद्धति उपयोग से कम्पनी को उधार के खतरे में परिवर्तन को पकड़ने की आवश्यकता नहीं होती बल्कि यह दुर्बलता की क्षति भत्ता को आजीवन ईसीएल की प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि, प्रारंभिक पहचान की सही पद्धति के आधार पर मान्य दे दी है।

2.14.3 वित्तीय देयतायें

2.14.3.1 प्रारंभिक मान्य तथा माप

कम्पनी की वित्तीय देयताओं में व्यापार तथा अन्य देनदारी, ऋण तथा उधार सहित बैंक ओवरड्राफ्ट शामिल है। सभी वित्तीय देनदारी की मान्यता प्रारंभ में स्वच्छ मूल्य तथा ऋण तथा उधार एवं देनदारी के मामले में सीधे आकर्षणयोग्य लेनदेन लागत के शुद्ध रूप पर की जाती है।

2.14.3.2 अनुगामी माप

वित्तीय देयता की माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करती है जैसा कि निम्नलिखित है।

2.14.3.3 वित्तीय देयता लाभ या हादि द्वारा स्वच्छ मूल्य पर

वित्तीय देयता लाभ या हादि द्वारा स्वच्छ मूल्य पर में वित्तीय देयता जो व्यापार तथा वित्तीय देयता के लिए नामित है, लाभ या हानि द्वारा स्वच्छ मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर शामिल है। वित्तीय देयता जैसा कि व्यापार के लिए रखा गया है उसमें वर्गीकृत है यदि वह निकट अवधि मेय पुन: क्रये उद्देश्य से है। इस श्रेणी में अमौलिक वित्तीय उपकरण शामिल है जो कम्पनी द्वारा दर्ज है तथा वाड़ लगाने के सम्बन्ध में वाड़ लगाने के उपकरण के रूप में नामित नहीं है। जैसा कि इंड ए एस 109 में परिभाषित है। पृथक्कृत सन्निहित अमौलिक की भी वर्गीकृत किया गया है तथा व्यापार के लिए रखा गया है यदि नहीं तो प्रभावशाली बाड़ उपकरण के रूप में यदि नामित नहीं किया गया है।

व्यापार के लिए रखी गई देयताओं पर लाभ या हानि की मान्यता लाभ या हानि में दी गई है। लाभ या हानि द्वारा स्वच्च मूल्य पर प्रारंभिक पहचान को वित्तीय देयताओं की मान्यता दी गई है वे पहचान की प्रारंभिक तिथि पर इस प्रकार मान्य प्राप्त हैं। तथा इस प्रकार यदि इंड ए एस 109 की कसौटी पूरा करते हैं। एफबीटीपीएल के रूप में मान्य देयतायें, स्वच्छ मूल्य लाभ/हादि अपने उधार खतरों में आकर्षणीय परिवर्तन को ओसीआई में पहचान दी गई है। इसे लाभ / हानि को बाद में पी तथा एल में स्थानांतरित नहीं किया गया है। हालांकि कम्पनी सकल लाभ या हानि को इक्विटी के भीतर स्थानांतरित कर सकती है। अन्य सभी परिवर्तन स्वच्छ मूल्य की इस प्रकार की देयता में लाभ तथा हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त हैं। कम्पनी ने किवी वित्तीय देयता को लाभ तथा हानि के द्वारा स्वच्छ मूल्य के रूप में मान्यता नहीं दी है।

2.14.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयता

प्रारंगिक पहचान के बाद, इन्हें बाद में परिशोधित लाग पर प्रभावशाली ब्याज दर पद्धति लागू करके मापा जाता है। उपलब्धि तथा क्षति को लाभ या हानि में पहचान की जाती है जबकि देयताओं को प्रभावशाली ब्याज दर पर परिशोधित पद्धति से मान्यताविहीन कर दिया जाता है।

परिशोधित लागत की गणता अधिग्रहण तथा फीस अथसा लागत जो कि प्रभावशाली ब्याज दर के अभिन्न अंग है उन पर प्राप्त छूट या प्रीमियम को लेखा में लेकर की जाती है। प्रभावशाली ब्याज दर परिशोधित में लाभ तथा हानि के विवरण में वित्तीय लागत कें रूप में शामिल है। यह श्रेणी सामान्य रूप से छधार में लागू होती है।

2.14.3.5 मान्यता हीनता

वित्तीय देयता को मान्यता विहीन तब किया जाता है जब देयता के अधीन दायित्व पूरा कर लिया जाता है या निरस्त कर दिया जाता है या अवधि खत्म हो जाती है। जब वर्तमान वित्तीय देयता समान उधारदाता पूरी तरह भिन्न शर्तों पर बदल दिया जाता है, अथवा वर्तमान देयता की शर्ते मूल रूप से संशोधित कर दी जाती है, इस प्रकार के बदलाव या संशोधन को अमान्यीकरण माना जाता है तथा नई देयता का मान्यीकर या मूल देयता माना जाता है।

वित्तीय देयता (या वित्तीय देयता के एक भाग) की वहन की गई राशि के बीच अन्तर को अन्य पार्टी को स्थानांतरित या नष्ट कर दी जाती है तथा गैर नगद परिसम्पत्ति सहित दिया गया सुझाव स्थानांतरित या देयता समझा जाता है, इसे लाभ तथा हानि में मान्यता दी जाती है।

2.14.4 वित्तीय परिसम्पत्ति का पुनवर्गीकरण

कम्पनी प्रारंभिक पहचान पर वित्तीय परिसम्पत्ति तथा देयता का वर्गीकरण तय करती है। प्रारंभिक पहचान के बाद, वित्तीय परिस्म्पत्ति के लिए पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता जो कि इक्विटी उपकरण तथा वित्तीय देयतायें हैं। वित्तीय परिसम्पत्तियों के लिए जो ऋण उपकरण हैं केवल उनके लिए पुनवर्गीकरण किया जाता है यदि व्यापार माहल में परिवर्तन तय करता है जिसके आंतरिक तथा वाह्य परिवर्तन के फलस्वरूप जो कि कम्पनी के संचालन में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के परिवर्तन बाहरी पार्टियों के लिए स्पष्ट है। व्यापार माहल में परिवर्तन तब होता है जब कम्पनी यातो आरम्भ होती है या कोई गतिविधि खत्म कर देती है जो कि इसके संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। यदि कम्पनी वित्तीय परिसम्पत्ति का पुनवर्गीकरण करती है, यह पुनवर्गीकरण को आगे से लागू करती है, उस पुनवर्गीकरण की तिथि से जो कि व्यापार माहल में परिवर्तन में प्रतिवेदन अवधि को प्रथम दिन है। कम्पनी पिछली मान्यता प्राप्त लाभ, हानि (दुर्वलता प्राप्ति या हानि सहित) या ब्याज को दुहराती नहीं है।

निम्नलिखित सारणी में विभिन्न पुनवर्गीकरण प्रदर्शित है तथा इसे लेखांकित किया गया है।

मूल वर्गीकरण	**पुनवर्गीकरण**	**लेखांकन व्यवहार**
लागत परिशोधित	एकवीटीपीएल	पुनर्वगीकरण की तिथि रपर स्वच्छ मूल्य मापा जाता है। पिछले परिशोधन लागत तथा स्वच्छ मूल्य के अंतर को पी एण्ड एल में मान्यता दी जाती है।
एफवीटीपीएल	लागत परिशोधित	स्वच्छ मूल्य पर पुनवर्गीकरण तिथि नई सकल वहन राशि बन जाती है। ईआईआर की गणना नई सकल वहन राशि के आधार पर की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	पुनवर्गीकरण तिथि पर स्वच्छ मूल्य की माप की जाती है। पिछले परिशोधित लागत तथा स्वच्छ मूल्य के बीच के अन्तर को ओसीआई में पहचान की जाती है। पुनवर्गीकरण के कारण ईआईआर में कोई परिवर्तन नहीं।
एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनवर्गीकरण तिथि को स्वच्छ मूल्य नई परिशोधित लागत संवाहक राशि बन जाती है। हालांकि संचित लाभ या हानि ओसीआई में स्वच्छ मूल्य के विरूद्ध समंजित की जाती है। फलस्वरूप परिसम्पत्ति की माप इस तरह की जाती है जैसे यह हमेशा परिशोधित लागत पर की जाती रही है।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुनवर्गीकरण तिथि पर स्वच्छ मूल्य इसकी नई वहन राशि बन जाती है। कोई अन्य समंजन की आवश्यकता नहीं।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीएल	परिसम्पत्तियों का मापा गया स्वच्छ मूल्य पर जारी रहता है। पुनवर्गीकरण तिथि को पी तथा एल में संचयी लाभ या हानि पुनवर्गीकृत की जाती है। पहले ओसीआई में मान्यता प्राप्त

2.14.5 वित्तीय उपकरण का प्रति संतुलन

वित्तीय परिसम्पत्ति तथा वित्तीय देयतायें बराकर हैं तथा शुद्ध राशि समेलित तुलन पत्र में प्रतिवेदन की जाती है यदि मान्यता प्राप्त राशि को आफसेट कर देने का वर्तमान में आरोपित करने योग्य विधिक अधिकार है तथा शुद्ध आधार पर स्तिर करने की इच्छा है तो परिसम्पत्ति की वसूली तथा देयता को स्थिर करना साथ साथ सम्भव है।

2.15 उधार ग्रहण लागत

उधार ग्रहण लागत एक प्रकार का खर्च ही है जो तब लगता है जब अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के योग्य परिसम्पत्ति यथा वह परिसम्पत्ति जो आवश्यक रूप से पर्याप्त समय की अवधि को छोड़कर उपयोग के लिए तैयार होने में लगता है। जिन मामलों में उसे पूंजीकृत किया जाता है, तथा उस तिथि को जबकि अपेक्षित उपयोग के लिए योग्य परिसम्पत्ति तैयार है।

2.16 करा रोपण

स्थगित कर तथा वर्तमान में देय कर का योग ही आयकर खर्च है।

वर्तमान कर आयकी की वह राशि है जो उस अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर हानि) देय (वसूली योग्य) से सम्बन्धित है। कर योग्य लाभ ''आयकर पूर्ब लाभ'' ने भिन्न है जैसा कि लाभ तथा हानि विवरण तथा अन्यव्यापक आय में प्रतिवेदित है। क्योंकि आय या खर्च के मद जो करयोग्य या अन्य वर्षो में कटौती योग्य हैं वे शामिल नहीं हैं तथा जो मद कभी कर योग्य या कटौती योग्य है वे भी शामिल नहीं हैं। कम्पनी की वर्तमान कर की देयता की गणना टैक्स की पर पर जी जाती है जो लागू हैं या प्रतिवेदन की अवधि के अंत में मूल रूप से लागू होंगें।

स्थगित कर देयता सामान्य रूप से सभी कर योग्य अस्थायी अन्तर के लिए मान्य है। स्थगित कर देयता सामान्य रूप से सभी कर योग्य अस्थायी अन्तर के लिए उस सीमा तक मान्य है जब तक कि यह सम्भव है कि कटौती योग्य अस्थायी भिन्नता का उपयोग करके करयोग्य लाग प्राप्त होगा।

इस प्रकार की परिसम्पत्ति तथा देयता मान्य नहीं होती है यदि साख या अन्य परिसम्पत्ति की प्रारंभिक मान्यता (व्यापारिक सम्मिश्रण के अतिरिक्त) में अन्तर होता है तथा लेन देन मे देयता न तो कर योग्य लाभ न ही लेखांकन मुनाफे से प्रभावित होती है।

स्थगित कर देयता की मान्य कर योग्य अस्थायी अन्तर जो अनुषंगियों तथा सहयोगियों के निवेश से जहाँ कम्पनी नियंत्रण या अस्थायी अंतर की व्युत्क्रमण के लिए सम्भव होती है उसे छोड़कर संबंधित होती है। तथा यह सम्भव है कि अस्थायी अन्तर प्रत्याशा योग्य विषय में व्युत्क्रमित नहीं होगी। स्थगित कर परिसम्पत्ति कटौती योग्य अस्थाई अंतर से उत्पन्न जो इस प्रकार के निवेश तथा ब्याज से संबद्ध है इसको उस मात्रा तक पहचान की जाती है जहाँ तक यह सम्भव है कि अस्थायी भिन्नता की सुविधा को उपयोग होगा। पर्याप्त कर योग्य लाभ जिसके विरूद्ध

स्थगित कर परिसम्पत्ति की वाहक राशि की प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि कें अंत में समीक्षा की जाती है तता इसे उस सीमा तक कम कर दिया जाता है जहाँ तक अब पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध करता सम्भव नहीं है। इस परिसम्पत्ति को पूर्ण या किसी अंश की वसूली सम्भव नहीं है। अमान्य स्थगित कर परिसम्पत्ति को प्रत्येक प्रतिवेदन वर्ष के अंत में पुनर्निर्धारित किया जाता है तथा उस सीमा तक मान्य दी जाती है जहाँ तक यह सम्भव है कि पूरा या स्थगित कर परिसम्पत्ति से वसूली योग्य पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

स्थगित कर परिसम्पत्ति तथा देयता की माप उस कर दर पर की जाती है जो कि अपेक्षित है उस अवधि में लागू करने के लिए, उस तरीके पर जिसमें कम्पनी चाहती है, प्रतिवेदन की अवधि के अंत में ताकि परिसम्पत्ति तथा देयता के साथ संवाहक राशि की भुगतान या वसूली की जा सके।

वर्तमान या स्थगित कर को लाभ तथा हानि में पहचान की गई है। जब वे उप मदों से सम्बन्धित होते हैं जोकि अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में, जिस मामले में, वर्तमान या स्थगित कर अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में क्रमश: मान्यता प्राप्त है।

जब, एक व्यापारिक संमोजन के लिए प्रारंभिक लेखांकन से वर्तमान कर या स्थगित कर उत्पन्न होता है तब व्यापारिक संयोजन के लिए लेखांकन में कर प्रभाव शामिल होता है।

2.17 कर्मचारी सुविधायें

2.17.1 लघु अवधि सुविधायें

सभी लघु अवधि की कर्मचारी सुविधायें जिस अवधि में घटित होती हैं उसी में स्वीकृत होती है।

2.17.2 नियोजन काल के बाद की सुविधायें तथा अन्य लम्बी अवधि की कर्मचारी सुविधायें

2.17.2.1 परिभाषित अंशदान योजना में

परिभाषित अंशदान योजना वह है जो नियोजन काल के बाद भविष्यनिधि तथा पेंशन सुविधाओं की योजना है। जिसके लिए कम्पनी धन देती है तथा जिसका रख रखाव एक अलग संवैधानिक संस्था (कोल माइन्स प्रोविडेंट फन्ड–कोयला खान भविष्य तिथ्रि) द्वारा की जाती है जो अधिनियमों द्वारा कानूनी रूप से गठित है तथा कम्पनी का कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं है। आगे रकम देने के लिए परिभाषित अंशदान योजना के अंशदान के लिए दायित्व एक कर्मचारी सुविधा के रूप में मान्यता प्राप्त है तथा लाभ तथा हानि के विवरण में कर्मचारी द्वारा की गई सेवा की अवधि में शामिल है।

2.17.2.2. परिभाषित सुविधा योजना

परिभाषित सुविधा योजना एक नियोजन बाद की सुविधा योजना है जो परिभाषित सुविधा योजना के अतिरिक्त है। ग्रैच्युइटी, छुट्टी मुनाफा वे परिभाषित सुविधा योजना (सुविधा की सीमा का अंतर्गत) हैं। कम्पनी को शुद्ध देयता परिभाषित योजना के बारे में कर्मचारी द्वारा अपने सेवा काल में वर्तमान तथा पूर्वाविधि अर्जन तथा भावी सुविधा को राशि का आकलन करके गणना की जाती है। यह सुविधा वर्तमान मूल्य तय करने के लिए कम कर दी जाती है तथा योजना परिसम्पत्ति यदि कुछ है तो उसके स्वच्छ मूल्य के आधार पर कम कर दी जाती है। कमी करने की दर प्रचलित बाजार उत्पाद प्रतिवेदन की तिथि पर भारत सरकार की प्रतिमूर्ति से लाभ पर आधारित है।

कम्पनी की देनदारी अनुभाषित पदों में परिपक्वता की तिथि तथा इसे सम्मान मुद्रा में जिसमें सुविधाओं का भुगतान अपेक्षित है, बीमांकिक मूल्यांकन उपयोग में छूट की दर परिसम्पत्ति पर अपेक्षित दर की वापसी भविष्य में वेतन वृद्धि, मृत्यु की दर इत्यादि शामिल है। इन योजनाओं की लम्बी अवधि के कारण इनका आकलन अभिनिश्चितता से पूर्ण है। गणना कम्पनी के प्रत्येक तुलनपत्र के आधार पर एक बीमांकिक द्वारा प्रक्षेपित इकाई सुधार पद्धति पर की जाती है।

जब गणना का परिणाम कम्पनी के हित में होता है मान्य परिसम्पत्ति उपलब्ध आर्थिक सुविधाओं के वर्तमान मूल्य पर योजना से भावी वापसी के रूप में या योजना में मानी अंशदान में कटौती के रूप में होती है।

कम्पनी को आर्थिक सुविधा उपलब्ध है यदि यह योजना की अवधि में वसूली योग्य है या योजना देयताओं के निपटारे दे संबंधित है। शुद्ध परिभाषित सुविधा देयता की पुन: माप जो बीमांकिक लाभ अथवा हानि को ध्यान में रखते हुए गठित है, योजना परिसम्पत्ति पर रिटर्न (ब्याज छोड़कर) तथा परिसम्पत्ति सीमा का प्रभाव (यदि है, तो ब्याज छोड़कर) अन्य स्थापक आय में तत्काल मान्यता की जाती है। कम्पनी शुद्ध ब्याज खर्च (आय) शुद्ध परिभाषित सुविधा देयता (परिसम्पत्ति) छूट पर लागू करके तय करती है। इसमें

भुगतान सुविधा तथा अवधि के दौरान अंशदान तथा शुद्ध परिभाषित सुविधा देयता (परिसम्पत्ति) में कोई परिवर्तन हो तो उसे लेखा में लेकर गणना की जाती है। जब योजना की सुविधा में सुधार हो पिछली सेवा के कर्मचारियों से संबंधित बढ़ी हुई सुविधा के अंश को लाभ तथा हानि के विवरण में तत्काल खर्च के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

2.17.3 अन्य कर्मचारी सुविधायें

कुछ अन्य कर्मचारी सुविधायें यथा एलटीए, एलटीसी, जीवन रक्षा योजना, ग्रुप निजी दुर्घटना बीमा योजना, सेटलमेंट भत्ता, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा योजना तथा खान दुर्घटना में भृतक के आश्रित को क्षतिपूर्ति इत्यादि भी उपरोक्त परिभाषित योजना के अंतर्गत समान आधार पर मान्यता प्राप्त है। इन सुविधाओं के लिए निर्धारित कोई विशिष्ट निधि नहीं है।

2.18 कम्पनी की प्रतिवेदित मुद्रा तथा कार्यकरी मुद्रा

इसके अधिकांश संचालन के लिए भारतीय रूपया (आई एन आर) है जो आर्थिक वातावरण जिसमें यह संचालित है तथा इसकी मूल्य मुद्रा है।

विदेशी मुद्रा के लेनदेन, लेनदेन की तिथि पर प्रचलित बिनिमय दर का उपयोग करते हुए कम्पनी की प्रतिवेदित मुद्रा में बदल दी जाती है। भौतिक परिसम्पत्ति तथा देयता जो विदेशी मुद्रा में हो जो प्रतिवेदन की तिथि के अंत में बकाया हो वह प्रतिवेदन की तिथि के अंत में वर्तमान बिनिमय दर पर बदल दी जाती है। परिवर्तन की भिन्नता जो मौद्रिक परिसम्पत्ति तथा देयता के मौद्रिक परिसम्पत्ति तथा देयता परिवर्तन दर पर उत्पन्न हो तो उसे पिछली वित्तीय विवरण में या प्रारंभिक मान्यता अवधि में लाभ तथा हानि विवरण में जिस अवधि से वह संबंधित है उसमें मान्यता दी जाती है।

विदेशी मुद्रा के मूल्य वर्ग में गैर मौद्रिक वस्तुएँ का मूल्यांकन लेन देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है।

2.19 अनावरण (स्ट्रीपिंग) गतिविधि खर्च / समंजन

खुली खानों में खनन के मामले में, खानों की अपशिष्ट सामग्री (ओवर वर्डन) जिसमें कोयला सीम के ऊपर मिट्टी तथा पत्थर शामिल है उसे हटाने की आवश्यकता होती है, ताकि कोयला तक पँहुचा तथा इसका निष्पादन किया जा सके। इस अपशिष्ट के हटाने को स्टीपिंग कहा जाता है। खुली खानों में कम्पनी को खानों की आयु (तकनीकी रूप से आकलित) के आधार पर इस प्रकार का खर्च करना पड़ता है।

इसलिए, एक नीति के अनुसार, एक मिलियन टन प्रति वर्ष या अधिक की रेटेड क्षमतावाली खानों में स्ट्रीपिंग लागत को तकनीकी रूप से मूल्यांकित औसत स्ट्रीपिंग अनुपात (ओवी : कोयला) प्रत्येक खान में प्रभारित किया जाता है जिसमें स्ट्रीपिंग गतिविधि परिसम्पत्ति तथा खान को राजस्व में लाए जाने के बाद लेखा में अनुपात भिन्नता के लिए समंजन होता है। स्ट्रीपिंग गतिविधि परिसम्पत्ति तथा तुलन पत्र की तिथि को अनुपात भिन्नता का शुद्ध शेष गैर वर्तमान प्रावधान / अन्य गैर वर्तमान परिसम्पत्ति जो भी स्थिति हो उस शीर्ष के अंतर्गत स्ट्रीपिंग गतिविधि समंजन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

ओभरवर्डन की प्रतिवेदित मात्रा ओनलेखा के अनुसार ओबीआर लेखांकन के लिए अनुपात की गणना में स्वीकार की जाती है जहाँ प्रतिवेदित मात्रा तथा मापी गई मात्रा में भिन्नता हो वहाँ दोनों विकल्पों में से अनुज्ञेय सीमा में निम्नलिखित के अनुसार अपनाई जाती है।

खान के ओबीआर की वार्षिक मात्रा	भिन्नताओं अनुज्ञेय सीमा I	II
	%	मात्रा (मिलि घन मीटर में)
1 मिलियन घन मीटर से कम	+/- 5%	0.03
1 से 5 मिलियन घन मीटर का बीज	+/- 3%	0.20
5 मिलियन घन मीटर से अधिक	+/- 2%	

हालांकि जहाँ भिन्नता अनुज्ञेय सीमा से अधिक है वहाँ मापी गई मात्रा स्वीकार की जाती है।

उन खानों में जहाँ रेटेड क्षमता एक मिलियन टन से कम है, उपरोक्त नीति लागू नहीं की जाती तथा वर्ष के दौरान स्ट्रीपिंग गतिविधि की वास्तविक लागत लाभ तथा हानि विवरण में स्वीकार जाती है।

2.20 सम्पत्ति सूची

2.20.1 कोयला का स्टाक

कोयला / कोक की सूची को निम्नतर लागत तथा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर रखा जाता है। सम्पत्ति की लागत की गणना पहले आओ पाले पाओ के आधार पर की जाती है। शुद्ध वसूलीयोग्य मूल्य प्रदर्शित करता है आकस्मित बिक्रय मूल्य पूर्णता के लिए समस्त आकलित लागत तथा विक्रय के लिए तैयार करने की आवश्यक लागत।

जहाँ पुस्तकीय स्टॉक तथा मापे गए स्टॉक में भिन्नता +/–5% तक है वहाँ लेखा में पुस्तकीय स्टॉक किया जाता है तथा जहाँ भिन्नता +/–5% से अधिक है वहाँ मापा गया स्टाक किया जाता है। इस प्रकार के स्टाक का मूल्यांकन शुद्ध वसूली योग्य मूल्य या लागत पर जो भी कम है। किया जाता है। कोक को कोयला के स्टाक का एक भाग माता जाता है।

स्लरी (कोकिंग / सेमी कोकिंग, वासरी का मिडलिंग तथा उपउत्पाद का मूल्यांकन वसूली योग्य शुद्ध मूल्य पर किया जाता है तथा कोयला के स्टाक का एक भाग माना जाता है।

2.20.2 भंडार तथा अतिरिक्त पूरजे

केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय भंडारों में भंडार (सामग्री तथा अतिरिक्त पूरजों को स्टाक को मूल्यांकित भंडार लेजर को शेष स्थिति के अनुसार स्वीकार किया जाता है तथा मूल्यांकन औसत वचन पद्धति के आधार पर गणना करने की जाती है। कोलियरी / उपकेन्द्र / ड्रिलिंग कैम्प / उपभोग केन्द्र पर पड़ी हुई भंडार सामग्री तथा अतिरिक्त पूरजों को वर्ष के अंत में भौतिक रूप से भंडार जांच के अनुसार स्वीकार तथा लागत पर मूल्यांकन किया जाता है।

मरम्मत विहीन, अतिग्रस्त तथा अप्रयुक्त मंडार सामग्री तथा अतिरिक्त पुरजों के लिए 100% की दर पर प्रावधान किया जाता है तथा 5 वर्षों तक अचल भंडार सामग्री तथा अतिरिक्त पुरजों के लिए 50% की दर से प्रावधान होता है।

2.20.3 अन्य सूची

कर्मशाला कार्य चालू कार्य प्रगति पर सहित का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है। प्रेस कार्यों का स्टाक (चालू कार्य सहित) तथा मुद्रणाालय में स्टेशनरी तथा केन्द्रीय चिकित्सालय में दवाओं का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है। हालांकि स्टेशनरी का स्टॉक (मुद्रणालय में पड़ी हुई छोड़कर) ईंट, वालू, दवा (केन्द्रीय चिकित्सालय के अतिरिक्त) वायुयान के पुरजे तथा स्कैप सम्पत्ति सूची में शामिल नहीं किए जाते क्योंकि इनका मूल्य उल्लेखनीय नहीं होता।

2.21 प्रावधान, आकस्मिक देयता तथा आकस्मिक परिसम्पत्ति प्रावधान को तभी मान्यता दी जाती है जब कम्पनी के पास वर्तमान दायित्व (विधिक या रचनात्मक) हो जो पिछली घटना के फलस्वरूप तथा यह सम्भव है कि दायित्व के निपटारे के लिए आर्थिक सुविधा का वहाव हो तथा दायित्व की रकम का वास्तविक आकलन किया जा सकेगा। जहाँ का समय मूल्य आर्थिक हो वर्तमान मूल्य पर खर्च के लिए प्रावधान कहा जाता है तथा दायित्व का निस्तारण की अपेक्षा की जाती है। सभी प्रावधान की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर की जाती है तथा वर्तमान सर्वश्रेष्ठ आकलन प्रदर्शित करने के लिए समंजित किया जाता है।

जहाँ यह सम्भव नहीं है कि आर्थिक सुविधा का बहाव आवश्यक है या राशि का विश्वसनीय आकलन नहीं किया जा सकता देयता को आकस्मिक दायित्व के रूप में प्रकट किया जाता है नहीं तो आर्थिक सुविधाओं के बहाव की सम्भावना क्षीण होती है। सम्भव दावित्य जिसका अस्तित्व कम्पनी की कुछ घटनाओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति से पक्की की सकेगी, उन्हें भी आकस्मिक देयता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है नहीं तो आर्थिक सुविधाओं के बहाव की सम्भावना क्षीण होती है।

आकस्मिक परिसम्पत्ति को वित्तीय विवरण में मान्यता नहीं दी जाती। हालांकि जब आय की वसूली लगभग सुनिश्चित हो तो संबंधित परिसम्पत्ति आकस्मिक परिसम्पत्ति नहीं है तथा इसको पहचान उपयुक्त है।

2.22 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल्य आय की गणना कर पश्चात् शुद्ध लाभ को वेटेड औसत संख्या से भाग दे कर की जाती है। अवधि में इक्विटी शेयरों की वकाया डाइल्यूटेड आय प्रति शेयर की गणना कर पश्चात इक्विटी शेयरों की बेटेड औसत संख्या से भाग देकर की जाती है तथा मूल्य आय प्रति शेयर निकाला जाता है तथा इक्विटी शेयरों की वेटेड औसत संख्या जिसे डाइलूटिभ पोटेंसियल इक्विटी शेयर के बदलाव पर जारी किया जाता है।

2.23 निर्णय, आकलन तथा परिकल्पना

इंड एसस की सहमति में वित्तीय विवरण के निर्माण में प्रबन्धन द्वारा आकलन निर्णय तथा परिकल्पना की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीति को प्रमावित करती है तथा प्रतिवेदित परिसम्पत्ति एवं उत्तरदायित्व की राशि, वित्तीय विवरण की तिथि को आकस्मिक परिसम्पत्ति तथा दायित्व की घोषणा एवं प्रतिवेदन अवधि के दौरान राजस्व तथा व्यय की राशि जटिल तथा व्यक्तिपरक निर्णय निहित लेखांकन नीति का उपयोग तथा इन वित्तीय विवरणों में परिकल्पना प्रकट की गई है। लेखांकन आकलन अवधि दर अवधि वदल सकते हैं। वास्तविक परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं। आकलन तथा मूलभूत परिकल्पनाओं की गामी आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन आकलन के संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें आकलन का संशोधन किया जाता है, यदि वास्तविक है, ता इसका प्रभाव वित्तीय विवरण की टिप्पणी में प्रकट की जाती है।

2.23.1 निर्णय

कम्पनी की लेखांकन नीति को लागू करने की प्रक्रिया में प्रबन्धन ने निम्नलिखित निर्णय लिया है किसकी राशि का वित्तीय विवरण की मान्यता में अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रभाव है।

2.23.1.1 लेखांकन नीति का निरूपण

लेखांकन नीति का निरूपण इस प्रकार किया जाता है कि जिसको परिणाम लेनदेन से संबंधित एवं विश्लेषणीय सूचनायें तथा वित्तीय विवरण अन्य स्थिति तथा परिसम्पत्तियों में लागू होता है। इसे नीतियों को उस समय लागू करने की आवश्यकता नहीं है जब इनको लागू करने का प्रभाव अनावश्यक हो।

इंड ए एस के अभाव में जो कि विशेष रूप में एक लेनदेन अन्य कार्यक्रम या परिस्थिति में लागू होता है। प्रबन्धन ने इसके निर्णय को एक लेखांकन नीति को विकसित करने तथा लाभ करने के लिए उपयोग किया है जिसका परिणाम सूचनाओं में निम्नलिखित है :

क) उपयोग कर्ता की आवश्यकताओं के आर्थिक निर्णय लेने से संबंधित तथा

ख) इस वित्तीय विवरण में विश्वसनीयता –

(i) वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पत्ति तथा कम्पनी का नगद प्रवाह विश्वसनीय रूप से प्रस्तुत करना

(ii) लेनदेन की आर्थिक वास्तविकता, अन्य कार्यक्रम या परिस्थिति, तथा केवल विधि तरीका स्पष्ट करना

(iii) तटस्व है, अर्थात पक्षपात से मुक्त

(iv) दूरदशी हैं

(x) लगातार आधार पर सभी वास्तविक पक्षों में पूर्ण हैं।

निर्णय लेने में प्रबन्धन निर्देशित करता है तथा प्रासंगिकता पर निम्नलिखित स्रोत पर विचार करता है। नीचे घटते हुए आधार पर

(क) इंड ए एस में समान तथा संबंधित मामलों में आवश्यकता तथा

(ख) ढांचे में परिसम्पत्ति, देयता, आय तथा व्यय के लिए परिभाषा, मान्यता, मानदण्ड तथा माप की संकंल्पना।

निर्णय लेने में, अंतराष्ट्रीय लेखांकन स्तर मंडल की अत्यन्त आधुनिक घोषणा पर प्रबन्धन विचार करती है तथा इस प्रकार के स्तर निर्धारकों जो लेखांकन स्तर को विकसित करने के लिए समान काल्पनिक ढांचा अपनाते है उन के अभाव में स्वीकृत औद्योगिक व्यवहार अपनाती है। उस सीमा तक जो उपरोक्त अनुच्छेत के स्रोत के विरूद्ध न हो।

कम्पनी खनन क्षेत्र में कार्यकरता है (एक ऐसा क्षेत्र जहाँ अन्वेषण, मूल्यांकन, विकास, उत्पादन के स्तर में स्थलाकृतिक तथा दर्शकों से लगातार परिवर्तन के प्रति सुझाव है) लेखांकन नीति जहाँ विशिष्ट उद्योग के आधार पर बनाई गई है तथा जो अनुसंधान समितियों द्वारा समर्थित एवं विभिन्न नियंत्रकों द्वारा पिछले कई दशकों के लगातार प्रयोग से स्वीकृत है।

कुछ विशेष क्षेत्रों में जो कि अभी विकास की प्रक्रिया में है, विशिष्ट लेखांकन साहित्य, मागदर्शन तथा स्तर का अभाव है। कम्पनी इसी लाइन पर लेखांकन नीति विकसित करने, लेखांकन साहित्य विकसित करने तथा ऐसा विकास जिससे इंड एएस 8 में विशेष रूप से या उपरोक्त प्रक्रिया के अनुपालन में लेखांकन का किसी प्रकार विकास हो, जारी रखती है। लेखांकन के उपचयाधार को उपयोग कर वर्तमान चिन्ताओं पर वित्तीय विवरण तैयार किए जाते है।

2.23.1.2 भौतिकता (मेटेरियलिटी)

इंड ए एस उन सामग्रियों पर लागू होता है जो भौतिक है। प्रबन्धन निर्णय का उपयोग यह निश्चय करने में करती है कि एमल वस्तू या वस्तुओं का समूह वित्तीय विवरण में बास्तविक या भौतिक है या नहीं। बस्तु की प्रकृति तथा आकार के संदर्भ में उसकी भौतिकता का निर्णय किया जाता है। निर्णयात्मक गुणक यह है कि चूक या गलत वयानी आर्थिक निर्णय को खत्म या सामूहिक रूप से प्रभावित कर सकती है प्रबन्धन इंड एएमस की आवश्यकताओं के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भौतिकता का निर्णय लेती है। विशेष परिसम्पत्ति में चाहे वस्तु की प्रकृति हो या मात्रा या वस्तुओं का समूह वह निर्धारण तत्व है। इसके अतिरिक्त जब कानूनी आवश्यकता हो, अनावश्यक वस्तुओं को अलग से प्रस्तुत करने के लिए कम्पनी को कहा जा सकता है।

2.23.1.3 पट्टा का संचालन

कम्पनी पट्टा के संचालन का समझौता किया है। कम्पनी ने निर्णय लिया है कि संमझौहता उत्पादक स्थितियों तथा भर्तोकि अनुसार व्यवसायिक सम्पत्ति की आर्थिक आयु तथा परिसम्पत्ति के स्वच्छ मूल्य के अधिकांश भाग से संबंधित खतरे तथा मालिकाना का लाभ

इस सम्पत्ति का रहेगा तथा ठेके पर पट्टा का संचालन होगा।

2.23.2 आकलन तथा परिकल्पना

भविष्य के लिए मुख्य परिकल्पना तथा प्रतिवेदन तिथि को आकलन अनिश्चितता का मुख्य स्रोत जिसमें ठोस समंजन का बहुत बड़ा खतरा हो, संवाहक परिसम्पत्ति तथा देयताओं पर अगले वित्तीय वर्ष के भीतर निम्नलिखित है।

कम्पनी ने अपने आकलन तथा परिकल्पना को उपलब्ध मानदण्डों पर आधारित किया है जब समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए। भावी विकास से संबंधित वर्तमान परिस्थितियाँ तथा परिकल्पनायें, हालांकि बाजार में परिवर्तन पर वदल सकते है या वैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर जिन पर कम्पनी का कोई नियंत्रण नहीं है। इस प्रकार के परिवर्तन जब होंगे तब परिकल्पना में प्रतिबिंबित होंगे।

2.23.2.1 गैर वित्तीय परिसम्पत्ति की दुर्बलता

यदि क्षति का कोई संकेत हो परिसम्पत्ति का संवाहक मूल्य या नराद उत्पादक इकाई वसूली योग्य राशि बढ़ा देती है जो कि इसके स्वच्छ मूल्य से अधिक तथा निष्कासन लागत से कम है तथा इसके उपयोग में मूल्य है। कम्पनी प्रत्येक खान को क्षति की जाँच के उद्देश्य से पृथक नगद उत्पादन इकाई मानती है। उपयोग में मूल्य की गणना डीसीएफ माडल पर आधारित है। नगद प्रवाह आगामी पाँच वर्षों के लिए बजट से निकाला जाता है तथा पुनर्गठन गतिविधियों में शामिल नहीं है। कम्पनी अभी भी भावी निवेश या इसके लिए प्रतिबद्ध नहीं है ताकि परिसम्पत्ति का निष्पादन बढ़ेगा अन्य सीजीयू की जाँच होगी। वसूली योग्य राशि उपयोग की गई छूट की दर के प्रति डीएफसी मॉडल के लिए संवेदनशील है। साथ ही अपेक्षित भावी नगद प्रवाह तथा वहिर्वेशन उद्देश्य के लिए उपयुक्त वृद्धि दर के लिए ये आकलन अन्य खनन संरचनाओं के लिए भी अत्यन्त उपयुक्त हैं। विभिन्न सीजीयू के लिए वसूली योग्य राशि तय करने के लिए मुख्य परिकल्पना क्रमशः टिप्पणियों में आगे व्यक्त तथा प्रकट की गई हैं।

2.23.2.2 कर

आस्थगित कर परिसम्पत्ति की मान्यता अनुपयोगी कर हानि के लिए उस सीमा तक की जाती है जहाँ तक यह सम्भावना है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके लिए हानि का उपयोग किया जा सकेगा। विशिष्ट प्रबन्धन निर्णय की आवश्यकता आस्थगित कर परिसम्पत्ति के निर्धारण के लिए होती है जिसे स्वीकृति दी जा सकती है। भविष्य कर योजना कूटनीति सहित भावी कर योग्य लाभ के स्तर तथा उचित समय के आधार पर।

2.23.2.3 परिभाषित सुविधा योजना

परिभाषित सुविधा ग्रैच्युइटी योजना की लागत तथा अन्य सेवा निवृति के बाद चिकित्सा सुविधा तथा ग्रैच्युइटी दायित्व का वर्तमान मूलाय का निर्धारण बीमांकिक भिन्नता का उपयोग करके किया जाता है। वीमांकिक भिन्नता में विभिन्न अनुमान शामिल है जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकता है। इसमें छूट की दर, भावी वेतन वृद्धि तथा मृत्युदर पर निर्धारण शामिल है।

भिन्नता में शामिल जटिलता तथा लम्बी अवधि की प्रकृति के कारण परिभाषित सुविधा दायित्व इन अनुमानों में परिवर्तन के लिए अत्यन्त संवेदनशील हैं। प्रत्येक अनुमान की प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर समीक्षा की जाती है। छूट की दर को परिवर्तित करने में मापदण्ड की मुख्य भूमिका है। भारत में संचालित योजनाओं के लिए उचित छूट दर तय करने के लिए प्रबंधन सेवा निवृति दुविधा दायित्व की व्यापकता के लिए सरकारी बाडों में मुद्रा एकरूपता के व्याज की दर का ध्यान रखती है।

मृत्युदर का आधार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध देश की मृत्यु सारणी है। इन मृत्यु सारणियों में जन सांख्यिकी की परिवर्तन की प्रतिक्रिया में अंतराल पर परिवर्तित होते हैं। भावी वेतन वृद्धि तथा ग्रैच्युइटी में बृद्धि भावी महंगाई वृद्धि दर पर अपेक्षित है।

2.23.2.4 वित्तीय उपकरणों की स्वच्छ मूल्य माप

जब तुलनपत्र में अभिलेखित वित्तीय परिसम्पत्ति तथा वित्तीय देयताओं के स्वच्छ मूल्य को सक्रिय बाजार में अवहृत मूल्य पर मापा नहीं जा सकता, उनका स्वच्छ मूल्य डीसीएफ मॉडल सहित सामान्य तौर पर स्वीकृत मूल्यांकन तकनीक को अपनाकर मापा सकता है। इसमाडलों का निवेश जहाँ सम्भव हो वहाँ सुस्पष्ट बाजार से लिए जाते हैं लेकिन जहाँ यह सम्भव नहीं है वहाँ स्वच्छ मूल्य की स्थापना में निर्णय की श्रेणी की आवश्यकता होती है। निर्णय में निवेश यथा तरलता खतरे, उधार का खतरा अस्थिरता तथा अन्य संबंधित निवेश / विचार शामिल होते हैं। इन कारकों के बारे में आकलन तथा परिकल्पना में परिवर्तन वित्तीय उपकरणों के स्वच्छ मुल्य को प्रभावित कर सकते है।

2.23.2.5 विकास के अधीन अप्रत्यक्ष परिसम्पत्ति लेखांकन नीति की सहमति में एक परियोजना के लिए विकास के अधीन अप्रत्यक्ष परिसम्पत्ति को कम्पनी पूंजीकृत करती है। लागत का प्रारंभिक पूंजीकरण प्रबन्धन के निर्णय पर आधारित है जोकि तकनीकी तथा आर्थिकि सम्भावना की पुष्टि पर सुनिश्चित हैं। सामान्य तौर पर जब एक परियोजना प्रतिवेदन तैयार तथा स्वीकृत किया जाता है।

2.23.2.6 खान बंदी, स्थल पुन:स्थापन तथा देयता मुक्ति के लिए प्रावधान

खान बंदी, स्थल पुन:स्थापन तथा देयता मुक्ति के लिए प्रावधान के स्वच्छ मुल्य को निर्धारित करने के लिए छूट दर, स्थल पुन:स्थापन एवं बिनष्टीकरण के लिए अपेक्षित लागत तथा उन लागतों के लिए अपेक्षित समय के सम्बन्ध में परिकल्पना तथा आकलन किए जाते हैं। कम्पनी निम्नलिखित आधार पर परियोजना / खान की आयु पर विचार करते हुए डीसीएफ तरीका का उपयोग कर प्रावधान का आकलन करती है।

- ➢ भारत सरकार, कोयला मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट प्रति हेक्टेयर आकलित लागत।
- ➢ देयता के लिए विशिष्ट खतरे तथा मुद्रा के समय मूल्य के वर्तमान बाजार निर्धारण के प्रदर्शित छूट दर (कर पूर्व दर)

2.24 प्रयुक्त संकेताकर

क) सीजीयू – कैश जेनरेटिंग यूनिट
ख) डीसीएफ – डिस्काउन्ट कैशफ्लो
ग) एफवीटीओसीएल– फेयर वेल्यू थ्रू अदर कंप्रीहेन्सिव इनकम
घ) एफवीटीपीएल – फेयर वेल्यू थ्रू प्रोफिट एण्ड लॉस
ङ) जीएएपी – जेनेरली एक्सेप्टेड एकाउन्टिंग प्रिंसिपल
च) इंडएएस– इंडियन एकाउन्टिंग स्टैंडर्ड
छ) ओसीआई – अदर कम्प्रीहेन्सिव इनकम
ज) पी एण्ड एल – प्रोफिट एण्ड लॉस
झ) पीपीई – प्रोपर्टी प्लांट एण्ड इक्विपमेंट
ञ) एसपीपीआई– सोलली पेमेंट आफ प्रिसिंपल एन्ड इनकम
ट) ईआईआर – इफेक्टिव इंटेरेस्टरेट

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 3 : सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण

	फ्री होल्ड भूमि	अन्य भूमि	भवन (जल आपूर्ति सड़क तथा पुलिया सहित)	संयंत्र तथा उपकरण	इट संचार	भूमि सुधार/ स्थल समतलीकरण लागत	फर्नीचर तथा उपस्कर	कार्यालय उपकरण	वाहन	एयरक्राफ्ट	अन्य खनन संरचना	अन्य	सर्वेक्षण बहिस्कृत परिसम्पत्ति		कुल
संवाहक राशि															
01.04.2015 को	72.96	202.49	248.48	859.20	12.32	6.47	276.61	26.84	2.52	2.29	-	131.82	-	-	**1,842.00**
योग	67.81	103.33	33.37	133.98	2.55	3.09	-	23.49	11.87	0.66	-	66.21	-	-	**446.36**
कमी/समंजन	(56.37)	56.37	-	(148.30)	-	-	-	-	-	(0.49)	-	-	-	-	**(148.79)**
31.03.2016 को	**84.40**	**362.19**	**281.85**	**844.88**	**14.87**	**9.56**	**276.61**	**50.33**	**14.39**	**2.46**	-	**198.03**	-	-	**2,139.57**
01.04.2015 को	84.40	362.19	281.85	844.88	14.87	9.56	276.61	50.33	14.39	2.46	-	198.03	-	-	**2,139.57**
योग	32.86	158.05	65.15	503.29	3.63	9.81	50.86	33.71	0.42	0.21	-	121.91	-	1.78	**981.68**
कमी/समंजन	6.07	(1.43)	-	(42.47)	(0.06)	-	-	(0.22)	-	(0.16)	-	(8.02)	-	(0.01)	**(46.30)**
31.03.2017 को	**123.33**	**518.81**	**347.00**	**1,305.70**	**18.44**	**19.37**	**327.47**	**83.82**	**14.81**	**2.51**	-	**311.92**	-	**1.77**	**3,074.95**
संचित मूल्य ह्रास तथा क्षति															
01.04.2016 को	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए प्रभार	-	26.23	17.42	162.12	1.59	0.98	27.38	6.38	1.29	0.45	-	27.71	-	6.88	**278.43**
क्षति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.39	-	-	**31.39**
कमी/समंजन	-	-	-	(141.66)	-	-	-	-	-	(0.45)	-	2.75	-	(6.88)	**(146.24)**
31.03.2016 को	-	**26.23**	**17.42**	**20.46**	**1.59**	**0.98**	**27.38**	**6.38**	**1.29**	-	-	**61.85**	-	-	**163.58**
01.04.2016 को	-	26.23	17.42	20.46	1.59	0.98	27.38	6.38	1.29	-	-	61.85	-	-	**163.58**
वर्ष के लिए प्रभार	-	35.28	20.09	172.37	2.19	2.13	38.36	10.92	0.40	0.56	-	12.60	-	-	**294.90**
क्षति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.53	-	1.78	**33.31**
कमी/समंजन	-	-	(0.03)	(38.58)	(0.05)	-	-	(0.08)	-	(0.15)	-	(0.03)	-	(0.01)	**(38.93)**
31.03.2017 को	-	**61.51**	**37.48**	**154.25**	**3.73**	**3.11**	**65.74**	**17.22**	**1.69**	**0.41**	-	**105.95**	-	**1.77**	**452.86**
शुद्ध संवाहक राशि															
31.03.2017 को	**123.33**	**457.30**	**309.52**	**1,151.45**	**14.71**	**16.26**	**261.73**	**66.60**	**13.12**	**2.10**	-	**205.97**	-	-	**2,622.09**
31.03.2016 को	**84.40**	**335.96**	**264.43**	**824.42**	**13.28**	**8.58**	**249.23**	**43.95**	**13.10**	**2.46**	-	**136.18**	-	-	**1,975.99**
31.03.2015 को	**72.96**	**202.49**	**248.48**	**859.20**	**12.32**	**6.47**	**276.61**	**26.84**	**2.52**	**2.29**	-	**131.82**	-	-	**1,842.00**

टिप्पणियाँ :

1. कुछ मामलों में अधिग्राहीत की गई भूमि का टाइटल डीड कम्पनी के पक्ष में बनाया नहीं गया है तथा म्यूटेशन भी कुछ मामलों में किया जाना बाकी है।
2. भूमि: कोयला आधारित क्षेत्र (अधिग्रहण तथा विकास) अधिनियम 1957 तथा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1984 के अधीन अधिग्राहीत भूमि अन्य में शामिल है।
3. कोल माइन्स रेस्क्यू आर्गना इजेसम तथा कोल माइन्स वेलफेयर आर्गनाइजेशन के अधीन अधिग्राहीत परिसम्पत्ति तथा देयतायें, जिनके लिए संख्यात्मक विवरण उपलब्ध नहीं है उन्हें वास्तविक मूल्य निर्धारण के बिना लेखा में शामिल किया गया है। को, माइन्स वेलफेयर आर्गनाइजेशन, काल्ला तथा सेन्ट्रल हास्पीटल/डिस्पेंसरीज, माइन्स रेस्क्यू स्टेशन, बराकर इंजीनियरिंग एण्ड फाउन्ड्री वर्क्स के स्थानांतरण परिसम्पत्तियों तथा देयताओं से सम्बन्धित विधिवत ट्रांस्फर डीड / सहमति पत्र कम्पनी के पक्ष में अभी भी किया जाना बाकी है।
4. तकनीकी आकलन के आधार पर उपयोगी आयु के अनुसार मूल्य ह्रास का प्रावधान किया गया है।
5. अन्य परिसम्पत्तियों में रू 8.17 करोड़ (सकल रू. 8.17 करोड़ तथा संचित मूल्य ह्रास रू. 8.17 करोड़) की कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गत कोयला खान राष्ट्रीयकरण से अधिग्राहीत परिसम्पत्ति तथा पूंजीगत खर्च में कम्पनी की रू. 4.86 करोड़ (सकल रू. 4.86 करोड़ तथा संचित मूल्य ह्रास रू. 4.86 करोड़) शामिल है जिसका विवरण उपलब्ध नहीं है।
6. संयंत्र, संपत्ति तथा उपकरण – भवन में आवासीय / कार्यालय / खनन क्षेत्र में स्थित सड़क तथा पुलिया शामिल है।
7. कम्पनी की कुछ परिसम्पत्तियों तथा देयताओं के हस्तातंरण में जिनमें माइनिंग अधिकार इत्यादि है विधिक औपचारिकताओं के लंबित रहने के कारण अभी भी कोल इंडिया लिमिटेड के नाम से है।

संवहन मूल्य का सामंजस्य 01.01.2015 को इंड ए एस तथा पिछले जीएएपी के अनुसार

	फ्री होल्ड भूमि	अन्य भूमि	भवन (जल आपूर्ति सड़क तथा पुलिया सहित)	संयंत्र तथा उपकरण	इट संचार	भूमि सुधार/ स्थल समतलीकरण लागत	फर्नीचर तथा उपस्कर	कार्यालय उपकरण	वाहन	एयरक्राफ्ट	अन्य खनन संरचना	अन्य	सर्वेक्षण बहिस्कृत परिसम्पत्ति		कुल
सकल संवहन राशि															
1 अप्रैल 2015 को	72.96	254.70	513.26	3,847.80	31.99	28.25	346.00	106.11	9.96	14.14	-	1,341.88	13.03	384.63	**6,964.71**
संचित मूल्य ह्रास तथा क्षति															
1 अप्रैल 2015 को	-	52.21	264.78	2,988.60	19.67	21.78	69.39	79.27	7.44	11.85	-	1,210.06	13.03	384.63	**5,122.71**
शुद्ध संवहन राशि	72.96	202.49	248.48	859.20	12.32	6.47	276.61	26.84	2.52	2.29	-	131.82	–	–	**1,842.00**

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 4 : पूंजीगत चालू कार्य

(₹ करोड़ में)

	भवन (जल आपूर्ति सड़क तथा पुलिया सहित)	संयंत्र तथा उपकरण	रेलवे साइडिंग	विकास	अन्य	कुल
संवहन मूल्य						
01-04-2015 को	22.66	217.13	21.11	47.54	4.88	**313.32**
योग	52.55	291.28	34.87	70.18	19.97	**468.85**
पूंजीकरण / कमी	(37.62)	(86.43)	(3.24)	(67.83)	(19.87)	**(214.99)**
31-03-2016 को	**37.59**	**421.98**	**52.74**	**49.89**	**4.98**	**567.18**
01-04-2016 को	37.59	421.98	52.74	49.89	4.98	**567.18**
योग	50.51	242.67	36.12	122.73	18.27	**470.30**
पूंजीकरण / कमी	(67.09)	(442.03)	(8.91)	(115.60)	(20.43)	**(654.06)**
31-03-2017 को	**21.01**	**222.62**	**79.95**	**57.02**	**2.82**	**383.42**
प्रावधान तथा क्षति						
01-04-2015 को	-	-	-	-	-	**-**
वर्ष के लिए प्रभार	0.21	1.46	-	0.78	0.03	**2.48**
क्षति	-	-	-	8.33	-	**8.33**
कमी / समंजन	(0.36)	(0.50)	(0.07)	(3.65)	(0.06)	**(4.64)**
31-03-2016 को	**(0.15)**	**0.96**	**(0.07)**	**5.46**	**(0.03)**	**6.17**
01-04-2016 को	(0.15)	0.96	(0.07)	5.46	(0.03)	**6.17**
वर्ष के लिए प्रभार	-	0.04	-	-	-	**0.04**
क्षति	-	0.20	-	(4.52)	-	**(4.32)**
कमी / समंजन	(0.02)	(0.38)	(0.83)	(0.04)	0.02	**(1.25)**
31-03-2017 को	**(0.17)**	**0.82**	**(0.90)**	**0.90**	**(0.01)**	**0.64**
शुद्ध संवहन राशि						
31-03-2017 को	**21.18**	**221.80**	**80.85**	**56.12**	**2.83**	**382.78**
31-03-2016 को	**37.74**	**421.02**	**52.81**	**44.43**	**5.01**	**561.01**
01-04-2015 को	**22.66**	**217.13**	**21.11**	**47.54**	**4.88**	**313.32**
01.04.2015 को इंड ए एस तथा पिछले जीएएपी के अनुसार संवहन मूल्य का समंजन :						
संवहन मूल्य का समंजन						
1 अप्रैल 2015 को	28.58	254.09	23.74	79.76	5.86	**392.03**
संचित मूल्य ह्रास तथा क्षति						
1 अप्रैल 2015 को	5.92	36.96	2.63	32.22	0.98	**78.71**
शुद्ध संवहन राशि	**22.66**	**217.13**	**21.11**	**47.54**	**4.88**	**313.32**

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 5 : अन्वेषण तथा मूल्यांकन परिसम्पत्ति

(₹ करोड़ में)

	अन्वेषन तथा मूल्यांकन लागत
संवहन मूल्य	
01-04-2015 को	32.73
योग	59.61
पूंजीकरण / कमी	(4.57)
31-03-2016 को	**87.77**
01-04-2016 को	87.77
योग	34.25
पूंजीकरण / कमी	(4.37)
31-03-2017 को	**117.65**
प्रावधान तथा क्षति	
01-04-2015 को	-
वर्ष के लिए प्रभार	-
क्षति	-
कमी / समंजन	-
31-03-2016 को	**-**
01-04-2016 को	-
वर्ष के लिए प्रभार	-
क्षति	-
कमी / समंजन	-
31-03-2017 को	**-**
शुद्ध संवहन राशि	
31-03-2017 को	**117.65**
31-03-2016 को	**87.77**
01-04-2015 को	**32.73**

01.04.2015 को इंड ए एस तथा पिछले जीएएपी के अनुसार संवहन मूल्य का समंजन :

संवहन मूल्य का समंजन	
1 अप्रैल 2015 को	36.84
संचित मूल्य ह्रास तथा क्षति	
1 अप्रैल 2015 को	4.11
शुद्ध संवहन राशि	**32.73**

टिप्पणी : वर्ष के दौरान योग में माइनिंग लीज विहीन भूमि पर सीएमपीडीआईएल द्वारा ईसीएल के अधिकार क्षेत्र में अन्वेषण तथा भूवेधन के लिए रू 11.53 करोड़ का खर्च शामिल है ।

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 6 : अन्य अप्रत्यक्ष परिसम्पत्ति

(₹ करोड़ में)

	कम्प्यूटर साफ्टवेयर	अन्य	कुल
संवहन मूल्य			
01-04-2015 को	-	-	-
योग	-	-	-
पूंजीकरण / कमी	-	-	-
31-03-2016 को	-	-	-
01-04-2016 का	-	-	-
योग	-	-	-
पूंजीकरण / कमी	-	-	-
31-03-2017 का	-	-	-
प्रावधान तथा क्षति			
01-04-2015 को	-	-	-
वर्ष के लिए प्रभार	-	-	-
क्षति	-	-	-
कमी / समंजन	-	-	-
31-03-2016 को	-	-	-
01-04-2016 को	-	-	-
वर्ष के लिए प्रभार	-	-	-
क्षति	-	-	-
कमी / समंजन	-	-	-
31-03-2017 को	-	-	-
शुद्ध संवंन राशि			
31-03-2017 को	-	-	-
31-03-2016 को	-	-	-
01-04-2015 को	-	-	-

01.04.2015 को इंड ए एस तथा पिछले जीएएपी के अनुसार संवहन मूल्य का समंजन :

संवहन मूल्य का समंजन			
1 अप्रैल 2015 को	-	-	-
संचित मूल्य ह्रास तथा क्षति			
1 अप्रैल 2015 को	-	-	-
शुद्ध संवहन राशि	-	-	-

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 7 : निवेश

(₹ करोड़ में)

	प्रतिशत (%) होल्डिंग	शेयरों की संख्या वर्तमान वर्ष/(गत वर्ष)	प्रति शेयर पर अंकित मूल्य वर्तमान वर्ष/ (गत वर्ष)	31-03-2017 को	31-03-2016 को पुनर्कथित	01-04-2015 को पुनर्कथित
गैर वर्तमान अन्य						
(कोआपरेटिव शेयरों के रूप में)						
i) कोल माइन्स आफिसर्स कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड में बी क्लास शेयर		500	1000	0.05	0.05	0.05
ii) 1000 डी क्लास शेयर डिसरगढ़ कोलियरी वर्करस सेन्ट्रल कोआपरेटिव स्टोर लिमिटेड		1000	100	0.01	0.01	0.01
iii) 4000 शेयर रू 25/- प्रत्येक का मुगमा कोलफील्ड वर्कर्स सेन्ट्रल कोआपरेटिव स्टोर लिमिटेड		4000	25	0.01	0.01	0.01
iv) बी क्लास शेयर सोदपुर कोलियरी इम्पलाईज कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड में		500	100	0.005	0.005	0.005
v) बी क्लास शेयर धेमोमेन कोलियरी इम्प्लाइज कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड		500	100	0.005	0.005	0.005
कुल				**0.08**	**0.08**	**0.08**
गैर घोषित निवेश की कुल रकम				**0.08**	**0.08**	**0.08**
घोषित निवेश की कुल रकम				-	-	-
घोषित निवेश का बाजार मूल्य				-	-	-
निवेश के मूल्य में क्षति की कुल रकम			-	-	-	

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 7 : निवेश (जारी)

(₹ करोड़ में)

	इकाइयों की संख्या वर्तमान वर्ष/	एन ए वी (रू में) (गत वर्ष)	31-03-2017 को	31-03-2017 को (पूनर्कथित)	01-04-2015 को (पुनर्कथित)
वर्तमान					
म्युचुअल फंड में निवेश					
यूटीआईम्युचुअल फंड					
एलआई सी म्युचुअल फंड					
एसबीआई म्युचुअल फंड					
कनारा रिवेको म्युचुअल फंड					
यूनियन केबीसी म्युचुअल फंड					
बैंक आफ इंडिया एएक्सए म्युचुअल फंड					
8.5% कर मुक्त स्पेशल बांड (पूरी तरह पेड अप)					
अप	शून्य	165,000	-	-	0.03
कुल			**-**	**-**	**0.03**
घोषित निवेश की कुल रकम			-	-	0.03
गैर घोषित निवेश की कुल रकम			-	-	0.03
घोषित रकम का बाजार मूल्य			-	-	-
निवेश के मूल्य में क्षति की कुल रकम		-	-	-	

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 8 : ऋण

(₹ करोड़ में)

	31-03-2017 को		31-03-2016 को (पुनर्कथित)		01-04-2015 को (पुनर्कथित)	
गैर वर्तमान						
संबंधित पार्टियों का ऋण						
सुरक्षित, अच्छे माने गए	-		-		-	
असुरक्षित, अच्छे माने गए	-		-		-	
संदिग्ध	-		-		-	
	-		-		-	
न्यून: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-
कर्मचारियों को ऋण						
सुरक्षित, अच्छे माने गए	-		-		-	
असुरक्षित, अच्छे माने गए	0.15		0.36		0.58	
संदिग्ध	-		-		-	
	0.15		0.36		0.58	
न्यून: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	-	0.15	-	0.36	-	0.58
अन्य ऋण						
सुरक्षित, अच्छे माने गए	-		-		-	
असुरक्षित, अच्छे माने गए	-		-		-	
संदिग्ध	-		-		-	
	-		-		-	
न्यून: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-
कुल		**0.15**		**0.36**		**0.58**
वर्गीकरण						
सुरक्षित, अच्छे माने गए	-		-		-	-
असुरक्षित, अच्छे माने गए	0.15		0.36		0.58	-
संदिग्ध	-		-		-	-

	31-03-2017	31-03-2016	01-04-2015
टिप्पणी 1:			
उन कम्पनियों में बकाया जिन में कम्पनी के निदेशक भी एक निदेशक/सदस्य है			
शेष बकाया	शून्य	शून्य	शून्य
निजी एक समय अधिकतम बकाया राशि	शून्य	शून्य	शून्य
उन पार्टियों में बकाया जिनमें कम्पनी के निदेशक / निदेशकों की रूचि है			
शेष बकाया	शून्य	शून्य	शून्य
निजी एक समय अधिकतम बकाया राशि	शून्य	शून्य	शून्य

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 8 : ऋण

(₹ करोड़ में)

	31-03-2017 को	31-03-2016 को (पुनर्कथित)	01-04-2015 को (पुनर्कथित)	
गैर वर्तमान				
संबंधित पार्टियों का ऋण				
- सुरक्षित, अच्छे माने गए	-	-	-	
- असुरक्षित, अच्छे माने गए	-	-	-	
- संदिग्ध	-	-	-	
	-	-	-	
न्यून: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	-	-	-	
	-	-	-	
कर्मचारियों को ऋण				
- सुरक्षित, अच्छे माने गए	-	-	-	
- असुरक्षित, अच्छे माने गए	-	-	-	
- संदिग्ध	-	-	-	
	-	-	-	
न्यून: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	-	-	-	-
	-	-		
अन्य ऋण				
- सुरक्षित, अच्छे माने गए	-	-	-	
- असुरक्षित, अच्छे माने गए	-	-	-	
- संदिग्ध	-	-	-	
	-	-	-	
न्यून: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	-	-	-	-
	-	-		
कुल	**-**	**-**	**-**	
वर्गीकरण				
सुरक्षित, अच्छे माने गए	-	-	-	
असुरक्षित, अच्छे माने गए	-	-	-	
संदिग्ध	-	-	-	

	31-03-2017	31-03-2016	01-04-2015
टिप्पणी 1:			
उन कम्पनियों में बकाया जिन में कम्पनी के निदेशक भी एक निदेशक/सदस्य है			
शेष बकाया	शून्य	शून्य	शून्य
निजी एक समय अधिकतम बकाया राशि	शून्य	शून्य	शून्य
उन पार्टियों में बकाया जिनमें कम्पनी के निदेशक / निदेशकों की रूचि है			
शेष बकाया	शून्य	शून्य	शून्य
निजी एक समय अधिकतम बकाया राशि	शून्य	शून्य	शून्य

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 9 : अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	31-03-2017 को		31-03-2016 को (पुनर्कथित)		01-04-2015 को (पुनर्कथित)	
गैर वर्तमान						
बैंक जमा *		24.83		24.73		-
निम्नलिखित में बैंक में जमा						
माइन क्लोजर योजना **		327.24		226.49		148.06
विस्थापन तथा पुनर्वास निधि योजना		-		-		-
माइन क्लोजर योजना के लिए						
इस्को एकाउन्ट से प्राप्य		24.56		6.88		1.09
अन्य जमा	-		-		-	
न्यून: संदिग्ध जमा के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-
अन्य प्राप्तियाँ***	21.54		21.17		21.27	
न्यून: प्रावधान	4.87	16.67	4.87	16.30	4.95	16.32
कुल		**393.30**		**274.40**		**165.47**

टिप्पणियाँ :

*1. बैंक जमा में 12 महीनों से अधिक समय के लिए प्रारंभिक पूर्णता अवधि सहित बैंक में जमा शामिल है।

**2. अवधि के दौरान माधन क्लोजर इस्क्रो अकाउन्ट के अंतर्गत यूनियन बैंक आफ इंडिया में रू 83.17 करोड़ (रू 64.88 करोड़) जमा किया गया है।

**3 अवधि के दौरान माइन क्लोजर इस्क्रो एकाउन्ट के अंतर्गत ब्याज के रूप में यूनियन बैंक आफ इंडिया द्वारा रू 17.58 करोड़ (रू. 13.55 करोड़ क्रेडिट किया गया है)।

***4 अन्य प्राप्तियों में पश्चिम बंगाल सरकार से विद्युत शुल्क के लिए वापसी प्राप्त है।

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 9 : अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	31-03-2017 को		31-03-2016 को (पुनर्कथित)		01-04-2015 को (पुनर्कथित)	
वर्तमान						
कोल इंडिया लिमिटेड के पास अधिशेष निधि		-		-		-
कोल इंडिया लिमिटेड के पास शेष		73.30		-		-
चालू खाता						
सहायक कम्पनियों के साथ		-		-		-
आई आई सी एम के साथ		-		-		-
जमा व्याज						
निवेश पर	-		-		-	
बैंक जमा पर	171.52		216.08		257.35	
अन्य पर	-	171.52	-	216.08	-	257.35
अन्य जमा	22.18		18.58		5.55	
न्यून : संदिग्ध जमा के लिए प्रावधान	-	22.18	-	18.58	0.49	5.06
प्राप्य दावे	-		-		2.21	
न्यून: संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान	-	-	-	-	2.20	0.01
अन्य प्राप्तियाँ	83.51		70.52		21.79	
न्यून संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान	-	83.51	-	70.52	1.16	20.63
कुल		**350.51**		**305.18**		**283.05**

टिप्पणियाँ :

	31-03-2017	31-03-2016	01-04-2015
1. अन्य जमा में निम्नलिखित शामिल है :			
कस्टम ड्यूटी, पोर्ट चार्ज इत्यादि के लिए जमा	-	-	-
कोल इंडिया लिमिटेड के पास जमा	-	-	-
रायल्टी, सेस तथा विक्रय कर	-	-	-
अन्य	22.18	18.58	5.55
न्यून प्रावधान	-	-	0.49
	22.18	**18.58**	**5.06**
2. अन्य प्राप्तियों में शामिल है			
प्राप्य सहायता	79.44	61.15	11.88
विविध प्राप्तियाँ	4.07	9.37	9.91
न्यून: संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान	-	-	1.16
	83.51	**70.52**	**20.63**

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 10 : अन्य गैर वर्तमान परिसम्पत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	31-03-2017 को		31-03-2016 को (पुनर्कथित)		01-04-2015 को (पुनर्कथित)	
i. पूँजीगत अग्रिम						
अच्छे माने गए सुरक्षित	-		-		-	
अच्छे माने गए असुरक्षित	119.78		151.35		162.29	
संदिग्ध	1.48		1.48		3.93	
	121.26		152.83		166.22	
न्यून: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	1.48	119.78	1.48	151.35	3.93	162.29
ii. पूंजीगत अग्रिम के अतिरिक्त अग्रिम						
क) उपयोगिता के लिए सुरक्षा जमा						
अच्छे माने गए सुरक्षित	-		-		-	
अच्छे माने गए असुरक्षित	2.22		2.22		7.26	
संदिग्ध	1.52		1.52		1.52	
	3.74		3.74		8.78	
न्यून: संदिग्ध जमा के लिए प्रावधान	1.52	2.22	1.52	2.22	1.52	7.26
ख) अन्य जमा						
अच्छे माने गए सुरक्षित	-		-		-	
अच्छे माने गए असुरक्षित	0.35		2.43		0.35	
संदिग्ध	0.13		0.13		0.44	
	0.48		2.56		0.79	
न्यून: संदिग्ध जमा के लिए प्रावधान	0.13	0.35	0.13	2.43	0.44	0.35
ग) संबंधित पार्टियों को अग्रिम		-		-		-
घ) राजस्व के लिए अग्रिम						
अच्छे माने गए सुरक्षित	-		-		-	
अच्छे माने गए असुरक्षित	-		-		2.23	
संदिग्ध	-		-		0.56	
	-		-		2.79	
न्यून: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-	-	-	0.56	2.23
ङ) अन्वेषण हेतु भूवेधन कार्य	-		-		-	
न्यून: प्रावधान	-	-	-	-	-	-
कुल		**122.35**		**156.00**		**172.13**

टिप्पणियाँ :

1. सीआईएसएफ रिंग की शक्ति की वृद्धि के लिए सुरक्षा जमा के रूप में आंतरिक मामला मंत्रालय को रू 2.22 करोड़ जमा दिया गया।
2. डाक तथा तार एवं विद्युत के लिए अन्य जमा में रूपया जमा किया गया है।

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 11 : अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	31-03-2017 को		31-03-2016 को (पुनर्कथित)		01-04-2015 को (पुनर्कथित)	
राजस्व के लिए अग्रिम						
अच्छे माने गए सुरक्षित	-		-		-	
अच्छे माने गए असुरक्षित	67.53		63.92		75.21	
संदिग्ध	-		-		0.49	
	67.53		63.92		75.70	
न्यून: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	67.53	-	63.92	0.49	75.21
संवैधानिक बकाया भुगतान के लिए अग्रिम	172.91		56.15		33.41	
संबंधित पार्टियों के लिए अग्रिम	0.30	172.61	0.05	56.10	0.20	33.21
कर्मचारियों को अग्रिम		-		-		-
कर्मचारियों को अग्रिम	6.78		52.61		79.34	
न्यून: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	0.15	6.63	0.04	52.57	1.32	78.02
अग्रिम – अन्य	3.16		27.50		21.73	
न्यून: संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान	-	3.16	-	27.50	-	21.73
उपयोगिता के लिए जमा	-		-		-	
न्यून: प्रावधान	-	-	-	-	-	-
जमा – अन्य	-		-		-	
न्यून: प्रावधान	-	-	-	-	-	-
सीईएनवीएटी उधार प्राप्य		46.13		35.72		57.31
एमएटी उधार योग्यता		-		-		174.62
पूर्व ग्रस्त खर्च		2.64		3.35		0.39
कुल		**298.70**		**239.16**		**440.49**

	31-03-2017	31-03-2016	01-04-2015
टिप्पणी 1:			
उन कम्पनियों में बकाया जिन में कम्पनी के निदेशक भी एक निदेशक/सदस्य है			
शेष बकाया	शून्य	शून्य	शून्य
निजी एक समय अधिकतम बकाया राशि	शून्य	शून्य	शून्य
उन पार्टियों में बकाया जिनमें कम्पनी के निदेशक / निदेशकों की रूचि है			
शेष बकाया	शून्य	शून्य	शून्य
निजी एक समय अधिकतम बकाया राशि	शून्य	शून्य	शून्य

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 12 : सम्पत्ति सूची यथा प्रबंधन द्वारा संग्रहित, मूल्यांकित तथा प्रमाणित

(₹ करोड़ में)

	31-03-2017 को		31-03-2016 को (पुनर्कथित)		01-04-2015 को (पुनर्कथित)	
कोयला का स्टाक	414.79		570.74		386.00	
न्यून: प्रावधान	1.76		1.76		1.76	
कोयला का स्टाक (शुद्ध) (क)		413.03		568.98		384.24
भंडार तथा अतिरिक्त पुर्जो का स्टाक (लागत पर)	207.58		210.50		188.06	
योग : मार्गस्थ भंडार	8.94		7.03		0.34	
न्यून: प्रावधान	42.84		40.40		38.81	
भंडार तथा अतिरिक्त पुर्जों का शुद्ध स्टाक (लागत पर) (ख)		173.68		177.13		149.59
सेन्ट्रल अस्पताल में दवा का स्टाक (ग)		0.90		0.92		0.81
कर्मशाला कार्य						
चालू कार्य प्रभति पर तथा तैयार माल	15.81		17.30		16.50	
न्यून: प्रावधान	0.12		0.12		0.12	
कार्यशाला कार्य का शुद्ध स्टाक (घ)		15.69		17.18		16.38
प्रेस कार्य						
चालू कार्य प्रगति पर तथा तैयार माल (ङ)		-		-		-
कुल (क + ख + ग + घ + ङ)		**603.30**		**764.21**		**551.02**

टिप्पणियाँ :

1. मूल्यांकन का तरीका

क) कोयला का स्टाक : कोयला / कोक के स्टाक की सूची न्यून लागत तथा वसूली योग मूल्य पर ली गई है। पहले ऑए पहले जाँए आधार पर वस्तुसूची की लागत की गणना की गई है। शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, वस्तुसूची के लिए आकलित विक्रय मूल्य में समस्त पूर्णता लागत तथा विक्रय योग्य बनाने के लिए किए गए लागत को घटाकर तय किया गया है।

ख) भंडार सामग्री तथा अतिरिक्त पुरजे : केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय भंडार में भंडार सामग्री तथा अतिरिक्त पुरजों का स्टाक (जिसमें खुले औजार शामिल है) भंडार सामग्री के लेजर में उनके अंक्ति मूल्य पर आधारित है तथा वेटेड औसत प्रणाली के आधार पर उनका मूल्यांकन किया गया है।

ग) अन्य वस्तुसूची : कर्मशाला कार्य में लागत पर आधारित चालू कार्य प्रगति पर शामिल है। प्रेस कार्य का स्टाक (चालू कार्य प्रगति पर सहित) तथा मुद्रणालय में स्टेशनरी तथा केन्द्रीय चिकिस्तालय मे दवा का मूल्य लागत के आधार पर किया गया है।

2. केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय भंडार में अंतिम शेष का मूल्यांकन वेटेड औसत मूल्य पर आधारित है । अवधि के अंत में रू. 42.84 करोड़ (रू. 40.40 करोड़) के प्रावधान में निम्नलिखित शामिल है।

क) अनुपयोगी अतिग्रस्त तथा पुरानी भंडार सामग्री के लिए प्रावधान रू. 10.47 करोड़ (रू. 10.47 करोड़)

ख) निष्क्रिय भंडार सामग्री तथा अतिरिक्त पुरजों के लिए प्रावधान: रू. 32.37 करोड़ (29.93 करोड़)

3. राजमहल ओ.सी.पी. में 2007-08 में कोयला स्टॅाक में रू. 63.58 करोड़ के 19.54 लाख टन कोयला की कमी की जाँच सीबीआई धनबाद द्वारा 2010-2011 में पूरी की ली गई। इसकी रिपोर्ट कोल इंडिया अध्यक्ष को सूचना तथा सतर्कता विभाग के द्वारा सीबीआई के आदेशानुसार दोषी अधिकारियों पर कारवाई करने के लिए भेज दी गई है। आदेश पर निर्णय अभीभी प्राप्त नहीं हुई है।

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

31.03.2017 को पुस्तकीय स्टाक के साथ लेखा में अंगीकृत कोयला के अंतिम स्टाक का सामंगस्य

संलग्नक टिप्पणी - 12(1) का

पुस्तकीय स्टॉक तथा मापे गए स्टॉक का सामंजस्य

(मात्रा लाख टन में) (मूल्य करोड़ में)

	कुल स्टाक		विक्रंय अयोग्य स्टॉक		विक्रय योग्य स्टॉक	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
01.04.16 को आरंभिक स्टाक	55.25	570.74	4.71	-	50.54	570.74
योग/न्यून आरंभिक स्टॉक में समंजन	(4.71)	-	(4.71)	-	-	-
01.04.2016 को समंजित प्रारंभिक स्टॉक	**50.54**	**570.74**	**-**	**-**	**50.54**	**570.74**
2. अवधि में उत्पादन	405.17	-	-		405.17	-
3. उप योग (1 + 2)	**455.71**	**570.74**	**-**	**-**	**455.71**	**570.74**
4. अवधि में आफटेक :						
क. बाहरी प्रेषण	428.08	9,515.12	-	-	428.08	9,515.12
ख. वासरी को कोयला आपूर्ति	-	-	-	-	-	-
ग. आंतरिक उपयोग	2.08	63.35	-	-	2.08	63.35
कुल	**430.16**	**9,578.47**	**-**	**-**	**430.16**	**9,578.47**
5. प्राप्त स्टॉक	25.55	414.56	-	-	25.55	414.56
6. मापा गया स्टॉक	25.07	406.80	-	-	25.07	406.80
7. भिन्नता (5 - 6)	0.48	7.76	-	-	0.48	7.76
8. भिन्नता ब्रेक अप :						
क. 5% के भीतर भिन्नता	0.05	0.68	-	-	0.05	0.68
ख. 5% के भीतर कमी	0.53	8.44	-	-	0.53	8.44
c. 5% से अधिक अधिकता	-	-	-	-	-	-
d. 5% से अधिक कमी	-	-	-	-	-	-
9. लेखा में अंगीकृत अंतिम स्टॉक [6 - 8(क) + 8(ख)]	**25.55**	**414.56**	**-**	**-**	**25.55**	**414.56**

कोयला के अंतिम स्टॉक का सारांश

	कच्चा कोयला				धुला कोयला				अन्य उत्पादन		कुल	
	कोकिंग		गैर कोकिंग		कोकिंग		गैर कोकिंग					
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
आरंभिक स्टॉक (लेखा परीक्षित)	-	-	50.54	570.74	-	-	-	-	-	-	570.74	570.74
न्यून : विक्रय अयोग्य कोयला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समंजन: प्रारंभिक स्टॉक (विक्रय योग्य)	-	-	50.54	570.74	-	-	-	-	-	-	570.74	570.74
उत्पादन	-	-	405.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
आफटेक												
क) बाहरी प्रेषण	-	-	428.08	9515.12	-	-	-	-	-	-	9515.12	9515.12
ख) वासरी को कोयला आपूर्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) आंतरिक उपभोग	-	-	2.08	63.35	-	-	-	-	-	-	63.35	63.35
अंतिम स्टॉक	-	-	25.55	414.56	-	-	-	-	-	-	414.56	414.56
न्यून: कमी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2017 को अंतिम स्टॉक (टिप्पणी-12)	-	-	25.55	414.56	-	-	-	-	-	-	414.56	414.56
न्यून : जब्त कोयला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2017 को अंतिम स्टॉक (टिप्पणी-27)	-	-	25.55	414.56	-	-	-	-	-	-	414.56	414.56

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 13 : व्यापारिक प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	31-03-2017 को		31-03-2016 को (पुनर्कथित)		01-04-2015 को (पुनर्कथित)	
वर्तमान						
व्यापारिक प्राप्तियाँ						
अच्छे माने गए सुरक्षित	-		-		-	
अच्छे माने गए असुरक्षित	1,607.49		1,955.53		1,426.88	
संदिग्ध	371.10		518.17		463.14	
	1,978.59		2,473.70		1,890.02	
न्यून: बुरे तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	371.10	1,607.49	518.17	1,955.53	463.14	1,426.88
Total		**1,607.49**		**1,955.53**		**1,426.88**

	31-03-2017	31-03-2016	01-04-2015
टिप्पणी :			
1. उन कम्पनियों में बकाया जिन में कम्पनी के निदेशक भी एक निदेशक/सदस्य है			
शेष बकाया	शून्य	शून्य	शून्य
निजी एक समय अधिकतम बकाया राशि	शून्य	शून्य	शून्य
2. उन पार्टियों में बकाया जिनमें कम्पनी के निदेशक / निदेशकों की रूचि है			
शेष बकाया	शून्य	शून्य	शून्य
निजी एक समय अधिकतम बकाया राशि	शून्य	शून्य	शून्य
3. प्रावधान का विवरण निम्नलिखित है–			
प्रारंभिक प्रावधान	518.17	463.14	423.70
न्यून: प्रारंभिक ऋणदाताओं के लिए तय / बट्टे खाते डाले गए/समंजित	-	33.87	-
योग : वर्ष के दौरान नए प्रावधान	40.09	142.48	90.23
न्यून: प्रारंभिक प्रावधान से वापस लिखित	187.16	53.58	50.79
अंतिम शेष	**371.10**	**518.17**	**463.14**

4. विविध ऋणदाताओं के लिए प्रावधान अपेक्षित उधार हानि मॉडल पर आधारित है।
5. अवधि के दौरान ग्रेड स्लीपेज के लिए रू. 257.44 करोड़ (रू. 115.87 करोड़) की राशि का समंजन सामंजस्य / तयसुदा तथा पार्टियों का क्रेडिट नोट जारी कर दिया गया है।

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 13 : व्यापारिक प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	31-03-2017 को	31-03-2016 को (पुनर्कथित)	01-04-2015 को (पुनर्कथित)
बैंकों में जमा			
जमा खाते में	583.79	331.93	318.28
चालू खाते में	153.65	137.53	219.09
नगद आधार खाते में	-	-	-
भारत के बाहर बैंक में जमा	-	-	-
हस्तगत, चेक, ड्राफ्ट तथा स्टाम्प	-	121.01	0.83
हस्तगत नगद	-	0.61	0.57
हस्तगत नगद, भारत के बाहर	-	-	-
अन्य	-	-	-
कुल नगद तथा नगद समतुल्य	**737.44**	**591.08**	**538.77**
न्यून : बैंक ओवर ड्राफ्ट	-	-	-
कुल नगद तथा नगद समतुल्य (बैंक ओवर ड्राप्ट का शुद्ध)	**737.44**	**591.08**	**538.77**

टिप्पणी 1: भारत सरकार द्वारा 30 मार्च 2017 को जारी नोटीफिकेशन से जीएसआर 308 (ई) (एफ. सं. 17) –62/2015-सीएल–वी–(भाग–I) के अनुसार प्रकटीकरण।

	एसबीएनगण	नोटों का अन्य विवरण	कुल
08-11-2016 को हस्तगत अंतिम नगद	**4,790,000.00**	**1,344,887.53**	**6,134,887.53**
योग : स्वीकृत प्राप्तियाँ	832,500.00	6,072,386.20	6,904,886.20
न्यून : स्वीकृत भुगतान	95,000.00	4,564,427.88	4,659,427.88
न्यून : बैंकों में जमा राशि	5,527,500.00	459,411.94	5,986,911.94
30-12-2016 को हस्तगत अंतिम नगद	**-**	**2,393,433.91**	**2,393,433.91**

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 15 : अन्य बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

	31-03-2017 को	31-03-2016 को (पुनर्कथित)	01-04-2015 को (पुनर्कथित)
बैंकों में जमा राशि			
जमा राशि	3,228.64	3,432.06	3,877.05
माइन क्लोजर योजना	-	-	-
स्थानांतरण तथा पुनर्वास निधि योजना	-	-	-
अनपेड डिविडेंट राशि	-	-	-
डिविडेंट राशि	-	-	-
कुल	**3,228.64**	**3,432.06**	**3,877.05**

टिप्पणी :

1. बैंकों में जमा राशि 3 महीने से अधिक परन्तु 12 महीनों से कम की परिपक्वता के लिए है।

टिप्पणी : 16 : इक्विटी तथा शेयर पूँजी

(₹ करोड़ में)

	31-03-2017 को	31-03-2016 को (पुनर्कथित)	01-04-2015 को (पुनर्कथित)
अधिकृत			
25000000 इक्विटी शेयर रू. 1000/- प्रत्येक	2,500.00	2,500.00	2,500.00
	2,500.00	**2,500.00**	**2,500.00**
जारी, अनुमोदन तथा प्रदत्त			
10390000 इक्विटी शेयर रू.1000/- प्रत्येक नगद रूप में पूर्णत: प्रदत्त	1,039.00	1,039.00	1,039.00
11794500 इक्विटी शेयर रू 1000/- प्रत्येक आवंटित तथा पूर्णत: प्रदत्त नगद के अतिरिक्त प्राप्त भुगतान	1,179.45	1,179.45	1,179.45
	2,218.45	**2,218.45**	**2,218.45**

टिप्पणी :

1. प्रत्येक शेयर होल्डर द्वारा होल्डिंग में 5% से अधिक शेयर रखे गए कम्पनी में शेयरों की संख्या

शेयर होल्डर का नाम	रखे गए शेयरों की संख्या (रू 1000 प्रत्येक के अंकित कूल्य वाले)	कुल शेयर के प्रतिशत
कोल इंडिया लिमिटेड इक्विटी शेयर	22184500	100%

2. अवधि के दौरान इक्विटी शेयरों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 17 : अन्य बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

	प्रीफरेंस शेयर पूंजी का इक्विटी अंश	अन्य संचय				सामान्य संचय	सुरक्षित आय	कुल
		पूंजीगत पूनर्लाभ संचय	पूंजीगत संचय	सीएसआर संचय	पोषणीय संचय			
01-04-2015 को शेष	**855.61**	-	-	-	-	**832.71**	**(3,548.71)**	**(1,860.39)**
लेखांकन नीति में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	(3.20)	(3.20)
पूर्वावधि भूलें	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.2015 को पुनर्कथित शेष	**855.61**	-	-	-	-	**832.71**	**(3,551.91)**	**(1,863.59)**
सुरक्षित बचत को स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य संचय / सुरक्षित संचय से स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंतर्गत कुल विस्तृत आय	-	-	-	-	-	-	790.67	790.67
विनियोग								
सामान्य संचय को स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य संचय को स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-
अंतरिम डिविडेंट	-	-	-	-	-	-	-	-
अंतरिम डिविडेंट	-	-	-	-	-	-	-	-
सामूहिक डिविडेंट कर	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य कोई परिवर्तन उल्लेख करें	-	-	-	-	-	-	-	-
31-03-2016 को शेष	**855.61**	-	-	-	-	**832.71**	**(2,761.24)**	**(1,072.92)**
01.04.2016 को शेष	**855.61**	-	-	-	-	**832.71**	**(2,761.24)**	**(1,072.92)**
वर्ष के दौरान योग	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समंजन	-	-	-	-	-	-	-	-
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्वावधि भूलें	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.2016 को पूर्वकिक्षित शेष	**855.61**	-	-	-	-	**832.71**	**(2,761.24)**	**(1,072.92)**
सुरक्षित संचय को स्थानांतरित	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य संचय / सुरक्षित संचय से स्थानांतरित	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान कुल विस्तृत आय	-	-	-	-	-	-	20.77	20.77
विनियोग								
सामान्य संचय को स्थानातंरण	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य संचय को स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-
अंतरिक डिविडेंट	-	-	-	-	-	-	-	-
अंतिम डिविडेंट	-	-	-	-	-	-	-	-
सामूहिक डिविडेट कर	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य कोई परिवर्तन (उल्लेख करों)	-	-	-	-	-	-	-	-
31-03-2017 को शेष	**855.61**	-	-	-	-	**832.71**	**(2,740.47)**	**(1,052.15)**

Notes:

		31-03-2017	31-03-2016	01-04-2015
1.	प्रीफरेंस शेयर पूंजी की अधिकृत शेयर पूंजी 6% अपरिवर्तनीय सकल, बिमोचन योग्य रू 1000/- प्रत्येक की 21000000	2,100.00	2,100.00	2,100.00

2. वर्ष के दौरान प्रीफरेंस शेयर की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ
3. वित्त वर्ष 2014-15 में कोल इंडिया लिमिटेड (होल्डिंग कम्पनी) को प्रीफरेंस शेयर जारी किया गया।
4. प्रीफरेंस शेंयर एर कम्माउन्ड दस्तावेज इक्विटी तथा लम्बी अवधि उधार में अलग अलग किया हुआ है। प्रीफरेंस शेयर पूंजी नगद प्रवाह के वर्तमान मूल्य की गणना 8% प्रति वर्ष छूट दर लागू कर दी जाती है। नगद प्रवाह के वर्तमान मूल्य की गणना लम्बी अवधि के उधार (रू 1195.36 करोड़ 26.12.2014 को) तथा वर्तमान प्रीफरेंश शेयर मूल्य एवं लम्बी अवधि के उधार (रू. 2050.97 करोड़ – रू 1195.36 करोड़ = रू 855.61 करोड़) के अन्तर के नए को प्रीफरेंस शेयर 26.12.2014 को में लेकर किया गया है।

टिप्पणी : 18 : उधार

(₹ करोड़ में)

	31-03-2017 को	31-03-2016 को (पुनर्कथित)	01-04-2015 को (पुनर्कथित)
अवर्तमान			
सावधि ऋण			
बैंक से	-	-	-
अन्य पार्टियों से			
निर्यात विकास कार्पोरेशन, कनाडा	161.01	168.00	164.33
कम्पाउन्ड वित्तीय दस्तावेज (प्रीफरेंस शेयर) की देयता	1,423.30	1,317.87	1,220.25
अन्य ऋण	-	-	-
कुल	**1,584.31**	**1,485.87**	**1,384.58**
वर्गीकरण 1			
सुरक्षित	-	-	-
असुरक्षित	1,584.31	1,485.87	1,384.58

वर्गीकरण 2

निर्देशकों तथा अन्य द्वारा जमानती ऋण

ऋण का विवरण	**रकम (₹ करोड़)**	**Nature of Guarantee**
निर्यात विकास कार्पोरेशन, कनाडा	161.01	GOI

टिप्पणी :

1. निर्यात विकास कोर्पोरेशन कनाडा से असुरक्षित ऋण के सम्बन्ध में विनिमय दरी रू 0.55 करोड़ (रू 10.14 करोड़) भिन्नता पर लाभ की असुरक्षित ऋण के मूल्य तथा अन्य आय (टिप्पणी–25) में तरसंबंधी प्रभाव में समंजित किया गया है।
2. पुनर्भुगतान अनुसूची : ईडीसी कनाडा, से ऋण की किस्त का पुनर्भुगतान अर्धवार्षिक आधार यथा जनवरी 31 तथा जुलाई 31 पर किया गया है।
3. अवधि के दौरान रू 6.39 करोड़ (रू 6.21 करोड़) के विदेशी ऋण का पुनर्भुगतान कोल इंडिया लिमिटेड द्वार किया गया है।
4. प्रीफरेंस शेंयर एर कम्माउन्ड दस्तावेज इक्विटी तथा लम्बी अवधि उधार में अलग अलग किया हुआ है। प्रीफरेंस शेयर पूंजी नगद प्रवाह के वर्तमान मूल्य की गणना 8% प्रति वर्ष छूट दर लागू कर दी जाती है। नगद प्रवाह के वर्तमान मूल्य की गणना लम्बी अवधि के उधार (रू 1195.36 करोड़ 26.12.2014 को) तथा वर्तमान प्रीफरेंश शेयर मूल्य एवं लम्बी अवधि के उधार (रू. 2050.97 करोड़ – रू 1195.36 करोड़ = रू 855.61 करोड़) के अन्तर के नए को प्रीफरेंस शेयर 26.12.2014 को में लेकर किया गया है।

वर्तमान			
मांग पर पुनर्देय ऋण	-	-	-
बैंक से	-	-	-
अन्य पार्टियों से	-	-	-
अन्य ऋण	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**
वर्गीकरण			
सुरक्षित	-	-	-
असुरक्षित	-	-	-

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 19 : व्यापारिक देय

(₹ करोड़ में)

	31-03-2017 को	31-03-2016 को (पुनर्कथित)	01-04-2015 को (पुनर्कथित)
वर्तमान			
माईक्रो, छोटे तथा मध्यम उद्यमों को देय व्यापार	-	-	-
अन्य व्यापारिक देयतायें			
भंडार तथा पुर्जे	70.79	70.13	72.56
विद्युत तथा इंधन	34.28	58.27	55.79
अन्य	-	-	-
कुल	**105.07**	**128.40**	**128.35**

टिप्पणी : 20 : अन्य वित्तीय देयतायें

(₹ करोड़ में)

	31-03-2017 को	31-03-2016 को (पुनर्कथित)	01-04-2015 को (पुनर्कथित)
अवर्तमान			
सुरक्षित जमा	24.53	27.04	17.56
प्रारंभिक जमा	-	-	-
अन्य	1.38	1.38	1.38
कुल	**25.91**	**28.42**	**18.94**
टिप्पणी :			
1. अन्य में शामिल हैं	**31-03-2017**	**31-03-2016**	**01.04.2015**
सरकारी निधि से जमा	0.25	0.25	0.25
डीपीएससी (इंडिया पावर लिमिटेड) से अवरोधन मुद्रा	1.13	1.13	1.13
	1.38	**1.38**	**1.38**
वर्तमान			
सहायक अंगों से सरप्लस निधि	-	-	-
चालू खाता			
कोल इंडिया लिमिटेड से	-	215.17	129.01
आई आई सी एम से	-	-	-
लम्बी अवधि के ऋण की वर्तमान परिपक्वता	6.19	6.14	5.88
अप्रदत्त लाभांश (डिविडेंट)	-	-	-
सुरक्षित जमा	126.73	111.00	90.52
प्रारंभिक जमा	63.30	51.07	49.37
अन्य	-	-	-
कुल	**196.22**	**383.38**	**274.78**

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 21 : प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	31-03-2017 को	31-03-2016 को (पुनर्कथित)	01-04-2015 को (पुनर्कथित)
अवर्तनीय			
कर्मचारियों की सुविधायें			
उपदान (ग्रैच्युइटी)	-	-	-
छुट्टी भुनाना (लीव इनकैसमेंट)	258.29	475.54	499.71
कर्मचारी की अन्य सुविधायें	142.79	138.04	155.86
कार्य स्थल पुन:स्थापन प्रावधान	521.87	433.91	402.98
स्ट्रीपिंग गतिविधि समंजन	1,724.09	1,773.46	1,785.17
अन्य (सेवानिवृति के बाद चिकित्सा सुविधा)	142.88	127.30	141.59
कुल	**2,789.92**	**2,948.25**	**2,985.31**

टिप्पणी :

1. कार्य अवधि के अंत में कर्मचारियों के लिए उपदान (ग्रेच्युइटी) की देयता, छुट्टी भुनाना (लीव इनकैशमेंट) सेवा निवृति के बाद चिकित्सा सुविधा तथा खान दुर्घटना में मृत्यु इत्यादि होने पर आश्रितों को क्षतिपूर्ति, छुट्टी यात्रा भता (एलटीसी) समूह निजी दुर्घटना बीमा (ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस) जैसी सुविधाओं का मूल्यांकन वास्तविक आधार पर किया जाता है।
2. लम्बी अवधि के उपदान (ग्रैच्युइटी) के लिए प्रावधान ग्रैच्युइटी ट्रस्ट निधि में शेष रू 2354.55 करोड़ (रू 2274.80) करोड़ के समंजन के बाद है।
3. लम्बी अवधि की छुट्टी के भुगतान के लिए प्रावधान लीव इनकैसमेंट निधि में जीवन बीमा निगन में शेष रू. 378.62 करोड़ (रू 5.02 करोड़) के समंजन के बाद है।

4. कर्मचारियों के लिए अन्य सुविधाओं में शामिल है –

जीवन रक्षा योजना (लाइफ कवर स्कीम)	18.11	17.59	18.31
एलटीसी / एलएलटीसी	44.64	43.33	34.94
सेटलमेंट भत्ता	39.55	36.12	58.89
समूह दुर्घटना बीमा (ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस)	0.14	0.14	0.15
खानों में जानलेवा दुर्घटना सुविधा	40.35	40.86	43.57
	142.79	**138.04**	**155.86**

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 21 : प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	31-03-2017 को	31-03-2016 को (पुनर्कथित)	01-04-2015 को (पुनर्कथित)
वर्तमान			
कर्मचारियों की सुविधायें			
उपदान (ग्रैच्युइटी)	9.83	64.42	331.40
छुट्टी भुनाना (लीव इनकैसमेंट)	81.58	73.71	73.60
अनुग्रह राशि (एक्स ग्रैसिया)	354.28	316.74	261.78
पीआरपी (पारफार्मेंस रिलेटेड पे)	144.26	332.95	330.29
कर्मचारियों की अन्य सुविधायें	269.84	244.63	213.85
एन सी डब्ल्यू ए -X	453.04	-	-
अधिकारियों के वेतन का संशोधन	12.51	-	-
कार्यस्थल का पुन: स्थापन प्रावधान	-	-	-
स्ट्रीपिंग गतिविधि समंजन	-	-	-
कोयला के अंतिम स्टॉक पर उत्पाद कर	35.29	57.49	26.14
अन्य (जब्त कोयला) के लिए प्रावधान	1.47	1.79	2.58
कुल	**1,362.10**	**1,091.73**	**1,239.64**

टिप्पणी :

1. लघु अवधि के ग्रेच्युइटी के लिए प्रावधान में ग्रैच्युइटी ट्रस्ट निधि के शेष रू 310.70 करोड़ (रू 295.74 करोड़) के समंजन के बाद है।
2. कर्मचारियों के लिए अन्य सुविधाओं में शामिल है

अधिकारियों के लिए पेंशन (3%)	63.12	55.28	45.21
अधिकारियों के लिए सेवा निवृत्ति सुविधा (6.84%)	143.92	126.04	103.07
कोयला खान बोनस	50.70	51.18	52.58
प्रोत्साहन राशि	0.35	1.04	0.92
जीवन रक्षा योजना	7.69	7.57	6.96
आखिरी (टर्मिनल) सुविधा	0.09	1.19	0.48
एलटीसी / एलएलटीसी के लिए बकाया देयता	2.92	2.07	3.57
अन्य	1.05	0.26	1.06
	269.84	**244.63**	**213.85**

3. राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता (एनसीडब्ल्यूए) X का निर्धारण विचाराधीन होते हुए, कर्मचारियों के लिए प्रति कर्मचारी (गैर अधिकारी) प्रति माह रू 8000.00 का एकमुशा प्रावधान किया गया है। 01.07.2016 से 31.03.2017 की अवधि के लिए वेतन तथा मजदूरी (कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान सहित) अन्य कर्मचारी सुविधायें तथा सेवानिवृति सुविधा यथा ग्रैच्युटी इत्यादि सहित कुल वृद्धि के प्रभाव के लिए रू 453.25 करोड़ का प्रावधान किया गया है तथा टिप्पणी 28 में एवं एमसीडब्ल्यूए में उपर दिखाया गया है।

टिप्पणी 2 : अधिकारियों के लिए सार्वजनिक उपक्रमों के एक मुक्त राशि रू. 18000.00 प्रति कर्मचारी (अधिकारी) प्रति माह का प्रावधान दिया गया है। जो 01.01.2017 से 31.03.2017 की अवधि में अधिकारियों के वेतन (भविष्य निधि अंशदान सहित) अन्य कर्मचारी सुविधा तथा सेवानिवृति लाभ यथा ग्रैच्युइटी इत्यादि के लिए रू 12.51 करोड़ है जिसे अधिकारी वेतन पुनरीक्षण में ऊपर तथा टिप्पणी 28 मे दिखाया गया है।

टिप्पणी : 22 : अन्य गैर वर्तमान देयतायें

(₹ करोड़ में)

	31-03-2017 को	31-03-2016 को (पुनर्कथित)	01-04-2015 को (पुनर्कथित)
स्थानांतरण तथा पुनर्वास निधि			
(सिफ्टिंग एन्ड रिहैविलेशन फंड)			
प्रारम्भिक शेष	-	-	-
योग: निधि के निवेश से व्याज (टीडीएस का शुद्ध)	-	-	-
योग : प्राप्त अंशदान	-	-	-
न्यून: वर्ष के दौरान अनुषंगी कम्पनियों को जारी राशि	-	-	-
	-	-	-
स्वीकृत आय (डेफर्ड इनकम)	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 23 : अन्य वर्तमान देयतायें

(₹ करोड़ में)

	31-03-2017 को	31-03-2016 को (पुनर्कथित)	01-04-2015 को (पुनर्कथित)
पूंजीगत खर्च	61.29	91.19	71.59
वेतन, मजदूरी तथा भत्ता के लिए देयता	342.72	307.80	298.43
संवैधानिक बकाया :			
विक्रय कर / वेट	-	-	3.00
भविष्य निधि तथा अन्य	79.16	87.49	68.10
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	6.08	-	0.32
कोयला पर रॉयल्टी तथा सेस	5.94	36.56	42.11
राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट	0.52	0.16	-
जिला खनिज फाउडेंसन	4.38	3.59	-
स्टोइंग उत्पाद कर	11.14	11.53	11.36
स्वच्छ ऊर्जा उपकर	264.01	233.19	98.16
अन्य संवैधानिक देयतायें (लेवी)	39.71	44.93	42.20
स्रोत पर आयकर की कटौती / संग्रह	22.73	35.24	47.00
कोयला निर्यात के लिए अग्रिम	-	-	-
ग्राहकों/अन्य से अग्रिम	342.68	283.66	526.00
सेस समानीकरण लेखा	1,627.86	1,521.54	1,410.51
अन्य देयतायें	802.27	670.06	513.70
कुल	**3,610.49**	**3,326.94**	**3,132.48**

टीप्पणी **1:-** कोयला धारित भूमि पर आधारित गत दो वर्षों के उत्पादन के अनुसार प्रत्येक वर्ष एक अप्रैल को मूल्य दर के अनुसार कोयला प्रेषण पर प्रत्येक गत वर्ष 31 मार्च को कोयला के विक्रय मूल्य पर क्रेताओं के वसूली गए सेस का भुगतान किया जाता है। शेष उपलब्ध राशि रू. 1627.86 करोड़ (रू 1521.54 करोड़) उपकर समानीकरण लेखा (सेस इक्विलाइजेशन एकाउन्ट) में दिखाया गया है।

टिप्पणी 3. अन्य का विवरण

विलम्ब शुल्क	1.53	0.28	0.20
श्रमिकों को क्षतिपूर्ति	0.20	0.31	0.21
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक	1.56	1.44	0.60
सुरक्षा खर्च	11.67	9.09	9.45
अन्य वेतनपर्ची कटौती	33.44	43.73	42.90
ठेकेदार के लिए बकाया देयता	154.29	151.22	101.98
ठेकेदार के लिए बकाया देयता	303.75	250.87	155.56
मरम्मत के लिए देयता	92.29	54.33	43.68
पूंजी के लिए बकाया देयता	110.55	61.44	45.72
अनुपयुक्त अनुदान : पूंजीगत	27.83	27.83	27.83
जमा	1.95	1.93	2.73
सी आई एस पी ए	1.01	1.00	0.90
अन्य	62.20	66.59	81.94
कुल	**802.27**	**670.06**	**513.70**

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 24 : संचालन से राजस्व

(₹ करोड़ में)

		31.03.2017 को		31.03.2016 को	
I.	कोयला का विक्रय		14,717.53		13,514.18
	न्यून : अन्य संवैधानिक वसूली				
	रॉयल्टी	376.88		326.69	
	कोयला पर सेस	1,756.02		1,655.26	
	स्टोइंग उत्पाद शुल्क	42.80		38.38	
	केन्द्रीय विक्रय कर	189.56		167.22	
	स्वच्छ ऊर्जा सेस	1,712.31		849.33	
	राज्य विक्रय पर / वैट	242.48		237.95	
	राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट	7.52		3.34	
	जिला खनिज फाउन्डेसन	234.79		3.59	
	अन्य वसूली	13.99		12.97	
	कुल		**4,576.35**		**3,294.73**
	विक्रय (शुद्ध) (क)		**10,141.18**		**10,219.45**
II.	**अन्य संचालन राजस्व**				
	कोयला आयात के लिए सरलीकरण प्रभार		-		-
	बालू स्टोइंग तथा प्रतिरत्रक्षा कार्य के लिए सहायता		91.41		84.75
	लदान तथा अतिरिक्त परिवहन प्रभार	236.90		189.68	
	न्यून अन्य संवैधानिक वसूली	7.12	229.78	5.59	184.09
	अन्य संचालन राजस्व (शुद्ध) (ख)		**321.19**		**268.84**
	संचालन से राजस्व (क + ख)		**10,462.37**		**10,488.29**

टिप्पणी:

1) ग्रेड स्लीपेज के लिए पार्टियों को जारी / जारी की जा रही क्रेडिट नोट के आधार पर रू 257.44 करोड़ (रू 115.87 करोड़) के ग्रेड स्लीपेज हेड घटाकर शुद्ध विक्रय है।

2) विक्रय में ई आक्सन मात्रा 21.90 लाख रू (18.27 लाख टन) तथा ई–ऑक्सन लाभ रू 178.73 करोड़ (रू 154.65 करोड़) शामिल है।

3) विक्रय में एम ओ यू मात्रा 16.97 लाख टन (13.13 लाख टन) तथा एम ओ यू लाभ रू 14.15 करोड़ (रू 180.99 करोड़) शामिल है।

4) विक्रय में रू 67.83 करोड़ (रू 230.58 करोड़) की प्रोत्साहन राशि विभिन्न विद्युत क्षेत्रों के प्रेषण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इंधन आपूर्ति समझौता के अधीन शामिल है।

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 25 : अन्य आय

(₹ करोड़ में)

	31-03-2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2016 को समाप्त वर्ष के लिए
आंतरिक आय		
अन्य से आय		
बैंको में जमा से	267.49	361.54
निवेश	-	-
ऋण	0.07	0.11
समूहों में निहित निधि	-	-
अन्य	17.66	16.68
डिविडेंट आय		
अनुषंगी इकाइयों मे निवेश	-	-
म्युचुअल फंड में निवेश	-	-
अन्य गैर संचालन आय		
परिसम्पत्ति के विक्रय पर आय	0.02	0.31
विदेशी विनिमय लेनदेन पर लाभ	0.55	-
विनिमय दर में भिन्नता	-	-
लीज किराया	-	-
बट्टे के लिए प्रावधान / देयता	44.15	35.71
स्टॉक में कर्मी के पर उत्पाद शुल्क	28.67	-
विविध आय	107.33	104.47
कुल	**465.94**	**518.82**

टिप्पणी :

1. **विविध आय का विवरण**

रेलवे से दावा	-	0.42
कर्मचारियों तथा अन्य से वसूली	0.39	0.22
कर्मचारियों से प्राप्त किराया	2.76	2.31
प्राप्त छूट	0.52	0.45
बाहरी लोगों से प्राप्त किराया	0.77	1.13
निविदा शुल्क	0.26	0.54
कबाड़ (स्क्रैप) की बिक्री	0.57	1.41
स्कूल बस के भाड़े की वसूली	0.52	0.43
तरलता (लिक्विडिटी) की हानि	5.95	9.11
दण्ड वसूली	6.48	0.58
एफ एस ए की अधीन क्षति पूर्ति	50.78	56.61
अन्य	6.72	4.67
साइलो प्रभार	31.60	26.59
कुल	**107.33**	**104.47**

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 26 : उपयुक्त वस्तुओं की लागत

(₹ करोड़ में)

	31-03-2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2016 को समाप्त वर्ष के लिए
विस्फोटक	169.64	157.77
लकड़ी	5.96	5.40
तेल तथा चिकनाई	228.62	227.87
एछईएमएम पुरजे	108.19	141.51
अन्य उपभोग योग्य भंडार सामग्री	180.84	206.05
कुल	**693.25**	**738.60**

टिप्पणी : 27 : तैयार माल, चालू कार्य प्रगति पर तथा व्यापार में स्टॉक की सूची में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

	31-03-2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2016 को समाप्त वर्ष के लिए
कोयला का आरम्भिक स्टाक	570.74	383.51
योग : आरंभिक स्टॉक का समंजन	-	-
न्यून : कोयला की कमी	3.55	1.76
कुल (क)	567.19	381.75
कोयला का अंतिम स्टॉक	414.56	568.95
न्यून : कोयला की कमी	3.23	1.76
कुल (ख)	411.33	567.19
कोयला की सूची में परिवर्तन (ग = क – ख)	155.86	(185.44)
कोयला में बना तैयार माल तथा चालू कार्य प्रगति पर का प्रारंभिक स्टॉक	17.29	16.50
योग : आरंभिक स्टॉक का समंजन	-	-
न्यून : प्रावधान	0.11	0.12
कुल (घ)	17.18	16.38
कर्मशाला में बना तैयार माल तथा चालू कार्य प्रगति पर का अंतिम स्टॉक	15.81	17.30
न्यून: प्रावधान	0.11	0.12
कुल (ङ)	15.70	17.18
कर्मशाला में बना तैयार माल तथा चालू कार्य प्रगति पर की सूची में परिवर्तन (च=घ–ङ)	1.48	(0.80)
प्रेस कार्य के अंतिम स्टॉक (छ) की सूची में परिवर्तन	-	-
कोयला के स्टॉक तथा कर्मशाला में तैयार माल तथा चलू कार्य प्रगति पर की सूची में कुल परिवर्तन (ग + च + छ)	**157.34**	**(186.24)**

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 28 : कर्मचारी सुविधाओं पर खर्च

(₹ करोड़ में)

	31-03-2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2016 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी, भटा, बोनस इत्यादि	4,306.92	4,277.94
अनुग्रह राशि	362.56	354.18
पी आर पी	22.47	29.58
एन सी डब्ल्यू ए - X	453.04	-
अधिकारियों का वेतन संशोधन	12.51	-
भविष्यानिधि तथा अन्य निधि में अंशदान	503.49	493.16
उपदान (ग्रैच्युइटी)	180.29	184.63
छुट्टी भुनाना (लीव इनकैसमेंट)	274.36	116.59
कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति	5.64	5.09
वर्तमान कर्मचारियों के लिए चिकित्सा खर्च	51.01	40.83
सेवानिवृत कर्मचारियों के लिए चिकित्सा खर्च	18.62	(10.74)
विद्यालयों तथा संस्थानों को अनुदान	7.18	7.00
खेलकूद तथा मनोरंजन	1.48	1.56
जलपान गृह तथा शिशु गृह (कैन्टीन तथा क्रेच)	0.42	0.13
विद्युत – नगर क्षेत्र	119.30	114.43
बस, एम्बुलेंस इत्यादि का किराया	7.70	7.13
अन्य कर्मचारी सुविधायें	109.59	88.44
कुल	**6,436.58**	**5,709.95**

टिप्पणी :

1. अन्य कर्मचारी सुविधाओं का विवरण		
एलटीसी / एलएलटीसी		
क. अधिकारी	3.13	4.65
ख. गैर अधिकारी	16.45	19.46
जीवन रक्षा योजना	6.66	6.79
बीमांकिक समझौता, एलटीसी/एलएलटीसी, एलसीएस, जीपीएआईएस, तथा खान में जानलेवा दुर्घटना	4.75	(17.82)
वाहन भत्ता	11.45	11.80
प्रोत्साहन – नगद	4.74	3.51
प्रोत्साहन – नगद के अतिरिक्त	-	-
अन्य भत्ता.	62.41	60.05
	109.59	**88.44**

2. वेतन, मजदूरी, भत्ता तथा सुविधाओं में अधिकारियों की सेवा निवृत्ति सुविधा के लिए रू 25.72 करोड़ (रू 33.05 करोड़) की प्रावधान शामिल है।

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 29 : सामूहिक सामाजिक दायित्व पर खर्च

(₹ करोड़ में)

	31-03-2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2016 को समाप्त वर्ष के लिए
सी एस आर खर्च	21.62	62.61
कुल	**21.62**	**62.61**

टिप्पणी - 1: कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 135 के अनुसार सीएसआर पर खर्च पिछले वित्त वर्ष के तीन वर्षों के दौरान कम्पनी के शुरू औसत लाभ का 2% होना चाहिए।

	31-03-2017	31-03-2016
तीन वर्षों का औसत शुद्ध लाभ	1,459.56	1,658.45
औसत शुद्ध लाभ का 2%	29.19	33.17

टिप्पणी : 30 : मरम्मत

(₹ करोड़ में)

	31-03-2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2016 को समाप्त वर्ष के लिए
भवन	9.09	6.06
संयंत्र तथा मशीनरी	145.83	126.10
अन्य	2.02	2.25
कुल	**156.94**	**134.41**

टिप्पणी :

	31-03-2017	31-03-2016
1. **अन्य में शामिल है**		
वाहन	0.70	0.88
कार्यालय उपस्कर तथा उपकरण	0.35	0.28
अन्य	0.97	1.09
	2.02	**2.25**

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 31 : ठेकेदारी खर्च

(₹ करोड़ में)

	31-03-2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2016 को समाप्त वर्ष के लिए
परिवहन प्रभार		
बालू	53.07	46.71
कोयला	177.24	214.27
भंडार सामग्री तथा अन्य	2.40	2.72
वैगन लढ़ाई	22.23	20.37
संयंत्र तथा उपकरण भाड़ा	1,236.84	980.58
अन्य ठेकेदारी खर्च	100.02	103.27
कोल	**1,591.80**	**1,367.92**

टिप्पणी : 32 : वित्तीय कुल लागत

(₹ करोड़ में)

	31-03-2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2016 को समाप्त वर्ष के लिए
व्याज खर्च		
उधार	-	-
छूट का खुलना	142.54	128.54
समूह के भीतर रखी निधि	-	-
अन्य	-	-
अन्य उधार लागत	-	-
कुल	**142.54**	**128.54**

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 33 : प्रावधान (शुद्ध परिवर्तन)

(₹ करोड़ में)

		31-03-2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2016 को समाप्त वर्ष के लिए
क)	**निम्नलिखित के लिए प्रावधान**		
	संदिग्ध ऋणों	40.09	142.48
	संदिग्ध अग्रिमों तथा दावें	0.37	0.05
	भंडार सामग्री तथा अतिरिक्त पुरजे	2.76	1.89
	अन्य	0.04	2.48
	कुल (क)	**43.26**	**146.90**
ख)	**परिवर्तन के लिए प्रावधान**		
	संदिग्ध ऋणों	187.16	87.45
	संदिग्ध अग्रिमों तथा दावें	-	9.24
	भंडार सामग्री तथा अतिरिक्त पुरजे	0.32	0.30
	अन्य	0.69	1.87
	कुल (ख)	**188.17**	**98.86**
	कुल (क – ख)	**(144.91)**	**48.04**

टिप्पणी :

	31-03-2017	31-03-2016
टिप्पणी 1. किए गए अन्य प्रावधान में शामिल है		
विदेशी मुद्रा में लेनदेन	-	-
पूंजीगत कार्य प्रगति पर के लिए प्रावधान	0.04	2.48
वर्तमान परिसम्पत्तियों	-	-
परिसम्पत्तियों की हानि	-	-
	0.04	**2.48**
टिप्पणी 2. किए गए अन्य प्रावधान में शामिल है		
विदेशी मुद्रा में लेनदेन	-	-
पूंजीगत कार्य प्रगति पर के लिए प्रावधान	0.46	1.87
वर्तमान परिसम्पत्तियों	0.23	-
परिसम्पत्तियों की हानि	-	-
अन्य	-	-
	0.69	**1.87**

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 34 : बट्टे खाते (पिछले प्रावधान का शुद्ध रूप)

(₹ करोड़ में)

	31-03-2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2016 को समाप्त वर्ष के लिए
संदिग्ध ऋण	-	33.86
न्यून: पिछला प्रावधान	-	-
उपयोग (क)	-	33.86
संदिग्ध अग्रिम	-	8.35
न्यून: पिछला प्रावधान	-	-
उपयोग (ख)	-	8.35
कोयला का स्टॉक	-	-
न्यून: पिछला प्रावधान	-	-
उपयोग (ग)	-	-
अन्य -	-	
न्यून: पिछला प्रावधान	-	-
उपयोग (घ)	-	-
कुल (क + ख + ग + घ)	**-**	**42.21**

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 35 : अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

	31-03-2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2016 को समाप्त वर्ष के लिए
यात्रा खर्च		
क. स्वदेशी	9.60	12.60
ख. विदेशी	0.34	0.13
प्रशिक्षण खर्च	3.07	2.59
टेलीफोन तथा डाक खर्च	1.77	2.19
विज्ञापन तथा प्रचार	2.91	4.75
माल भाड़ा	-	0.03
विलम्ब शुक्ल	2.19	1.05
दान / चन्दा	0.07	0.07
सुरक्षा खर्च	98.43	72.48
कोल इंडिया लिमिटेड को सेवा शुल्क	20.46	20.17
भाड़ा शुल्क	29.67	24.74
सीएमपीडीआई शुल्क	14.70	28.19
विधिक व्यय	2.35	2.05
बैंक प्रभार	0.16	0.32
अतिथिगृह खर्च	2.86	2.38
सलाहकारी शुल्क	1.62	1.95
कम लदान प्रभार	26.21	26.81
विक्री / छटाई / सर्वेक्षण सम्पत्ति की हानि	-	-
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तथा खर्च		
क. लेखा परीक्षण फीस के लिए	0.57	0.43
ख. कराधान मामलों के लिए	0.05	0.04
ग. अन्य सेवाओं के लिए	0.02	0.18
घ. खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए	0.21	0.32
अतिरिक्त लेखा परीक्षा फीस तथा खर्च	2.28	2.55
पुनर्वास प्रभार	25.79	23.14
रायल्टी तथा सेस	4.42	1.87
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	6.48	31.35
दर तथा कर	6.10	3.86
बीमा	0.11	0.06
विदेशी मुद्रा विनिमय पर हानि	-	-
विनिमय दर भिन्नता पर हानि	-	11.21
लीग भाड़ा	-	-
सहायता / सुरक्षा खर्च	2.19	3.15
डेड रेंट / सर्फेस रेंट	4.25	5.29
साइडिंग रखरखाव प्रभार	3.81	3.33
भूमि / फसल क्षतिपूर्ति	0.03	0.03
अनुसंधान तथा विकास खर्च	0.14	0.68
पर्यावरण तथा वृक्षारोपण खर्च	1.90	4.07
विविध खर्च	179.32	120.66
कुल	**454.08**	**414.72**

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 35 : अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

	31-03-2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2016 को समाप्त वर्ष के लिए
टिप्पणी		
1. **विविध खर्च का विवरण**		
कार्यालय आकस्मिक खर्च	0.75	0.92
मुद्रण तथा लेखन सामग्री	3.48	2.97
पेन्सन	0.08	0.08
वजनघर खर्च	0.73	0.97
कार तथा जीप का रख रखाव		
क. पेट्रोल तथा डीजल	10.54	9.47
ख. मरम्मत	0.22	0.23
ग. मार्ग कर (रोड टैक्स)	0.45	0.48
घ. बीमा	0.32	0.36
सम्मेलन तथा सेमीनार	0.57	0.51
पुस्तकें तथा पत्रिकायें	0.07	0.08
विश्लेषण तथा जाँच प्रभार	4.56	1.38
विक्रय खर्च	8.65	5.99
सेवाकर–अन्य (कम्पनी खर्च)	0.02	0.04
स्वच्छ ऊर्जा सेस	0.33	0.28
अंतरिक उपभोग पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	0.11	0.22
उत्सव खर्च	0.01	0.01
छात्रवृत्ति (स्कालरशिप)	0.30	0.23
परम्मत तथा रखरखाव		
क. नगर क्षेत्र	109.99	58.16
ख. अन्य कल्याण भवन	6.74	7.76
ग. संयंत्र तथा मशीनरी	0.29	0.38
घ. अन्य	5.94	5.15
कल्याण वाहनों का रखरखाव		
क. पेट्रोल तथा डीजल	6.30	6.09
ख. मरम्मत	0.12	0.13
ग. मंडार सामग्री तथा अतिरिक्त पुर्जे	0.12	0.25
घ. रोड टैक्स	0.08	0.09
ङ. बीमा	0.04	0.04
परिवार नियोजन खर्च	-	0.01
वर्दी तथा / या सिलाई खर्च	0.87	1.00
पानी की खरीद	1.47	3.17
शिक्षा भटा तथा खर्च	1.90	2.13
भोजनालय भत्ता	-	0.03
कर्मचारी क्लव को दान	0.52	0.49
विविध खर्च	13.75	11.56
	179.32	**120.66**

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 36 : कर खर्च

(₹ करोड़ में)

	31-03-2017 को समाप्त वर्ष के लिए	**31-03-2016 को समाप्त वर्ष के लिए**
वर्तमान वर्ष	45.58	497.93
आस्थगित कर	(24.30)	(57.52)
एमएटी उधार अधिकार	(8.66)	(38.71)
पिछला वर्ष	(3.43)	(4.12)
कुल	**9.19**	**397.58**

टिप्पणी 1: वर्तमान वर्ष के लिए आयकर के प्रावधान में अन्य व्यापक आय पर आयकर के समंजन के बाद है।

वर्तमान वर्ष के आयकर के लिए कुल प्रावधान	67.52	532.37
न्यून : अन्य व्यापक आय कर पर स्थानांतरित कर (टिप्पणी 37)	21.94	34.44
वर्तमान वर्ष के आयकर के लिए शुद्ध प्रावधान	**45.58**	**497.93**

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 37 : अन्य व्यापक आय

(₹ करोड़ में)

		31-03-2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2016 को समाप्त वर्ष के लिए
I.	**(i) लाभ अथवा क्षति के रूप में पुनवर्गकृत न किए जाने वाले मद**		
	पुनमूल्यांकन अधिशेष में परिवर्तन	-	-
	पुनमूल्यांकन अधिशेष में परिवर्तन	36.58	99.50
	ओसीआई द्वारा इक्विटी उपकरण	-	-
	एफबीटीपीएल पर अभिकल्पित वित्तीय देयता के निजी उधार जोखिम से सम्बन्धित स्पष्ट मूल्य परिवर्तन	-	-
	संयुक्त उपक्रम में ओसीआई का अंश	-	-
	उपयोग (क)	**36.58**	**99.50**
	(ii) लाभ तथा हानि के रूप में पुनवर्गीकृत न किए जाने वाले मदों पर आयकर		
	पुनर्मूल्याकंन अधिशेष में परिवर्तन	-	-
	पुनमूल्यांकन अधिशाष में परिवर्तन	21.94	34.44
	ओसीआई द्वारा इक्विटी उपकरण	-	-
	एफबीटीपीएल पर अभिकल्पित वित्तीय देयता के निजी उधार जोखिम से सम्बन्धित स्पष्ट मूल्य परिवर्तन	-	-
	संयुक्त उपक्रम में ओसीआई का अंश	-	-
	उपयोग (ख)	**21.94**	**34.44**
	कुल (ग = क – ख)	**14.64**	**65.06**
II.	**(i) लाभ तथा हानि के रूप में पुनवर्गीकृत किए जाने योग्य मदें**		
	विदेशी संचालन के वित्तीय विवरण को अनुवादित करने में विनिमय भिन्नता	-	-
	ओसीआई द्वारा ऋण उपकरण	-	-
	नगद प्रवाह बचाव में बचाव उपकरण पर हानि तथा लाभ का प्रभावशाली अंश	-	-
	संयुक्त उपक्रम में ओसीआई का अंश	-	-
	उपयोग (घ)	**-**	**-**
	(ii) लाभ तथा हानि के रूप में पुनर्वगीकृत किए जाने योग्य मदों पर आयकर		
	विदेशी संचालन के वित्तीय विवरण को अनुवादित करने में विनिमय भिन्नता	-	-
	ओसीआई द्वारा ऋण उपकरण	-	-
	नगद प्रवाह बचाव में बचाव उपकरण पर हानि तथा लाभ का प्रभावशाली अंश	-	-
	संयुक्त उपक्रम में ओसीआई का अंश	-	-
	उपयोग (ङ)	**-**	**-**
	कुल (च = घ – ङ)	**-**	**-**
	कुल योग (ग + च)	**14.64**	**65.06**

टिप्पणी – 38
31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीयाँ विवरण पर अतिरिक्त टिप्पणिया

1. स्पष्ट मूल्य माप

क) कैटेगरी द्वारा वित्तीय उपकरण :

	31 मार्च, 2017			31 मार्च, 2016			1 अप्रैल, 2015		
	एफवीटी पीएल	एफवीटी ओसीआई	अधिकृत लागत	एफवीटी पीएल	एफवीटी ओसीआई	अधिकृत लागत	एफवीटी पीएल	एफवीटी ओसीआई	अधिकृत लागत
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ									
निवेश :									
को-आपरेटिव शेयर	-	-	0.08	-	-	0.08	-	-	0.08
ऋण	-	-	0.15	-	-	0.36	-	-	0.58
व्यापारिक प्राप्तियाँ	-	-	1607.49	-	-	1955.53	-	-	1426.88
नगद तथा नगद समतुल्य	-	-	737.44	-	-	591.08	-	-	538.77
अन्य बैंक शेष	-	-	3228.64	-	-	3432.06	-	-	3877.05
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियाँ	-	-	743.81	-	-	579.58	-	-	448.55
कुल	**-**	**-**	6317.61	**-**	**-**	6558.69	**-**	**-**	6291.91
वित्तीय देयतायें									
उधार :									
ईडीसी ऋण	-	-	167.20	-	-	174.14	-	-	170.21
लम्बी अवधि के उधार (प्रीफ. शेयर)	-	-	1423.30	-	-	1317.87	-	-	1220.25
व्यापारिक देयतायें	-	-	105.07	-	-	128.40	-	-	128.35
सुरक्षा जमा	-	-	151.26	-	-	138.04	-	-	108.08
प्रारंभिक जमा	-	-	63.30	-	-	51.07	-	-	49.37
अन्य वित्तीय देवतायें	-	-	1.38	-	-	216.55	-	-	130.39
कुल	**-**	**-**	1911.51	**-**	**-**	2026.07	**-**	**-**	1806.65

1) वर्ष 1989 में कोल इंडिया ने ईसीएल के राजमहल परियोजना के विकास के लिए सीडीएन डालर 166.00 मिलियन के ऋण के लिए एक्सपोर्ट डसलपमेंट कॉर्पोरेशन (ईडीसी) से करार किया। जिसमें से सीडीएन डालर 159147189.28 (यू एस डालर 134732528.18 के समकक्ष) का उपयोग किया गया। उपरोक्त राशि से 72% के लगभग रकम अर्थात यूएस डालर 97007420.29 को टेन्चए के अधीन वगीकृत किया गया जहाँ शेष 28% की रकम अर्थात यू एस डालर 37725107.89 को ट्रेंच बी के अधीन वर्गीकृत किया गया। ट्रेंच ए के अधीन के ऋण पर 8.30% प्रति वर्ष का व्याज था जबकि ट्रेंच बी का ऋण व्याज मुक्त था।

इसके साथ ही वर्ष 2000 में ईसीएल तथा सीआईएल में एक ऋण समझौता किया गया। यह समझौता 31 मार्च 2000 को राजमहल परियोजना के विकास के लिए ईडीसी से लिए गए ऋण की बकाया राशि के लिए थी। उपरोक्त करार के अनुसार यूएसडी के ऋण समतुल्य राशि रुपया के रूप में ईसीएल की लेखा पुस्तकों में दर्ज है।

ईडीसी ऋण तथा वर्तमान स्थिति पर एक संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है –

वर्ग	31-3-1995 को यू एस डालर	व्याज	भुगतान की स्थिति	आरंभ की तिथि	31-3-2017 को बकाया यूएस डॉलर
ट्रांस 'ए'	97007420.29	8.30%	20 अर्ध वार्षिकी	31-1-1995	शून्य
ट्रांस 'बी	37725107.89	0.00%	80 अर्ध वार्षिकी	31-7-2004	25487784.05
कुल	**134732528.18**				**25487784.05**

2) प्रीफरेंस शेयर पूंजी, ईस्टर्न कोल फील्डस् लिमिटेड के पास 6% नन कनवर्टिबल (अपरिवर्तनीय), क्युमुलेटिव, रिडीमेवल प्रीफरेंस शेयर रू 1000.00 प्रत्येक के कुल 20509700 शेयर हैं। यह एक मिश्रित (कम्पाउन्ड) वित्तीय उपकरण है तथा इसका डिविडेंट क्युमुलेटिव तथा ऐच्छिक है। इंड एएस 109 के अनुसार यह कम्पाउन्ड उपकरण इक्विटी तथा दीर्घावधि उधार में विभक्त है। प्रीफरेंश शेयर पूंजी नगद प्रवाह के वर्तमान मूल्य की गणना 8% प्रति वर्ष की छूट दर लागू करके की गई है। नगद प्रवाह के वर्तमान मूल्य की गणना लम्बी अवधि के उधार (रू 1195.36 करोड़) तथा शेष राशि को मानकर की गई है अर्थात वर्तमान प्रीफरेंस शेयर मूल्य न्यून लम्बी अवधि का उधार (रू 2050.97 करोड़ – रू 1195.36 करोड़ = रू 855.61 करोड़)। इसे नए प्रीफरेंस शेयर का मूल्य माना गया है तथा इसे टिप्पणी 17 में अन्य इक्विटी शीर्ष के अंतर्गत दिखाया गया है। प्रीफरेंस शेयर के परिशोधन का विवरण निम्नलिखित है :

(₹ करोड़ में)

क्रम	वर्ष	सुरक्षित अर्जन	लागत	अंतिम देयता
1.	26-12-2014			1195.36
2.	31-03-2015	24.89		1220.25
3.	31-03-2016		97.62	1317.87
4.	31-03-2017		105.43	1423.30

3) अन्य सभी वित्तीय परिम्पत्तियों और देयताओं को लेनदेन के मूल्य पर स्वीकार किया गया है।

4) **सुरक्षा जमा :** कम्पनी स्वीकार करती है कि सुरक्षा में महत्वपूर्ण वित्तीय अवयव नहीं है। भुगतान (सुरक्षा जमा) के मील के पत्थर में वित्तीय प्रावधान के विपरीत कम्पनी के परिणाम तथा ठेके में सुरक्षित रकम एक ठहरती है। प्रत्येक मील के पत्थर भुगतान में विशिष्ट प्रतिशत को रोक रखना कम्पनी के हित में सुरक्षा की नीयत से है। ठेके के अंतर्गत जिम्मेदारी को पर्याप्त रूप से पूरा करने के लिए ठेकेदार से लेनदेन लागत के अनुसार सुरक्षा तदनुसार सुरक्षा जमा के लेनदेन लागत को स्वच्छ मूल्य के रूप में प्रारंभ मे पहचान तथा बाद में परिशोधन लागत पर माप कर लिया गया है

ख) स्वच्छ मूल्य वर्गीकरण

निम्नलिखित सारणी में वित्तीय उपकरण के स्वच्छ मूल्य के निर्धारण में धारणा तथा आकलन प्रदर्शित है।

I. स्वच्छ मूल्य पर मान्यता प्राप्त तथा नपा तुला एवं

II. परिशोधित लागत पर नपा तुला तथा जिसके लिए वित्तीय विवरणों में स्वच्छ मूल्य प्रकट किया गया है। स्वच्छ मूल्य के निर्धारण में प्रयुक्त निवेश की विश्वसनीयता के बारे में एक संकेत उपलब्ध कराने के लिए कम्पनी ने अपने वित्तीय उपकरणों को लेखांकन स्तर के अधीन तीन

स्तरों में वर्गीकृत किया है। प्रत्येक स्तर का एक स्पष्टीकरण सारणी में निम्नलिखित है।

मापी गई वित्तीय परिसम्पत्ति तथा देयतायें

I) स्वच्छ मूल्य – आवर्ती स्वच्छ मूल्य माप

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2017			31 मार्च, 2016			1 अप्रैल, 2015		
	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III
एफवीटीएल पर वित्तीय परिसम्पत्तियों									
निवेश									
को–आपरेटिव शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वित्तीय देयतायें									
यदि कोई मद	-	-	-	-	-	-	-	-	-

मापी गई वित्तीय परिसम्पत्ति तथा देयतायें

II) परिशोधन लागत जिसके लिए 31 मार्च 2017 को स्वच्छ मूल्य प्रकट किया गया

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2017			31 मार्च, 2016			1 अप्रैल, 2015		
	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III
एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसम्पत्तियाँ									
निवेश :									
को–आपरेटिव शेयर	-	-	0.08	-	-	0.08	-	-	0.08
ऋण	-	-	0.15	-	-	0.36	-	-	0.58
व्यापारिक प्राप्तियाँ	-	-	1607.49	-	-	1955.53	-	-	1426.88
नगद तथा नगद समतुल्य	-	-	737.44	-	-	591.08	-	-	538.77
अन्य बैंक शेष	-	-	3228.64	-	-	3432.06	-	-	3877.05
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों	-	-	743.81	-	-	579.58	-	-	448.55
कुल	**-**	**-**	6317.61	**-**	**-**	6558.58	**-**	**-**	6291.91
वित्तीय देयतायें									
उधार :									
ईडीसी ऋण	-	-	167.20	-	-	174.14	-	-	170.21
लम्बी अवधि के उधार (प्रीफ. शेयर)	-	-	1423.30	-	-	1317.87	-	-	1220.25
व्यापारिक देयतायें	-	-	105.07	-	-	128.40	-	-	128.35
सुरक्षा जमा	-	-	151.26	-	-	138.04	-	-	108.08
प्रारंभिक जमा	-	-	63.30	-	-	51.07	-	-	49.37
अन्य वित्तीय देवतायें	-	-	1.38	-	-	216.55	-	-	130.39
कुल	**-**	**-**	1911.51	**-**	**-**	2026.07	**-**	**-**	1806.65

स्तर – I : स्तर 1 के वर्गीकरण में उल्लिखित मूल्य पर मापे गए वित्तीय उपकरण शामिल है।

स्तर – II : जिन वित्तीय उपकरणों का व्यापार सक्रिय बाजार में नहीं होता उनका स्वच्छ मूल्य मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग कर तय किया जाता है जो प्रवेश विशिष्ट आकलन पर यथासम्भव छोट से छोटे उपलब्ध बाजार आंकड़े के अधिकतम उपयोग पर आधारित है। यदि सभी महत्वपूर्ण निवेश स्वच्छ मूल्य के लिए है तब एक उपकरण अवलोकन योग्य है, यह उपकरण स्तर II में शामिल किया गया है।

स्तर – III : यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण निवेश पर्यवेक्षण योग्य बाजार आंकड़े पर आधारित नहीं है तब उसे स्तर III में शामिल किया गया है। टिप्पणी वित्तीय वर्ष में निजी स्तर पर स्वच्छ मूल्य वर्गीकरण परिवर्तन नहीं है।

ग) स्वच्छ मूल्य निर्धारण के लिए प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक –

वित्तीय उपकरणों के मूल्य के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त तकनीक में शामिल है।

- उपकरण के उल्लिखित बाजार मूल्य का उपयोग किया गया है।
- शेष वित्तीय उपकरणों के स्वच्छ मूल्य निर्धारण के लिए छूट आधारित नगद प्रवाह विश्लेषण का उपयोग किया गया है।

विशिष्ट अवलोकनीय निवेश के उपयोग द्वारा स्वच्छ मूल्य की माप

31.03.2017 को विशिष्ट अअवलोकनीय निवेश के उपयोग द्वारा स्वच्छ मूल्य में कोई माप नहीं है।

	31 मार्च, 2017		31 मार्च, 2016		1 अप्रैल, 2015	
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ						
निवेश :						
को-आपरेटिव शेयर	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
ऋण	0.15	0.15	0.36	0.36	0.58	0.58
व्यापारिक प्राप्तियाँ	1607.49	1607.49	1955.53	1955.53	1426.88	1426.88
नगद तथा नगद समतुल्य	737.44	737.44	591.08	591.08	538.77	538.77
अन्य बैंक शेष	3228.64	3228.64	3432.06	3432.06	3877.05	3877.05
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों	743.81	743.81	579.58	579.58	448.52	448.52
कुल	6317.61	6317.61	6558.58	6558.58	6291.91	6291.91
वित्तीय देयतायें						
उधार :						
ईडीसी ऋण	167.20	167.20	174.14	174.14	170.21	170.21
लम्बी अवधि के उधार (प्रीफ. शेयर)	1423.30	1423.30	1317.87	1317.87	1220.25	1220.25
व्यापारिक देयतायें	105.07	105.07	128.40	128.40	128.35	128.35
सुरक्षा जमा	151.26	151.26	138.04	138.04	108.08	108.08
प्रारंभिक जमा	63.30	63.30	51.07	51.07	49.37	49.37
अन्य वित्तीय देवतायें	1.38	1.38	216.55	216.55	130.39	130.39
कुल	1911.51	1911.51	2026.07	2026.07	1806.65	1806.65

➢ व्यापारिक प्राप्तियों, लघु अवधि जमा, नगद तथा नगद समतुल्य व्यापारिक देयतायें की वहन की गई रकम उनकी लघु अवधि के कारण उनके स्वच्छ मूल्य के अनुसार है।

➢ परिशोधित लागत पर लेखांकित अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियाँ स्वच्छ मूल्य पर वहन नहीं की गई हैं यदि वे आर्थिक नहीं है।

➢ ऋण, सुरक्षा जमा के लिए स्वच्छ मूल्य की गणना प्रारंभिक पहचान तथा बाद में परिशोधित लागत की माप के अनुसार लेनदेन के लागत पर आधारित है।

महत्वपूर्ण आकलन : वित्तीय उपकरण का स्वच्छ मूल्य जिसका सक्रिय बाजार में लेनदेन नहीं किया जाता उसका मूल्यांकन तकनीक के उपयोग से किया जाता है। प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में न्यायोचित तरीके से उपयुक्त धारणा के अनुसार चुनकर कम्पनी इसका उपयोग करती है।

2. वित्तीय खतरों के प्रबंधन का उद्देश्य तथा नीतियाँ

कम्पनी की प्रमुख वित्तीय देयओं में ऋण तथा उधार, व्यापार तथा अन्य देयतायें शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं को मुख्य उद्देश्य कम्पनी के संचालन को वित्त उपलब्ध कराना है तथा इसके संचालन की गारंटी का समर्थन करना है। कम्पनी के मुख्य वित्तीय परिसम्पत्तियों में ऋण, व्यापार तथा अन्य प्राप्तियाँ तथा नगद एवं नगद समतुल्य शामिल है जो इसके संचालन से सीधे सम्बद्ध है। कम्पनी बाजारी खतरा, उधार खतरा तथा तरलता खतरा से सीधे अनावृत हैं।

कम्पनी के उच्च प्रबन्धन इन खतरों के प्रबन्धन का अवलोकन करता है। कम्पनी का वरिष्ठ प्रबंधन खतरा समिति द्वारा समर्थित है जो वित्तीय खतरों कथा कम्पनी के ढाँचे में इसे इस खतरों के प्रबन्धन में उपयुक्त सलाह देती है। यह खतरा सीमित कम्पनी के निदेशक मंडल को आश्वासन उपलब्ध कराती है जो कि कम्पनी के वित्तीय खतरे उपयुक्त नीतियों तथा तरीकों से प्रबन्धित है तथा वित्तीय खतरों की पहचान करके माप करके तथा कम्पनी की नीतियों तथा खतरों के उद्योग के अनुसार प्रबन्धित की जाती हैं। कम्पनी का निदेशक मंडल इन प्रत्येक खतरा के प्रबन्धन की समीक्षा करके नीतियों पर अपनी सहमति प्रकट करता है, इन्हें नीचे दिया गया है।

कम्पनी बाजार खतरा, उधार खतरा तथा तरलता खतरा के प्रति अनावृत है। यह टिप्पणी खतरे के स्रोत की व्याख्या करता है जो पूरी तरह अनावृत है तथा कम्पनी किस प्रकार इन खतरों का प्रबन्धन करती है तथा वित्तीय विवरण में एवं लेखांकन में इसका कितना प्रभाव है।

खतरा	अनावृत स्रोत	माप	प्रबन्धन
उधार खतरा	नगद तथा नगद समतुल्य व्यापारिक प्राप्तियाँ परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसम्पत्तियाँ	पुरानी विश्लेषण	सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई दिशा निर्देश) बैंक जमा की विविधता उधार सीमा, तथा अन्य प्रतिमूर्ति
तरलता खतरा	उधार तथा अन्य देयतायें	सावधि नगद प्रवाह	उपलब्ध उधार सुविधा तथा प्रतिवद्ध उधार मार्ग
बाजार खतरा विदेशी विनिवेश	भावी व्यापारिक लेनदेन, स्वीकृत वित्तीय परिसम्पत्तियों तथा आईएनआर में गैर नामांकित देयतायें	नगद प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	नियमित आकलन तथा लेखा समिति एवं वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा समीक्षा
बाजार खतरा ब्याज दर	नगद तथा नगद समतुल्य, बैंक जमा तथा म्युचुअल फंड	नगद प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई दिशा निर्देश) नियमित आकलन तथा लेखा समिति एवं वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा समीक्षा

कम्पनी की खतरा प्रबन्धन के लिए भारत सरकार द्वारा जारी डी पीई के दिशा निर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। अधिक तरलता के निवेश सहित नीतियाँ तथा समग्र खतरा प्रबन्धन के लिए निम्नलिखित नीति बोर्ड उपलब्ध कराती है।

क) **उधार खतरा :** उधार खतरा नगद तथा नगत समतुल्य, परिशोधन लागत पर निवेश तथा बैंक एवं वित्तीय संस्थानों ने जमा के साथ साथ बकाया प्राप्तियों से उत्पन्न होता है।

उधार खतरा प्रबन्धन : बृहद आर्थिक सूचना (जैसे नियंत्रक परिवर्तन) ई ऑक्सन के पदों तथा इंधन आपूर्ति सहमति के अंश पर लागू होतार है।

इंधन आपूर्ति सहमति (एफएसए)

एनसीडीपी (न्यू को डिस्ट्रीव्यूशक पॉलिसी) के पदों की सहमति के अनुसार तथा इसपर विचार करते हुए कम्पनी अपने ग्राहकों या राज्य द्वारा नामित एजेन्सियों के साथ कानूनी रूप लागू एफएसए करती है जो कि बाद में अंति ग्राहक के साथ उपयुक्त वितरण समझौते में बदल जाता है। यह एफएसए मुख्य रूप में निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जा सकता है।

➢ राज्य विद्युत उपभोक्त, निजी विद्युत उपभोक्ता (''पीपीयू'' तथा स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (''आईपीपी'') सहित ग्राहकों के साथ विद्युत उपयोग क्षेत्र में एफएसए।

➢ गैर विद्युत उद्योगों (निजी विद्युत संयंत्र (''सीपीयी'') के ग्राहकों के साथ एफएसए)

➢ राज्य सरकार द्वारा नामित एजेन्सियों के साथ एफएसए।

ई–ऑक्सन योजना

जो ग्राहक विभिन्न कारणों से एसीडीपी के अधीन उपलब्ध संस्थागत तरीकों से द्वारा अपनी कोयला आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाते थे उनके पास कोयला की पहुँच को बनाने के लिए ईऑक्सन योजना लागू की गई। जैसे एमसीडीपी के अधीप अपनी सामान्य आवश्यकता के आवंटन से कम आवश्यकता, झैसम के अनुसार कोयला की आवश्यकता तथा कोयला की सीमित आवश्यकता जिसके लिए लम्बी अवधि के लिंकेज की आवश्यकता नहीं होगी। ई–आक्सन के अंतर्गत उपलब्ध कराने योग्य कोयला की मात्रा की समीक्षा समय समय पर कोयला मंत्रालय द्वारा की जाती है।

अपेक्षित उधार हानि के लिए प्रावधान कम्पनी संदिग्ध / उधार दुर्वल परिसम्पत्तियों द्वारा आजीवन अपेक्षित उधार हानि (सरलीकृत पद्धति) के माध्यम से अपेक्षित उधार खतरा हानि उपलब्ध कराती है।

31.03.2017 को सरलीकृत पद्धति के अधीन अपेक्षित उधार हानि के लिए व्यापारिक प्राप्तियाँ

अवधि	2 महीनों से बकाया	6 महीनों से बकाया	1 वर्ष से से बकाया	2 वर्ष से से बकाया	3 वर्ष से से बकाया	3 वर्ष से अधिक से बकाया	कुल
कुल वहन राशि	360.96	148.40	402.56	685.46	158.48	222.73	1978.59
अपेक्षित हानि दर (%)	1.72	4.93	6.60	7.09	40.14	98.22	18.76
अपेक्षित उधार हानि (हानि भत्ता प्रावधान)	6.20	7.32	26.57	48.63	63.61	218.77	371.10

31.03.2016 को सरलीकृत पद्धति के अधीन अपेक्षित उधार हानि के लिए व्यापारिक प्राप्तियाँ

	2 महीनों से बकाया	6 महीनों से बकाया	1 वर्ष से से बकाया	2 वर्ष से से बकाया	3 वर्ष से से बकाया	3 वर्ष से अधिक से बकाया	कुल
कुल वहन राशि	1031.99	296.01	—	265.30	552.73	327.67	2473.70
अपेक्षित हानि दर (%)	—	19.51 %	—	12.67 %	31.87 %	76.50 %	20.95 %
अपेक्षित उधार हानि (हानि भत्ता प्रावधान)	—	57.75	—	33.61	176.14	250.67	518.17

01.04.2015 को सरलीकृत पद्धति के अधीन अपेक्षित उधार हानि के लिए व्यापारिक प्राप्तियाँ

अवधि	2 महीनों से बकाया	6 महीनों से बकाया	1 वर्ष से से बकाया	2 वर्ष से से बकाया	3 वर्ष से से बकाया	3 वर्ष से अधिक से बकाया	कुल
कुल वहन राशि	---	673.65	---	798.87	146.07	271.44	1890.03
अपेक्षित हानि दर (%)	---	4.99 %	---	4.52 %	77.05 %	90.74 %	24.**50 %**
अपेक्षित उधार हानि (हानि भत्ता प्रावधान)	---	33.61	---	36.14	132.55	260.84	463.14

हानि भत्ता प्रावधान का सामंजस्य–व्यापारिक प्राप्तियाँ

हानि भत्ता 01.04.2015 को	463.14
हानि भत्ता में परिवर्तन	55.03
हानि भत्ता 31.03.2016 को	518.17
हानि भत्ता में परिवर्तन	- 147.07
हानि भत्ता 31.03.2017 को	371.10

वित्तीय परिसम्पत्तियों की निर्णय दुर्वलता तथा विशिष्ट आकलन वित्तीय परिसम्पत्तियों के लिए दुर्वलता प्रावधान जिसे ऊपर स्पष्ट किया गया है वह स्वत: और अनुमानित हानि दर के पुर्वानुमान पर आधारित है। कम्पनी इन निर्णयों को पूर्वानुमानों को बनाने तथा दुर्वल गणना इतिहास निवेश चुनने में करती है जो कम्पनी के विगत इतिहास वर्तमान बाजार स्थिति तथा प्रत्येक प्रतिवेदन की अवधि के अंत में अग्रसोच पर आधारित है।

ख) तरलता खतरा

दूरदर्शी तरलता खतरा प्रबन्धन, पर्याप्त नगद तथा बेचने योग्य सिक्युरिटी रखने तथा प्रतिबद्ध उछार सुविधा सहित पर्याप्त मात्रा में निधि की उपलब्धता ताकि बकाया होने पर दायित्व पूरा करने योग्य स्थिति पर निर्भर है।

व्यापार की गतिशील प्रकृति के कारण कम्पनी का खजाना प्रतिबद्ध उधार की पद्धति के अधीन निधि की उपलब्ध में लचीलापन बनाए रखती है। प्रबन्धन कम्पनी की तरलता की स्थिति तथा नगद एवं नगद समतुल्य में अपेक्षित नगद प्रवाह के आधार पर भविष्ट व्यापारी निम्नलिखित समाविष्ट उदार सुविधा। यह सामान्य तौर पर कम्पनी द्वारा तय सीमा तथा तरीके के साथ समूह में स्थानीर स्तर पर संचालन कम्पनियों द्वारा चलाया जाता है।

i) वित्तीयन व्यवस्था :

कम्पनी प्रतिवेदन की अवधि के अंत में निम्नलिखित अचित्रित उधार सुविधा की पहुँच रखती है।

	31-03-2017	31-03-2016	01-04-2015
एक वर्ष के अन्दर शेष होनेवाली (बैंक ओवर ड्राफ्ट तथा अन्य सुविधायें)	शून्य	शून्य	शून्य
एक वर्ष के बाद शेष होने वाली	शून्य	शून्य	शून्य

ii) वित्तीय देयताओं की परिपक्कता

निम्नलिखित सारणी में ठेकेदारी परिपक्कता पर आधारित कम्पनी की वित्तीय देयताओं का विश्लेषण है –

सारणी में प्रदर्शित राशि बिना छूट के ठेनेदारी नगद प्रवाह है। वारह महीनों की भितर वहन किए गए शेष छूट में कोई विशिष्ट प्रभाव नहीं।

31.3.2017 को वित्तीय देयताओं की ठेकेदारी परिपक्कता **(₹ करोड़ में)**

अवधि	3 महीनों से बकाया	3 महीनों से 6 महीनों	6 महीनों से 1 वर्ष	1 वर्ष से 2 वर्ष	2 वर्ष से 5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक बकाया	कुल
वित्तीय देयतायें							
उधार :	-	-	6.19	-	-	161.01	167.20
ईडीसी ऋण	-	-	-	-	1423.30	-	1423.30
लम्बी अवधि के उधार (प्रीफ. शेयर)	-	-	-	-	-	-	-
व्यापारिक देयतायें	105.07	-	-	-	-	-	105.07
सुरक्षा जमा	126.73	-	-	-	0.90	23.63	151.26
प्रारंभिक जमा	63.30	-	-	-	-	-	63.30
अन्य वित्तीय देवतायें	-	-	-	-	-	1.38	1.38
कुल	295.10	-	6.19	-	1424.20	186.02	1911.51

31.3.2016 को वित्तीय देयताओं की ठेकेदारी परिपक्कता **(₹ करोड़ में)**

अवधि	3 महीनों से बकाया	3 महीनों से 6 महीनों	6 महीनों से 1 वर्ष	1 वर्ष से 2 वर्ष	2 वर्ष से 5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक बकाया	कुल
वित्तीय देयतायें							
उधार :	-	-	6.14	-	-	168.00	174.14
ईडीसी ऋण	-	-	-	-	1317.87	-	1317.87
लम्बी अवधि के उधार (प्रीफ. शेयर)	-	-	-	-	-	-	-
व्यापारिक देयतायें	128.40	-	-	-	-	-	128.40
सुरक्षा जमा	111.00	-	-	-	2.56	24.48	138.04
प्रारंभिक जमा	51.07	-	-	-	-	-	51.07
अन्य वित्तीय देवतायें	-	-	215.17	-	-	1.38	216.55
कुल	290.47	-	221.31	-	1320.43	193.86	2026.07

01.04.2015 को वित्तीय देयताओं की ठेकेदारी परिपक्वता **(₹ करोड़ में)**

अवधि	3 महीनों से बकाया	3 महीनों से 6 महीनों	6 महीनों से 1 वर्ष	1 वर्ष से 2 वर्ष	2 वर्ष से 5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक बकाया	कुल
वित्तीय देयतायें							
उधार :	-	-	5.88	-	-	164.33	170.21
ईडीसी ऋण	-	-	-	-	1220.25	-	1220.25
लम्बी अवधि के उधार (प्रीफ. शेयर)	-	-	-	-	-	-	-
व्यापारिक देयतायें	128.35	-	-	-	-	-	128.35
सुरक्षा जमा	90.52	-	-	-	2.47	15.09	108.08
प्रारंभिक जमा	49.37	-	-	-	-	-	49.37
अन्य वित्तीय देवतायें	-	-	129.01	-	-	1.38	130.39
कुल	268.24	-	134.89	-	1222.72	**180.80**	1806.65

ग) बाराज में खतरे

क) विवेशी मुद्रा के खतरे

कम्पनी विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न होने वाले विदेशी मुद्रा विनिमय खतरे से सम्मुखीन है। कम्पनी आयात भी करती है इसलिए खतरों की नियमित देखभाल करती है। कम्पनी की नीति है जिसे जब विदेशी मुद्रा से विशेष खतरा हो तब लागू करती है।

ख) नगद प्रवाह तथा स्वच्छ मूल्य व्याज दर खातरा 107 (33) (क)

कम्पनी का मुख्य व्याज दर खतरा बैंक जमा से उत्पन्न होता है जो कि व्याज दर में परिवर्तन से कम्पनी को नगद प्रवाह व्याजदर खतरे के सम्मुखीन कर देता है। कम्पनी की नीति अपने अधिकांश जमा को स्थिर दर पर रखने की है।

कम्पनी बैंक जमा उधार सीमा तथा अन्य प्रतिमूर्तियों की विविधता को सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों का उपयोग कर खतरे का प्रबन्धन करती है।

ग) पूँजीगत प्रबन्धन

कम्पनी चूंकि एक सरकारी हस्ती है इसलिए अपनी पूँजी का प्रवन्धन वित्त मंत्रालय के निवेश विभाग तथा सार्वजनिक परिसम्पत्ति प्रवन्धन के दिशानिर्देशों के अनुसार करती है।

कम्पनी की पूँजीगत संरचना निम्नलिखित है : **(₹ करोड़ में)**

	31-03-2017	31-03-2016	01-04-2015
इक्विटी शेयर पूंजी	2218.45	2218.45	2218.45
प्रीफरेंश शेयर पूंजी	855.61	855.61	855.61
लम्बी अवधि के ऋण			
ईडीसी ऋण – गैर वर्तमान	161.01	168.00	164.33
ईडीसी ऋण – वर्तमान	6.19	6.14	5.88
लम्बी अवधि का उधार (प्रीफ. शेयर)	1423.30	1317.87	1220.25

3. कर्मचारी सुविधायें : पहचान तथा माप (इंड ए एस – 19)

i) भविष्य निधि :

कम्पनी कोयला खान भविष्य निधि (कोल माइन्स प्रोविडेंट फंड) (सी एम पी एफ) नामक एक अतिरिक्त ट्रस्ट को पूर्व निर्धारित दर पर भविष्य निधि तथा पेन्सन निधि के लिए निश्चित अंशदान करती है। जो कि निधि को अनुमति प्राप्त प्रतिमूर्तियों में निवेश करती है। वर्ष के दौरान निधि के रूप में अंशदान रू 503.49 करोड़ (रू 493.16 करोड़) था तथा इसे लाभ तथा हानि लेखा (टिप्पणी 28) में पहचान दिया गया है।

ii) कम्पनी निम्नलिखित कुछ मूर्त लाभदायक योजनाओं को भी संबंधित करती है जिसका मूल्यांकन वास्तविक आधार पर किया जाता है –

वित्तपोषित :

- ग्रेच्युइटी
- छुट्टी भुनाना

वित्त आपोषित :

- जीवन रक्षा योजना
- स्थानांतरण भत्ता
- समूह निजी दुर्घटना बीमा
- चिकित्सा सुविधा
- खान दुर्घटना के आश्रितों को क्षतिपूर्ति सुविधा
- छुट्टी यात्रा सुविधा

31.03.2017 को वास्तविक मूल्यांकन आधार पर जिसका विवरण निम्नलिखित है, कुल देयता रू 3605.76 करोड़ थी।

31.03.2017 को वास्ववविक देयता **(₹ करोड़ में)**

क्रम सं.	शीर्ष	01-04-2016 को वास्तविक देयता	वर्ष के दौरान बृदि आधारित देयता	अंतिम वास्तविक देयता 31-03-2017 को
i)	ग्रेच्युइटी	2559.37	62.65	2,622.02
ii)	अर्जित अवकाश	477.70	143.49	621.19
iii)	अर्ध वेतन अवकाश	63.80	13.09	76.89
iv)	छुट्टी यात्रा सुविधा – अधिकारी	17.34	0.45	17.79
v)	छुट्टी यात्रा सुविधा – गैर अधिकारी	25.99	0.85	26.84
vi)	जीवन रक्षा योजना – अधिकारी	0.53	0.00	0.53
vii)	जीवन रक्षा योजना – गैर अधिकारी	17.06	0.52	17.58
viii)	स्थानांतरण भत्ता – अधिकारी	5.99	2.85	8.84
ix)	स्थानांतरण भत्ता – गैर अधिकारी	30.13	0.58	30.71
x)	जानलेवा खान दुर्घटना	40.85	(0.50)	40.35
xi)	समूह निजी दुर्घटना बीमा योजना	0.14	0.00	0.14
xii)	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा सुविधा – अधिकारी के लिए	123.04	10.48	133.52
xiii)	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा सुविधा – गैर अधिकारी के लिए	4.26	5.10	9.36
	कुल	3366.20	239.56	3,605.76

iii) **बीमांकिक के प्रमाणपत्र के अनुसार घोषणा :**

ग्रैच्युइटी (वित्तपोषित) तथा छुट्टी भुनाने (वित्तपोषित) के लिए कर्मचारियों के लिए बीमांकिक के प्रमाण पत्र की घोषणा निम्नलिखित है :

31.03.2017 को ग्रैच्युइटी के वास्तविक मूल्यांकन की देयता

इंडएएस 19 (2015) के अनुसार प्रमाण पत्र

सारणी 1 : घोषणा मद (₹ करोड़ में)

क्रम	दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	31-03-2017	31-03-2016
1	पिछले मूल्यांकन दायित्व का वर्तमान मूल्य	2,559.37	2,609.73
2	वर्तमान सेवा लागत	180.86	164.71
3	व्याज लागत	175.03	195.11
4	प्रतिभागी अंशदान	-	-
5	योजना संशोधन : अवधि के अंत में निहित अंश (विगत सेवा)	-	-
6	योजना संशोधन : अवधि के अंत में गैर निहित अंश (विगत सेवा)	-	-
7	वित्तीय आकलन में परिवर्तन के कारण दायित्व पर वास्तविक लाभ/हानि	143.26	-
8	जन सांदिग्य की आकलन में परिवर्तन के कारण दायित्व पर वास्तविक लाभ/हानि	-	-
9	अप्रत्याशित अनुभव के कारण देयता पर वास्तविक लाभ/हानि	(146.24)	(68.52)
10	अन्य कारण से देयता पर वास्तविक लाभ/हानि	-	-
11	विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तन अप्रभाव	-	-
12	प्रदत्त सुविधा	290.26	341.67
13	अधिग्रहण समंजन	-	-
14	दायित्व का निर्वहन / स्थानांतरण	-	-
15	कटौती लागत	-	-
16	स्थायित्व लागत	-	-
17	अन्य (मूल्यांकन तिथि के अंत में अन सुलझा दायित्व)	-	-
18	मूल्यांकन तिथि पर वर्तमान मूल्य	2,622.02	2,559.37
19	संचित ग्रैच्युइटी	3,800.30	3,866.06

सारणी 2 : घोषणा मद (₹ करोड़ में)

क्रम	योजना परिसम्पत्ति में परिवर्तन पर स्वच्छ मूल्य	31-03-2017	31-03-2016
1	अवधि के प्रारम्भ में योजना परिसम्पत्ति का स्वच्छ मूल्य	2,570.54	2,353.18
2	व्याज आय	186.36	188.25
3	नियोक्ता का अंशदान	165.00	339.79
4	भागीदार का अंशदान	-	-
5	अधिग्रहण / व्यापारिक संयोजन	-	-
6	स्थायित्व लागत	-	-
7	प्रदत्त सुविधायें	290.26	341.67
8	परिसम्पत्ति हदवंदी का प्रभाव	-	-
9	विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
10	प्रशासनिक खर्च तथा बीमा प्रीमियम	-	-
11	व्याज आय छोड़कर योजना परिसम्पत्ति पर वापसी	33.61	30.99
12	मापी गई अवधि के अंत में योजना परिसम्पत्ति का स्वच्छ मूल्य	2,665.25	2,570.54

सारणी 3 : घोषणा मद (₹ करोड़ में)

क्रम	तुलनपत्र का सामंजस्य प्रदर्शन सारणी	31-03-2017	31-03-2016
1	वित्तपोषित स्थिति	(43.23)	(11.17)
2	अमान्य गत सेवा लागत	-	-
3	अवधि के अंत में अमान्य वास्तविक लाभ / हानि	-	-
4	माप के बाद की तिथि पर नियोक्ता द्वारा अंशदान (अनुमाणित)	-	-
5	अवित्तपोषित जमा / पूर्व प्रदत्त पेन्दन लागत	-	-
6	निधि परिसम्पत्ति	2,665.25	2,570.54
7	निधि देयता	2,622.02	2,559.37 7

सारणी 4: घोषणा मद

क्रम	योजना परिकल्पना सारणी	31-03-2017	31-03-2016
1.	छूट दर	7.25 %	8.00%
2.	योजना परिसम्पत्ति पर आनुमानिक मुनाफा	7.25 %	8.00%
3.	क्षतिपूर्ति वृद्धि (वेतन मुद्रा स्फीति) की दर	9.00% आधिकारिक 6.50% गैर आधिकारिक	6.25%
4.	पेन्सन वृद्धि की दर	N/A	N/A
5.	औसत आनुमानित भावी सेवा (शेष कार्य काल)	12	13
6.	दायित्व की औसत अवधि	12	13
7.	मृत्यु संख्या सारणी	आईएएलएम 2006-2008 ULTIMATE	
8.	सेवा निवृति की उम्र – पुरूष	60	60
9.	सेवा निवृति की उम्र – महिला	60	60
10.	शीघ्र सेवानिवृति तथा अक्षमता (सभी मामलों में संयुक्त)	1.00 %	1.00 %

सारणी 5 : घोषणा मद (₹ करोड़ में)

क्रम	लाभ / हानि विवरण में स्वीकृत खर्च	31-03-2017	31-03-2016
1	वर्तमान सेवा लागत	180.86	164.71
2	विगत सेवा लागत (निहित)	-	-
3	विगत सेवा लागत (अविहित)	-	-
4	शुद्ध व्याज लागत	(11.33)	6.86
5	भुगतान पर लागत (हानि / (लाभ))	-	-
6	कटौती पर लागत (हानि / (लाभ))	-	-
7	गत वर्ष के लिए लागू बीमांकिक लाभ हानि	-	-
8	कर्मचारी अनुमानित अंशदान	-	-
9	विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन का शुद्ध प्रभाव	-	-
10	लागत लाभ (लाभ / हानि के विवरण में स्वीकृत खर्च)	169.53	171.57

सारणी 6 : घोषणा मद (₹ करोड़ में)

क्रम	अन्य विस्तृत आय	31-03-2017	31-03-2016
1	वित्तीय परिकल्पना में परिवर्तन के कारण दायित्व पर बीमांकिक लाभ/हानि	143.26	-
2	जनसांख्यिकी परिकल्पना में परिवर्तन के कारण दायित्व पर बीमांकिक लाभ/हानि	-	-
3	अप्रत्याशित अनुभव के कारण दायित्व पर बीमांकिक लाभ/हानि	(146.24)	(68.52)
4	अन्य कारण से दायित्व पर बीमांकिक लाभ/हानि	-	-
5	कुल बीमांकिक लाभ/हानि	(2.98)	(68.52)
6	व्याज आय के अतिरिक्त योजना परिसम्पत्ति पर मुनाफा	33.61	30.99
7	परिसम्पत्ति परिसीमन का प्रभाव	-	-
8	अवधि के अंत में शेष	(36.58)	(99.50)
9	ओसीआई में स्वीकृत अवधि के लिए शुद्ध (आय)/खर्च	(36.58)	(99.50)

सारणी 7 : घोषणा मद (₹ करोड़ में)

क्रम	आय अवधि के अंत में योजना परिसम्पत्ति के आवंटन की सारणी	31-03-2017	31-03-2016
1	नगद तथा नगद समतुल्य	-	-
2	निवेश निधि	-	-
3	अमौलिक (संज्ञात)	-	-
4	परिसम्पत्ति समर्थित प्रतिभूति	-	-
5	संरचनाकृत ऋण	-	-
6	वास्तविक भूसम्पत्ति	-	-
7	विशेष जमा योजना	-	-
8	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	-	-
9	भारत सरकार की परिसम्पत्ति	-	-
10	सामूहिक प्रतिक्षापत्र (बान्ड)	-	-
11	ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-
12	वार्षिकी ठेका / बीमा निधि	-	-
13	अन्य	-	-
	कुल	-	-

सारणी 8 : घोषणा मद (₹ करोड़ में)

क्रम	माप अवधि के अंत में योजना परिसम्पत्ति का कुल आवंटन में प्रतिशत सारणी	31-03-2017	31-03-2016
1	नगद तथा नगद समतुल्य	-	-
2	निवेश निधि	-	-
3	अमौलिक (संज्ञात)	-	-
4	परिसम्पत्ति समर्थित प्रतिभूति	-	-
5	संरचनाकृत ऋण	-	-
6	वास्तविक भूसम्पत्ति	-	-
7	विशेष जमा योजना	-	-
8	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	-	-
9	भारत सरकार की परिसम्पत्ति	-	-
10	सामूहिक प्रतिक्षापत्र (बान्ड)	-	-
11	ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-
12	वार्षिकी ठेका / बीमा निधि	-	-
13	अन्य	-	-
	कुल	-	-

सारणी 9 : घोषणा मद (₹ करोड़ में)

मृत्यु संख्या सारणी	
उम्र	मृत्यु संख्या (प्रति वर्ष
25	0.0009840
30	0.0010560
35	0.0012820
40	0.0018030
45	0.0028740
50	0.0049460
55	0.0078880
60	0.0115340
65	0.0170085
70	0.0258545

सारणी 10 : घोषणा मद **(₹ करोड़ में)**

31-03-2016			31-03-2017	
वृद्धि	कमी	संवेदनशीलता विश्लेषण	वृद्धि	कमी
-	-	छूट दर (-/+ 0.5%)	2,522.65	2,722.18
-	-	संवेदनशीलता के कारण आधार तुलनात्मक % परिवर्तन	-3.79%	3.82%
-	-	वेतन में वृद्धि (-/+ 0.5%)	2,646.67	2,598.69
-	-	संवेदनशीलता के कारण आधार तुलनात्मक % परिवर्तन	0.94%	-0.89%
-	-	अपधर्षण दर (-/+ 0.5%)	2,629.62	2,613.63
-	-	संवेदनशीलता के कारण आधार तुलनात्मक % परिवर्तन	0.29%	-0.32%
-	-	मृत्यु की दर (-/+ 10%)	2,642.74	2,602.62
-	-	संवेदनशीलता के कारण आधार तुलनात्मक % परिवर्तन	0.79%	-0.74%

सारणी 11 : घोषणा मद

नगद प्रवाह सूचना सारणी

	भारतीय रूपए (₹ करोड़ में)
आगामी वर्ष कुल (अनुमानित)	2856.55
न्यूनतम वित्तपोषण आवश्यकतायें	लागू नहीं
कम्पनी की विवेकशीलता	शून्य

सारणी 12 : घोषणा मद

क्रम.	आकस्मित भावी भुगतान सूचना लाभ सारणी (विगत सेवा)	
	वर्ष	(₹ करोड़ में)
1	1	277.00
2	2	273.36
3	3	277.67
4	4	267.31
5	5	262.80
6	6 से 10	1,295.61
7	10 वर्ष से अधिक	2,192.64
8	कुल बिना छूट भुगतान (विगत तथा भावी सेवा)	-
9	विगत सेवा से संबंधित कुल बिना छूट भुगतान	4,846.38
10	व्याज के लिए कम छूट	2,224.36
11	प्रस्तावित देयता लाभ	2,622.02

सारणी 13 : घोषणा मद

अगली अवधि में शुद्ध सावधि अगले वर्ष के घटकों पर लाभ लागत

क्रम	विवरण	(₹ करोड़ में)
1	वर्तमान सेवा लागत (नियोक्ता भाग केवल) अगली अवधि	195.90
2	अगली अवधि में व्याज लागत	185.97
3	योजना परिसम्पत्ति पर अनुमानित लाभ	194.57
4	गत सेवा लागत अस्वीकृत	-
5	अवधि के अंत में अस्वीकृत बीमांकिक लाभ हानि	-
6	व्यवस्थापन लागत	-
7	छूट / कमी लागत	-
8	अन्य (बीमांकिक लाभ / हानि)	-
9	सुविधा लागत	187.30

सारणी 14 : घोषणा मद

माप अवधि के अंत में योजना परिसम्पत्ति पर आनुमानित लाभ की सारणी **(₹ करोड़ में)**

क्रम	विवरण	31-03-2017	31-03-2016
1	वर्तमान देयता	267.48	284.57
2	गैर वर्तमान देयता	2,354.55	2,274.79
3	शुद्ध देयता	2,622.02	2,559.37

31.03.2017 को छुट्टी भुनाने के लाभ (अर्जित अवकाश/अर्धवेतन अवकाश) का बीमांकिक मूल्यांकन

इंडएएस 19 (2015) के अनुसार प्रमाण पत्र

वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार सर्वश्रेष्ठ आकलन अनुमान पर आधारित मूल्यांकन की एक झलक निम्नलिखित है।

ारणी 1 : घोषणा मद (₹ करोड़ में)

क्रम	दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	31-03-2017	31-03-2016
1	पिछले मूल्यांकन दायित्व का वर्तमान मूल्य	541.50	560.31
2	वर्तमान सेवा लागत	103.26	64.19
3	व्याज लागत	35.43	39.41
4	प्रतिभागी अंशदान	-	-
5	योजना संशोधन : अवधि के अंत में निहित अंश (विगत सेवा)	-	-
6	योजना संशोधन : अवधि के अंत में गैर निहित अंश (विगत सेवा)	-	-
7	वित्तीय आकलन में परिवर्तन के कारण दायित्व पर वास्तविक लाभ/हानि	68.60	-
8	जन सांख्यिकी आकलन में परिवर्तन के कारण दायित्व पर वास्तविक लाभ/हानि	-	-
9	अप्रत्याशित अनुभव के कारण देयता पर वास्तविक लाभ/हानि	54.96	12.99
10	अन्य कारण से देयता पर वास्तविक लाभ/हानि	-	-
11	विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तन अप्रभाव	-	-
12	प्रदत्त सुविधा	105.66	135.40
13	अधिग्रहण समंजन	-	-
14	दायित्व का निर्वहन / स्थानांतरण	-	-
15	कटौती लागत	-	-
16	स्थायित्व लागत	-	-
17	अन्य (मूल्यांकन तिथि के अंत में अन सुलझा दायित्व)	-	-
18	मूल्यांकन तिथि पर वर्तमान मूल्य	698.09	541.50
19	संचित ग्रैच्युइटी	749.07	706.40

सारणी 2 : घोषणा मद (₹ करोड़ में)

क्रम	योजना परिसम्पत्ति में परिवर्तन पर स्वच्छ मूल्य	31-03-2017	31-03-2016
1	अवधि के प्रारम्भ में योजना परिसम्पत्ति का स्वच्छ मूल्य	-	-
2	व्याज आय	15.17	-
3	नियोक्ता का अंशदान	470.02	-
4	भागीदार का अंशदान	-	-
5	अधिग्रहण / व्यापारिक संयोजन	-	-
6	स्थायित्व लागत	-	-
7	प्रदत्त सुविधायें	105.66	-
8	परिसम्पत्ति हदबंदी का प्रभाव	-	-
9	विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
10	प्रशासनिक खर्च तथा बीमा प्रीमियम	-	-
11	व्याज आय छोड़कर योजना परिसम्पत्ति पर वापसी	(0.91)	-
12	मापी गई अवधि के अंत में योजना परिसम्पत्ति का स्वच्छ मूल्य	378.62	-

सारणी 3 : घोषणा मद (₹ करोड़ में)

क्रम	तुलनपत्र का सामंजस्य प्रदर्शन सारणी	31-03-2017	31-03-2016
1	वित्तपोषित स्थिति	(319.47)	(541.50)
2	अमान्य गत सेवा लागत	-	-
3	अवधि के अंत में अमान्य वास्तविक लाभ / हानि	-	-
4	माप के बाद की तिथि पर नियोक्ता द्वारा अंशदान (अनुमाणित)	-	-
5	अवित्तपोषित जमा / पूर्व प्रदत्त पेन्सन लागत	-	-
6	निधि परिसम्पत्ति	378.62	-
7	निधि देयता	698.09	541.50

सारणी 4: घोषणा मद

क्रम	योजना परिकल्पना सारणी	31-03-2017	31-03-2016
1.	छूट दर	7.25 %	8.00%
2.	योजना परिसम्पत्ति पर आनुमानिक मुनाफा	7.25 %	N/A
3.	क्षतिपूर्ति वृद्धि (वेतन मुद्रा स्फीति) की दर	9.00% आधिकारिक 6.50% गैर आधिकारिक	6.25%
4.	पेन्सन वृद्धि की दर	N/A	N/A
5.	औसत आनुमानित भावी सेवा (शेष कार्य काल)	12	13
6.	दायित्व की औसत अवधि	12	13
7.	मृत्यु संख्या सारणी	आईएएलएम 2006-2008 अंतिम	
8.	सेवानिवृति की उम्र – पुरूष	60	60
9.	सेवानिवृति की उम्र – महिला	60	60
10.	शीघ्र सेवानिवृति तथा अक्षमता (सभी मामलों में संयुक्त)	1.00 %	1.00 %
11.	स्वैच्छिक सेवा निवृति	उपेक्षित	उपेक्षित

सारणी 5 : घोषणा मद (₹ करोड़ में)

क्रम	लाभ / हानि विवरण में स्वीकृत खर्च	31-03-2017	31-03-2016
1	वर्तमान सेवा लागत	103.26	64.19
2	विगत सेवा लागत (निहित)	-	-
3	विगत सेवा लागत (अविहित)	-	-
4	शुद्ध व्याज लागत	20.25	39.41
5	भुगतान पर लागत (हानि / (लाभ))	-	-
6	कटौती पर लागत (हानि / (लाभ))	-	-
7	गत वर्ष के लिए लागू बीमांकिक लाभ हानि	124.47	12.99
8	कर्मचारी अनुमानित अंशदान	-	-
9	विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन का शुद्ध प्रभाव	-	-
10	लागत लाभ (लाभ / हानि के विवरण में स्वीकृत खर्च)	247.99	116.59

सारणी 6 : घोषणा मद (₹ करोड़ में)

क्रम	अन्य विस्तृत आय	31-03-2017	31-03-2016
1	वित्तीय परिकल्पना में परिवर्तन के कारण दायित्व पर बीमांकिक लाभ/हानि	-	-
2	जनसांख्यिकी परिकल्पना में परिवर्तन के कारण दायित्व पर बीमांकिक लाभ/हानि	-	-
3	अप्रत्याशित अनुभव के कारण दायित्व पर बीमांकिक लाभ/हानि	-	-
4	अन्य कारण से दायित्व पर बीमांकिक लाभ/हानि	-	-
5	कुल बीमांकिक लाभ/हानि	-	-
6	व्याज आय के अतिरिक्त योजना परिसम्पत्ति पर मुनाफा	-	-
7	परिसम्पत्ति परिसीमन का प्रभाव	-	-
8	अवधि के अंत में शेष	-	-
9	ओसीआई में स्वीकृत अवधि के लिए शुद्ध (आय)/खर्च	-	-

सारणी 7 : घोषणा मद

मृत्यु संख्या सारणी	
उम्र	मृत्यु संख्या (प्रति वर्ष)
25	0.0009840
30	0.0010560
35	0.0012820
40	0.0018030
45	0.0028740
50	0.0049460
55	0.0078880
60	0.0115340
65	0.0170085
70	0.0258545

सारणी 8 : घोषणा मद (₹ करोड़ में)

31-03-2016			31-03-2017	
वृद्धि	कमी	संवेदनशीलता विश्लेषण	वृद्धि	कमी
-	-	छूट दर (-/+ 0.5%)	672.82	723.78
-	-	संवेदनशीलता के कारण आधार पर तुलनात्मक % परिवर्तन	-3.62%	3.68%
-	-	वेतन में वृद्धि (-/+ 0.5%)	723.64	675.12
-	-	संवेदनशीलता के कारण आधार पर तुलनात्मक % परिवर्तन	3.66%	–3.29%
-	-	अपधर्षण दर (-/+ 0.5%)	698.64	697.53
-	-	संवेदनशीलता के कारण आधार पर तुलनात्मक % परिवर्तन	0.08%	–0.08%
-	-	मृत्यु की दर (-/+ 10%)	701.02	695.22
-	-	संवेदनशीलता के कारण आधार पर तुलनात्मक % परिवर्तन	0.42%	–0.41%

सारणी 9 : घोषणा मद

क्रम.	आकस्मित भावी भुगतान सूचना लाभ सारणी (विगत सेवा)	
	वर्ष	(₹ करोड़ में)
1	1	55.18
2	2	56.64
3	3	59.29
4	4	56.81
5	5	58.35
6	6 से 10	298.80
7	10 वर्ष से अधिक	699.78
8	कुल बिना छूट भुगतान (विगत तथा भावी सेवा)	-
9	विगत सेवा से संबंधित कुल बिना छूट भुगतान	1284.85
10	व्याज के लिए कम छूट	586.77
11	प्रस्तावित देयता लाभ	698.09

सारणी 10 : घोषणा मद

माप अवधि के अंत में योजना परिसम्पत्ति पर आनुमानित लाभ की सारणी **(₹ करोड़ में)**

क्रम	विवरण	31-03-2017	31-03-2016
1	वर्तमान देयता	61.18	60.94
2	गैर वर्तमान देयता	636.91	480.56
3	शुद्ध देयता	698.09	541.50

4. मान्यताविहीन मद

क) आवश्यक देयतायें

कम्पनी का विरुद्ध अनभिस्वीकृत ऋण के दावे (व्याज सहित जहाँ लागू हो)

ऋण के रूप में कम्पनी के विरूद्ध अनभिस्वीकृत दावे **(₹ करोड़ में)**

		31-03-2017	31-03-2016
1.	**केन्द्रीय सरकार**		
	रॉयल्टी	-	-
	केन्द्रीय उत्पाद कर	652.36	595.99
	आय कर	393.18	809.51
	सेवा कर	36.54	36.54
2.	**राज्य सरकार तथा स्थानीय अधिकारी**		
	विक्रय कर, आरई सेस, पीई सेस	1205.06	1121.28
3.	**केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम**		
	कम्पनी के विरूद्ध विवादाधीन मामले		
4.	**अन्य** (कर्मचारी तथा ठेकेदार संबंधी इत्यादि)	705.29	360.02
	कुल योग	2992.43	2923.34

न्यायालय	31-03-2017 के मामलों की संख्या	31-03-2016 के मामलों की संख्या
उच्चतम न्यायालय	22	18
उच्च न्यायालय	480	529
जिला न्यायालय	377	310
सी जी आई टी	234	197
अन्य मंच	291	134

क्रम.	विवरण	31-03-2017 को (₹ करोड़ में)	31-03-2016 को (₹ करोड़ में)
1	आयकर– आईटीएटी के समक्ष आयकर विभाग द्वारा दर्ज अपील	214.88	214.85
2	आयकर– सीआईटी (अपील) के समक्ष दर्ज अपील	129.69	580.28
3	आयकर– आईटीएटी के समक्ष दर्ज अपील	48.62	14.38
4	सेवाकर– उच्च न्यायालय के समक्ष विभाग द्वारा दर्ज अपील	-	-
5	सेवाकर– सीईएसटीएटी के समक्ष विभिन्न मामलों में दर्ज अपील	36.54	36.54
6	सेवाकर– सीसीई/डीसी/जेसीई के समक्ष	-	-
7	केन्द्रीय उत्पाद कर सीईएसटीएटी, कोलकाता के समक्ष रायल्टी तथा अन्य पर उत्पाद कर से संबंधित दर्ज अपील	610.76	570.81
8	केन्द्रीय उत्पाद कर– सीसीई के समक्ष दर्ज अपील	41.60	25.18
9	प्रवेश कर,विक्री कर,सीएसटी, वीएटी–उच्च न्यायालय/ट्रिव्यूनल के समक्ष दर्ज अपील	128.80	84.55
10	कम्पनी के विरूद्ध कर्मचारियों/ठेकेदारों तथा अन्य द्वारा मध्यस्थता, एएलसी, आरएसपी तथा विभिन्न न्यायालयों में दर्ज परिवाद	678.16	305.84
11	वन विभाग तथा अन्य भूमि मामे – मांग प्रस्तुत पर ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं	20.86	54.18
12	व्यापारिक प्राप्तियाँ – दावे कम्पनी के विरूद्ध ऋण तथा बाद के रूप में स्वीकृत नहीं	-	-
13	अन्य (वैट, सीएसटी, आरई, पीई सेस इत्यादि)	1082.52	1036.73
	कुल	2992.43	2923.34

ख) वचनबद्धता :

ठेके की आकलित राशि जो पूँजीगत खाते में कार्यान्वित लिए जाने के लिए शेष तथा उपलब्ध नहीं कराए गए :

अन्य :

- पूंजीगत खाते में कार्यान्वित किए जाने के लिए शेष तथा उपलब्ध नहीं कराई गई राशि रू 216.73 करोड़ (रू 221.99 करोड़) है।
- राजस्व खाते में कार्यान्वित किए जाने के लिए शेष तथा उपलब्ध नहीं कराई गई राशि रू 7037.93 करोड़ (रू 6610.14 करोड़) है।

ग) उधार पत्र :

31.03.2017 को बकाया उधार पत्र (एलओसी) रू 40.09 करोड़ (रू 65.74 करोड़) तथा बैंक प्रतिभूति रू 36.08 करोड़ (रू. 31.83 करोड़) है।

5. अन्य सूचनायें

क) सरकारी सहायता

इंड ए एस – 20 सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन तथा सरकारी सहायता का प्रकटीकरण : 31 मार्च 2017 को समाप्त नौ महीनों की अवधि के लिए ली गई बालू भरण (स्टोइंग) तथा प्रतिरक्षण (प्रोटेक्टिव) कार्य के लिए सहायता रू 91.41 करोड़ (रू 84.75 करोड़) को टिप्पणी 23 में ''संचालन से राजस्व'' मे अन्य संचालन राजस्व के अंतर्गत दिखाया गया है। उसी के लिए प्राप्य रू 79.44 करोड़ (रू 61.15 करोड़) की सहायता को प्राप्य सहायता शीर्ष के अंतर्गत ''अन्य वित्तीय परिसम्पत्ति'' के रूप में टिप्पणी 9 में दिखाया गया है।

ख) प्रावधान :

कर्मचारी सुविधा से संबंधित को छोड़कर विभिन्न प्रावधानों को स्थिति तथा गतिविधि जो 31.03.2017 को बीमांकिक मूल्यांकित किए गए निम्नलिखित हैं :

प्रावधान	01-04-2016 को आर्थिक शेष	वर्ष के दौरान योग	वर्ष के दौरान समंजित वट्टे खाते	खुलती हुई छूट	31-03-2017 को अंतिम शेष
टिप्पणी 3:-सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण					
परिसम्पत्ति का मूल्य ह्रास	132.15	291.87	38.93	0.00	385.09
परिसम्पत्ति की दुर्वलता	31.39	33.31	0.00	0.00	64.70
टिप्पणी 4- पूंजीगत चालू कार्य :					
सी डब्ल्यू आई पी के विरूद्ध	6.17	0.00	5.73	0.00	0.44
टिप्पणी 5:- परिसम्पत्ति का अन्वेषण तथा मूल्यांकन					
प्रावधान तथा मूल्य ह्रास	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
टिप्पणी 8:- ऋण :					
अन्य ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
टिप्पणी 9:- अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियाँ अनुषंगी कम्पनियों में चालू खाता :					
प्राप्य दावें	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
टिप्पणी 10: अन्य अवर्तमान परिसम्पत्तियाँ					
अन्वेषणीय भूवेधन कार्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सुरक्षा जमा के विरूद्ध उपयोगिता के लिए	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
टिप्पणी 11: अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियाँ अग्रिम तथा राजस्व :					
संवैधानिक बकाया के विरूद्ध अग्रिम भुगतान	0.05	0.25	0.00	0.00	0.30
अन्य जमा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
टिप्पणी 12: सम्पत्ति सूची :					
कोयला का स्टॉक	1.76	0.00	0.00	0.00	1.76
भंडार (सामग्री तथा अतिरिक्त पुर्जो का स्टॉक)	40.40	2.44	0.00	0.00	42.84
टिप्पणी 13: व्यापारिक :					
बुरे तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	518.17	0.00	147.07	0.00	371.10
टिप्पणी 21 :- गैर वर्तमान तथा वर्तमान प्रावधान					
परफार्मेंस रिलेटेड पे	332.95	0.00	188.69	0.00	144.26
एनसीडब्ल्यूए – **X**	0.00	453.25	0.00	0.00	453.25
स्थल पुन:स्थापन	433.91	87.96	0.00	0.00	521.87
अन्य	127.30	15.58	0.00	0.00	142.88

ग) भाग प्रतिवेदन :

इंड ए एस – 108/11 के प्रावधान की सहमति में ''संचालन भाग'', संचालन भाग का उपयोग जो सूचना की पहचान पर आधारित है उसका आंतरिक प्रतिवेदन बीओडी द्वारा भाग के स्रोत के आवंटन कार्य निष्पत्ति के मूल्यांकन के लिए उपयोग किया जाता है। इंड एएस 108 की परिभाषा कम्पनी के मुख्य संचालन के निर्णय कर्ता है।

कम्पनी के निदेशक मंडल मानते हैं कि वर्तमान समय में कोयला का विक्रय एकमात्र प्रतिवेदन योग्य भाग है जो इस व्यापार का विशिष्ट उत्पाद है।

घ) प्रति शेयर आय

क्रम सं.	विवरण	31-03-2017 को समाप्त वर्ष	31-03-2016 को समाप्त वर्ष
i)	इक्विटी शेयर धारकों को आरोपणीय करोपरांत शुद्ध लाभ	6.13	725.61
ii)	वकाया इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या	22184500	22184500
iii)	मूल्य तथा तनुकृत रूपयों में मूल तथा तथा तनुकृत प्रति शेयर शेयर आय	2.76	327.08

ङ) संबंधित पार्टी प्रकटीकरण :

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक

1)	श्री आर आर मिश्र	अप्रनि (अतिरिक्त प्रभार) 23.11.16 से
2)	श्री सी के दे	अप्रनि (अतिरिक्त प्रभार) 01.06.15 से 22.11.16 तक
3)	श्री के एस पात्रो	निदेशक कार्मिक
4)	श्री ए एम मराठे	निदेशक वित्त, निदेशक तकनीकी अतिरिक्त प्रभार (01.03.16 से 16.8.16 तक)
5)	श्री बी एन शुक्ला	निदेशक तकनीकी संचालन (17.8.16 से)
6)	श्री ए के सिंह	निदेशक तकनीकी यो. परि. (15.09.16 से)

अंशकालिक सरकारी निदेशक :

1)	श्री सी के डे	निदेशक वित्त कोल इंडिया लि.
2)	श्री बी पेदन्ना	संयुक्त सचिव कोयला मंत्रालय (28.02.2017 तक)

स्वतंत्र निदाशक

1) डा० (प्रो.) इंदिरा चक्रवर्ती

कम्पनी सचिव

1) श्री वी आर रेड्डी

मुख्य प्रबन्धकीय कार्मिक कर पारिश्रमिक : (₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	अप्रनि, पूर्णकालिक निदेशक तथा कम्पनी सचिव	31-03-2017 को समाप्त वर्ष	31-03-2016 को समाप्त वर्ष
i)	**अल्प अवधि कर्मचारी सुविधा :**		
	कुल वेतन	0.85	0.86
	परिलाभ	0.18	0.26
	चिकित्सा सुविधा	0.00	0.01
ii)	**नियोजन पश्चात सुविधा :**		
	भविष्य निधि तथा अन्य निधि में अंशदान	0.11	0.11
iii)	**समापन सुविधा (अलग होने पर देय)**		
	छुट्टी का भुगतान	0.00	0.28
	ग्रेच्युइटी	0.00	0.10
iv)	**अन्य**	0.04	0.04
	TOTAL	**1.18**	**1.66**

टिप्पणी (i) बीमांकिक मूल्यांकन की परिभाषित सुविधाओं के आधार पर निदेशकों के उपरोक्त पारिश्रमिक में प्रावधान पर विचार नहीं किया गया है। (ii) उपरोक्त के अतिरिक्त, पूर्णकालिक निदेशकों को सेवा शर्तों के अुनसार रू 2000.00 प्रतिमाह के भुगतान पर 1000 किलोमीटर की सीमा तक निजी यात्रा के लिए (सरकारी) कार को उपयोग की अनुमति है। **(₹ करोड़ में)**

क्रम	स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान	31-03-2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2016 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	पदस्थापन शुल्क	0.05	0.01

31-03-2017 को शेष बकाया **(₹ करोड़ में)**

क्रम	विवरण	31-03-2017 को	31-03-2016 को
i)	देय राशि	शून्य	शून्य
ii)	प्राप्य राशि	शून्य	शून्य

(ii) कम्पनी को एक सरकारी प्रतिष्ठान होने के कारण पार्टी लेनदेन तथा बकाया शेष के लिए नियंत्रक सरकार से तथा इसी सरकार के अधीन अन्य प्रतिष्ठान से सामान्य आवश्यकताओं के प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है।

ईस्टर्न कोलफील्डस् लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी अनुषंगी कम्पनियों से लेनदेन में प्रविष्ट है जिसमें एपेक्स प्रभार, पुनर्वास प्रभार, सीएमपीडीआईएल खर्च, अनुसंधान तथा विकास खर्च, आईआईसीएम प्रभार तथा अन्य खर्च जो चालू खाता के माध्यम से ईसीएल की ओर से कोल इंडिया खर्च करती है शामिल है।

इंड एसस 24 के अनुसार विशिष्ट लेनदेन की राशि तथा प्रकृति के बारे में निम्नलिखित प्रकटीकरण प्रस्तुत है।

कम्पनी का नाम	सम्बन्ध	वर्ष के दौरान लेनदेन की राशि	
		खर्च	जमा
कोल इंडिया लिमिटेड	होल्डिंग कम्पनी	4893395807.26	2008681646.13
भारत कोकिंग कोल कम्पनी	सिस्टर कम्पनी	11000456.34	11000456.34
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	सिस्टर कम्पनी	10809355.36	10809355.36
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	सिस्टर कम्पनी	6150422.56	6150422.56
नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड	सिस्टर कम्पनी	20601884.12	20601884.12
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	सिस्टर कम्पनी	374005111.82	374005111.82
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	सिस्टर कम्पनी	9096605.05	9096605.05
सी एम पी डी आई एल लिमिटेड	सिस्टर कम्पनी	357686386.45	357686386.45

च) करारोपण :

स्थगित कर की गणना

- पिछली लेखांकन अवधि की तुलना में लागू कर की दर में परिवर्तन पर स्पष्टीकरण।
- लेखांकन लाभ तथा कर खर्च (आय) के बीच सम्बन्ध।

(₹ करोड़ में)

	31-3-2017 को	**31-3-2016 को**
स्थगित कर :		
स्थिर परिसम्पत्ति से संबंधित	7.10	15.25
स्थगित कर परिसम्पत्ति :		
संदिग्ध ऋणों दावों इत्यादि के लिए प्रावधान		
कर्मचारी विच्छेद तथा सेवा निवृति	71.65	62.75
अन्य	109.22	101.97
कुल स्थगित कर परिसम्पत्ति	180.87	164.72
शुद्ध स्थगित कर परिसम्पत्ति/(स्थगित कर देयता) :	173.77	149.47

एमएटी उधार योग्यता :

वित्त वर्ष 2014-15 (निर्धारण वर्ष 2015-16) के लिए प्रस्तुत आयकर विवरणी के अनुसार चूंकि कम्पनी ने सामान्य आयकर देय राशि को पार पर लिया है इसलिए कम्पनी द्वारा न्यूनतम अल्टरनेटिव कर (मिनिमम वैकल्पिक टैक्स (मैट) के भुगतान की आवश्यकता है। यह मैट उधार योग्यता जो वित्त वर्ष 2014-15 (वि. व. 2015-16) के लिए प्रस्तुत विवरणी के अनुसार सामान्य आयकर से अधिक देय है उसकी तुलनपत्र तथा संशोधित आयकर विवरणी तथा मैट सुधार योग्यता के अनुसार समीक्षा की गई तथा चालू वर्ष में शामिल किया गया है।

छ) बीमा तथा वृद्धि दावे

बीमा तथा वृद्धि के दावों का लेखांकन प्रवेश / अंतिम समझौते के आधार पर किया जाता है।

ज) लेखा में किए गए प्रावधान

धीमी गति / पुन: की हुई / अनुपयोगी भंडार सामग्री के लिए लेखा में प्रावधान, प्राप्य दावे, अग्रिम, संदिग्ध ऋण तथा संभावित हानि को पूरा करने हेतु पर्याप्त किए गए है।

झ) वर्तमान परिसम्पत्ति, ऋण तथा अग्रिम इत्यादि प्रवन्धन की राय में, स्थिर परिसम्पत्ति के अतिरिक्त परिसम्पत्ति तथा गैर वर्तमान निवेश, व्यापार के सामान्व मामले में वसूली पर मूल्य रखता हैं। जो कि उस रकम के बराबर जिसे कहा गया है।

ञ) वर्तमान देयताये

जहाँ वास्तविक देयता की माप सम्भव नहीं थी वहाँ आकलित देयता दी गई है।

ट) शेष का प्रमाणीकरण

शेष का प्रमाणीकरण / समंजन नगद तथा बैंक शेष, ऋण तथा अग्रिमों लम्बी अवधि की देयताओं तथा वर्तमान देयताओं के लिए किया जाता है। सभी संदिग्ध अपुष्ट शेषों के लिए प्रावधान किया गया है।

ठ) सीमाई एक आधार पर आपात का मूल्य

(₹ करोड़ में)

क्रम	विवरण	31-03-2017 को समाप्त वर्ष	31-03-2016 को समाप्त वर्ष
i)	कच्चा माल	0.00	0.00
ii)	पूंजीगत माल	151.89	149.08
iii)	भंडार सामग्री, अतिरिक्त पुरजे तथा अन्य घटक	4.75	11.24

ड) विदेशी मुद्रा में खर्च :

(₹ करोड़ में)

क्रम	विवरण	31-03-2017 को समाप्त वर्ष	31-03-2016 को समाप्त वर्ष
i)	यात्रा खर्च	0.34	0.13
ii)	प्रशिक्षण खर्च	2.62	0.25
iii)	सलाह प्रभार	1.62	1.95
iv)	व्याज	0.00	0.00
v)	भंडार सामग्री तथा अतिरिक्त पुरजे	4.75	4.75
vi)	पूंजीगत सामग्री	151.89	149.08
vii)	अन्य	0.00	0.00

ढ) विदेशी मुद्रा में लाभ

(₹ करोड़ में)

क्रम	विवरण	31-03-2017 को समाप्त वर्ष	31-03-2016 को समाप्त वर्ष
i)	यात्रा खर्च	शून्य	शून्य
ii)	प्रशिक्षण खर्च	शून्य	शून्य
iii)	सलाह प्रभार	शून्य	शून्य

ण) भंडार सामग्री तथा अतिरिक्त पुरजों का उपभोग :

(₹ करोड़ में)

क्रम	विवरण	31-03-2017 को समाप्त वर्ष		31-03-2016 को समाप्त वर्ष	
		मूल्य	% of total consumption	मूल्य	% of total consumption
i)	आयतित सामग्री	3.15	0.45 %	15.23	2.06 %
ii)	स्वदेशी	690.10	99.55 %	723.37	97.94 %
	कुल योग	**693.25**	**100.00 %**	**738.60**	**100.00 %**

त) कोयला तथा प्रारंभिक स्टॉक, उत्पादन, क्रय, व्यापार तथा कोंला का अंतिम स्टॉक

(₹ करोड़ में तथा मात्रा लाख टन में)

विवरण	31-03-2017 को समाप्त वर्ष		31-03-2016 को समाप्त वर्ष	
	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य
प्रारंभिक स्टॉक	**50.54**	**570.74**	**34.52**	**386.00**
उत्पादन	405.17	---	402.09	---
विक्रय	428.08	9515.12	383.79	9610.21
निजी उपभोग	2.08	63.34	2.28	77.30
बट्टे खाते डाले गए	0.00	0.00	0.00	0.00
अंतिम स्टॉक	**25.55**	**414.56**	**50.54**	**570.74**

टिप्पणी : 1995-96 से ही लेखा में टिप्पणी 11 के संलग्नक में विक्रय से आयोग्य कोयला का स्टॉक जो 471407 टन था इसका शून्य मूल्य दिखाया जा रहा था। बोर्ड संकल्प से 296.03 (एस) के अनुसार बोर्ड ने 18 मार्च 2017 को सम्पन्न 296 वीं बोर्ड बैठक में शून्य मूल्य के 471407 टन विक्रय से अयोग्य से कोयला को वट्टे खाते चलने की मंजूरी दे दी।

थ) राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता (एनसीडब्ल्यूए) X का प्रावधान :

गैर अधिकारी कर्मियों के लिए राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता (एमसीडब्ल्यूए) X के विचाराधीन रहते हुए प्रतिमाह प्रति कर्मचारी (गैर अधिकारी) रू 8000/- का आकलित एक मुफ्त प्रावधान किया गया है। जिसमें वेतन तथा मजदूरी (भविष्य निधि में कर्मचारी अंशदान सहित), अन्य कर्मचारी सुविधायें तथा सभी सेवानिवृति लाभ यथा ग्रैच्युइटी इत्यादि 01.07.2016 से 31.03.2017 की अवधि के लिए शामिल है जिसकी राशि रू 453.25 करोड़ है तथा उसे एनसीडब्ल्यूए X के प्रावधान में टिप्पणी 21 था टिप्पणी–28 दिखाया गया है।

द) अधिकारियों के वेतन में तृतीय सी पी एस ई वेतन :

पुनरीक्षण : अधिकारियों का वेतन पुनरीक्षण 01.01.2017 से बकाया है। सार्वजनिक उपक्रम द्वारा वेतन के निर्णयाधीन रहते हुए रू 18000 प्रति माह प्रति अधिकारी का आकलित एक मुफ्त प्रावधान किया गया है जिसके वृद्धि का कुल प्रभाव वेतन के समस्त तत्वों (कर्मचारी भविष्यनिधि योगदान सहित) अन्य सुविधायें तथा समस्त सेवानिवृति लाभ यथा ग्रैच्युइटी इत्यादि के लिए 01.01.2017 से 31.03.2017 के लिए रू 12.51 करोड़ का प्रावधान किया गया है तथा इसे अधिकारी वेतन पुनरीक्षण के टिप्पणी संख्या 21 तथा 28 में प्रावधान के रूप में दिखाया गया है।

ध) अन्वेषण तथा मूल्यांकन परिसम्पत्ति :

माईनिंग लीज विहीन भूमि में सीएमपीडीआईएल द्वारा ईसीएल के अधिकार क्षेत्र मे अन्वेषण तथा भूवेधन के लिए खर्च के रूप में रू 11.53 करोड़ को वर्ष के दौरान टिप्पणी 5 मे जोड़ा गया है।

न) विशिष्ट लेखांकन नीति :

गत वर्ष के विरूद्ध विशिष्ट लेखांकन नीति (टिप्पणी – 2) में उपयुक्त रूप से संशोधित/पुनलेखित की गई है क्योंकि कम्पनी (भारतीय लेखांकन स्तर) नियमावली 2015 के अधीन सामूहिक मामला मंत्रालय (एमजीए) द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखांकन स्तर (इंडियन एकाउन्टिंग स्टैंडर्डस–एएसएस की सहमति में कम्पनी द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीति को स्पष्ट करना आवश्यक माना गया।

लेखांकन नीति में परिवर्तन तथा अन्य परिवर्तनों के अनुपालन से इंड ए एस में शुद्ध लाभ पर प्रभाव निम्नलिखित है :

विगत भारतीय जीएएपी तथा इंडएएस के बीच लाभ का सामंजस्य

क्रम	समंजन की प्रकृति	31-03-2017 को समाप्त वर्ष
1	गत भारतीय जीएएपी के अनुसार (कर पश्चात) शुद्ध लाभ	86.30
2	इंडएएस 16 के अनुसार माधन क्लोजर प्रावधान की पुनर्माप (कर की शुद्ध मात्रा)	(49.35)
3	लम्बी अवधि की उधारी पर परिशोधन (प्रीफ. शेयर)	(68.94)
4	एस्क्रोनिधि पर व्याज की मान्यता	11.55
5	स्थल पुन:स्थापन प्रावधान बट्टे खाते	54.38
6	इंडएएस के 16 अनुसार कर्मचारी परिभाषित लाभ योजना में मान्य अन्य विस्तृत आय (कर की शुद्ध मात्रा)	(23.92)
7	पूर्वावधि समंजन का प्रभाव (कर की शुद्ध मात्रा)	0.00
8	**इक्विटी शेयर होल्डरो को आरोपणीय इंडएस के अनुसार शुद्ध लाभ (करोपरात)**	10.02
9	अन्य विस्तृत आय (करोपरांत)	23.92
10	**इक्विटी शेयर होल्डरों को आरोपणीय इंडएस के अनुसार कुल विस्तृत आय (करोपरांत)**	33.94

6. प्रथमवार इंड एएस का अंगीकरण

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए ये वित्तीय विवरण प्रथम है जिसे कम्पनी ने इंड एएस की सहमति में तैयार किया है। 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष सहित तथा तब तक कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 133 के अधीन अधिसूचित लेखांकन स्तर की सहमति में अपने वित्तीय विवरण तैयार करती रही है। तथा कंपनी (लेखाकन) नियमावली 2014 (इंडियन गैस) के पैरा 7 सहित तदनुसार कम्पनी ने 31 मार्च 2017 को समाप्त अवधि के लिए इंड एएस के साथ लाभू वित्तीय विवरण तैयार किया है। तथा 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनात्मक आंकड़े सहित, जैसा कि विशिष्ट लेखांकन नीति के सारांश में कहा गया है।

इस वित्तीय विवरणों को तैयार करने में कम्पनी ने आरंभिक तुलन पत्र 01 अप्रैल 2015 का तैयार किया है जो कम्पनी की इंड एएस में संक्रमण तिथि है। इस टिप्पणी में इंडियप गैप से पुनर्कथन में कम्पनी द्वारा किए गए प्रमुख समंजन का 01 अप्रैल 2015 को तुलन पत्र सहित तथा 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय आंकड़ो का विवरण है। इंड एएमस के अधीन इड एएस 101 में प्राप्त छूट में प्रथमबार अंगीकर्ता को कुछ आवश्यकताओं के लिए पूर्व प्रभाव से छूट प्राप्त है। कम्पनी ने निम्नलिखित छूट को लागू रकिया है।

i) वित्तीय परिसम्पत्ति या वित्तीय देयताओं की स्वच्छ मूल्य माप (इंड एएस 101 डी 20)

प्रथमबार अंगीकर्ता इंडएएमस 109 आज एक लाभ या हानि प्रावधान इंड एएस को संक्रमण तिथि को या वाद की तिथि से लागू कर सकता है। अतएव जबतक प्रथमवार अंगीकर्ता इंड एएस 109 को किसी तिथि को एक लाभ या हानि के लेनदेन का चयन करता है तवतक इड एएस लेनदेन का अवधि के पूर्व प्रभाव से पुनर्कथन आवश्यक नही है।

चूंकि कम्पनी पहली बार इंड एएस को अंगीकार कर रही है इसलिए इंड एएस 109 को प्रत्यागित रूप से लागू करना स्वीकार करती है।

ii) खान बंदी (माइन क्लोजर) स्थल पुन:स्थापन (साइट रेस्टोरेशन) तथा सम्पत्ति मे उत्तरदायित्व पर पावंदी, संयंत्र तथा उपकरण (इंड एएस 101 डी 21)

इंड एएस 16 का संलग्नक 'क' वर्तमान पाबंदी, पुन:स्थापन तथा समान दायित्व मे परिवर्तन में आवश्यक है कि पावंदी पुन:स्थापन या समान दायित्व में परिसम्पत्ति के मूल्य को जोड़ा या घटाया जाय जो इसके संबंधित है।

परिसम्पत्ति की समंजित मूल्य ह्रास योग्य राशि को इसके बाद शेष उपयोगी जीवनकाल के ऊपर प्रत्यासित तरीके से मूल्य ह्रासित किया जाय। प्रथमवार अंगीकर्ता को इन परिवर्तनों की आवश्यकताओं के अनुपालन की आवश्यकता नहीं है जो इन देयताओ के इंड एएस के लेनदेन की

तिथि के पूर्व की है। दूसरे शब्दों मे प्रथमवार का अंगीकर्ता आकलन की आवश्यकता नहीं है कि कोयला प्रावधान पिछले प्रतिवेदन की तिथि पर कौन से प्रावधान की गणना की गई थी तथा यह माना जाता है कि वही देयता (केवल मुद्रा मूल्य के समय समंजित) उपलब्ध थी जब परिसम्पत्ति प्रथम वार अधिग्रहीत/निर्मित हुई थी।

इड एएस के प्रथमवार अंशीकर्ता के कारण, कम्पनी ने खानवंदी (माइन क्लोजर) स्थल पुन:स्थापन (साइट रेस्टोरेशन) तथा उत्तरदायित्व की पावंदी (डी कमीशनिग आब्लिगेशन) की संक्रमण की तिथि को गणना की है यह मानकर कि यह देयता (वर्तमान मूल्य) पर स्थित है जबकि परिसम्पत्ति पहलीबार अधिग्रहीत/निर्मित की गई।

7. कोल इंडिया लिमिटेड की पुन:स्थापन तथा पुनर्वास नीति

परियोजना प्रभावित व्यक्तियो (पीएपी) की बदलती आकांक्षाओं तथा भूमि के तीव्र अधिग्रहण के लिए 2012 में कोल इंडिया लिमिटेड की पुन:स्थापना तथा पुनर्वास नीति संशोधित की गई। इसे उदार तथा पैप सहायक एवं अनुषंगी कम्पनियों के निदेशक मंडल के लिए अधिक लचीला बनाया गया। इस नीति में सामाजिक, आर्थिक सवेक्षण के लिए आधारभूत संरचना है ताकि सूचीबद्ध पैप की पहचान की जा सके एवं राज्य सरकार तथा पैप की सहमति से पुनर्वास किया योजना (आरएपी) के साथ साथ आर तथा आर सुविधा प्राप्त की जा सके। कोल इंडिया लिमिटेड की आर तथा आर नीति में भूमि क्षतिपूर्ति तथा मुआवजा, नियोजन या एकमुश्त आर्थिक क्षतिपूर्ति तथा वार्षिक वृत्ति, बासभूमि के लिए क्षतिपूर्ति घर की जगह के बदले मे –एकमुश्त भुगतान, सभी प्रभावित विस्थापित परिवार के लिए निर्वाह भक्ता इत्यादि उपलब्ध है।

8. पर्यावरणीय प्रभाव का निर्धारण (ईआईए) / पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ईएसपी)

वन तथा पर्यावरण मंत्रालय के 14 सितम्बर 2006 के ईआईए अधिसूचना एसओ 1533 के अनुसार सभी नई तथा विस्तार परियोजनाओं के लिए ईआईए/ईएमपी अधिकतम तथा सामान्य क्षमता पर तैयार किया जाता है तथा पर्यावरणीय सहमति प्राप्त की जाती है। वर्ष 2016-17 में सीएमपीडीआईएल ने कुल 2 फार्म 1 तथा 2 ईआईए/इएमपी की प्रारूप तैयार किए। वर्ष 2016-17 के अंतर्गत इसीएल की विभिन्न खानों/परियोजनाओं के लिए वन तथा पर्यावरण मंत्रालय से 5 पर्यावरणीय सहमतियाँ प्राप्त की गई।

9. इड एएस की संक्रमण तिथि 1 अप्रैल 2015 को इक्विटी का सामंजस्य

(₹ करोड़ में)

	फुट नोट	भारतीय गैप	समजन	इंड एएस
परिसम्पत्तियों				
गैर वर्तमान परिसम्पथियों				
(क) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	3	1,565.39	276.61	1,842.00
(ख) पूंजीकृत चालू कार्य	4	313.32	-	313.32
(ग) अन्वेषण तथा मूल्यांकन परिसम्पत्ति	5	32.73	-	32.73
(घ) निवेश सम्पत्ति		-	-	-
(ङ) वास्तविक परिसम्पत्ति	6			
(च) अवास्तविक परिसम्पत्ति, विकास के अधीन				
(छ) वित्तीय परिसम्पत्ति				
(i) निवेश	7	0.08	-	0.08
(ii) ऋण	8	0.58	-	0.58
(iii) अन्य वित्तीय परिसम्पत्ति	9	165.47	-	165.47
(ज) आस्थगित कर परिसम्पत्ति (शुद्ध)		91.95	-	91.95
(झ) अन्य गैर वर्तमान परिसम्पत्ति	10	172.13	-	172.13
कुल गैर वर्तमान परिसम्पत्ति (क)		2,341.65	276.61	2,618.26

वर्तमान परिसम्पत्ति				
(क) सम्पत्ति सूची	**12**	551.02	-	551.02
(ख) वित्तीय परिसम्पत्ती				
(i) निवेश	**7**	0.03	-	0.03
(ii) व्यापारिक प्राप्तियाँ	**13**	1,426.88	-	1,426.88
(iii) नगद तथा नगद समतुल्य	**14**	538.77	-	538.77
(iv) अन्य बैंक शेष	**15**	3,877.05	-	3,877.05
(v) ऋण	**8**	-	-	-
(vi) अन्य वित्तीय परिसम्पत्ति	**9**	283.05	-	283.05
(ग) वर्तमान कर परिसम्पत्ति शुद्ध		-	-	-
(घ) अन्य वर्तमान परिसम्पत्ति	**11**	440.49	-	440.49
कुल वर्तमान परिसम्पत्ति (ख)		7,117.29	-	7,117.29
कुल (क + ख)		9,458.94	276.61	9,735.55
इक्विटी तथा देयतायें				
इक्विटी				
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	**16**	4,269.42	(2,050.97)	2,218.45
(ख) अन्य इक्विटी	**17**	(2,716.00)	852.41	(1,863.59)
कम्पनी के इक्विटी धारको को आपरोपणीय इक्विटी		1,553.42	(1,198.56)	354.86
गैर नियंत्रक व्याज		-	-	-
कुल इक्विटी (क)	**16**	1,553.42	(1,198.56)	354.86
देयतायें				
गैर वर्तमान देयतायें				
(क) वित्तीय देयतायें				
(i) उधार	**18**	164.33	1,220.25	1,384.58
(ii) व्यापारिक देय	**19**	-	-	-
(iii) अन्य वित्तीय देयतायें	**20**	18.94	-	18.94
(ख) प्रावधान	**21**	2,730.39	254.92	2,985.31
(ग) अन्य गैर वर्तमान देयतायें	**22**	-	-	-
कुल गैर वर्तमान देयतायें (ख)		2,913.66	1,475.17	4,388.83
वर्तमान देयतायें				
(क) वित्तीय देयतायें				
(i) उधार	**18**	-	-	-
(ii) व्यापारिक देय	**19**	128.35	-	128.35
(iii) अन्य वित्तीय देयतायें	**20**	274.78	-	274.78
(ख) अन्य वर्तमान देयतायें	**23**	3,132.48	-	3,132.48
(ग) प्रावधान	**21**	1,239.64	-	1,239.64
(घ) वर्तमान कर देयता		216.61	-	216.61
कुल वर्तमान देयतायें (ग)		4,991.86	-	4,991.86
कुल इक्विटी तथा देयतायें (क+ख+ग)		**9,458.94**	**276.61**	**9,735.55**

10. 31 मार्च 2016 को इक्विटी का सामंजस्य

(₹ करोड़ में)

	फुट नोट	भारतीय गैप	समंजन	इंड एएस
परिसम्पत्तियों				
गैर वर्तमान परिसम्पथियों				
(क) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	3	1,726.03	249.96	1,975.99
(ख) पूंजीकृत चालू कार्य	4	561.01	-	561.01
(ग) अन्वेषण तथा मूल्यांकन परिसम्पत्ति	5	87.77	-	87.77
(घ) निवेश सम्पत्ति		-	-	-
(ङ) वास्तविक परिसम्पत्ति	6	-	-	-
(च) अवास्तविक परिसम्पत्ति, विकास के अधीन		-	-	-
(छ) वित्तीय परिसम्पत्ति				
(i) निवेश	7	0.08	-	0.08
(ii) ऋण	8	0.36	-	0.36
(iii) अन्य वित्तीय परिसम्पत्ति	9	274.40	-	274.40
(ज) आस्थगित कर परिसम्पत्ति (शुद्ध)		149.47	-	149.47
(झ) अन्य गैर वर्तमान परिसम्पत्ति	10	156.00	-	156.00
कुल गैर वर्तमान परिसम्पत्ति (क)		2,955.12	249.96	3,205.08
वर्तमान परिसम्पत्ति				
(क) सम्पत्ति सूची	12	764.21	-	764.21
(ख) वित्तीय परिसम्पत्ति				
(i) निवेश	7	-	-	-
(ii) व्यापारिक प्राप्तियाँ	13	1,955.53	-	1,955.53
(iii) नगद तथा नगद समतुल्य	14	591.08	-	591.08
(iv) अन्य बैंक शेष	15	3,432.06	-	3,432.06
(v) ऋण	8	-	-	-
(vi) अन्य वित्तीय परिसम्पत्ति	9	305.18	-	305.18
(ग) वर्तमान कर परिसम्पत्ति शुद्ध		46.22	-	46.22
(घ) अन्य वर्तमान परिसम्पत्ति	11	239.16	-	239.16
कुल वर्तमान परिसम्पत्ति (ख)		7,333.44	-	7,333.44
कुल (क + ख)		**10,288.56**	**249.96**	**10,538.52**
इक्विटी तथा देयतायें				
इक्विटी				
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	16	4269.42	2050.97	2,218.45
(ख) अन्य इक्विटी	17	1847.98	775.00	-1,072.92
कम्पनी के इक्विटी धारको को आरोपणीय इक्विटी		2,421.44	-1,275.91	1,145.53
गैर नियंत्रक व्याज		-	-	-
कुल इक्विटी (क)		**2,421.44**	**-1,275.91**	**1,145.53**

देयतायें				
गैर वर्तमान देयतायें				
(क) वित्तीय देयतायें				
(i) उधार	18	168.00	1,317.87	1,485.87
(ii) व्यापारिक देय		-	-	-
(iii) अन्य वित्तीय देयतायें	20	28.42	-	28.42
(ख) प्रावधान	21	2,740.83	207.42	2,948.25
(ग) अन्य गैर वर्तमान देयतायें	22	-	-	-
कुल गैर वर्तमान देयतायें (ख)		2,937.25	1,525.29	4,462.54
वर्तमान देयतायें				
(क) वित्तीय देयतायें				
(i) उधार	18	-	-	-
(ii) व्यापारिक देय	19	128.40	-	128.40
(iii) अन्य वित्तीय देयतायें	20	383.38	-	383.38
(ख) अन्य वर्तमान देयतायें	23	3,326.36	0.58	3,326.94
(ग) प्रावधान	21	1,091.73	-	1,091.73
कुल वर्तमान देयतायें (ग)		**4,929.87**	**0.58**	**4,930.45**
कुल इक्विटी तथा देयतायें (क+ख+ग)		**10,288.56**	**249.96**	**10,538.52**

11. 31 मार्च 2016 को वर्ष के लिए लाभ या हानि के लिए समंजन संचालन से राजस्व

(₹ करोड़ में)

	फुट नोट	भारतीय गैप	समंजन	इंड एएस
संचालन से राजस्व			-	
विक्रय (शुद्ध)	24	10,219.45	-	10,219.45
अन्य संचालन राजस्व (शुद्ध)	24	268.84	-	268.84
संचालन से राजस्व (क तथा ख)		**10,488.29**	**-**	**10,488.29**
अन्य आय	25	505.28	13.54	518.82
कुल आय (I+II)		**10,993.57**	**13.54**	**11,007.11**
खर्च				
उपर्युक्त सामग्री की लागत	26	738.60	-	738.60
तैयार माल / चालू कार्य प्रगति पर तथा व्यापार मे स्टाक की सूची में परिवर्तन	27	(186.24)	-	(186.24)
उत्पाद शुल्क		609.24	-	609.24
कर्मचारी लाभ खर्च	28	5,610.45	99.50	5,709.95
विद्युत खर्च		507.48	-	507.48
सामूहिक सामाजिक जिम्मेदारियाँ खर्च	29	62.61	-	62.61
मरम्मत	30	134.41	-	134.41
ठेकेदारी खर्च	31	1,367.92	-	1,367.92
वित्त लागत	32	-	128.54	128.54
मूल्य ह्रास / परिशोधन / क्षति खर्च		290.75	27.40	318.15

प्रावधान	33	112.92	(64.88)	48.04
बट्टे खाते	34	42.21	-	42.21
अन्य खर्च	35	414.89	(0.17)	414.72
अनावरण गतिविधि समंजन		(11.71)	-	(11.71)
कुल खर्च (IV)		9,693.53	190.39	9,883.92
कर पूर्ण लाभ (V-VI)		1,300.04	(176.85)	1,123.19
कर खर्च		432.02	(34.44)	397.58
अवधि के लिए लाभ (IX+XII+XIII)		868.02	(142.41)	725.61
अन्य व्यापक लाभ	37			
क.(i) लाभ अथवा हादि के रूप मे वर्गीकृत न की जाने योग्य वस्तुऐं		-	99.50	99.50
(ii) लाभ अथवा हानि के रूप मे वर्गीकृत न की जाने योग्य वस्तुओं पर आयकर		-	34.44	34.44
ख. (i) लाभ अथवा हादि के रूप मे वर्गीकृत की जाने योग्य वस्तुऐं		-	-	-
(ii) लाभ अथवा हादि के रूप मे वर्गीकृत की जाने योग्य वस्तुओं पर आयकर		-	-	-
कुल अन्य व्यापक आय			65.06	65.06
अवधि के लिए कुल व्यापक (XIV+XV) (अवधि के लिए अन्व व्यापक आय तथा लाभ (हानि) (सहित)		868.02	(77.35)	790.67

12) सीएसआर खर्च :

क) वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान कम्पनी द्वारा खर्च की जाने के लिए सकल आवश्यक राशि रू 29.19 करोड़ (रू 33.17 करोड़) है।

ख) अवधि के दौरान खर्च की गई राशि।

(₹ करोड़ में)

क्रम	वर्ष	2016-17			2015-16		
		नगद/ बैंक में	**नगद/बैंक के असीसी देय**	**कुल**	**नगद/ बैंक में**	**नगद/बैंक के असीसी देय**	**कुल**
1	किसी परिसम्पत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
2	उपरोक्त (1) के अतिरिक्त उद्येश्य पर	20.56	1.06	**21.62**	41.95	20.66	**62.61**

13) अन्य : इंड एएस के अनुसार जहाँ आवश्यक समझा गया वहाँ पिछली अवधि के आंकड़ो को पुन: एकत्रित तथा पुन: व्यवस्थित किया गया ताकि वर्तमान वर्ष से एकरूपता बनी रहे। तुलनपत्र की टिप्पणियों / अतिरिक्त टिप्पणियों तथा लाभ एवं हानि के विवरण में कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछली अवधि से संबधित हैं।